राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र १९६६ का ९ वां दिवस [संख्या ७

शुक्रवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९६६.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, गृह, उपनिवेशन, श्रम, सिंचाई, खाद्य, राजस्व, सामान्य-प्रशासन, पशुपालन, कृषि, राजस्थान, कैनाल, अकाल-सहायता विभाग,]

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान ।

जंगल से लकड़ी लाने की अनुमति

१८५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन में परमिट से ऊंटों पर या बैलगाड़ी आदि पर जंगल से व्यक्तिगत तौर पर लकड़ी लाने पर वर्ष १९६४-६५ में रोक लगा दी गई थी ? यदि हां, तो यह रोक किस कानून के तहत लगाई गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि हाईकोर्ट के द्वारा इस रोक को रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब किस कानून के तहत रोक लगाई हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि जंगल से लकड़ी लाने की अनुमति सिर्फ सहकारी समितियों को ही है ? यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी समितियां बनी हैं और उन्हें कितना-कितना जंगल कब कब दिया गया है ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई): I seek for the post p rmanant, Sir.

श्री जोधसिंह चौहान : But why, Sir. बहुत इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन है और बहुत पुराना है ।

श्री भीखाभाई : इसमें अभी इनफॉर्मेशन प्राप्त करना बाकी है ।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने बहुत ज्यादती कर रखी है । आदिवासी लोग लकड़ी नहीं ला सकते । मैं समझता हूं कि इसका जवाब देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : अगर मन्त्री महोदय के पास कुछ जानकारी है तो अभी दे दें ।

श्री भीखाभाई (१) जी हां यह रोक राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ के अधीन लागू की गई थी ।

(श्री भीखाभाई)

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। ऐसी कोई ५ समितियां बनी हैं और ५०–५० बीघा वन-खण्ड दिया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सहकारी समितियां बोगस हैं और इन्डिविजुअल्स को लकड़ी नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न नहीं हुआ। आप किसी विशेष के बारे में पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या जब उनकी हाई कोर्ट से रिट दायर होकर फैसला हो गया तो सरकार उनको लकड़ी लेने देगी ?

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट का क्या फैसला है और सरकार का उसके बारे में क्या रुख है यह थोड़ा बता दें।

श्री भीखाभाई : फैसला तो इस समय मेरे पास नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाये। मैंने इनफॉर्मेशन मंगाई थी लेकिन पूरी इनफॉर्मेशन नहीं है। सहकारी समितियों को पहले भी एक बार नहीं, दोबार नहीं, बल्कि सदन में कई बार कह चुके हैं कि सदस्यों ने कहा था कि कि जहां तक इन्डिविजुअल्स का सवाल है इन्डिविजुअल ऑनर्स जो हैं वह आदिवासी जाति के नहीं हैं। वह ऊंटों को लेकर लकड़ी ले आते हैं और उदयपुर के आसपास के जितने जंगल थे वह करीब करीब समाप्त हो गए। इसलिए अध्यक्ष महोदय राजस्थान सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो आदिवासी लोग केवल ऑनर्स हैं, जिनके पास ऊंट खुद के हैं, क्योंकि भाड़े से ऊंट लेकर आदिवासी लकड़ी लेने चले आते हैं और वह केवल उनके शोषण का जरिया है। इसको बन्द करने के लिए सरकार द्वारा फॉरेस्ट के अन्तर्गत कि वह फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नियंत्रित करें उसी प्रकार की कार्यवाही की गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस प्रश्न के खण्ड २ में कहा है कि हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस प्रकार का ज्ञान है कि इस संबंध में जो रोक लगाई है लकड़ी लाने के लिए तो इस संबंध में हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने चेलेन्ज दिया है और अगर दिया है तो क्या फैसला हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ही बता दें क्या फैसला है ?

श्री जोधसिंह चौहान : मैं निवेदन कर चुका हूं कि हाईकोर्ट का यह फैसला है कि इन्डिविजुअल्स को रोक लगाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि शहर के लोग लकड़ी लेते थे इसलिए उनको रोकने के लिए सहकारी समिति बनाई गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी सहकारी समितियां बनी हैं उनमें सबमें शहर के आदमी हैं और शहर के कूंजड़े हैं। वहां के सरपंच लाते हैं और आदिवासी लोग अभी भी लकड़ियां लेने से महरूम हैं और आदिवासी लोगों को लकड़ी नहीं लेने दिया जाता है। क्या सरकार जिनके इन्डिविजुअल ऊंट हैं और आदिवासी हैं उनको लकड़ी लेने देगी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप तो हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बतायें । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का इस सम्बन्ध में फैसला हो चुका है, क्या सरकार को जानकारी है और जो पोस्टपोनमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी वह इसी लाइट में की थी या क्यों की थी ?

श्री भीखा भाई : मैंने पोस्टपोनमेंट इसलिए चाहा था कि पूरी इनफॉर्मेशन नहीं थी । लेकिन कुछ बातें मुझे मालूम हैं और जो कुछ मैं बैकग्राउण्ड जानता हूँ और सदन के अन्दर भी जवाब दिया है और माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कि ऊंटों का आन्दोलन माननीय सदस्य ने किया था और नाकामयाब हुए थे और उन्हीं दिनों में माननीय सदस्य गिरफ्तार भी हुए थे । वह सवाल यह है जो मैं संक्षेप में निवेदन कर दूं कि गांव में रहने वाले लोग जो ऊंट लेकर आते हैं वह दो प्रकार के लोग हैं । एक तो उदयपुर के लोग हैं जो धनी हैं और जिनके पास पैसा है और जो खुद के ऊंट रखते हैं वह चाहते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है और सुविधायें दी गई हैं उस सुविधा का फायदा लेते हैं । माननीय सदस्य ने सवाल उठाया वह यह है कि क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि हाईकोर्ट में इस बात पर फैसला हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं होना चाहिए । उन्होंने कहा कि रोक लगाई है वह सरकार के द्वारा डिस्क्रिमिनेटरी है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमने फैसला किया कि आदिवासियों की सोसाइटीज़ जो कि खुद के ऊंट रखती हैं उन्हीं के अनुसार उनको लकड़ी दी जायगी । उसी बात को लेकर मैंने कहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जो हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं क्या सरकार की जानकारी में है कि डिस्क्रिमिनेशन के सवाल को लेकर इस प्रश्न को हाईकोर्ट में चेलेंज किया गया है और उस पर कोई निर्णय हुआ है ?

श्री भीखाभाई : जैसी मेरी जानकारी थी वह मैंने दे दी । माननीय सदस्य और चाहते हैं तो मुझसे बात करलें । वर्ना मैं यह मानता हूं और मैं समझता हूं कि वन-नियमों के अनुसार जो चीजें चलती हैं उसी के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, को अपनी नीति निर्धारण करने का स्वातंत्र्य है, लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं या किस स्थिति में यहां लागू होता है आप विधि विभाग से जानकारी लेकर जो कुछ कार्यवाही हो सकती है वह करें । लेकिन हाई कोर्ट का फैसला है वह गौर से देखना जरूरी हो गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टतया यह नहीं कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या हुआ है और मैं समझता हूँ कि प्रश्न के अन्दर जो मुख्य बात है, जहां तक प्रश्न संख्या १ और ३ हैं, यह बराबर इस सदन में आये और बराबर सरकार की नीति बता दी है और उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में इसको चेलेंज किया है, और उसका निर्णय हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि जब तक आप इस लाइट में कोई निर्णय नहीं लेंगे और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये तो अच्छा रहेगा । यह प्रश्न आदिवासियों का न

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

केवल इस क्षेत्र में है बल्कि सारे राजस्थान में है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर यह अपना पूरा विचार दें जब तक के लिए स्थगित किया जाये। तब तक इसको हाईकोर्ट के फैसले के लाइट में नहीं सोचा जाये तब तक इसको पोस्टपोन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

पसायतेदारान का मुश्रावजा

१८६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम गुंदाऊ, जिला जालौर के पसायतेदारान का मुश्रावजा मौके पर वितरण करते वक्त मुश्रावजे में से राजस्व की रकम काट ली गई थी, परन्तु वास्तव में रकम खजाने में जमा नहीं कराई गई?

(२) क्या यह भी सत्य है कि तहसील से पसायतेदारान से जब दुबारा राजस्व वसूल शुरु की गई, उस वक्त उपरोक्त तथ्य सामने आया और उसकी जांच तहसीलदार सांचोर एवं एस० डी० ओ०, भीनमाल ने की?

(३) क्या यह सत्य है कि जांच के दौरान मामला सही पाया गया और एस० डी० ओ०, भीनमाल ने उपरोक्त मामला पुलिस थाना सांचोर को सुपुर्द कर दिया जहाँ पर मुकदमा जुर्म जेर दफा ४२०,४०६ वगैरह ताजीरात हिन्दी दर्ज हुआ?

(४) मुकदमा दर्ज हुए कितना असा हो चुका है और उसमें अब तक क्या तफतीश हुई है और क्या तफतीश बाकी है?

(५) क्या यह सत्य है कि मुश्रावजा बांटने वाले व्यक्तियों ने मंजूर किया है कि उन्होंने मुश्रावजा बांटते वक्त राजस्व की रकम काट ली थी? अगर हां, तो पुलिस ने अब तक यह रकम संबंधित व्यक्तियों से बरामद क्यों नहीं की है? अब रकम की बरामदगी कब तक ली जावेगी? और मुलजिमान का चालान अदालत में कब तक कर दिया जावेगा?

गृहमंत्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां, किन्तु तफतीश से जांच केवल तहसीलदार द्वारा ही करना पाया गया एस० डी० ओ० ने तो केवल तहसीलदार की जांच के आधार पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया।

(३) जी हां।

(४) मुकदमा दिनांक ३-५-६५ को दर्ज हुआ। तफतीश पूरी हो चुकी और मुकदमे में चालान करने का निर्णय लिया जाकर अदालत में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है।

(५) मुश्रावजा के जागीरी बॉण्ड को मुश्रावजा प्राप्त करने वालों के एजेन्ट ने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

भुनवाया तथा उसमें जिस समय उन्हें रकम तकसीम की उसी समय संबंधित व्यक्तियों ने मुआवजा दौरान से राजस्व की रकम वसूल कर ली। तफतीश में रकम की वसूली नहीं हो सकी। मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया जा रहा है। अतः संबंधित विभाग द्वारा रकम की वसूली पी०डी०आर० एक्ट के तहत या और किसी कानूनी तरीके पर की जावेगी।

श्री तेजाराम गहलोत : यह रकम कितनी थी ? माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी रकम थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३,६१५,१० पैसे इसमें कुछ पैसों की गल्ती हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

सड़क बनाने की मांग

१८७. **श्री जुझारसिंह(चेचट)**: क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या रामगंज मंडी के ग्राम मदनपुरिया में बसाये गये राणा प्रताप सागर के विस्थापित लोगों द्वारा मदनपुरिया से रीधाड़िया होती हुई रामगंज मंडी तक ५ मील लम्बी सड़क बनाने की मांग की है जो सरकार की मौजूदा योजना में मदनपुरिया-चेचट बनाई जाने वाली सड़क के बराबर ही लम्बी है ?

(२) तहसील व एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर होने, फासला बराबर होने व विस्थापितों की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मदनपुरिया से चेचट के बजाय मदनपुरिया से रामगंजमंडी सड़क बनाने का आदेश देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) कालिया खेड़ी से चेचट तक सड़क बनाने के लिए सर्वे कराई जाकर एस्टीमेट बनाया जाकर श्री अधिशासी अभियन्ता, पुनर्वास द्वारा बाद मंजूरी हासिल करने काम शुरू कर दिया गया है। अब कालिया खेड़ी के कुछ विस्थापितों की राय के मुताबिक कालिया खेड़ी से रामगंजमंडी तक सड़क बनाने की कार्यवाही सर्वे करने व एस्टीमेट बनाने का कार्य दरपेश है। कालिया खेड़ी से रामगंज तक सर्वे होने पर प्रोजेक्ट द्वारा आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री जुझारसिंह : मेरा निवेदन यह था कि सड़क का फासला पांच मील है। कालिया खेड़ी से रामगंजमण्डी भी पांच मील है और कालिया खेड़ी से चेचट भी पांच मील का फासला है। अब दोनों में ऑप्शन होता है कि जो डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं वे इस सड़क को रामगंजमंडी तक बनाना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं बनिस्बत चेचट के। क्योंकि रामगंजमंडी तहसील हैड क्वार्टर है और वहीं पर एस. डी. ओ. की कोर्ट है। उनका सारा काम रामगंजमण्डी से पड़ता है, चेचट से नहीं पड़ता है। तो जो फाइनेंस का प्रश्न आता है तो फाइनेंस का प्रश्न तो जब दस मील की सड़क बनावें तब आएगा। अभी तो जो पांच मील की सड़क बनानी है उस

Page No.6

(श्री जुझारसिंह)

बारे में मेरा निवेदन यह है कि चेचट की तरफ सड़क बनने के बजाय अगर रामगंज मण्डी की तरफ सड़क बना दें तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राय तो मैंने बता दी। मांग मुताबिक ही कालियाखेड़ी से चेचट सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और अब बाकी पांच मील का टुकड़ा और है इसमें हम एस्टीमेट्स और सर्वे करा रहे हैं। इनके होने के बाद हमारे साधनों के अनुसार इस पर कार्यवाही करेंगे। यह तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सड़क नहीं बनाना चाहते हैं। वहां पर जो विस्थापित लोग रहते थे उनकी कालियाखेड़ी से चेचट तक सड़क बनाने की मांग थी उसको पूरा किया जा रहा है। इसमें भी उनको सुविधा ही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का मतलब है कि चेचट वाली सड़क प्रारम्भ हो गई है।

श्री जुझारसिंह : अभी शुरू नहीं हुई है, साहब। मैं खुद देखकर आया हूँ। सर्वे हुआ है और मिट्टी डाली गई है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने निर्णय ले लिया है कि यह सड़क बनेगी।

श्री जुझारसिंह : हमारा निवेदन यह है कि उसको बनाने में पैसा कुछ खर्च नहीं होगा। इसके अलावा वहां पर जो कालियखेड़ी से विस्थापित हुए बारह गांव के लोग हैं उनको दूसरी तरह की सहूलियतें दिलाने के लिए भी आपने वादा किया था और आपके वादे के अनुसार स्कूल हैं, अस्पताल हैं और दूसरी चीजें हैं जो आपने देने का वादा किया था, उनमें अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसके बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? आप उनको कब तक प्रोवाईड कर देंगे ये फेसिलिटीज ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप कहां चाहते हैं, कहां आवश्यकता हैं इनकी, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न से उसका सम्बन्ध नहीं है। हमारी योजना के मुताबिक हमें जितने पानी के कुए बनाने थे उन पर लगभग २ लाख ७७ हजार रुपये खर्च करने वाले थे उसमें से ६० हजार के करीब का काम बाकी है। जहां २ पर कुए बनाने थे, जो अधूरे हैं उनको पूरा करना है और जो नए बने हैं उनको भी पूरा करना है।

इसी तरह से स्कूलों पर एक लाख चार सौ के करीब खर्च करना था जिसमें से चालीस हजार का काम होना है।

इसी तरह से औषधालय पर २३ हजार रुपया खर्च करना था उसमें से २३ हजार ही खर्च कर चुके हैं। चौपाल वगैरह पर खर्च करना था वह भी कर चुके हैं। इसमें से कुछ रुपया खर्च करना बाकी है। इस तरह से जिस स्थान पर कार्य होना चाहिए वह कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य जिसके लिए ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि किस जगह से उनका मतलब है। जो विस्थापितों को सुविधा देने का और जो दूसरे कार्य करने हैं उनका निर्णय लिया गया था उसके अनुसार

Page No.7

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हमने इतना खर्चा कर दिया है, बाकी का खर्चा भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० १८८, श्री हरिप्रसाद।

सीमेन्ट उद्योग, सवाई माधोपुर में दुर्घटना

१८८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सीमेंट उद्योग, सवाई माधोपुर में दिनांक १७-८-६६ को एक मजदूर श्री रणजीतसिंह का एक्सीडेन्ट ओवर हैड क्रेन में फंसने से हो गया था ?,

(२) क्या यह सही है कि उक्त मजदूर को घायल अवस्था में जीप की सुविधा नहीं मिलने के कारण तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और कुछ देर बाद आप ही उसकी मृत्यु हो गई ?

(३) क्या यह सही है कि फैक्ट्री के द्वारा एम्बूलेंस आदि की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। मजदूर के क्षति-ग्रस्त होने के पश्चात् जीप शीघ्र नही आ सकी परन्तु एक ट्रक में शीघ्र क्षतिग्रस्त कामगार को फैक्ट्री के बाहर ही अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उनको मृत बताया। चोट इतनी गम्भीर थी कि बच नही सकता था।

(३) एम्बुलेन्स की व्यवस्था नहीं है, परन्तु एक जीप गाड़ी की इस काम के लिए व्यवस्था अब कर दी गई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय भाग नम्बर (२) में यह स्वीकार किया है कि वहां पर गाड़ी की व्यवस्था थी और आपने इस बात से इन्कार किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वहां पर कौन सी गाड़ी थी जिससे उसको पहुंचाया गया। आपने कहा कि मृत्यु अस्पताल में हुई जब कि उसकी मृत्यु घटना-स्थल पर ही साधन नहीं होने से हो गई। आप बताइये कि फैक्ट्री ने वहां पर एम्बुलेंस का क्या इन्तजाम कर रखा था ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि मैने यह स्पष्ट कहा है कि उस मजदूर को जो वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ उसको ले जाने के लिए तत्काल कोई जीप उपलब्ध नहीं थी और न जीप वहां पर पहले से रखी गई थी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं यही तो पूछना चाहता हूं।

श्री भीखाभाई : मैं बता रहा हूं आपको कि वहां पर जीप पहले से रखी गई थी लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं होने से जीप के लिए टेलीफोन किया और टेलीफोन करने के बाद भी जीप आने में दस-पन्द्रह मिनिट लग गये तो इसी बीच में ट्रक के जरिये से

(श्री भीखाभाई)

उसे अस्पताल पहुँचाया गया । अब आगे के लिए वहां पर जीप की व्यवस्था कर दी गई है, यह मैंने कहा है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं कि अस्पताल पहुँचाया गया । मैं आपसे कहता हूं कि अस्पताल जाने से पहले ही मृत्यु हो गई थी उसकी । आप यह बताइये कि उसकी मृत्यु घटना-स्थल पर हुई या फैक्ट्री में हुई या अस्पताल में जाकर हुई ?

श्री भीखाभाई : यह सारी जानकारी तो मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जैसा मैंने पूछा था कि मृत्यु कहां हुई तो आप कहते हैं कि अस्पताल में हुई । मैं आपसे कह रहा हूँ कि मृत्यु अस्पताल में नहीं घटना-स्थल पर ही हो गई थी । अस्पताल ले जाने में एक घंटा ले लिया....

श्री भीखाभाई : अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में भी मृत्यु हो सकती है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : घटना होने के बाद एक घण्टे बाद तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी और इसकी वजह से वहां पर ही उसकी मृत्यु हो गई, इस पर मजदूरों में काफी असंतोष फैल गया । उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन भी किया । कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया गया, लेकिन एक महीना हो गया है, वहां पर किसी प्रकार की जांच नहीं कराई गई है और अब भूख हड़ताल चल रही है ।

श्री भीखाभाई : वह भूख हड़ताल तो दूसरे कारणों से है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि पर्याप्त स्थान नहीं होने से मजदूरों की मृत्यु हो जाती है और फैक्ट्री इन्सपेक्टर ने कभी भी मौके पर जाकर जानकारी नहीं की है ?

श्री भीखाभाई : फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने जाकर देखा है और चालान भी किया है । फैक्ट्री रूल्स के अनुसार और सैफ्टी रूल्स के अनुसार उनका वॉयलेशन हुआ है और फैक्ट्री के एक्ट के सेक्शन २६ के अन्तर्गत जो रूल्स आते हैं सैफ्टी के, उस रूल के नम्बर ५ के अन्तर्गत जो अभी ६५ में ही रिवाईज हुए हैं, उनके अन्तर्गत मैनेजमेंट का चालान कर दिया गया है । इसके अलावा आगे के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वह व्यवस्था भी कर दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह चालान कब हुआ ?

श्री भीखाभाई : यह तो पहले ही कर दिया गया था ।

प्रश्न संख्या १८६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ।

अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये

(प्रश्न संख्या १६०)

श्री हीराभाई !

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मैं तो प्रश्न संख्या २०५ पूछना चाहूंगा, साहब !

श्री निरंजननाथ आचार्य : नम्बर (१) जी हां !

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं क्या कह रहा हूँ उसे भी सुन लीजिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ...बस आगरा से आ रही थी...

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं प्रश्न सं० २०५ पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न सं० २०५ पूछना चाहते हैं जो पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित है। राजस्व मंत्री जी उसका कृपया उत्तर दें।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : ग्राम पंचायतों को कृषि योग्य भूमि आवंटन के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, अलॉटमेंट आफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर परपजेज नियम, के नियम ६ (३) के अधीन प्रावधान है तथा अलग से भी ऐसे आदेश प्रचलित किये गये हैं जिनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ...

श्री जयनारायण सालोदिया : यह प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं प्रश्न सं० २०५ का जवाब चाहता हूं।

पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही

२०५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम वल्द प्रहलादराम शर्मा जो गांव नारिदा, जिला टोंक में पटवारी था और जिनके खिलाफ संवत् २००५ या २००६ में गल्ले की लेवी के कार्य में करीब दो हजार मन गल्ले के गबन का मुकदमा बना तथा जिसमें उक्त पटवारी की ओर से अदालत में वकील ने अदालत में पटवारी को मरा साबित करके केस को खारिज करा दिया था ?

(२) क्या वह उक्त पटवारी आजकल लाबा हरिसिंह पंचायत में उप-सरपंच है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह तो कॉलोनाईजेशन का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ! इसको बाद में लेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बहुत जरूरी है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : जरूरी है तो ले रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : (१) जी हाँ, यह तो सही है कि श्री राधेश्याम गांव नारिदा में संम्वत् २००५ व

Page No.10

(श्री कुम्भाराम आर्य)

२००६ में पटवारी था किन्तु इस बात का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं....

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०-) : अध्यक्ष महोदय, भ्रम पैदा हो रहा है कि यह उत्तर इनका है या किसका है।

श्री कुम्भाराम आर्य : ...जिससे यह कहा जा सके कि उसके विरुद्ध इन सम्वतों में गबन का कोई मुकदमा बना हो। पुलिस विभाग में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है और उस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पुराना रेकार्ड तलफ हो चुका है। रेकार्ड के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत में कोई मुकदमा उसके विरुद्ध चला हो और उसमें वकील ने श्री राधेश्याम को मरा हुआ साबित करके केस को खारिज करा दिया हो।

(२) जी हां। यदि इस बात का सुबूत मिल सके कि माननीय सदस्य का कथन सही है, तो सरकार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार कर सकती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मैंने, माननीय अध्यक्षजी. मेरे प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा है कि क्या वह आजकल पटवारी जिन्दा है जिसके ऊपर २००० मन लेवी के गल्ले के गबन का केस चला। उसके बारे में जो उसके वकील थे उन्होंने उसको मरा हुआ साबित कर दिया और आजकल वह पटवारी है और एक जगह उप-सरपंच है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनके विभाग में यह जानकारी नहीं है कि मुकदमा चला। यदि आप इसके बारे में और जानकारी दें तो मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे जांच करायेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : जब आपने यह माना है कि वह पटवारी था और यह कहा कि उस पर मुकदमा चला उसका रेकार्ड नहीं है तो पटवारी कहीं होगा तो उसका सर्विस रेकार्ड होगा। आपने यह भी माना है कि वह २००५ व २००६ में पटवारी था।

श्री कुम्भाराम आर्य : उसका पुराना रेकार्ड नहीं मिल रहा है।

श्री रामकिशन : है कहां वह और रेकार्ड कहां चला गया? वह रेकार्ड क्यों नहीं मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष : वे स्वीकार करते हैं कि आजकल यह सरपंच है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : पटवारी का सर्विस रेकार्ड तो होगा। आपने रेकार्ड के बेसिस पर ही तो यह बात स्वीकार की है कि वह पटवारी था। अगर आपके पास रेकार्ड नहीं था तो यह कैसे ज्ञात हुआ कि वह पटवारी था! आपने स्वीकार किया है कि वह कहीं सरपंच है आजकल और अगर यह बात साबित है कि वह पहले पटवारी था तो आपके पास उसका सर्विस रेकार्ड होगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : उसकी फाइल रेकार्ड में भेजी गई है और वहां पर तलफ

(श्री कुम्भाराम आर्य)

कर दी गई है इसलिए कोई रेकार्ड नहीं मिल रहा है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यही तो जानकारी की बात है कि उसका रेकार्ड नहीं मिल रहा है । आजकल जैसा कि आपने फर्माया कि वह सरपंच है तो पटवारी से सरपंच कैसे बना ? उसके रेकार्ड के बारे में माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि जानकारी नहीं है तो उसी रेकार्ड के बारे में तो मेरा प्रश्न है ।

श्री रामकिशन : यह बहुत गम्भीर बात है । अगर इस तरह की बात है तो सरकार का जवाब दूसरा होना चाहिए था ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह २००० मन गल्ला खा गया....

श्री जयनारायण सालोदिया : और उसको मरा हुआ साबित कर दिया गया अदालत में ।

श्री मानसिंह महार : एक जिम्मेदार वकील ने उसको मरा हुआ साबित कर दिया । यह नहीं है कि वह कोई छोटा-मोटा वकील हो । वे भी आजकल उसी ट्रेजरी बेंच पर बैठते हैं । उनसे ही पूछ लें, चौधरी साहब, उनको सब दकफियत है । दामोदरलाल जी व्यास ने उसको मरा हुआ साबित कर दिया ।

श्री कुम्भाराम आर्य : राज्य के पास जितनी जानकारी है वह दे दी गई है। अधिक एन्क्वायरी और गिरफ्तारी का मामला हो तो पुलिस के हवाले कर दें ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मरा हुआ साबित कर दिया तो क्या करेंगे ?

श्री मानसिंह महार : पुलिस में सरपंच और उनके वकील दोनों का चालान होना चाहिए अगर गलत साबित किया कि इस प्रकार मरा है तो हम एग्रीड हैं ।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह तो एन्क्वायरी के बाद की बात है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसके खिलाफ कोई गबन का मुकदमा चला था ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह पता नहीं चल रहा है ।

श्री रामकिशन : अब सारे प्रश्न की पृष्ठभूमि पर क्या आप उचित समझते हैं इस प्रश्न की दुबारा जांच कराना ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं तो कुछ भी उचित नहीं समझता । अगर आप चाहते हैं तो कराने को तैयार हूँ ।

श्री रामकिशन : यही चाहते हैं कि उसकी जांच हो और अपराधी को सजा दी जाय ।

श्री कुम्भाराम आर्य : जांच करवा दी जायगी ।

श्री गंगासिंह (जायल) : क्या सरकार....

श्री रामकिशन : सरकार के रेकार्ड में पटवारी बना है वह लिखा है....

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द !

काश्तकारों को जमीन पर कब्जा

१६२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) [श्री दयाचन्द सोन (बारां–मु०) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले की तहसील पीपलदा में कॉलोनाइजेशन विभाग ने सन् ६५–६६ में काश्तकारों को भूमि बेचान की थी ?

(२) क्या यह सच है कि इन काश्तकारों से किश्तों की रकम जमा करा ली गई, लेकिन इन काश्तकारों को पट्टा नहीं दिया गया और वे अभी तक भूमि पर काबिज नहीं हो सके हैं ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं काश्तकारों ने केवल चौथान की रकम जमा की है जो किश्तों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती । जिन-जिन काश्तकारों ने एक किश्त जमा करा दी है उनको गैरखातेदारी के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये हैं और ज्यों ही सम्पूर्ण किश्तें जमा करा देंगे उनको गैरखातेदारी से खातेदारी राइट्स मिल जावेंगे तथा नियमानुसार पट्टे खातेदारी राइट्स के दे दिये जावेंगे । जिन-जिन काश्तकारों की चौथान की रकम जमा हो गई है और उनका नीलाम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है उनको भूमि पर कब्जा दे दिया गया है और किश्त के प्रमाण–पत्र भी जारी किये जा चुके हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही है कि इस तहसील के अन्दर जिन काश्तकारों ने भूमि चौथान जमा कराकर नीलाम में ली है उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है और पहले के किसान जो कि ट्रेसपासर्स हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है वे ही उस पर काबिज़ हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे भी कुछ केसेज़ हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कितने केसेज़ हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनकी संख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे भी केसेज़ हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि तहसील पीपलदा के अन्दर आपने जो कॉलोनाइजशन एक्ट के तहत ऑक्शन कर के एक–चौथाई रकम जमा करा के एलॉट की है और ५–६ साल के बाद अब कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट यह मानकर कि यह जमीन चरनौट की है उन नीलामों को खारिज कर रहा है और उन पर से लोगों को बेदखल कर रहा है, इस बारे में उसकी कार्यवाही चल रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बेदखली की कार्यवाही के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें ऑक्शन के बारे में अभी तक झगड़ा है इस वजह से उनको स्वीकार नही किया गया है। उनके डिटेल्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। मैंने भी इस के डिटेल्स जानना चाहे थे, लेकिन तहसील हैडक्वार्टर जहां कि ये एवेलेबल हो सकते हैं वह काफी दूर है मेरे पास उसके डिटेल्स नहीं आ सके ।

Page No.13

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय, को मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी इस प्रकार के प्रश्न आये हैं। इस प्रकार के प्रश्न खास तौर से पीपलदा में पैदा हुए हैं। ६१ में नीलाम होकर इनका एलॉटमेंट हो गया था। लोगों ने कब्ज़ा ले लिया और जमीन को समतल बना दी। उनको पंचायत समिति से तकाबी मिल गई और उन पर उन्होंने कुंए बना लिये। अब, अध्यक्ष महोदय, ६५—६६ में आकर उनको इजेक्टमेंट का नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जमीन को खाली कर दो। इस प्रकार का एक केस नहीं है सैंकड़ों केसेज हैं खास तौर से पीपलदा तहसील में। ऐसे ही आबादी लैंड के बारे में है कि जमीन उनको एलॉट हो गई है और वे काबिज़ हो गये हैं और आज उनको कहा जा रहा है कि खाली कर दो, मकान छोड़ दो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर यही बात आप प्रश्न में पूछ लेते तो एक बार में जो जवाब आता वह डिटेल्स में आ जाता। पहले सवाल पूछा तो उसमें दूसरी बात पूछी तो इसका जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि उसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यद्यपि आपके प्रश्न में यह बात नहीं थी लेकिन मैने मेरे दिमाग से सोचा कि शायद इस तरह के सवाल उठ सकें तो मैंने सूचना मंगवाई थी, लेकिन वह अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी। चूंकि इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है इसलिए उत्तर अभी नहीं दे सकता। अगर आप चाहेंगे तो अलग से जानकारी करा दूंगा आपको सारे मामले की।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तहसील पीपलदा में....

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन !

श्री दयाचन्द सोन : सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि एक ही प्लाट को चार-चार आदमियों को नीलाम कर दिया। एक आदमी से चौथान जमा करा ली फिर दूसरे आदमी को एलॉट कर दिया। वे गरीब आदमी हैं जैसे-तैसे करके कर्जा लेकर उन्होंने चौथान जमा कराई है और उसी जमीन को दुबारा नीलाम कर दिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वहां पर कब्जा दूसरों का है और वे ट्रेसपासर्स हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह से नीलाम कर दिया है यह बात प्रश्न में ही पूछ लेते तो जानकारी पूरी मिल जाती। आपने प्रश्न तो पूछा दूसरी किस्म का और अब जानकारी चाहते हैं तो वह जानकारी अभी तक नहीं आई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सारे प्रोजेक्ट क्षेत्र में यही बात है। कॉलोनाइजेशन ने जो ट्रेसपासर्स थे उनको हटाया नहीं। लोगों ने एक चौथाई रकम जमा करा दी लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां पर झगड़े चल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप ध्यान रख लें। उस क्षेत्र से आपके भूतपूर्व उद्योग मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं।

प्रश्न संख्या १६३

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६४

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

सघन पशु-विकास योजना

१६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की बीकानेर एवं लूणकरणसर तहसीलों की सघन पशु विकास योजना (इन्टेन्सिव केटल डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट) को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है ? अगर हां, तो इस योजना के अंतर्गत क्या कार्य (एक्टीविटीज़) होंगे तथा कुल खर्चा कितना होगा ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री दिनेशराय डांगी) : इस विभाग को अभी कोई स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । अतः कितना खर्चा होगा व क्या आगे का कार्यक्रम होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि जुलाई में सरकार के पास इसकी स्वीकृति आ गई थी और इस योजना के लिये १ करोड़ २७ लाख रुपये मंजूर किये थे ?

श्री दिनेशराय डांगी : स्वीकृति की सूचना नहीं आई है । राज्य सरकार ने १४३.१३ लाख की स्कीम बनाकर भेजी है ।

श्री भीमसेन : भारत सरकार से १ करोड़ २७ लाख की स्वीकृति हो चुकी है उसकी कॉपी मेरे पास है ।

पशु-पालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस योजना की स्वीकृति नहीं हुई है । इस योजना को कार्यान्वित करने के बारे में क्या एजेन्सी हो, राज्य सरकार इस योजना को करे या गौ सेवा संघ इसको कार्यान्वित करे इसके बारे में कुछ चर्चाएं गौ संवर्धन कौंसिल अखिल भारत के अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के नुमायन्दे, यहां की गौ सेवा संघ के नुमायन्दे और भारत सरकार के सेक्रेटेरियेट के बीच चर्चा हुई । यह योजना उन लोगों को देने के बारे में भारत सरकार का विचार था, लेकिन अब तक भारत सरकार का मानस साफ नहीं बना है कि क्या इस योजना को संघ चलावे, इस बारे में मामला सुलझा नहीं, उलझा पड़ा है ।

श्री भीमसेन : क्या इस योजना की स्वीकृति में राजस्थान सरकार की ओर से देरी हो रही है ? भारत सरकार तो १ करोड़ २७ लाख रुपया देना चाहती है लेकिन राजस्थान सरकार विलम्ब कर रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कहना कतई गलत है कि राजस्थान सरकार से देरी हो रही है । राजस्थान सरकार ने तो एक साल पहले योजना एडवान्स एक्शन के लिये भेज दी थी । जब तक यह तय नहीं हो कि इस स्कीम को कौन एग्जीक्यूट करेगा, यह प्रश्न अखिल भारत गौ संवर्धन कौंसिल, भारत सरकार, राजस्थान गौ सेवा संघ इनके बीच आपस में चल रहा है इसको कौन एग्जीक्यूट करे, कैसे एग्जीक्यूट हो, जब तक कोई एजेन्सी तय नहीं हो जाती तब तक राजस्थान सरकार क्या करे ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

कस्बा बगड़ में कत्ल

१९६. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या बगड़ कस्बा, जिला झुंझुनू में तारीख २७-६-६६ को बीजाराम नामक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या कातिल का पता चल गया ? पुलिस ने अब तक इस कत्ल के केस में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) : श्री बीजाराम २७-५-६६ से ही गायब पाया गया जिसकी लाश दि० ३१-५-६६ को पड़ोस के श्री लक्ष्मणसिंह के कुए में मिली । कत्ल किस तारीख को हुआ इसका सही पता अब तक नहीं लग पाया किन्तु दिनांक २७-५-६६ की रात्री को होने का अनुमान है ।

(२) जी नहीं । कातिल का अब तक पता नहीं लग पाया है । प्रारम्भ में स्थानीय पुलिस ने अनुसंधान कर कातिल का पता लगाने के प्रयास किये और पश्चात् में सी. आई. डी., अपराध शाखा ने अनुसंधान अपने हाथ में ले प्रयास किये और कर रही है किन्तु अब तक पता नहीं लग पाया है ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या सी. आई. डी. क्राइम्स के आदमी सबूत न मिलने के कारण अदम सबूत में फाइल करने की सोच रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी प्रयत्न आरम्भ हैं कि किसी तरह से कातिल का पता लगे ।

श्रीमती सुमित्रा : कत्ल जैसे भयंकर अपराध में चार चार महीने तक आप पता नहीं लगा पायें तो आपके लॉ एण्ड आॅर्डर की स्थिति और कार्य दक्षता का अन्दाज लग सकता है !

श्री निरंजननाथ आचार्य : कातिल का पता लगाने के लिये पूरा प्रयत्न किया है । एक व्यक्ति लक्ष्मणसिंह जिसकी दुश्मनी बीजाराम से थी किन्हीं कारणों से, उसको इन्टेरोगेट किया, कस्टडि में लिया और प्रयास किया गया था कि उसके विरुद्ध कुछ सबूत मिले लेकिन सबूत न मिलने के कारण उसको छोड़ दिया उसके बाद दूसरी ओर से प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्रीमती सुमित्रा : क्या इस आदमी के साथ जमीन के मामले को लेकर जिन लोगों की लड़ाई थी क्या इस मामले में उनको इन्टेरोगेट नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस मामले में इन्टेरोगेट करने के लिये पकड़े गये ।

श्रीमती सुमित्रा : यह बिल्कुल गलत बात है । लक्ष्मणसिंह उसका सम्बन्धी है । जिनके साथ जमीन का मामला चल रहा है उनको इन्टेरोगेट नहीं किया है, न पकड़ा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी ओर ध्यान है । लक्ष्मणसिंह उस बीजाराम की जमीन खरीदने ...

श्री अध्यक्ष : ये सारे डिटेल्स नहीं आवें तो अच्छा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेवेन्यू मामले में लक्ष्मणसिंह गलत अंगुस्त लगाकर गया इस कारण उस पर शक हुआ लेकिन प्रमाण नहीं मिला...

श्रीमती सुमित्रा : जो आप अंगुस्त की बात कह रहे हैं वह फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट ने प्रमाणित नहीं की है....

श्री अध्यक्ष : कृपया इसका उत्तर नहीं दें ।

कुमारी उमा माथुर !

ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि

१६७. कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे— .

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि समस्त ग्राम पंचायतों को कृषि योग्य भूमि अलॉट की जाय ? यदि हां, तो कृपया आदेश की कापी सदन की मेज पर रखें ।

(२) तहसील अलवर, जिला अलवर की किन किन ग्राम पंचायतों को कितनी कितनी कृषि भूमि सन् १६६४ व सन् १६६५ में अलॉट की गई ?

(३) जिन ग्राम पंचायतों को भूमि अलॉट की गई है उनमें से किन २ ग्राम पंचायतों को अभी तक भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया ?

(४) जिन अधिकारियों की गलती से कब्जा नहीं दिलाया गया, सरकार उनके खिलाफ क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री कुंभाराम आर्य) : (१) जी हां, ग्राम पंचायतों को कृषि योग्य भूमि आवंटन के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (अलॉटमेन्ट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल परपजेज) नियम, १६५७ के नियम ६ (३) के अधीन भी प्रावधान है तथा अलग से भी ऐसे आदेश प्रचलित किये गये हैं जिनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इन २० ग्राम पंचायतों के सरपंचों की दृष्टि से आवंटित भूमि नाकाबिल काश्त है अथवा छोटे छोटे टुकड़ों में बँटी होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पंचायतों के लिये उपयोगी नहीं हैं । इसलिये उन्होंने उसका कब्जा नहीं लिया ।

(४) उपरोक्त को देखते हुए इसमें किसी कर्मचारी के दोषी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुमारी उमा माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि उनकी सूचना बिल्कुल गलत है । २० में से केवल ५–६ पंचायतें ऐसी हैं जिनके सरपंचों ने लिख कर दिया होगा कि भूमि

(कुमारी उमा माथुर)

काश्त योग्य नहीं है। बाकी पंचायतों के सरपंच हर हफ्ते तहसील के चक्कर काटते हैं और हर रोज एस. डी. ओ. या कलेक्टर की अदालतों को दौड़ते हैं और दर्ख्वास्तें देते है कि हमें भूमि अलॉट की गई थी वह बताई जाय, कब्जा दिया जाय। अभी हमारे यहां रामगढ़ में पंचायत समिति की मीटिंग २ तारीख को हुई थी उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि जिन जिन सरपंचों को कब्जा नहीं दिया है उनको दिया जाय। ८ तारीख को उमरेड़ में मीटिंग हुई है वहां भी यही हुआ। आप इन्क्वायरी करिये तो पता लगेगा कि वह भूमि आज तक मौजूद है और पंचायतों को कब्जा नहीं दिया गया है। हर साल पटवारी कानूनगो इस कृषि भूमि को अपनी जागीर की तरह समझ कर किसी न किसी को अलॉट कर देते हैं और जब सरपंच कब्जा लेने जाते हैं तो कभी कोई गायब हो जाता है और कभी कोई चला जाता है। जब तहसीलदार जाता है तो वे लोग वहां से चले जाते हैं। यह पंचायतों को भूमि आवंटन की गई है लेकिन कार्यान्वित नहीं हुई है इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि आप जांच करिये। ६० पर्सेन्ट सरपंच कब्जा लेने को तैयार हैं लेकिन तीन तीन साल तक नहीं बताया जाता है कि कौनसी भूमि है।

श्री कुंभाराम आर्य : आप चुनौती करें तो जांच करावें।

कुमारी उमा माथुर : मैं चुनौती करती हूँ, अवश्य जांच कराई जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य : जरूर होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मंत्री जी एक महिला से चुनौती लेना अच्छा समझते हैं ?

प्रश्न संख्या १६८

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल !

(प्रश्न पूछने के लिए खड़े न होने पर) श्री कृष्णकुमार गोयल !

कोटा शहर में प्लॉट्स की नीलामी

१६६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा शहर में स्थित गुमानपुरा में मंडी कमेटी के द्वारा प्लॉट्स नीलाम किए गए थे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड में विकास की दृष्टि से ड्रेनेज, सड़क, नल व बिजली का कोई कार्य मंडी कमेटी द्वारा नहीं किया गया ?

(३) अगर हां तो, इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) उक्त वार्ड में विकास की दृष्टि से सड़क, नल, व बिजली की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं, तथा ड्रेनेज का कार्य किये जाने की कार्यवाही जारी है।

श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या १६८ रह गया।

श्री अध्यक्ष : आप पूछना चाहते हैं तो पूछिये !

मवेशियों की चोरी

१६८. **बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष माह अगस्त के अन्त तक सब-तहसील मासलपुर, करौली सब डिवीजन में मवेशी की चोरी के कितने केस पुलिस द्वारा रजिस्टर किये गये ?

(२) चोरी गई मवेशी की कुल संख्या क्या है ?

(३) अब तक कितनी मवेशी बरामद की गई ।

गृह मंत्री (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) दो मुकदमें दर्ज हुए ।

(२) ४ मवेशी चोरी गये ।

(३) ३ मवेशियों की बरामदगी हुई ।

श्री रामकिशन (वैर) : ऐसा जवाब तो आपने कभी नहीं दिया है ४ साल में ।

श्री बृजेन्द्रपाल : आगे चोरियों की रोक-थाम के लिए क्या हो रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : और सतर्कता वर्ती जायगी २ मुकदमें हैं चार मवेशियों में से ३ बरामद हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : ७५ पर्सेन्ट कामयाबी हो गई ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १६६ का जवाब संबंधित मंत्री महोदय दे दें ।

कोटा शहर में प्लॉट्स की नीलामी

१६६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) :

क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कोटा शहर में स्थित गुमानपुरा में मंडी कमेटी के द्वारा प्लॉट्स नीलाम किए गए थे ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड में विकास की दृष्टि से, ड्रेनेज, सड़क, नल व बिजली का कोई कार्य मण्डी कमेटी द्वारा नहीं किया गया ?

(३) अगर हां तो, इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) उक्त वार्ड में विकास की दृष्टि से सड़क, नल व बिजली की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध है, तथा ड्रेनेज का कार्य किये जाने की कार्यवाही जारी है ।

(३) इसका उत्तर दूसरे चरण में वर्णित है । उक्त वार्ड में मैन ड्रेनेज का कार्य जारी है तथा कई स्थानों पर इसका निर्माण हो गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके मण्डी एरिया में प्लॉट बनने के बाद कितनी अवधि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के अन्दर यह सब क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए ? नियमों में इस प्रकार की अवधि बताई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी कोई निर्धारित नहीं है कि इतने समय में वह सब हो जाना चाहिये। लेकिन जितनी जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था की जाती है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जिन प्लॉट्स के बारे में आप पूछते हैं यह सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा प्लॉट बेचे गये हैं। उस समय उन्होंने व्यवस्था कर दी थी और प्लॉट बेचें वहां उन्होंने करीब ८१,०००) नलपानी पर लगाये, करीब ८० हजार रुपये से सड़क और रोशनी की व्यवस्था की और ५० हजार रुपये की ड्रेनेज की स्कीम चालू है। इस स्कीम को भी समाप्त कर रहे हैं। इस तरह इस पर्टीक्यूलर वार्ड में जो पानी-बिजली, सड़क और ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिये। उसमें से अब ड्रेनेज का काम चालू है और उसके जल्दी ही समाप्त हो जाने की सम्भावना है। बाकी सारे काम कम्प्लीट हो चुके हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (इकलेरा-सु.) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि नल-बिजली वगैरह लगाने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है लेकिन जिन प्लॉट्स को बेचा उनके लिए तो आपने लोगों को पाबन्द कर दिया कि वह जल्दी से जल्दी बनाये नहीं तो उनको दिये गये प्लॉट्स रिजेक्ट कर दिये जायेंगे। पहले जवाब दिया जाता था कि वहां का मास्टर प्लॉन तैयार हो गया है लेकिन वह अब भी नहीं बना है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या यह सही है कि मास्टर प्लॉन बन चुका है और उसके अनुसार एलॉटमेंट कर रहे हैं या नीलाम कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस वार्ड के बारे में प्रश्न पूछा है उसमें नल, बिजली और पानी आ गया है और सड़कें बन गई हैं। ड्रेनेज का काम चालू है। मास्टर प्लॉन का प्रश्न अपने आपमें अलग प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में इन्फॉर्मेशन इस पर्टीक्यूलर क्वेश्चन के कुछ आइटम्स के सिलसिले में देने में असमर्थ हूं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जिस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है वह गुमानपुरा वार्ड के लिए है, उसमें सड़कें नहीं हैं, कई जगह बिजली नहीं है, कई जगह नल नहीं है और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है। आये दिन वहां लोग बीमार होते हैं और वह डाक्टरों के पास दौड़ते रहते हैं। वहां के लोग शिकायत लेकर कलेक्टर के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहां इतना इतना पानी भरा हुआ है, मंत्री महोदय वहां जाकर देखें कि अधिकांश मकानों के आस पास पानी गहरे गड्डों में भरा हुआ मिलेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, गुमानपुरा वार्ड नहीं है तो कोटा भी नहीं मानता हूँ। यहां ९५ प्लॉट बेचे हैं और इससे भी कम जो सिटी इम्पूवमेंट ट्रस्ट था उसने बेचे हैं। और प्लॉन में इस लोकेलिटी जिसको गुमानपुरा लोकेलिटी कहते हैं, के अन्दर सड़क बन गई है, इसमें बिजली चली गई है, नल की योजना चल रही है, वहां के लोगों को पानी मिल रहा है। अब कहीं

(श्री रामप्रसाद लढ़ा)

उन्होंने खड्डा देख लिया है तो उस खड्डे के आधार पर कहें कि सड़कें बनी नहीं हैं तो मैं न्यायसंगत नहीं मानता हूँ। मैंने स्वयं ने, जब एक बार गया था कोटा, तब इस लोकेलिटी को देखा था। मैं निवेदन करूं कि जब सड़कें बनती हैं तो उसके बाद कहीं कहीं खराब भी हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी मरम्मत करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि काम कुछ भी नहीं हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम की स्कीम इस साल से शुरू हुई है, उसका कॉन्ट्रेक्ट दे दिया है और एक साल की अवधि इस कॉन्ट्रेक्ट में निर्धारित है इसके लिए हमने पचास हजार रुपया रखा हुआ है और बजट के अन्दर और रुपए की व्यवस्था हो रही है। हम चाहते हैं कि इस स्कीम को पूरा कर दें ताकि इस लोकेलिटी की जो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं वह पूरी हो जायं। वहां रोड़ में खड्डे हैं तो उनकी मरम्मत होगी। हम प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ड्रेनेज के लिए कितना फण्ड कब एलॉट किया गया ?

श्री अध्यक्ष : इस सारी बहस की आवश्यकता नहीं है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि काम शुरू कर दिया है और सारे का सारा काम आगे बढ़ रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूं कि जहां तक ड्रेनेज का सवाल है, यह लोकेलिटी जब से बसी तब से लेकर आज तक एक इंच नाली भी नहीं बनी है। इसलिए वहां सब जगह पानी भरा रहता है। मैं निवेदन करूं कि यह नई लोकेलिटी प्लॉन के अनुसार बनी है लेकिन वहां नाली का नामोनिशान नहीं है। आप कहते हैं कि ड्रेनेज का काम इन्ट्रोड्यूस कर दिया है। मैं मानता हूं कि किया है, जो सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है मण्डी एरिया और सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्लॉन के बीच में उसको कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैंने पहले अर्ज कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी !

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ी सी बात....

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी प्रश्न हो गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : बैठ जाओ, भई !

तहसील दौसा में चरागाह भूमि

२००. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील दौसा में भूमि एलॉटमेंट कमेटी द्वारा जो जमीन चारागाह के निमत निर्धारित की गई थी उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार इस चरागाह की भूमि को पुनः सवाई चक भूमि के रूप में परिवर्तित करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.21

राजस्व मन्त्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : (१) जी हां। तहसील दौसा से चारागाह के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उसमें नियमानुसार पूर्ण कार्यवाही न होने के कारण उन्हें तहसील दौसा में वापिस भेज दिया गया है। वहां इनमें तकमील हो रही है। बाद तकमील होने पर उचित आदेश दिये जायेंगे।

(२) अभी भूमि चरागाह घोषित नहीं हुई है इसलिए इसे सिवाय चक में परिवर्तित करने का कोई प्रश्न पैदा ही नही होता।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल दौसा का प्रश्न नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि हर जिले में ऐसा हो रहा है। दौसा में, सांगानेर में, बस्सी में, चाकसू में यानि एलॉटमेंट कमेटी चरागाह की जमीन जितनी जितनी जरूरत होती है वह छोड़ती है लेकिन जिलाधीश के कार्यालय या तहसील के कार्यालय में क्या हाल होता है कि वहां से साल साल, डेढ़ डेढ़ साल तक सेंक्शन नहीं होती है। इसलिए बाद में सिवाय चक में परिवर्तित होकर एलॉटमेंट कमेटी के सामने नम्बर आ जाता है। मैं निवेदन करता हूँ कि इस काम में ढिलाई नहीं हो और जिलाधीश कार्यालय के द्वारा चरागाह की जमीन छोड़ने के लिए जल्दी सेंक्शन होनी चाहिए।

श्री कुम्भाराम आर्य : शीघ्र व्यवस्था हो—इसकी ताकीद कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

नहरें बन्द रहने से गन्ने को नुकसान

२०१ **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत वर्ष पानी के अभाव के कारण बूंदी जिले की नहरें बन्द रहने से हजारों एकड़ गन्ना सूखकर बरबाद हो गया ?

(२) यदि हां, तो बूंदी जिले के कौनसी पंचायत समिति क्षेत्र में कितना गन्ना नष्ट हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसे किसान जिनका गन्ना पानी की कमी के कारण नष्ट हुआ है, उनसे भी पिलाई वसूल की जा रही है ?

उपमंत्री कृषि, (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) केवल २८४ एकड़ में पानी की कमी के कारण फसल खराब होने की सूचना है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जरा जोर से बोलो। नौजवान आदमी हो।

श्री दिनेशराय डांगी : (२) केशवराय पाटन में ८८ एकड़ व तालेड़ा पंचायत समिति में १९६ एकड़।

(३) जिन जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है उनको पिलाई की वसूली में नियमानुसार छूट अथवा रेमीशन सिंचाई विभाग द्वारा दी जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि २८४ एकड़ में जिन किसानों का गन्ना नष्ट हुआ है, वह इस कारण से हुआ है कि नियमानुसार किसानों को सिंचाई के लिए पानी जिन-जिन तारीखों को दिया जाना था, और जिला परिषद और पंचायत समिति ने जो तिथि तय की थीं वह हीन

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मिला ? पानी न मिलने के कारण इतने एकड़ में गन्ना नष्ट हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह तो हुआ है, पानी कम था इसलिए ही नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री जी को बोलने दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : गन्ने की फसल के अन्दर नियमानुसार कितनी दफा पानी देना चाहिए ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : साल में कितनी बार पानी देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : (श्री नाथूराम मिर्धा के बोलने पर) उपमंत्री जी को बोलने का मौका दिया जाय। उपमंत्री जी को मौका दिया जाय।

श्री दिनेशराय डांगी : चार बार पिलाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चार बार की बजाय कितनी बार दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चार बार नहीं १६ बार।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नहर में पानी कम होने के कारण चार बार के बजाय कितनी दफा पानी दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गन्ने को सोलह पानी चाहिये कम से कम हमारे एग्रीकल्चर के हिसाब से। अब कितना पानी दिया गया, कितना नहीं दिया गया यह प्रश्न नहीं है, क्योंकि कम पानी दिया गया इसलिए ही फसल खराब हुई और यह मान लिया गया है कि पिलाई की वसूली नहीं होगी, इसके अलावा भी जो कार्यवाही होगी वह करेंगे।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मंत्री महोदय, यह फर्मायें कि लगान और दूसरी छूट दे दी है वह इन फिगर्स के हिसाब से दी है कि २५००० का नुकसान हुआ है। लेकिन एक हजार रुपया एक बीघा की फसल का माना जाय तो २८४ बीघा की फसल बिगड़ गई है उसके हिसाब से नुकसान दिया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फसल की नुकसान के कायदे-कानून हैं कि पानी की कमी हो या जिस जगह पर पानी न पहुँचे, उसके लिए सरकार के नियम बने हुए हैं कि किस प्रकार सहूलियत किसानों को देनी चाहिए। उन नियमों के अनुसार सहूलियत देंगे। अब कितने लाख का नुकसान हुआ है, कितना उसमें कम्पेन्सेट करेंगे और आगे देंगे यह अलग से सवाल है।

श्री जुझारसिंह : यह चम्बल कमॉण्ड एरिया है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : २८४ एकड़ में गन्ने की फसल नष्ट हुई है और इसमें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसानों ने गन्ना लगाना बन्द कर दिया है। वहां पर शुगर मिल कोऑपरेटिव बेसिस पर खड़ी की जा रही

Page No.23

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

है, परन्तु किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया है क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है कि पानी मिलेगा। जिस तारीख को पानी देना तय हो गया, यह तय हो गया कि नहर का इतना पानी इस तारीख को मिल जायगा वह नहीं मिले तो गन्ने की फसल नष्ट हो जायगी। इसलिए जिन किसानों ने गन्ने की फसल की थी उनको पानी न मिलने से फसल नष्ट हो गई और किसानों को उससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ हैं। आप इस नुकसान को सीरियस नहीं मानते हैं और इसके बाद भी पिलाई वसूल की जा रही है और उसमें छूट नहीं दी है।

श्री दिनेशराय डांगी : वसूली नहीं की है यह कहा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उन किसानों को डिपार्टमेंट से कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या आप नुकसान के अनुसार मुआवजा देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी कम होने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, यह ईश्वर की कुदरत है। जब पानी कम था गांधी सागर में तो पानी कम आया, और बिजली और पानी में कमी होने की वजह से फसल और लोगों को नुकसान हुआ। हमें बिजली में भी कटौती करनी पड़ी थी। लेकिन जिस प्रकार का स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि गन्ना बोने में कमी हो गई हैं। तो इस साल आप देखें कि कितने एकड़ में गन्ना नष्ट होने के बाद भी किसानों ने गन्ना बोया है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस साल वह देख लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनिये तो सही, श्रीमान् जी। मैं इसी साल का बता रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि गन्ने की कल्टीवेशन का कुल रकबा बूंदी डिस्ट्रिक्ट में १४,७२२ एकड़ था वहां इस साल वह रकबा १७,६८३ एकड़ हो गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कागजों में हो गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जमीन पर हो गया है। इसलिए आप जो धुंआ बनाते हैं वह गलत है। दस पर्सेन्ट की इन्क्रीज इस साल में हुई है। १० पर्सेन्ट की इन्क्रीज गन्ने में है। इसके अलावा जो गांधीसागर में पानी आया है उसका गन्ना बोया है उसको हम देने की पोजीशन में होंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : एक पानी की पिलाई इतनी होगी और दो पानी की पिलाई इतनी होगी। मैं समझता हूँ कि जिस फसल को चार-पांच पिलाई की आवश्यकता हो और उसको सिंचाई विभाग नहीं देता है तो काश्तकार के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि एक बात यह भी समझने की है कि कितना पानी हम दे सकेंगे उसको सिंचाई विभाग, पंचायत समिति और पंचायतें मिल कर हर एरिया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का चार्ट बनाती हैं और कहते हैं कि इतनी फसल आप अमुक प्रकार की बो लीजिये। मगर दिक्कत इस बात की होती है कि जब किसानों को हम प्रोग्राम देते हैं उससे ज्यादा जमीन बो लेते हैं और इस वजह से दिक्कत पैदा होती है। इसलिये माननीय सदस्यों को भी समझाना चाहिये कि जो प्रोग्राम बनाया जावे और जितना पानी नहरों से देने का है उसके अनुसार ही फसल बोवें। अगर उसके बाद भी वे अपनी फसल को ज्यादा बोते हैं तो जो नुकसान उनको होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है, और उनको नुकसान उठाना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यही तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से पानी मिलना तय किया था वह नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री यह आश्वासन दे चुके हैं कि जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिये दे दी जावेंगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम यह जानकारी करना चाहेंगे कि आपको पहले जब आपने रूटीन में पानी दिया उससे जो आमदनी हुई वह कितनी थी और उसके अगेन्स्ट आप कहते हैं कि रियायत दी है तो इस समय कितनी आमदनी हुई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है। यह सिंचाई विभाग जानकारी दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि जिन लोगों को कम पानी मिला है उनको नियमानुसार वसूली की छूट होनी चाहिये जो वसूली हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नियमानुसार चार पिलाई हुई है उनकी वसूली हुई है। वह होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रूंध सीरावास व शाहपुरा को कृषि योग्य भूमि

२०२ **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग ने इस वर्ष रूंध सीरावास व शाहपुरा (तहसील अलवर) को कृषि के निमित राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दी थी ?

(२) रूंध सीरावास में कुल कितना रकबा था और शाहपुरा में कितना रकबा था ?

(३) इन दोनों रूंधों की कितनी भूमि हरिजनों को दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री कुम्भाराम आर्य) : (१) जी हां, इस वर्ष सीरावास रूंध में से ७५० बीघा व शाहपुरा रूंध में से ११३ बीघा १५ बिस्वा भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है।

(२) रूंघ सरावास का कुल रकबा १२५६२ बीघा व शाहपुरा का कुल रकबा २०३४५ बीघा था।

(श्री कुम्भाराम आर्य)

(३) सीरावास के दो हरिजन परिवारों को २० बीघा भूमि एवं शाहपुरा के चार हरिजन परिवारों को २२ बीघा ७ बिस्वा भूमि आवंटन की गई।

श्री गोकुलचन्द : मैं यह जानना चाहूंगा कि हरिजनों को प्राथमिकता दी जाए उस हिसाब से जो उनको जमीन दी वह कम पड़ती है।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह मीणे और बावरियों को दी गई है। यह जमीन एक भी ऐसे भूमिहीन को नहीं दी गई है जो सवर्ण कहलाता हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि सीरावास की ७५० बीघा भूमि में से अभी भी २०० बीघा जमीन इस बात के लिये रिजर्व रखी है कि कुछ मृत भाइयों को दी जावेगी जो पाकिस्तान या चीन की वार में काम आए।

श्री कुम्भाराम आर्य : सैनिकों के लिये २०० बीघा रिजर्व है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप आखिर उनको कितने दिनों तक रिजर्व रखेंगे ? एक फसल तो निकल गई। आप इसको देते क्यों नहीं है ? इसके पूर्व भी २२५ बीघा भूमि है जो सैनिकों के परिवारों को सीरावास में दी गई है।

श्री कुम्भाराम आर्य : कुछ भूमि दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी भूमि दी गई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : इसका पूरा विवरण मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी तहसीलों की है वहां पर भी उनके परिवारों को दी तो इसको आप वैसे ही रिजर्व रख रहे हैं कि कोई घटना हो। दूसरा यह कि हरिजनों की कोआॅपरेटीव सोसाइटी है। यह सही है कि उनको २० बीघा जमीन हरिजनों को ७५० में से नहीं मिली है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहा कि जो सांसी और मीणे है उनको दी गई है....

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने सांसी का नाम नहीं लिया।

श्री रामकिशन : तो फिर आपने किनका नाम लिया आप बता दें।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने बावरियों का नाम लिया है।

श्री रामकिशन : आपने बावरियों का नाम लिया है यह ठीक है। इसमें से आपने हरिजनों को कितना दिया ? आपको कुछ तो उनकी समस्या का हल करना चाहिए। इतनी शिड्यूल्ड कास्ट को मिलेगी यह तो होना चाहिये ? क्या यह आपकी नीति है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : हरिजनों को सबसे पहले मिलनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : ७५० बीघा में से कितनी जमीन उनको दी गई ? कोई जमीन उनको नहीं दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एलॉटमेंट कमेटी ने युनेनीमसली

(रामानन्द अग्रवाल)

यह रिक्वेस्ट की है कि २०० बीघा जमीन रिजर्व की है सैनिक परिवारों के लिये वह हरिजनों की कोआॅपरेटिव सोसाइटी को दे दी जावे।

श्री कुम्भाराम आर्य : कोई ऐसी सिफारिश आई हो यह मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप क्या इस संबन्ध में जानकारी करेंगे ?

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) आप यह कहते हैं कि कोई सूचना नहीं है।

श्री डूगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : आप कहते है कि कोई सूचना नहीं है, ७५० में से कितने हरिजनों की एप्लीकेशन आई। जिन जिन लोगों को आपने जमीन दी अगर यह आप बतावें तो पता लगेगा। इसका पता लगने के बाद में पता लगेगा कि कितने हरिजनों को जमीन दी गई।

श्री कुम्भाराम आर्य : कुछ बावरियों को और कुछ मीणों को जमीनें दी गई।

श्री नत्थीसिंह : आपने ७५० बीघा जमीन दी है वह किन-किन को दी है आपने

श्री कुम्भाराम आर्य : बावरी भी है और? मीणें भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करू ....

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बावरियों और मीणों की सोसाइटी को जमीन दी है वह कई वर्ष पहले दी गई है। अभी फॉरेस्ट से रेवन्यू में जो जमीन आई हैं उसमें न तो मीणों को दी गई है न बावरियों को दी गई। ऐसी की ऐसी पड़ी है। इसके लिये एलॉटमेंट कमेटी ने भी राज्य सरकार को जोर दिया है कि इसको पड़ी नहीं रखी जावे। राजस्व विभाग के संबन्ध में जो सूचना आती है इतनी गलत जाती है। मैं आशा करता है कि वे काम तो गलत करते है सो करते ही हैं सूचना तो सही होनी चाहिये।

(हंसी)

श्री कुंभाराम आर्य : यह माननीय सदस्या का अनुभव हो सकता है। खास तौर से अलवर जिले में इसकी जांच करा ली जावेगी।

(१२ मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

राजस्थान नहर लिफ्ट योजना

२०३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, राजस्थान कैनाल निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें —

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर लिफ्ट योजना के अनुमान राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा चुके हैं ? अगर हां, तो इस योजना की क्रियान्विति में कितना खर्चा आएगा तथा इससे कितने इलाके को सीधा लाभ पहुंचेगा एवं कितना खाद्यान्न उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ेगा ?

(२) इस योजना का कार्यारम्भ कब से होने की उम्मीद है ?

मंत्री, राजस्थान केनाल (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना ने लिफ्ट योजना का अनुमान तैयार किया है। उक्त अनुमान के अनुसार इस योजना की क्रियान्विति में लगभग २२ करोड़ ६ लाख रुपये का खर्चा आयेगा तथा इससे लगभग ५ लाख ८४ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई का लाभ पहुंच सकेगा। एवं करीब १७ लाख ५२ हजार क्विन्टल अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होने का अनुमान है।

(२) योजना अभी विचाराधीन है। स्वीकृति होने पर कार्य आरम्भ किया जावेगा।

श्री भीमसेन : इसकी क्या प्रोग्रेस है, किस स्टेज पर विचार हो रहा है सरकार के पास ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कमेटी ऑफ डायरेक्शन ने इस योजना पर विचार किया। इकोनामिक और टैक्निकल आस्पेक्ट्स इस योजना के हैं उन पर रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सब कमेटी को रेफर किया है। उसकी एक मीटिंग हो चुकी है। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो आगे स्वीकृति हो जायगी।

श्री गंगासिंह (जायल) : इस योजना में कौन २ सी तहसीलों के रकबे शामिल हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लूणकरणसर, बीकानेर, नोखा और नागौर इन चारों तहसीलों के रकबे में पानी आ रहा है।

श्री गंगासिंह : नागौर तहसील में कितनी भूमि में इससे सिंचाई हो सकेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डेढ़ लाख एकड़ में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बिजली कहां से अवेलेबल होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भाखरा से और दूसरी जगह से। बिजली वालों ने स्वीकार किया है कि इसके लिए जो २२ हजार किलोवाट बिजली चाहिए वह वे देने का प्रबन्ध करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पलाना थर्मल पॉवर से जनरेट करके बिजली इसके लिए लेने का प्रबन्ध क्यों नहीं करते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है, वह अपनी अलग अहमियत रखती है। पलाना लिग्नाइट की वजह से यह काम रुक जायगा, यह नहीं है इसके लिए अलग पूरा प्रबन्ध करने का, बिजली वालों ने स्वीकार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान केनाल की मूल योजना बनाई गई थी उसमें भी लिफ्ट योजना से नागौर को पानी देने की योजना थी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ओरिजिनल योजना में लिफ्ट योजना का रफ ढांचा बना हुआ था। कहां तक कितना-कितना किया जाय, क्या खर्चा होगा, यह योजना अलग अलग से बनेगी। और इलाकों में पानी ले जाया जा सकता है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, यह डिटेल्ड विवरण लिफ्ट योजना का ओरिजिनल योजना में नहीं था।

Page No.28

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कल जिस प्रकार बयान आपने दिया उससे हमने समझा कि यह इन्टरमिटेंट पीरियड के लिए है जब तक कि राजस्थान केनाल का पानी इन जगहों पर नहीं पहुंच जायगा । २२५ मील लम्बी पूरी नहर बन जायगी तो क्या उसके बाद इस योजना को नए क्षेत्रों को इरिगेट करने के लिए प्रयुक्त करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २२ करोड़ की इतनी बड़ी योजना इन्टरमिटेंट सिंचाई के लिए नहीं हो सकती । आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान केनाल २२ हजार क्यूसेक पानी खींच सकती है, घग्घर का पानी है उसके साथ इसकी योजना जुड़ी हुई है, अल्टीमेटली इसमें पानी की कमी नहीं होगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : लिफ्ट इरिगेशन योजना अब तक राजस्थान के किसी क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २२ करोड़ की लागत की इतनी बड़ी तो क्रियान्वित नहीं की पर नदियों में, नहरों में पड़े पानी से करीब १५-२० हजार एकड़ भूमि को लिफ्ट इरिगेशन से सिंचित किया था ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : किस जगह ?

श्री नाथूराम मिर्धा : झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : टुकड़े-टुकड़े में नहीं ५-६ हजार एकड़ को लिफ्ट इरिगेशन से सींचने की योजना कोई है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५००० एकड़ के रकबे को लिफ्ट इरिगेशन से सिंचित करने की योजना नहीं है, अभी नहरों में, बांधों में, तालाबों में इतना पानी नहीं है । यह तो एक ऐसी बड़ी नहर है, इतना बड़ा बांध बन रहा है, उसकी वजह से लिफ्ट योजना बनाई है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या योजना कमीशन से सरकार ने इस स्कीम के बारे में विचार विमर्श किया है और क्या उसने इसके लिए रुपया देने का आश्वासन दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कमेटी ऑफ डायरेक्शन ने ही सब कमेटी बनाई है इसके सारे आस्पेक्ट देखने के लिए । सेंट्रल इरिगेशन और फाइनेन्स मिनिस्टर के प्रतिनिधि कमेटी ऑफ डायरेक्शन के मेम्बर हैं, सारे लोग बैठते है और विचार करते हैं । कमेटी ऑफ डायरेक्शन ने ही सब कमेटी मुकर्रर की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १८,५०० क्यूसेक पानी सप्लाई करने की इसकी क्षमता है, उसको बढ़ाये बिना ही इस योजना को आप कैसे सफल कर सकेंगे ? यह क्षमता आप नहीं बढ़ा पायेंगे । तो ऐसी दशा में आपको बाकी को कट करना पड़ेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसे जैसलमेर का एरिया इसके नीचे आने वाला है वहां ५ हजार कुल पोप्युलेशन है । तो कितना पानी चाहियेगा, कितने लोगों को आगे बसा सकेंगे इस सबको देखने के लिए सब कमेटी बनाई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गई है। केनाल की कैपेसिटी को बढ़ाने का जहां तक सवाल है न कैपेसिटी बढ़ाई है, न बढ़ाई जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : ये आपके एस्टीमेट अवमूल्यन के बाद के हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अवमूल्यन के पहले के।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिफ्ट योजना से नागौर के एरिया में जो पानी जायगा उसको कितना लिफ्ट करना पड़ेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े चार सौ फीट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा सिस्टम जहां साढ़े चार सौ फीट लिफ्ट करना पड़े, ऐसा और कहीं भी है क्या ? नागौर डिस्ट्रिक्ट को पानी दिया जाय इसका विरोधी मैं नहीं, नागौर हरा-भरा हो इसके हम विरोधी नहीं फिर नागौर का कान्स्टीट्यूएन्सी ऐसे आदमी की कान्स्टीट्यूएन्सी है जो सभी की श्रद्धा का पात्र है और माननीय अध्यक्ष, आपको तो मालूम है....

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप सवाल पूछेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नागौर को पानी देने के लिये साढ़े चार सौ फीट की २२ करोड़ रुपयों की स्कीम बनाना, इस पर राज्य सरकार गौर करे और राजस्थान के दूसरे जिले हैं, जैसलमेर का इलाका है, बोर्डर का इलाका है, वहां राजस्थान केनाल को राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में इच्छोगिल नहर के तौर पर काम में ले सकते हैं। इन सारी चीजों पर विचार करिये। हिन्दुस्तान में तो कहीं भी साढ़े चार सौ फीट ऊंचा लिफ्ट इरिगेशन नहीं होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हिंदुस्तान में अभी बहुत से काम जो नहीं हुए है वे दुनिया में हुए हैं और वे काम अच्छे होंगे तो करने पड़ेंगे। आप तो ४०० या ६०० फीट के तालाब के लिए कहते हैं लेकिन इज़राइल, जहां मैं गया, वहां एक हजार फीट लिफ्ट करके सारे देश के इरिगेशन सिस्टम को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं भारत की बात कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि भारत में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है इसलिए राजस्थान भी उसे न करे, इसको असंभव नहीं मानना चाहिए। रहा सवाल आपके नागौर के प्रति जनता में पानी दिलाने की भावना का और आपकी सावधानी की चिंता का कि हम नागौर के लिए २२ करोड़ पानी पर खर्च करेंगे, वह नागौर के लिए ही नहीं है। वह लूनकरणसर तहसील, जो खारे पानी का भंडार है, जहां पीने का पानी नहीं है, जहां करीब ढाई लाख एकड़ में सिंचाई होगी, उसके बाद में बीकानेर में पीने के पानी का प्रश्न है, उसके बाद पलाना के लिग्नाइट के विकास का सवाल है, अगर पलाना लिग्नाइट से बिजली बनाना चाहते हैं तो वहां केनाल लानी पड़ेगी, उसके बाद नोखा सूखी तहसील है, हमेशा अकाल पड़ता है। नागौर के जिन

Page No.30

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एरियाज में नहर आएगी, वहां पीने के पानी की कमी है तो अगर सारे इस बेल्ट को जो हमेशा अकाल का घर रहता है उसमें लिफ्ट का पानी मिल सके और पलाना लिग्नाइट का विकास हो सके तो आपको खुशी होगी। तो अगर ६५० फीट लिफ्ट इरिगेशन भारत में हैं सबसे पहले राजस्थान में बनाते हैं तो राजस्थान को गौरव का अनुभव करना चाहिए बजाय इसके कि खतरे की घंटी आप बजायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नागौर का विकास हो मुझे खुशी है लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान कैनाल के संबंध में आज तक राज्य सरकार केन्द्र पर दबाव डाल कर उसकी सेन्ट्रल ऑथोरिटी नहीं बना सके हैं, कोई लिजिस्लेशन नहीं ला सके। राजस्थान के बजट में कटौती का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी योजना जिसके बारे में सदन चिंतित है, जितने आंकड़े हैं जो सरकार का प्लान है इसमें चेंचेज हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स पर कितना खर्च होने वाला है, कहां कटौती होगी, इसका एक नोट बनाकर माननीय सदस्यों को वितरित करें जिससे हम राजस्थान की बहबूदी का अपना मानस बना सकें और राज्य सरकार को सुझाव दे सकें। यह नागौर का सवाल नहीं है नागौर, लूनकरणसर, बीकानेर इत्यादि स्थानों की बहबूदी हो किसी को आपत्ति नहीं लेकिन सम्पूर्ण राजस्थान की दृष्टि से योजना कहां फीजीबल है। इस बारे में माननीय सदस्य अपने सुझाव राज्य सरकार के सामने रखें तो जो टेक्नीकल कमेटी है, जो लोग विचार कर रहे हैं, जिनके सामने प्रोपोजल्स है, उनका एक ड्राफ्ट या नोट मंत्री महोदय आवश्यक समझें तो माननीय सदस्यों को सर्क्युलेट करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस योजना का कोई स्वरूप जब आएगा, जिस योजना पर सारी कमेटियां विचार कर रही हैं और जो फाइनल नक्शा बनेगा और नोट देना जिस समय आवश्यक होगा, समय पर बनाकर दिया जायगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : मगर यह योजना वास्तविकता में कब तक परिणत हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा - मेरे लिए कहना मुश्किल है।

श्री मानिकचंद सुराणा : यही तो राज्य सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा वीक पाइंट है। मंत्री महोदय ने इतने जोश के साथ राजस्थान नहर और लिफ्ट इरिगेशन योजना की बातें कहीं, लेकिन जब पूछा गया कि ये सब वास्तविकता में कब परिणत होंगी तो जबाब मिला कि कहना मुश्किल है, यदि कोई योजना दो साल से कागज पर बनी है और क्रियान्वित नहीं हो रही है और अभी भी सुदूर भविष्य की सोचते हैं तो चाहे २२ करोड़ खर्च का आभास क्यों नहीं कराया जाय, लेकिन माननीय सतीशचंद्रजी को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह तो कागजी योजना है, यह कोई परिणत थोड़े ही हो रही है। यह तो सिर्फ आंकड़ा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : योजना डिटेल में एग्जामिन हो रही है। जब सेक्शन हो जाती है तो योजना का स्वरूप सामने आता है,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बजट कन्सट्रक्शन का शिडयूल बनता है, बजट प्रोवीजन्स के बारे में हडिल्स आती हैं, उनका खयाल करना पड़ता है। मैं कह सकता हूं कि हमारा एग्जीक्यूशन केपेसिटी इस योजना को ५ साल में पूरा करने की है। हम कर सकते हैं पर इस बारे में कितने फंड्स किस साल में आएंगे, आने वाली योजना में अवेलेबुल होंगे और कब उन फंड्स का मिलन संभव होगा, ये ऐसे फेक्टर्स हैं जिनको टेक्नीकल दृष्टिकोण से एग्जामिन किया जा रहा है। जब तक सारी चीजें तय न हो जायं, मेरे लिए तारीख देना मुश्किल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसका मतलब जो मूल योजना राजस्थान नहर की है, ४०० मील लम्बी और कैनाल का पली है, लिफ्ट इर्रिगेशन एरिया को इन्क्रीज करने का संकेत मिलता है, आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं? वह योजना कि ३६ लाख एकड़ को संचित करेंगे और आप दलीलें दे रहे हैं कि आबादी नहीं है लेकिन सारे का सारा कमांड एरिया है, कहीं पर लिफ्ट इर्रिगेशन का सवाल नहीं और पर एकड़ खर्चा बहुत कम है।

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

यह लिफ्ट इर्रिगेशन से एरिया इर्रिगेट करेंगे, ६ लाख एकड आपकी पुरानी लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम के अनुसार पर एकड ३० रुपए खर्चा आता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) यह योजना सीकर और झुन्झुनू में भी लागू करेंगे?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय बताते कि इस स्कीम की चौथी या पाचवीं योजना में क्रियान्विति होने की संभावना है या नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर हाफ एन ऑवर डिस्कशन हो जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप २२ करोड़ की कोस्टली योजना पुट अप करना चाहते हैं, जिसमें काश्तकारों को बहुत हेवी खर्चा देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : सवाईमाधोपुर....

श्री रामकिशन (बैर) मेरा प्रश्न रह गया जो आपने पोस्टपोन कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : सभी बातें नहीं हो सकतीं। एक ही प्रश्न पर आधा घंटा लग गया। अगर ऐसी बात थी तो आप पहले एतराज करते।

श्री रामकिशन : तो क्या मेरे प्रश्न को स्थगित समझा जाय?

श्री अध्यक्ष : जैसे दूसरे प्रश्न हैं, उसकी भी वही स्थिति समझी जाय। उत्तर की नकल मिल जायगी आपने नई लिस्ट चाही थी ग्रो मोर फूड की, वह लिस्ट मिल जायगी।

श्री रामकिशन : लेकिन उसके बाद परिवर्तन हुआ है खातों में।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पानी की चोरी के मामले

१८६. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह-नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर में गंगनहर पर मोगे (out-let) तोड़ने, नाले लगाने या अन्य तरीकों से पानी की चोरी करने के कितने केसेज १९६३–६४, १९६४–६५ व १९६५–६६ में हुए हैं ?

(२) विभाग द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(३) कितने मामलों में चालान हुए एवं कितनों में सजायें तथा कितनों में तावान लगाये गये ?

(४) क्या यह सही है कि जब किसी चक का मोगा टूटा पाया जाता है या नाल पकड़ी जाती है तो उस चक का मोगा बंद कर दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा किस कानून के तहत किया जाता है ?

उत्तर

(१) १९६३–६४, ६४-६५ व १९६५-६६ में क्रमशः १४, २२ व ४० केसेज हुए।

(२) जिन केसेज में किसी का व्यक्तिगत दोष प्रत्यक्ष में आया उस पर कानूनी चालान किया गया अथवा सजा दी गई। आयन्दा ऐसे अभियोग रोकने के लिए यहां सम्भव हुआ नहरों पर आड़ लगा कर ऐसी हरकतें रोकने का पूरा इन्तजाम किया और चौकसी की भी सख्ती रखी गई, जिससे वारदात करने पर रोक रहे।

(३) ११ मामलों में चालान पेश कर दिये गये हैं जो अब अदालत में विचाराधीन हैं। २१ मामलों में तावान लगाया गया है। और अन्य मामलों में जांच की जा रही है और आगे उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

(४) जी नहीं। किन्तु कभी कभी ऐसा राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम सन् १९६४ के तहत अन्य कारणों से अवश्य करना पड़ा है।

सस्ते अनाज की दुकानें

१९०. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा के सब–डिवीजन कुशलगढ़ में मुखिया सलुपाट, बड़ी सरवा, छोटी सरवा आदि क्षेत्रों में सस्ते अनाज की कितनी दुकानें कहां २ खोली गई हैं ?

(२) उन दुकानों पर कितना-कितना अनाज इस वर्ष पहुँचाया गया है और किन साधनों के द्वारा ?

(३) क्या इस वर्ष वर्षा से पहले वहां पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुँचा दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ४० सस्ते अनाज की दुकानें सब डिवीजन कुशलगढ़ में खोली गई हैं। सूची संलग्न है।

(श्री हीराभाई)

(२) सूची संलग्न है। माल ट्रकों द्वारा पहुँचाया गया है।

(३) जी, हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छापरवाड़ा सिचाई कैनाल से सिंचाई

१६३ **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम श्री रामपुरा, तहसील दूदू में छापरवाड़ा सिंचाई कैनाल की मोरी नं० ८ से सिंचाई होती है ?

(२) इस मोरी से अन्य कौन कौन से गांवों की जमीन सिंचित होती है ?

(३) इन गांवों का कुल सिंचित रकबा कितना है ?

(४) इतने सारे गांवों की सिंचाई हेतु एक ही मोरी के अलावा और मोरियां बनवाने में क्या सरकार को कोई कठिनाई है ?

(५) ग्राम श्रीरामपुरा में सन् ६५–६६ में किन किन काश्तकारों की कितनी कितनी जमीन पिलाई हुई–व किस अनुपात से सिंचाई करना तय किया गया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं, श्री रामपुरा गांव की मोरी नं० ८ से सिंचाई नहीं होती है।

(२) इस मोरी से ग्राम कल्याणपुरा, रेटा, रेटी, व रसीली की जमीन सिंचित होती है।

(३) इन ग्रामों का मोरी नं० ८ से सिंचित होने वाला रकबा लगभग ५३४ एकड़ है।

(४) ५३४ एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिये वर्तमान मोरी ही प्रर्याप्त है। तकनिकी दृष्टिकोण से अतिरिक्त मोरियां बनाना उचित नहीं है।

(५) ग्राम श्री रामपुरा में सन् १९६५-६६ में हमेशा की तरह मोरी नं० १० से सिंचाई की गई। काश्तकारों की सूची मय रकबे के निम्न प्रकार है :

नाम काश्तकार	सिंचित रकबा
१– श्री अखेराम चौधरी	३६।।४
२– श्री मांगीलाल चौधरी	३६।।०
३– श्री रामकरण पुत्र रोडू जाट	४।२
४– श्री मंगला पुत्र ओंकारजाट	८।३
५– श्री बोध पुत्र किशना जाट	१।४
६– श्री लाल जाट	७।।
७– श्री माधो जाट	१२।।२
८– श्री मांगू गढवाल	४।३
९– श्री पांचू जाट	३।३
१०- श्री हनोता जाट	३,२
११- श्री श्योवन्दा पुत्र भूरा जाट	३।३
१२- श्री धन्ना बलाई	२।४
कुल	१२८। बीघा

(श्री सिचाई मन्त्री)

यहां नहरी जमीन का ४० प्रतिशत के हिसाब से सिचाई करवा तय किया गया था।

राज्य कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता भण्डार

१६४. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुएं सस्ते दरों पर उपलब्ध करने के लिए चालू वर्ष में कोई उपभोक्ता भण्डार खोले हैं? यदि हां, तो कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन उपभोक्ता भण्डारों में राज्य कर्मचारियों को कौन-कौन सी वस्तुएं उपलब्ध की जाती हैं और प्रति व्यक्ति प्रति माह किस मात्रा में दी जाती हैं?

(३) इन वस्तुओं के दर क्या क्या नियत किये हैं? उपभोक्ता भण्डार के दरों और बाजार भाव में कितना कितना अन्तर है? इन दरों को नियत करने का आधार क्या?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील निवाई में लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत मुकदमों की संख्या

३४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) तहसील निवाई में लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत बने मुकदमे की गत तीन सालों की क्या संख्या है? हर साल के अलग आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इन मुकदमों में से हर साल कितनों का फैसला किया गया व कितने बाकी हैं?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

घासा का तालाब मावली तहसील

३५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि मावली तहसील के घासा के तालाब के आस पास के क्षेत्र में छोटे छोटे तालाब बन जाने के कारण वह पूरा भर नहीं पाता है?

(२) क्या सरकार नगर से दूसरी नहर लाकर या कठार के पास बनास को रोक कर उपरोक्त तालाब में डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो सकेगा?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(१२. १८ म. प.)

सीमेंट फेक्ट्री, सवाईमाधोपुर में चल रही भूखहड़ताल पर शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: सवाई माधोपुर में जो सीमेंट फैक्टरी है, वहां पर भूख-हड़ताल चल

(श्री अध्यक्ष)

रही है। उस संबंध में माननीय सदस्य हरिप्रसाद शर्मा व श्री रामानन्द अग्रवाल ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इससे कुछ दिन पूर्व स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई थी, उसको अस्वीकार किया गया और मंत्री महोदय से निवेदन किया गया था कि वह इस पर एक वक्तव्य दें। अब मंत्री महोदय कृपया वक्तव्य देंगे।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : सीमेंट वर्क्स सवाई माधोपुर में १७–८–६६ को एक घातक दुर्घटना (फटेल एक्सीडेंट) होने के बाद से श्रमिक स्थिति कुछ बिगड़ गई है। सीमेंट वर्क्स कर्मचारी संघ ने इस दुर्घटना के बाद यह मांगें रखीं कि कारखाने के चीफ इंजीनियर को हटा दिया जाय तथा फैक्ट्री में एक एम्बूलेन्स हर समय तैयार रखी जाय। दूसरी मांग फैक्ट्री के व्यवस्थापकों ने मान ली है और एक जीप फैक्टरी में इस कार्य के लिए रख दी है। पहली मांग पर संघ ने जोर नहीं दिया चूंकि यह प्रश्न औद्योगिक विवाद नहीं बनता। जहां तक दुर्घटना का प्रश्न है, मैं आज प्रश्नोत्तर के समय बता चुका हूँ कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जीप फौरन नहीं आ सकी पर पास ही एक ट्रक उपलब्ध था उसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, पर अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। फैक्टरीज अधिनियम के तहत सुरक्षा नियमों की अवहेलना के लिए फैक्टरी के मैनेजर का चालान दिनांक १५–६–६६ को पेश कर दिया गया है। मैनेजमेन्ट ने अब जीप की व्यवस्था कर दी है, जो हमेशा उपलब्ध रहेगी।

अन्य मांगों के सम्बन्ध में सीमेंट वर्क्स कर्मचारी संघ ने एक पत्र दिनांक २१.८.६६ को सी० वर्क्स मैनेजर को लिखा जिसमें दिनांक २६. ४. ६६ को संघ द्वारा लिखे गये पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा इसके साथ ज्ञापन की प्रतिलिपि तथा मांग पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की। दिनांक २१–८–६६ के पत्र में यह पुनः दोहराया गया कि व्यवस्थापकों की ओर से उनके पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला है अतः संघ के तत्वाधान में २२–८–६६ की शाम से भूख हड़ताल प्रारम्भ की जायगी। इस पत्र तथा इस पत्र के साथ भेजे गये मांग पत्र की प्रतिलिपि श्रम विभाग को २४–८–६६ को प्राप्त हुई। प्रारम्भ में भूख हड़ताल दो व्यक्तियों द्वारा २४. २४ घंटों के लिये की गई, बाद में दो दो व्यक्तियों द्वारा ४८. ४८ घंटे के लिये भूख हड़ताल की जा रही है। यह क्रम अब भी चालू है।

मांग पत्र प्राप्त होने पर श्रम अधिकारी, भरतपुर से जो इस क्षेत्र में समझौता अधिकारी हैं, इन मांगों पर समझौता कार्यवाही प्रारम्भ करने को कहा गया। उप-आयुक्त (विधि) ने भी इस बारे में श्रमिक व श्रम व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों से २६–८–६६ व ८–६–६६ को बातचीत की समझौता अधिकारी ने समझौता कार्यवाही २–६–६६ को प्रारम्भ कर दी थी। कार्यवाही १६–६–६६ को समाप्त हो गई है। मांगों को औद्योगिक न्यायालय के सुपुर्द करने पर विचार किया जा रहा है।

संघ की मांगों तथा वहां की श्रमिक स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिये मैंने कम्पनी के एग्जीक्युटिव डायरेक्टर एवं वर्क्स

(श्री अध्यक्ष)

मैनेजर तथा संघ के प्रतिनिधियों से, जिसमें फैक्ट्री तथा क्वारीज के प्रतिनिधि भी थे, ३. ४ दिन तक लगातार बातचीत की और वहां की समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न किये। अभी इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है, परन्तु प्रयत्न अभी भी जारी हैं। सरकार यह विश्वास दिलाती है कि श्रमिकों की उचित मांगों पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार अवश्य कार्यवाही करेगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि श्रमिक भूख हड़ताल समाप्त कर उचित वातावरण बनाने में अपना योगदान देंगे जिससे स्थिति को काबू में लाया जा सकेगा।

बीड़ी मजदूरों की मांग

बीड़ी मजदूरों की मुख्यतः मांग यह है कि इस उद्योग में न्यूनतम वेतन जो इस समय १ रु० ५६ पैसे प्रति हजार की दर से है, बढ़ाया जाय। बीड़ी मजदूरों की कुछ अन्य मांगें औद्योगिक न्यायालय को दिनांक २५-८-६६ व ६-६-६६ को भेज दी गई हैं। न्यूनतम वेतन रिवीजन कमेटी, गठन द्वारा हो, अथवा सरकारी विज्ञप्ति द्वारा, इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। वैसे सरकार ने इस उद्योग में रिवीजन करने का निर्णय ले लिया है।

बैंक एम्प्लाइज की मांग

सरकारी बैंक कर्मचारियों की ओर से एक ड्राइवर को निलम्बित करने के सम्बन्ध में विवाद श्रम अधिकारी, भरतपुर के पास समझौता वार्ता के लिये विचाराधीन है। निलम्बन का प्रश्न औद्योगिक विवाद नहीं बनता, फिर भी इस विषय में जांच की जा रही है।

लकड़ी मजदूरों की मांग

लकड़ी मजदूरों को ३० दिन का पास देने की मांग औद्योगिक विवाद नहीं बनता। अतः इस विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होगा कि सभी मामलों पर श्रम विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, अतः श्रमिकों से मेरा अनुरोध है कि वे भूख हड़ताल समाप्त कर वातावरण को स्वस्थ बनाने में सहयोग दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमेन्ट वर्क्स सवाई माधोपुर में कितना असंतोष है। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। यह एक ही केस नहीं है, अध्यक्ष महोदय। आये दिन वहां इस प्रकार की घटनायें होती हैं। जिस दिन रणजीतसिंह के साथ यह दुर्घटना हुई यदि उसको समय पर शीघ्र ही मेडीकल एड मिल जाती, यदि शीघ्र ही गाड़ी मिल जाती तो उसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा मजदूरों में पूर्ण विश्वास है। एक व्यक्ति जिसका सम्बन्ध इन्टक से है वह एक महीने से भूख हड़ताल पर बैठा है। इन मजदूरों की यह मान्यता है कि जिस दिन यह घटना हुई यदि गाड़ी समय पर मिल जाती और मैनेजमेंट गाड़ी शीघ्र भेज देता तो उसके प्राण बच जाते।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

एक अर्जुनसिंह है जो क्रेशर में फंस गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गये और दूसरे दिन जब मांस के लोथड़े दिखाई दिये तो उसकी मजदूरों ने जानकारी की तो यह कह दिया गया कि कुत्ता क्रेशर में फंस गया था उसके टुकड़े हैं। ऐसी स्थिति जहां हो और श्रम मंत्रालय चुपचाप बैठा रहे तो वहां के मजदूरों में इसका घोर असंतोष है।

मजदूर कहते हैं और यह सही है कि मिनिस्टर और सेठों में सांठगांठ है। उनके पैसे से कुर्सी पर आकर बैठते हैं। खनिज मंत्री के इलाके में मालिकों की जीपें चल रही हैं, उनकी जीपें वहां पर लगा दी गई हैं। यह सब कुर्सियों पर बैठे रहने की कोशिश अभी से शुरू हो गयी है। एक तरफ मजदूरों को साधन न मिले और वे मर जांय और दूसरी तरफ यह है कि उनसे जीपें लेकर आप चुनाव क्षेत्र में लगा दें। वह अर्जुनसिंह जिसको कुत्ता कह कर रिजेक्ट कर दिया वह कहां है ? आपके इन्टक ने यह ध्यान आकर्षित किया है। मजदूर क्रेशर में फस जावे और उसके टुकड़े २ हो जायें और उसको कुत्ता बता दिया जाय। कई बार एक्सीडेन्ट हुए हैं। वह मजदूरों की लापरवाही से नहीं होते। क्रेन चलता है तो उसके बीच में जगह नहीं है। आखिर मजदूर मजदूर ही है। इस तरह से दुर्घटना हो जाती है। यही हालत रणजीतसिंह की हुई। सेठों से साठ गांठ होने से यह समझौता नहीं हो सका। हालांकि आपकी इन्टक की यूनियन हैं, आपके पास वे लोग आये हैं उसके बावजूद भी उन मजदूरों को आपके विभाग और आप पर भरोसा नहीं रहा है। आप जाकर मौज उड़ाते है। अभी शिक्षा मंत्री जी गये उन्होंने खुले आम सभा में कहा कि इनसे पैसे लेंगे, जीपें में लेंगे और फिर आपका काम करेंगे चिन्ता मत करो। ऐसा आपका आचरण होगा तो मजदूरों का धीरज डिगेगा। सवाईमाधोपुर में निकट भविष्य में हड़ताल होने वाली है इसलिए आप मजदूरों को कान्फिडेन्स में लें और आदेश दें कि श्रमिकों के हित में निर्णय लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव सवाई माधोपुर में मजदूरों में असंतोष के सम्बन्ध में दिया था वह न केवल सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के बारे में है बल्कि जो वहां बीड़ी उद्योग में काम करते हैं, या जो वहां सहकारी बैंक में कर्मचारी हैं या लकड़ी के मजदूर हैं, उन तमाम लोगों की उनकी अपनी मांगें हैं वह लेबर डिपार्टमेंट के जरिये अपनी समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं।

सीमेंट फैक्ट्री की यूनियन की तरफ से अप्रेल में मांग पत्र मैनेजमेन्ट को दिया गया और श्रम विभाग को कहा गया लेकिन श्रम विभाग ने कोई कोन्सिलियेशन की कार्यवाही शुरू नहीं की और अब मामला काफी प्रिसिपिटेट हो गया तब श्रम विभाग की आंखें खुलीं और कार्यवाही की। सीमेंट फैक्ट्री का जहा तक ताल्लुक है इस सदन में कई बार रखा जा चुका है कि दर असल सीमेंट फैक्ट्री वास्तविक रूप से सवाईमाधोपुर जिले की मालिक है और सारा शासन वहां पर उनके कहने पर और उनके मैनेजर के कहने के मुताबिक चलता है इसलिए वहां के श्रमिकों को और नागरिकों को यह बड़ी

दिक्कत महसूस होती है कि जो उनकी समस्यायें हैं उनके लिए उनके राज्य के श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय से कोई उन्हें राहत मिल पाई हो।

अध्यक्ष महोदय, कितने ही एक्सीडेन्ट वहाँ हुए हैं । अभी माननीय बूंदी से आने वाले सदस्य ने एक एक्सीडेन्ट की बात बताई इसके बाद इसी महीने के पहले सप्ताह में एक और एक्सीडेन्ट हुआ जो कन्ट्राक्ट लेबर का था। उसकी मिल की खुली बिजली को छू जाने से मृत्यु हुई बतलाई। इस तरह से फैक्ट्री एक्ट के तहत जो मशीनों की सुरक्षा आदि की जानी चाहिये वैसा नहीं किया जाता। तार नंगे खुले रह जाते हैं बिजली के, उसे कोई देखने वाला नहीं, फैक्टरी इन्सपेक्टर सरकार का फिर क्या करता है? इस-तरह की लापरवाही से कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उनकी खुद की लापरवाही से एक्सीडेन्ट होने पर भी जीप नहीं दी गई उसे अस्पताल तक ले जाने के लिये, अगर समय पर जीप मिल जाती तो सम्भव है अस्पताल में जाकर वह बच जाता । पर वहां के मेनेजमेंट का यह रवैया उसकी जान का कारण बना।

इसी में एसोसियेटेड फलौदी क्वेरी है। यूनियन की तरफ से भूख हड़ताल किसी कारण से हुई तो मैनेजमेंट की तरफ से गुंडों के जरिये से मारपीट करवा दी गई। आश्चर्य तो यह है कि सरकार की ओर से इन गुंडों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उल्टे यूनियन के मजदूरों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और नमूने के लिए एकाध आदमी दूसरा भी पकड़ लिया गया।

इस तरह मैनेजमेंट न मजदूरों की मांगे स्वीकार करता है न उनको कोई फेसीलिटी देने को तैयार है । इसके साथ पुलिस का डंडा भी उन मजदूरों पर ही चलता है।

अब जहां तक बीड़ी मजदूरों का सवाल है। उनकी मांग न केवल न्यूनतम वेतन की है बल्कि यह भी है कि बाहर से बीड़ी न मंगाकर पत्ती मंगा ली जावे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। माननीय मंत्री ने कहा कि मजदूरों को १)५६ मिलता है। खुद सरकार की नीति से भी ६०) मासिक तो कम से कम हर व्यक्ति को मिलना चाहिये। फिर अब तो डीयरनेस अलाउन्स और मिल गया। है तो इस तरह से ७६)८० से कम मिलना नहीं चाहिये।

बाहर से पत्ती मंगाने के मुद्दे पर उन्होंने रीजनल कौंसिल बनाई है। इस समय सब लोगों की हड़ताल चल रही है। मैं लेबर विभाग से कहूँगा कि कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय कारगर तौर पर कुछ करें ताकि वहां लोगों को सन्तोष हो सके। वरना होगा यह कि वहां पर जबर्दस्त स्ट्राइक होगी और वह न सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री में होगी बल्कि तमाम मजदूर इकट्ठे होकर स्ट्राइक करेंगे आपकी श्रम मन्त्रालय की उदासीनता के कारण।

श्री मानधातासिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के किसी भी लेवर डिस्प्यूट में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। एक एक्सीडेन्ट का उदा-हरण अभी रखा गया। एक इन्स्टान्स तो ऐसी हुई कि ए० डी० एम० ने ऐसे ही एक केस में कार्यवाही शुरू की तो उसका ट्रान्स-फर कर दिया गया। तो इसका क्या हस्र

(श्री मानधातासिंह)

होगा। इस तरह से नाजायज कार्यवाहियों में सरकार मिल मालिक का साथ देकर क्या चाहती है ? मैं बताता हूं सरकार इससे नाजायज फायदा उठाना चाहती है। सरकार के मन्त्री लोग चुनावों के लिए उससे पैसा लेते हैं, जीपें लेते हैं। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि डूंगरपुर जिले में एक माननीय मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र में इस मिल की जीपें अभी से चुनाव कार्य में दौड़ने लगी हैं।

अभी पिछले पंचायत चुनावों में भी कम से कम दस जीपें कांग्रेस को वहां से मिली हुई थीं। फैक्ट्री के कागजों में उसकी अकाउन्ट्स बुक में कांग्रेस को चन्दे की रकमें लिखी हुई हैं। संस्था को ही नहीं, व्यक्ति विशेष को दिए जाने का इन्दराज है।

इस सम्बन्ध में जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ५७ के चुनावों में जयनारायणजी व्यास ने भी इस पोइन्ट आउट किया था कि एक लाख की रकम सुखाड़ियाजी को दी गई थी और सुखाड़िया जी ने उसे संस्था के हिसाब में नहीं दिखाया इस तरह से सुखाड़ियाजी को और व्यक्ति विशेष को और कांग्रेस को फायदा पहुंचा कर यह फैक्ट्री मालिक मनमानी करना चाहता है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदयपुर की एक कॉटन फैक्ट्री है, अध्यक्ष महोदय। यूनियन के अध्यक्ष ने मिलकर मिल मालिक से ओवर टाइम का पैसा हृश अप कर दिया मजदूरों का। यह यूनियन जिसको मैं सरकारी यूनियन कहता हूँ, गरीब मजदूरों का गला घोंटती है इस तरह से।

सवाई माधोपुर में अर्जुनसिंह मर गया। आज तक जांच नहीं हो सकी कि वह कहां का है, नौकर भी था या नहीं, उसकी हाजरी का क्या हुआ, कुटुम्ब में कौन है ? माता-पिता भी हैं या नहीं, पत्नी और पुत्र कौन हैं ? श्रम विभाग ने क्या इस सबका पता लगाया और कोई कम्पेन्सेशन दिलाया ? सरकार इस बारे में मौन है।

इसके अलावा मजदूर २४ घण्टे की हड़ताल का नोटिस देकर हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर। पर श्रम मन्त्री की आंखें बन्द हैं, कान भी बन्द हैं। वे तो मजदूरों का गला घोंटना चाहते हैं। मरने के बाद लाश को ट्रक में डालकर ले जाया जाता है, कह देते हैं रिलीफ देने के लिए अस्पताल पहुंचाया है। उस मरी हुई लाश का अस्पताल में क्या होगा ? ये बातें ये लोग नहीं देखते क्योंकि मिल मालिक आये दिन लाखों रुपये चुनावों के लिए देते हैं। और चूंकि आए दिन लाखों रुपया इनको देना पड़ता है. मिल मालिक भी मजदूरों का ही पेट काटकर देता है, वह कौनसा अपनी जेब से देगा ! जो रुपया उसे कम्पेन्सेशन के रूप में, अथवा अन्य फेसीलिटी के रूप में मजदूरों को देना चाहिए, वह मजदूरों से या राजों से या हुकूमत में बैठे लोगों को खुश रखने के लिए उनको चुनावों में खर्च करने के लिए दे देता है। इसके पीछे वह और भी बीसों काम इनसे निकालता है। तो आज अपने स्वार्थ के लिए जो मजदूरों के पेट की रोटी छीन रहा है और मजदूरों को मार रहा है वह

Page No.40

(श्री जोधसिंह चौहान)

स्वयं भी अधिक दिन जीवित नहीं रह सकेंगे। एक दिन आवेगा जब मजदूर इस सरकार को सबक देंगे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। पता लग जावेगा।

तो मैं चाहता हूँ, मजदूरों की मांग को मानना स्वयं आपके हित में है, नहीं तो यह सरकार उलटने वाली है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगप्रन प्रस्ताव पर कुछ बातें मानधातासिंहजी ने भी कहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी भी कारखाने में कोई मजदूर कुचल दिया जावे और सरकार कोई कार्यवाही न करे तो यह क्या है ?

आज से कुछ समय पहले यू० पी० की एक बात बताऊं। एक आदमी ओवर टाइम लेने के कारण और अधिक काम करने के कारण बेहोश हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। इस मामले में श्रम विभाग ने फौरन कार्यवाही की।

तो सरकार को ऐसे मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए। यह सरकार ऐसे मामलों में अपराधियों को पनाह क्यों देती है ? मैंने एक टेलीग्राम पेश किया था। कहा गया कि भूख हड़ताल समाप्त हो गई। वह अब भी चल रही है। तो इस तरह से कहना कोई अच्छी परम्परा नहीं है। जहां श्रमिकों को कोई दिक्कत हो, फौरन श्रम विभाग को आवाज उठानी चाहिए।

अभी जैसा श्री मानधातासिंह जी ने कह दिया कि आंकड़ों के सिलसिले में शाह जैन की एक पुस्तिका मुझे मिल गई थी वह मेरे पास है, उसमें जयनारायणजी व्यास का लिखा हुआ है वह मैं आपके सामने रखता हूं :

In the last General Elections Shri S. P. Jain (Jaipur Udyog) paid at least 2 lakhs 52 thousand for All India and District Congress Committee elections. Not a single pie was paid to the Congress direct. Every thing was paid direct to the Chief minister."

उसका चैक नम्बर भी मेरे पास है कि इतने नम्बर का चैक भेजा और स्टेटमेंट में भी वही कहा है कि जो चैक भेजा है वह कांग्रेस को नहीं दिया बल्कि सुखाड़ियाजी को दिया। इस प्रकार से हुकूमत के प्रमुख आदमी को कोई चंदा दे दें और वहां पर उनकी फैक्ट्री में उनके उद्योग में एक आदमी मर जावे और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह जो पढ रहे हैं उसमें तो कहा है कि सुखाड़ियाजी को दिया है तो क्या रिश्वत दी है ? क्योंकि कांग्रेस को तो दिया नहीं है, इस लिए यह चंदा कैसे हो सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : उनका कहना है कि यह रुपया मैंने उनको दिया। यह रुपया अगर कांग्रेस को देते हैं तो उसका हो जाता है और यदि सुखाड़ियाजी को देते हैं तो उनका होता है। यह अलग सवाल है। मेरा सवाल यह है और चाहे

(श्री मुरलीधर व्यास)

…े से बड़ा करोड़पति हो, चाहे लाखों रुपया …को दे, यह लेते हैं लेकिन प्रश्न यह है …क्योंकि बड़े साहूकार रुपया देने के बाद …उनके उद्योग में, उनकी फैक्टरी में एक …दूर कुत्ते की तरह कुचलकर मर जाता है …र उसकी मौत हो जाती है और उसके …द में लेबर मिनिस्टर साहब कोई कार्यवाही …हीं करते इससे स्पष्ट है कि पूंजीपतियों की …कूमत बन गई है और मजदूरों के सिलसिले …कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो इससे …ष्ट है कि सरकार पूंजीपतियों को राहत …हुंचाती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस …मामले पर प्रश्न भी पहले आया था और उस …मय भी कहा गया था और फिर एडजोर्नमेंट …मोशन भी आया है तो आज तक आपने क्या …कार्यवाही की है, किसी को क्या प्रोसीक्यूट …किया है उसके बारे में आप बतायें ताकि …मालुम हो कि मजदूर के परिवार को …राहत पहुंचाने के लिए क्या कोई योजना बनाई …ई है। चाहे बड़े से बड़ा आदमी है उसकी …लापरवाही से किसी की जान गयी है तो …उसको बड़े से बड़े दण्ड देने की कार्यवाही …करें।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सरकार लेबर डिपार्टमेंट …र चलती है, हमारे श्रम मन्त्री महोदय ने …नहीं बताया कि उस मजदूर की जान …[illegible] उसकी लेबर वेलफेयर आफिसर ने …आपको रिपोर्ट भेजी या नहीं ? इस बात …[illegible] प्रकाश डालें। मैं निवेदन कर दूं …[illegible] सरकार मजदूरों के बारे में नहीं …[illegible] तो एक एक कंकर और चूना इकट्ठा करके जो ताजमहल खड़ा करते हैं तो वह सरकार को हटाने में देर नहीं करेंगे। मैं श्रम मन्त्री महोदय से कहूँगा कि आप उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो कि मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इस सम्बन्ध में आप लेबर ऑफिसर को खींचे और प्रासिक्यूट कीजिये फैक्टरी ओनर को ताकि भविष्य में इस प्रकार के वाकयात न हों वर्ना मैं साफ तौर से कहता हूं कि मजदूर अपना बदला लेकर रहेंगे। आज जो हालात हैं वह यह हैं :

"खून से मजदूर के नींवें महल की सिच
रही हैं,
धनवानों की रोटी पर नजर गिद्धि
लगी है,
बिक रहा इन्सान है लो देख लो बाजार में
जुल्मियों का जुल्म है और मासूम कलियां
पिस रही हैं।"

श्री अध्यक्ष : उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, इस फैक्टरी की एक विशेष परिस्थिति है। अभी इस सदन में जो बातें आ रही हैं हम जानना चाहते हैं कि फैक्टरी के मालिकों के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया ? मैं तो इससे भी बहुत ही दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि उस फैक्टरी के अन्दर आधी मालिक तो राजस्थान सरकार है। क्योंकि ४६ पर्सेन्ट हमारे उसके अन्दर शेयर हैं। हमारे रिप्रेजेन्टेटिव्ज उसके मैनेजमेंट के अन्दर रहते हैं। तो. मैं तो इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने उस मजदूर की हत्या की है आपको किस कटघरे में खड़ा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

किया जाये ? आपने हत्या की है उसके लिये आपने न तो मुआवजे की बात की है और न बताया है कि वह आदमी मरा या नहीं। और जो सरकार के आदमी मैनेजमेन्ट में बैठे हैं उन्होंने भी सरकार के ध्यान में क्या यह लाया है कि इस तरह से आदमी मर गया।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे अजीब हालत है। एक तरफ तो राजस्थान सरकार उसकी हिस्सेदार है और वहां पर सीमेंट जैसी चीज बनती है। इसके लिये रॉ-मेटेरियल के रूप में खनिज से निकलने वाले पत्थर की जरूरत होती है। इसी सरकार ने, इसी खनिज विभाग ने उस फैक्टरी का ६ महीने से ज्यादा अर्सा ऐसा हो गया कि अपनी खानों के पत्थर का लाइसेंस रोक दिया और इसलिए रोक दिया कि सरकार चाहती थी कि संसद का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें इस फैक्टरी का मालिक जैसा कि अभी बताया गया कि २ लाख ५२ हजार रुपया इस फैक्टरी ने पहले सुखाड़िया जी को दिया इसी प्रकार से सरकार ने ३ लाख की डिमान्ड की और सरकार ने कहा कि यदि यह रुपया वह दे देते हैं तो उनकी लीज को फिर से शुरू कर देंगे। और जब तक उसका सेटलमेंट नहीं हुआ तब तक लीज बराबर बन्द रखी और अब क्योंकि समझौता हो गया है इसलिए कुछ दिन हुए पत्थरों को निकालने का लाइसेन्स फिर से दे दिया गया है। तो यहां के चीफ मिनिस्टर, और खनिज विभाग और यहां के जो मैनेजमेन्ट में बैठे हैं इनकी इस तरह से साझेदारी हो और वहां से चन्दा लेकर कांग्रेस को या अपने आपको पनपाने का रखें, तो मैं नहीं समझता कि जो मजदूरों की समस्या है, जो कुछ प्रोडक्शन की समस्या है वह कभी हल हो सकेगी। लेबर विभाग में भीखाभाई जैसे मन्त्री बैठे हैं जो सुखाड़िया जी के सामने देख नहीं सकते, बात तो क्या करेंगे, यह क्या उनकी बातों में आकर वहां के मजदूरों का इन्साफ कर सकेंगे ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, दौरान बहस कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं और जहां तक कांग्रेस संगठन के बारे में बातें करते हुए चन्दे की बातें कहीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस बहस में अभी नहीं जाना चाहता हूं कि किसने कितना चन्दा लिया। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि किसी भी तरह से किसी ने कांग्रेस को ... दे दिया है मैं यह मानता हूँ कि हर ... पूंजीपति जो चन्दा देता है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को देता है। मुझे मालूम है सन् ५२ से जिस किसी ने भी चन्दा दिया तो मैं यह बात कह दूं कि एक तरफ हिन्दू महासभा को दे दिया, दूसरी तरफ जनसंघ को दे दिया और तीसरी तरफ कांग्रेस को दे दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ... रसीद पर चन्दा देने को जायज मानते हैं लेकिन अपनी जेबों में रखना है इसको नहीं मानते हैं।

श्री भीखाभाई : यह चीजें ... गयीं कि इतना चन्दा लिया गया और ... कारण से उस पर कोई कार्यवाही ... गई यह गलत बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, तूफान मेल की स्पीड कम कीजिये। कहीं डिरेलमेन्ट नहीं हो जाये।

श्री भीखाभाई : १८ तारीख को दिन १॥। श्रौर १॥। बजे के मध्य सवाई माधोपुर फैक्टरी

कुछ माननीय सदस्य : यह तो आपने पढ़ कर सुना दिया।

श्री भीखाभाई : जो फैक्टरी इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है उसको पढ़ कर सुना रहा हूँ। मैं यह मानता हूं कि वहां पर लेबर डिपार्टमेन्ट का कोई आदमी नहीं है। भरतपुर में हमारा लेबर श्रोफिसर है लेकिन सवाई माधोपुर में लेबर इन्सपेक्टर है और इन्सपेक्टर ने जो बात कही वह बता रहा हूँ। यह १॥। और १॥। बजे के बीचे में घटना हुई और एक घन्टे के अन्दर वह मर गया। यह सारी रिपोर्ट पढ़ता हूँ इसलिए कि जो माननीय सदस्य हैं जिन्होंने प्रश्न उठाया है कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो मैं उनको बताऊं कि सरकार ने मैनेजमेन्ट का चालान कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री जी एक बात बता दें कि इस क्रेन के बारे में जिस पर एक्सीडेन्ट हुआ है इसके बारे में क्या यूनियन ने पहले इन्फोर्म किया था कि यह मशीनरी एक्ट के तहत सुरक्षित नहीं है और क्या आपके फैक्टरी इन्सपेक्टर ने उसको पहले देख लिया था? अब आप चालान भी कर दें तो जान वापिस नहीं आ सकती। अगर पहले से उसकी सुरक्षा कर देते तो मौत नहीं होती। एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं हम जानना चाहते हैं कि कहां पर दुर्लक्ष है या यह लेबर यूनियन वाले जबरदस्ती कहते हैं?

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप श्रम मंत्रीजी का प्रवचन सुनें और उसके पश्चात् बहस न करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं इतनी तेज रफ्तार है।

श्री अध्यक्ष : आप तो कहते थे कि ये बोल ही नहीं सकते।

श्री विजयसिंह झाला : समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलते हैं। जैसे उड़न तश्तरी उड़ती हो ऐसे उड़ रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पवनपुत्र के पुजारी हैं इसलिए उसी रफ्तार से उड़ रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैं तो बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तेज भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी तेज बोल सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो आप तेज से तेज रफ्तार से बोलकर बताइए।

श्री भीखाभाई : I am not experimenting here.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप एक बात और बता दीजिए कि....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इनको क्या समझते हैं साहब, हिन्दुस्तान को रिप्रजेण्ट किया है लेबर कांफ्रेंसेज में !

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था क्रेन के बारे में कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : न तो इनकी बात किसी की समझ में आती है और न इनके किसी की बात समझ में आती है ।

श्री भीखाभाई : जो माननीय सदस्य ने कहा कि मृत्यु घटना-स्थल पर ही हुई या अस्पताल में, तो इसकी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है । मैं यह कह सकता हूं कि जो रूल्स हैं, सेफ्टी के रूल्स हैं वे सन् ६५ में ही रिवाइज हुए हैं । और जहां पर दरवाजा निकलता है, मजदूरों के प्रवेश करने के लिए जो उसके सामने रास्ता है उस रास्ते के और उसके बीच में बीस इंच का फासला होना चाहिए ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यह बताइए कि यह ओवर हैड क्रेन कहां चलती है ?

श्री भीखाभाई : जमीन पर चलती है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : न यह जमीन पर चलती है न आसमान पर चलती है, यह तो बीच में चलती है । वहां पर पूरी जगह नहीं होने से पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि इस मामले में सेफ्टी रूल्स का वायलेशन हुआ है और इसी कारण मैनेजमेंट का चालान किया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात का उत्तर दिलवा दीजिए कि जब वह क्रेन लगी तो उस समय फैक्टरी इंसपेक्टर ने यह देखा या नहीं देखा कि सेफ्टी के सब इन्तजाम हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : फैक्टरी इंसपेक्टर तो कहां से देखता । फैक्टरी इंसपेक्टर तो [illegible] तारीख को गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो एक्सीडेंट की बात है । जब क्रेन इंस्टाल की [illegible] तो क्या आपके रूल्स प्रोवाइड करते हैं [illegible] कोई मशीनरी जो डेंजर मशीनरी हो [illegible] इंस्टाल की जाय तो सेफ्टी के सब एरेंजमेंट किये गये हैं या नहीं, यह देखकर आप फिटनेस सर्टिफिकेट या जो कुछ भी आप इसको कहते हों, वह देते हैं या नहीं और [illegible] सरकार के नियम हैं इसके लिए, [illegible] प्रोसीजर को एडोप्ट किया गया है या नहीं [illegible] यह सब क्रेन चालू करने से पहले देखा [illegible] या नहीं ? मैं समझता हूं कि यह नहीं देखा गया है और यह दुर्लक्षपूर्ण स्थिति आपकी तरफ से हुई है, आप इसको मानें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, जल्दी से अपना वक्तव्य समाप्त करें । वह [illegible] नहीं जब दूसरे खड़े हो जायं तब भी [illegible]

श्री भीखाभाई : मुझे तो ज्यादा [illegible] नहीं कहना है । जहां तक सारे [illegible] प्रोवाइड करने का सवाल है, इसके [illegible] गये हैं उनके अनुसार फैसिलिटीज [illegible] करने का सवाल है, उसके पहले [illegible] नहीं थे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल [illegible] सेफ्टी रूल्स थे ।

श्री भीखाभाई : सेफ्टी रूल्स तो थे लेकिन उसमें इसका प्रोविज़न नहीं था वह बंद कर दिया गया है ।

जहां तक आपने बीड़ी वालों के बारे में कहा और आपने कहा कि इनको भी दो रुपये मिलने चाहिए । इस पर विचार कर रहे हैं । आज तक दो रुपये नहीं मिलते हैं, आपकी जानकारी गलत है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि सरकार की तरफ से कोई भी असावधानी बरती गई हो इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है ।

हड़ताल के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक हड़ताल का सम्बन्ध है वहां पर इन्टक यूनियन है और उनका आपस में इण्टरनल मैटर है । माननीय सदस्य इस मामले में इसलिए बीच में पड़ना चाहते हैं कि हमको भी उनके आपसी झगड़े में कुछ लाभ हो जाय, लेकिन वह लाभ उनको मिलने वाला नही है । वहां पर इण्टक की यूनियन के लोग है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बहुत ओ-ब्जेक्ट करता हूं माननीय मंत्रीजी की इस बात पर कि एज ए मिनिस्टर वे इस तरह की बात को कहते हैं कि इस यूनियन को फायदा होगा और उस यूनियन को फायदा नहीं होगा । एज ए मिनिस्टर उनके लिए तमाम यूनियन्स बराबर होनी चाहिए और उनका व्यवहार उनके साथ समान रूप से होना चाहिए । इस तरह से जो वे बात कहते हैं तो यह बहुत गलत है, उनकी पार्शि-लिटी और छोटे दिमाग को शो करता है ।

श्री भीखाभाई : मैं बड़े दिमाग और छोटे दिमाग की बात नहीं जानता । मैं तो छोटा आदमी हूं तो मेरा दिमाग भी छोटा ही होगा । मैं तो भील हूं, आप बनिये हैं, वकील हैं आपका दिमाग बड़ा होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने पूरे कदम उठाए हैं और मैं आपकी मार्फत और इस सदन की मार्फत मजदूरो से भी अपील करता हूं कि जो मजदूर है वे शांतिपूर्ण तरीके से बात करें वरना सरकार के पास इसके अलावा और कोई प्रावधान नही है कि वह सारे के सारे मामले को ट्रिब्यूनल को रेफर कर दें, यही आश्वासन मैं यहाँ पर दे सकता हूं । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो भूख हड़ताल वहाँ पर हो रही है वे अपनी भूख हड़ताल को भी समाप्त करेंगे, यही मैं उनसे आशा करता हूं ।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, भीखाभाई ने जो भीलों के दिमाग के बारे में कहा कि चूंकि वे भील हैं इसलिए उनका दिमाग छोटा है तो इससे तो सारी भील जाति का अपमान होता है ।

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : भील जाति का दिमाग तो बढ़िया होता है, छोटा नहीं होता है ।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दिमाग छोटा हो या बड़ा इससे क्या फर्क पड़ता है । उसमें जो एपरेटस होता है वह फर्स्ट क्लास होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये मंत्रीजी भी अपनी जाति से बिट् कर रहे हैं। जैसे हम अपनी जाति के साथ बिट् कर रहे हैं उसी तरह से ये भी अपनी जाति के साथ बिट् कर रहे हैं।

(१२.५५ म. प.)

बीकानेर में भूमि के आवंटन संबंधी मामले पर ध्यानाकर्षण

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मैं बीकानेर इलाके के रेगिस्तानी हिस्से में कृषि भूमि के आवंटन सम्बन्धी विषय में राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में भूमि का आवंटन अस्थाई तौर पर ३ साल के आधार पर होता है इससे काश्तकारों को काफी खर्चा एवं परेशानी उठानी पड़ती हो ऐसी बात नहीं है। राज्य के अन्य हिस्सों की भांति बीकानेर जिले की भूमि का अलॉटमेंट अस्थाई तौर पर १० साल के आधार पर नहीं किया गया जैसा कि इस वर्ष गंगानगर जिले की नोहर तहसील के रेगिस्तानी हिस्से में दस साला आधार पर भूमि अलॉट की गई है। इस बारे में निवेदन है कि शुरू शुरू में राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, १९५७ के अन्तर्गत राजस्थान के सभी क्षेत्रों में दस साला अलॉटमेंट की ही व्यवस्था थी परन्तु इसके पश्चात् जरिये विज्ञप्ति संख्या एफ ११ (४७) ६१ दिनांक २६–९–६१ राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, १९-५७ के नियम १४ में एक परन्तुक जोड़कर निम्न जिलों में तीन साला आवंटन की व्यवस्था की गई।

(१) जोधपुर सिवाय बिलाड़ा तहसील के।

(२) बाड़मेर सिवाय सिवाना तहसील के।

(३) जैसलमेर

(४) नागौर

(५) बीकानेर

(६) चूरू

ये संशोधन इसलिए किये गये हैं क्योंकि स्टेट लैंड यूटिलाईजेशन कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इन क्षेत्रों में भूमि आवंटन बन्द कर दिया जाय जब तक कि सोयल कैपेबिलिटी का सर्वे पूरा नहीं हो जावे। इस रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया गया कि आवंटन को बिल्कुल बन्द कर देना लोगों के लिए काफी दिक्कत का कारण होगा इसलिए इन क्षेत्रों में, जो रेगिस्तान है, ३ साल के लिए ही भूमि का आवंटन किया जाता रहे। इन छः जिलों के अतिरिक्त जिनके लिए नियमों में संशोधन किया गया सीकर, झुंझनूं, पाली और जालोर के बारे में भी यही संशोधन किया जाना था परन्तु बाद में इन जिलों को इनमें से निकाल कर केवल छः जिलों के लिये यह संशोधन किया गया।

(श्री कुम्भाराम आर्य)

आवंटन ३ साल के लिए किया जावे या १० वर्ष के लिए, काश्तकार को इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता । जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उनको कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि जब एक बार भूमि का आवंटन हो जाता है तो ३ साल गुजर जाने पर भी, जब तक उस भूमि के लिए विशेष रूप से कोई अन्य योजना न हो, किसी को निष्कासित नहीं किया जाता....

(१ म. प.)

इसलिए तीन साल का आवंटन होते हुए भी मैं समझता हूं कि बदस्तूर भूमि पर बना रहता है ।

अभी प्रश्न उठाया गया था कि क्या ३ वर्ष के बाद एलाटी को पट्टा रिन्यू कराने के लिए दुबारा पट्टा फीस वसूल की जाय या नहीं ? यह प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है । अगर यह निर्णय भी लिया जाय कि पट्टा फीस दुबारा ली जायगी तो तीन वर्ष के पश्चात् ५ रुपये पट्टा फीस के रूप में देने पर काश्तकारों पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा ।

तीन साल तक आवंटन को सीमित रखने का निर्णय जिन कारणों से लिया गया वह कारण अब भी वैसे ही हैं ।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है उस रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को इस रेगिस्तानी हिस्से की लैण्ड की केपेबिलिटीज का सर्वे कराना चाहिए था, लेकिन पांच साल के बाद भी सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया और अब भी सरकार का विचार नहीं है क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है चौथी योजना में इसको कराने का । तो मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी आपकी कोई स्कीम भी बनी है, जो कि रिपोर्ट के अनुसार है, तो भी उस स्कीम के अन्तर्गत काश्तकारों को १० साल के लिए भूमि दे देना चाहिए । उससे आपकी इस स्कीम में बाधा किसी भी प्रकार की नहीं आती है । इसलिए मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ३ साल के बजाय १० साल तक खेती के लिए भूमि क्यों न आवंटित की जाय ?

दूसरी बात पर मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तीन साल के बाद काश्तकारों को जमीन प्राप्त करने के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है और काफी परेशानी उठानी पड़ती है । पटवारी हर तरह से काश्तकार को परेशान करते हैं और पैसा खींचने की कोशिश करते हैं । इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है कि जहां तक लैण्ड युटिलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों का सवाल है, वे आज तक क्रियान्वित नहीं की जा सकी हैं । उनको आज ६ साल तो हो गये और न आयन्दा उसके क्रियान्वित होने के आसार दीख पड़ते हैं ।

(श्री भीमसेन)

काश्तकारों को बिना कारण परेशान होना पड़ता है और सरकार को भी कोई लाभ नहीं। इसलिए बजाय तीन साल के १० साल के लिए भूमि का आवंटन हो तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के काश्तकारों को राहत मिलेगी।

इस साल, माननीय अध्यक्ष, केवल मेरे क्षेत्र में ही तीन हजार काश्तकारों ने एप्लीकेशन्स दी हैं उसमें जो काश्तकारों का खर्चा हुआ है उसका हिसाब लगाया जाय तो करीब ३ लाख का खर्चा उनको वहन करना पड़ा सिर्फ जमीन के लिए और उनको परेशानी उठानी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि हर तीसरे साल परेशानी आये इसके बजायं यह मैं बेहतर समझता हूं कि १० साल के लिए भूमि का आवंटन कर दिया जाय। उसमें सरकार को नुकसान नहीं होगा और जहां तक इस कमेटी कि रिपोर्ट का सवाल है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आयेगी। क्योंकि आपको भूमि की आवश्यकता है किसी स्कीम के लिए तो काश्तकार से १० साल पहले भी ले सकते हैं; क्योंकि काश्तकारों को खातेदारी हकूक नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन सारी परिस्थितियों में मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तीन साल के बजाय १० साल के लिए भूमि देना शुरू कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय …

श्री कुम्भाराम आर्य : इस रिपोर्ट पर कार्यवाही कर रहे हैं। सदस्य महोदय, जैसा आपने कहा है कृषि मंत्री महोदय से मैं इस सम्बन्ध में परामर्श करूंगा, और कोई कठिनाई दिखाई नहीं दी तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे योजना कमीशन ने इस बात को बड़ा महत्व दिया है कि काश्तकारों को इस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए कि जिस जगह वह काश्त कर रहा है उस जगह से उसको बेदखल नहीं किया जायगा। उस रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आदमी पहले तो एलॉटमेंट की कोशिश करे और किसी तरह से एलॉटमेंट कमेटी से जमीन अपने पक्ष में एलाट कराये और फिर तीन साल के बाद जो प्रश्न उसके सामने आता है उसका नतीजा यह होता है कि कई बार जिन लोगों को पहले से जमीन मिली हुई है उनको एलॉटमेंट कमेटी दुबारा जमीन नहीं देती है, क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि पहले के काश्तकारों ने उसको अच्छा किया है और चूंकि उस पर काश्त होने लगी है, उन्होंने जमीन साफ की और हर तरह से काश्त के लिए उसे उपजाऊ बनाया है उस के बाद में जो प्रभावशाली लोग हैं वे एलॉटमेंट कमेटी से उन जमीनों को अपने नाम एलाट कराने की कोशिश करते हैं। पटवारी चाहता है कि उसको पैसा मिले, तहसीलदार चाहता है कि उसको पैसा मिले, और एलाटमेंट कमेटी के मेम्बर, मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ, तरह तरह के होते हैं। एलाटमेंट कमेटी जिसकी बनती है उसमें सरपंच भी आते हैं

(श्री कुम्भाराम आर्य)

एल० ए० भी आते हैं और इस तरीके से जो उसमें ५-७ आदमी बैठते हैं तो काश्तकार के लिए संभव नहीं होता है कि हर आदमी को समझाये कि यह जमीन उसके पास ही रहनी चाहिए । इसलिए कानून का प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिए ।

अभी पंचवर्षीय योजना का युग चल रहा है तो कम से कम निवेदन करना चाहूंगा कि एलॉटमेंट की अवधि कम से कम ५ वर्ष के लिए कर दी जाय । जो १० साल का हवाला दिया है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सारी जमीन को पांच वर्ष की अवधि तक माननीय मन्त्रीजी को तुरन्त एलॉटमेंट कर देना चाहिए । और वैसे जो आपने नोट पढ़ा है मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ही नौकरशाही का तैयार किया हुआ है । इसमें माननीय मंत्रीजी ने कोई अपने मस्तिष्क से अपने विचार जोड़े हों, मुझे एक लाइन भी इस बात की नहीं लगी । आपका जो जवाब है और जो आपने अभी दिया है वह आपके सेक्रेटेरियेट ने रूल्स आदि का हवाला बता कर दिया है । आपने सारे रूल्स और प्रोसीजर पढ़ दिये है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई इस बात से अनभिज्ञ नहीं है हमेशा आप उधर जाते आते हैं और इस इलाके के जो काश्तकार हैं वे आपको कहते रहते होंगे । इसलिए ५ वर्ष की अवधि कर सकें तो मैं समझता हूं कि जो दिक्कत उस रेगिस्तानी इलाके के काश्तकारों को आती है वह दिक्कत निश्चित रूप से दूर होगी ।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, टेम्पोरेरी एलॉटमेंट का जहां तक सवाल है....

श्री अध्यक्ष : इसमें एलॉटमेंट का सवाल नहीं है एक विशेष परिस्थिति की बात है । नहीं । माननीय सदस्य !

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैं एक विशेष परिस्थिति की ही बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार खां : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जो टेम्पोरेरी तरीके से साल दो साल के जमीन का एलॉटमेंट होता है तो किसान उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकता है । जो वह खाद डालता है तो वह खाद गोबर और मींगनी का डालेगा तो तीन साल तक बराबर वह खाद पैदा कर देता है और किसान उससे तीन साल तक फसल लेता है और अंग्रेजी खाद जो आता हे वह उससे एक फसल लेता है । तो मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा एलाटमेंट के सम्बन्ध में कि जिस किसान को आपने भूमि दी है या देते हैं तो वह इसलिए देते हैं कि वह उसमें अच्छी फसल पैदा करे और ज्यादा नाज पैदा करे । खाद डालेगा तो वह उसका पूरा लाभ उठाना चाहेगा । इसलिए मैं निवेदन करता चाहूँगा कि इस सूरत में मुस्तकिल तरीके से उनको जमीन दे दें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं कि इस पर पुर्नविचार करेंगे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । श्री हाण्डा !

(१.८ म० प०)

गंगानगर की नहरों में ब्रीचेज कट्स सम्बन्धी मामले

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) - अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत गंगानगर की नहरों में ब्रीचेज एवं कट्स आदि की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने गंग कैनाल में ब्रीचेज....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने सारे गंगानगर जिले के लिये कहा है। वहां की सारी नहरों में ब्रीचेज व कट्स की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जिनमें भाखरा, घग्घर डाइवर्शन और राजस्थान कैनाल इन्कलूडेड है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, गंगानगर जिले में जो नहरें स्थित हैं उनके काटे जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान माननीय सदस्य ने आकर्षित किया है, और उन घटनाओं के सम्बन्ध में है जो गये साल हुई बताई जाती हैं। गया साल एक विशेष साल था जिसके अन्दर पंजाब में पानी कम होने की वजह से इनमें पानी कम मिला। भाखरा के अन्दर करीब ५८ हजार एकड़ को पानी कम मिला और गंग कैनाल के अन्दर करीब २।। लाख एकड़ का पानी कम मिला। इस तरह से पानी कम मिलने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई कि बहुत सारे लोगों ने जो पानी की कमी होते हुए भी नाजायज तरीके से पानी का लाभ उठाना चाहते थे उठाने की कोशिश की।

गंगानगर में २०० से अधिक नहरें हैं और २०० से अधिक मोगे हैं। इन सब पर सतर्कता के साथ इस हद तक वाच रखना कठिन है कि एक भी केस ऐसा न हो जिसमें कोई आदमी नहर को काट कर या उस पर साइफन लगाकर नाजायज तरीके से पानी न ले। फिर भी इतनी बड़ी नहरों की तादाद होते हुए भी, इतनी पानी की कमी होते हुए भी पिछले साल इस सम्बन्ध में केवल ४० केसेज हुए हैं। और कुछ नहरों के बारे में माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में जिक्र किया है उन पर भी उतना नहीं है जितना माननीय सदस्य ने कहा है लेकिन उनके आधे ब्रीचेज या कट्स इन जगहों पर भी हुए। हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि नहरों पर ब्रीचेज नहीं हों, कट्स नहीं हों, लाइन स्प्रेडिंग का इन्तजाम किया है, चौकीदार हैं जो वाच रखते है, सतर्क रहते हैं जिससे कि ऐसे मामले न हों, पुलिस के लोग भी ध्यान रखते हैं, ऐसे मामले हों तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ भी काम करता है। सारी सतर्कता बरतने के बावजूद भी, क्योंकि पानी की कमी थी इस वजह से ये कुछ केसेज वहां पर हुए जिनके बारे में तावान की कार्यवाही की जाती है, अदालत में चालान पेश किये जाते हैं और दूसरे किस्म के जुर्म हैं उनमें सजा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसान तावान देते हुए और मुकदमा चलते हुए भी कभी कभी ऐसा कर बैठते हैं क्योंकि इससे उनको जो लाभ पैदावार से होता है उसके मुकाबले में कोई जुर्माना और इस प्रकार की कार्यवाही को वे ज्यादा नहीं समझते और ज्यादा नहीं समझने से वे इस बात के लिये कभी कभी निडर हो जाते

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं, नाजायज लाभ उठाने के लिये । हम यह सोचते हैं कि नियमों में और दूसरे काम-काज के तरीके में क्या सुधार किये जायं जिससे इस तरह से होनेवाली कठिनाई कम हो और अपराध अधिक नहीं बढ़े । लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया १५.२० लाख एकड़ का विस्तार खंड है । भाखरा और गंग कैनाल की नहरें जिस एरिया से गुजरती हैं उसका २० लाख एकड़ में विस्तार है । इतनी तादाद में नहरें और मोघे होने की वजह से, पानी गये साल कम होने की वजह से ये ४० घटनाएं गये साल हुईं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो केवल गंग कैनाल की हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पानी इस साल ठीक है तो इसमें बढ़ोतरी होना बंद हो गया, इतने केसेज नहीं हुए, पिछले साल पानी की कमी के कारण हुए फिर भी आयन्दा कम हों इस बात का हम प्रयत्न करेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान गंगानगर जिले में नहरों के ब्रीचेज और कट्स की ओर दिलाया उनमें वे पुरानी नहरें भी सम्मिलित हैं जो काफी समय से फंक्शन कर रही हैं और नयी भी सम्मिलित है जो अभी चालू की गई हैं जैसे घग्घर डाइवर्शन कैनाल, इनके बारे में सोच सकते हैं कि इनमें दरार हो सकती है क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ लेकिन जो नहरें ४० साल से फंक्शन कर रही हैं उनमें कट्स हों यह गंभीर विषय है ।

यह ठीक है कि गंग कैनाल में २०० नहरें हैं और २००० आउट लेट्स है । जब एक नहर ब्रीच हो जाती है तो ७ दिन के लिए पानी देना बंद हो जाता है जैसे पी० एस० की नहर में ब्रीच हो गयी और उस पर ४० गाँव हैं और गांव के पीछे एक एक हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है तो ७ दिन के लिए सिंचाई बंद हो जायगी । इससे ३२ हजार एकड़ में इरिगेशन स्टोप हो जायगा । माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े ब्रीचेज के पेश किये हैं वे केवल गंग कैनाल के हैं क्योंकि आज मेरा प्रश्न था उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि गंग कैनाल में सन् ६२-६३ में १५ ब्रीचेज हुए, ६३-६४ में ३२ हुए और ६४-६५ में ३० ब्रीचेज हुए । मंत्री जी का यह कहना है कि पानी के अभाव के कारण हुए हैं, यह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है ।

आपके सामने एक नजीर पेश करूं । एक पी० बी० एल० पर १८ दिसम्बर ६५ से २८ दिसम्बर ६५ तक १० दिन पानी दिया और १० दिन में यह नहर ३ दफा ब्रीच हुई और यह नहर पिछले वर्ष २३ दफा ब्रीज हुई । इस नहर पर ४५ चक या गांव हैं । इसका मतलब यह हुआ कि ४५ गांवों में किसी भी खेत में सिंचाई नहीं कर पाये । मैं मंत्री जी की सूचना के लिए तारीख नोट करवा सकता हूँ आर० बी० और चक नं० नोट करवा सकता हूं । आप नोट कर लें । १४ पी०बी०एल० पर दो दफा बीच हुए, १३ पी० बी० एल पर ३ दफा, ३३ और ३४ पी० बी० एल पर १ दफा ब्रीच हुआ, १६ पी० बी० एल पर २ दफा, ४०-४१ पर २ दफा, के० डी० ५४-५५ पर दो दफा, २२ आर० डी० २ दफा, २६ पी० बी० एल० पर दो दफा ब्रीचेज हुए । अध्यक्ष महोदय, पी० ए० नहर दो दफा ब्रीच

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो गई। छोटी छोटी नहरें ब्रीच हों तो हों लेकिन गंग नहर ब्रीच हुई और उसके कारण सारी की सारी सप्लाई रुक गई। सबको मालूम है कि किसने ब्रीच की लेकिन कोई कोगनिजेन्स नहीं लिया गया। गंग कैनाल ब्रीच हुई, सूरतगढ़ ब्रान्च की ब्रीच हुई वहां को फसलें तबाह हो गई। पिछले वर्ष भी ४-५ दफा ब्रीच हुई। ऊपर से बंद कर दिया और टेल पर पानी पहुंचाने की कोशिश की गई। चक और पी० बी० एल० में पानी पहुँचाने की कोशिश की गई। क्वांटम से ज्यादा पानी पहुंचेगा तो नहर ब्रीच होगी।

अध्यक्ष महोदय, घग्घर डाइवर्शन कैनाल में ब्रीच हुआ, पंजाब से कोटेशन दिया गया था कि १० हजार क्युसेक्स पानी दिया जायगा। घग्घर का साइफन है उसको क्लोज करके भारत के सिंचाई मंत्री श्री के० एल० राव से उद्घाटन कराने का विचार हुआ। घग्घर डाइवर्शन के आगे डेम लगा दिया और उद्घाटन की तारीख बता दी। राव साहब आये और डेम को काट कर उद्घाटन कर दिया……

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Absolutely Wrong. मैं खुद राव महाब के न तो उन्होंने उद्घाटन किया और न इस तरह का एलान किया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो नहर पहले ही ब्रीच हो गई थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनसे उद्घाटन कराने का विचार होता तो पहले उनको चिट्ठी तो लिखते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप चीफ इन्जिनियर से जानकारी करिये, बात करिये मेरी उनसे बात हुई है, ऐसा विचार था तो यह बुरा विचार नही था। १२ हजार क्युसेक्स की कैनाल बनाई है, एक ही कैनाल तबियत से बनाई है, मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ। यह भी बुरा विचार नहीं था यदि उद्घाटन कराते। लेकिन १० हजार क्युसेक्स पानी को रोकने का एस. डी. एम. या और किसी के दिमाग में विचार आया कि उसको रोक दो। इसका नतीजा यह हुआ कि वह टूट गया और लोगों की खड़ी फसल, कपास, गन्ना आदि की डूब गई।

अध्यक्ष महोदय, ये ब्रीचेज और कट्स केवल जमींदार ही करते हों ऐसी बात नहीं है। ये ब्रीचेज और कट्स कुछ तो करवाई जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं कि होली की रात की बात है, मैं एक नहर के पास जा रहा था। उस नहर को काट कर दो आदमी भाग रहे थे। मैंने एफ. आई. आर. रायसिंहनगर पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाई। एक साल तक पुलिस का कोई ओफिसर मेरे पास स्टेटमेंट लेने नहीं आया। मैं थाने में गया मेरे बयान नहीं लिये, दो साल तक चालान नहीं हुआ। लोग घात लगाकर चोरी करते हैं जिसकी वजह से टेलों के ऊपर पानी नहीं पहुंचता है। इसके अलावा गंग नहर की करीब करीब सारी टेल बोर्डर पर स्थित हैं जहां पर इस तरह की घटनाओं से लोगों के मारेल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्थिति यहां तक है कि बोर्डर पर स्थित जो आर. ए. सी की फार्स है उनके सामने भी पानी की तंगी पैदा हो जाती है। वैसे दूसरे कारण भी हैं जिनकी वजह से पानी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

नहीं पहुँचता है लेकिन यह एक विशेष कारण है कि नहर के आउट लेट पर नाली लगाई जाती है और पानी चुरा कर ले लिया जाता है। इसके अन्दर स्थिति यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट और इरिगेशन विभाग के अन्दर कोई तालमेल नहीं है। वैसे कानून के अन्दर इस मामले को कागनीजेबल माना है लेकिन यह ओफेन्स बेलेबल है और कानून में इस ओफेन्स को पैनेलाइज करने के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि सरकार इन ब्रीचेज को देखते हुए और कट्स को देखते हुए, पानी की थेफ्ट के कैसेज को देखते हुए कानून में कोई संशोधन नहीं ला पाई है। जिला परिषद् ने इस सम्बन्ध में अनगिनत बार प्रस्ताव पास किये हैं और इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि पानी की चोरी को रोकने के लिए, इन ब्रीचेज और कट्स को रोकने के लिए कोई यूनाइटेड स्कीम, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टोरेट की बनाई जाय, कोई इस तरह का कदम लिया जाय, जिससे फ्लाइंग स्क्वेड की तजवीज की जाय इस बात की तो खुशी है कि जिला परिषद् के प्रस्ताव करने पर फ्लाइंग स्क्वेड की तजवीज की गई जिससे वास्तव में ब्रीचेज और कट्स रुके थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह फ्लाइंग स्क्वेड बन्द कर दिया है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसने कहा कि फ्लाइंग स्क्वेड बन्द कर दिया है?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब कोई नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अभी अभी मैं नहर में ब्रीच करने के मामले की रिपोर्ट करके आया हूँ। मैं निवेदन करूं फिलहाल फ्लाइंग स्क्वेड नहीं है। यह बात सही है कि जब बिजाई का समय आता है तो किसानों में पानी लेने की प्रवृत्ति पैदा होती है, वैसे भी गंग नहर में क्वान्टम ऑफ पानी की कमी है। इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी कहते हैं कि पंजाब से ही पानी कम आता है। वह आज से नहीं, १९५९ से लेकर, इण्डो-पाक ट्रीटी के बाद से ही हमें पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जब तक यूनाइटेड प्रोग्राम इस सम्बन्ध में नहीं बनता है, मेरा निवेदन है, यह ब्रीचेज और कट्स नहीं रोके जा सकते। इसके अलावा कई जगह पर सिंचाई अधिकारी खुद ब्रीचेज और कट्स करवाते हैं। सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर ने इस तरह के एक दो केसेज पकड़े हैं और हमने खुद ने इस तरह के मामलों की रिपोर्ट की है जिनमें अधिकारी लोग ब्रीचेज और कट्स करवाते हैं। गांव वाले मिल जुल कर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उस प्रकार पैसा, जो इकट्ठा किया हुआ है, एस. डी. ओ. को दे देते हैं और वह अलाऊ कर देता है कि कट कर लो। इसके अलावा इस तरह का एक प्रासीजर इवाल्व कर रखा है जैसा कि मोटर गाड़ी के केसेज के अन्दर होता है कि अगर कोई मोटर मालिक एक्सीडेंट कर देता है तो वह अपने ड्राइवर या नौकर का चालान करा देता है। इसी प्रकार की परि-

Page No.54

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्थिति गंगानगर में है, किसी एक जमींदार के पास १०० एकड़ जमीन है, उसके पास में जो पचास रुपये माहवार पाने वाला व्यक्ति, जोतने-वोने वाला व्यक्ति होता है—अगर ब्रीचेज या कट्स के लिए उस मालिक का दोष होता है तो वह पचास रुपये पाने वाले व्यक्ति को पकड़ा देता है और उसका चालान हो जाता है। उसका उसमें क्या इन्ट्रेस्ट हो सकता है? अगर नहर के अन्दर कोई कट करे और उससे वह पानी की चोरी करे तो उससे उसे कोई आमदनी नहीं होती है। वह तो पचास रुपया लेता है और नौकरी करता है। लेकिन सेंट परसेंट कैसेज के अन्दर इस तरह होता है। आप गंग नहर के मसलों को ही लीजिये, वहां ७६ कैसेज तीन साल के अन्दर हुए, जिनमें से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ११ कैसेज में चालान गवर्नमेंट द्वारा किया गया, बाकी कैसेज के अन्दर कोई चालान पेश नहीं किया गया। और केवल २१ कैसेज के अन्दर तावान लगाया गया। बाकी कैसेज में न तो कोर्ट में चालान पेश किया गया न उन कैसेज में और कोई कार्यवाही की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से अर्ज करूं कि यह प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाला मसला है और गंगानगर के किसान और खेती करने वाले लोग इस विषय को लेकर बहुत एजीटेटेड हैं। इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि सन् १९५० से लेकर, १९४७ से लेकर ब्रीचेज और कट्स के आंकड़ों को लें, इसमें किसी एक पर्टीक्यूलर कैनाल, गंग नहर सिस्टम को ही ले लीजिये, इसके अन्दर ब्रीचेज और कट्स के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कट्स और ब्रीचेंज के कैसेज को पानी की कमी से अभी तक एडजस्ट नहीं किया जा सका है। आज भी पानी का क्वान्टम ६० पर्सेन्ट है और गंगानगर के अन्दर कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो अपनी जमीन पर सेंट पर्सेन्ट बिजाई कर सके। अगर किसी जमींदार के पास में २५ बीघा जमीन है तो उसकी जितनी पानी की मांग है उसके पूरे न होने के कारण आठ-दस बीघा में ही वह बिजाई कर सकता है और बाकी की सतरह-अठारह बीघा जमीन खाली पड़ी रहती है। इसलिए पानी की चोरी करने की ख्वाहिश हर जमींदार के दिमाग के अन्दर रहती है क्योंकि जमींदारों के पास काफी जमीन होती है और उसको पूरा पानी मिले तो वह पूरी जमीन में बिजाई कर सकता है। और फिर बिजाई करने के बाद भी फसल को पिलाने के लिए भी पानी चाहिए तो वह पानी की चोरी करता है। उनकी इस प्रवृत्ति को आप एडजस्ट करें—मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है जिसके ऊपर केवल आपके जवाब से ही सन्तोष नहीं होने वाला है। आप गम्भीर से गम्भीर कदम इस सम्बन्ध में उठायें क्योंकि इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि माननीय सदस्य कुछ ऐसे ठोस सुझाव देंगे कि जिससे इस समस्या को हल करने में सहयोग मिले। माननीय सदस्य ने इस पानी की समस्या के बारे में बढ़ा चढ़ा कर तो कहा लेकिन कोई सुझाव नहीं दिये जिससे कि हम इस पर कोई ठोस एक्शन ले सकें।

Page No.55

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वैसे अपनी तरफ से हम पूरे तौर पर सतर्क रह कर राजस्थान की इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मुश्किल इस बात की आती है कि जब नहर के जो साइफन कट हैं, उनको ब्रीच या कट करके लोग पानी लेते हैं तो उन मामलों का चालान करते हैं, पुलिस में कार्यवाही कराते हैं इसके अलावा और भी कार्यवाही करते हैं लेकिन कई बार उसमें ठोस सबूत नहीं होने की वजह से मामला आगे जाकर फेल हो जाता है और तावान के अलावा और कोई आल्टरनेटिव नहीं रहता है। और इस तावान के आल्टरनेटिव से ऐसे लोगों को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता है। इसकी वजह से इसके अन्दर हमारे सामने दिक्कत आई है। अब जैसा कि पहले कहा कानून में कोई ऐसे संशोधन हो सकते हैं जिसके द्वारा इसको अधिक रिगरस बनाया जा सके और लोगों में आगे यह प्रवृत्ति नहीं हो–तो ऐसा करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।

माननीय सदस्य ने घग्घर के ब्रीच के बारे में कहा। यह घाघर की जो ब्रीच हुई इस साल–यह १९–२० का वाक़या है जब वह ब्रीच हुआ। उस रोज एकदम पानी बहुत आ गया था। करीब साढ़े पन्द्रह हजार क्यूसेक की रफ्तार से पानी आ गया। यह नई नई नहर बनी थी जिसके जरिये घग्घर का पानी ले जाने वाले थे। यह बनी थी लेकिन अभी तक मुकम्मिल नहीं हुई। अभी काम बाकी है जिसको हम अगले साल तक पूरा करने वाले हैं। तो इतना पानी आ जाने की वजह से, नई नहर की क्षमता से ज्यादा पानी आ जाने की वजह से और नई नहर होने की वजह से ब्रीच हो गया और इसकी वजह से कुछ पानी हनुमानगढ़ की तरफ चला गया। इससे जहां तक नुकसान होने का सवाल है वह दो सौ, ढाई सौ बीघा का जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ है। हम आशा....

(१·२८ म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

करते हैं कि चार करोड़ और २२ लाख की यह घग्घर की योजना अगले साल तक पूर्ण हो जायगी जिससे पानी इसमें ले सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं आपके सामने तीन कान्क्रीट सुझाव पेश करता हूँ। एक तो कानून के अन्दर इस सम्बन्ध में तरमीम करायें। दूसरे ब्रीचेज और कट्स के अन्दर इर्रिगेशन के जिन अधिकारियों का हाथ है, उनके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन लिया जाय। तीसरे जो जमींदार ब्रीचेज और कट्स करते हैं, ठीक है आपके पास कानून नहीं है लेकिन उनका यह काम एन्टी–सोशियल है और एन्टी–नेशनल है क्योंकि ब्रीच करने के बाद सारा का सारा गांव जो उस नहर के ऊपर है पानी से महरूम हो जाता है। तो आपके पास एग्रीकल्चर के ऐसे कई फार्म्स हैं, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास ऐसे कई फार्म्स हैं जिनक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आप यूज कर सकते हैं और इससे इन ब्रीचेज और कट्स को आप रोक सकते हैं। नम्बर चार मैं अर्ज करूं कि आप कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में बराये महरबानी तालमेल बैठाइये....

श्री रामप्रसाद लाड्ढ : बहुत तालमेल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कतई नहीं है। आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से पूछिए, कई जगह जिलाधर, जिसने एफ. आई. आर, चाक आउट कर दी है उसके अगेन्स्ट १८२ के मुकदमे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जहां एस. डी. ओ. ने एफ. आई. आर. दर्ज कर दी और चूंकि पुलिस को कोई मौके की शहादत नहीं मिलती है इसलिए उन आफिसर के अगेन्स्ट उन कैसेज के फेल हो जाने के कारण धारा १८२ में मुकदमे चाक आउट कर लेते हैं। यदि इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्ट्रेस्टेड है बीच कराने में तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट सो जाता है और यदि पुलिस डिपार्टमेंट ने पैसे खा लिए हैं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट अपराध को साबित कराने की कोशिश नहीं करता है। तो जब तक आप इरिगेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में कोई तालमेल नहीं बैठाते हैं, जब तक कोई यूनाइटेड होकर कोई एक्शन नहीं कराते हैं तब तक आपके यह ब्रीचेज और कट्स बन्द नहीं हो सकते। ब्रीचेज और कट्स के कैसेज पुलिस डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के बीच शटल-काक की तरह इधर से उधर उछाले जाते हैं और उनको डिसाइड नहीं किया जाता है। नम्बर पांच मैं अर्ज करूं कि बहुत सारी नहरों की हालत गम्भीर है। उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बजट सेंक्शन करना चाहिए। आज भी बहुत सी नहरों की स्थिति ऐसी है कि उनमें कुछ पीसेज ऐसे हैं जिनको आपको पक्का करना पड़ेगा? आपके जो इरिगेशन के अधिकारी हैं एक्स. ई. एन. और एस. डी. ओ. वह कोई जादूगर नहीं हैं। किसी एक जगह लगातार मिट्टी आती है तो वह वाटर को डाइवर्शन करके और दूसरे प्रयत्न करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी आपके इन्जीनियर १६०२ के पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके लिए आवश्यक हैं कि उन पीसेज को आप पक्का करावें। राजस्थान सरकार को लाखों रुपया अकेला गंगानगर देता है। मैं समझता हूं कि जितना सारा राजस्थान राज्य सरकार को रुपया देता है उतना अकेला गंगानगर इरिगेशन चार्जेज के अन्दर देता है। इसलिए जो ऐसे हैं जहां मिट्टी भर जाती है और बोटल नेक हो जाता है उन स्थानों को आप पक्का नहीं कर सके हैं, जो आपके ऐसे चक्स हैं जिनके अन्दर सेण्डी एरिया है, उनको सब्सीडी देकर, पैसा देकर वाटर कोर्सेज को पक्का नहीं कर सके हैं। इससे आपका इरिगेशन एरिया बढ़ेगा, वेस्ट ओफ वाटर कम होगा और वाटर का लोस भी कम होगा। यह इन्वेस्टमेंट प्रोफिटेबल है जिसको मैं समझता हूँ कि आप क्यों नहीं करना चाहते। ये सारे इन्वेस्टमेंट भाखरा आदि के लिए........

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे इतना ही कहना है कि आपकी नीति दुर्लक्षपूर्ण नीति

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है । जब आप कुछ खर्च करेंगे तो उसका रिटर्न आएगा । आप यह सोचें कि ५० हजार या एक लाख रुपया कम खर्चा किया जाए तो उसका प्रोडक्शन पर बहुत असर पड़ेगा । इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप बराये महरबानी कुछ पैसा खर्च करें और उनके फाल्स या रेग्युलेटर्स को रीमॉडल करावें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप गंगानगर के लिए एक वेलोसिटी मीटर जो ३०,००० रु० में आता है नहीं खरीद सके । यह जोधपुर में है । वेलोसिटी मीटर से आप उसकी ताकत नाप सकते हैं । बगैर उसके आप नाप नहीं सकते । इसलिए आप अपनी दुर्लक्ष-पूर्ण नीति को समाप्त करिये ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री सभापति : अब विधायी कार्य लिया जाता है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : कुछ मेरे भी प्रस्ताव हैं । कल भी मैं अध्यक्ष महोदय से मिला था । उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल एक तो हमारे गवर्नमेंट होस्टल का है और दूसरा एक मंगला हरिजन...........

श्री सभापति : आप कल रखिये ।

अब श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल अपनी स्पीच जारी रखें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के संबंध में होम मिनिस्टर का जवाब आना चाहिये ।

श्री सभापति : वह बाद में आ जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, पहले एडजोर्नमेंट मोशन का उत्तर आता है उसके बाद विधायी कार्य लिया जाता है । अभी एक एडजोर्नमेंट मोशन का उत्तर दिया गया सवाई माधोपुर के लेबर अनरेस्ट के बारे में । अब यह भी एडजोर्नमेंट मोशन है जिसका जवाब आना चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप अध्यक्ष महोदय से मिल लें । इसके बारे में चर्चा हो रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ही बता दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, वैसे तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि १५ और १६ तारीख के बीच की घटना के बारे में आज तक २३ तारीख होने को आई है, अभी तक राज्य सरकार उस पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर पाई है । ७ दिनों में भी इतना अधिक विरोध होने के बाद और सब तरफ से मांग होने पर भी राजस्थान पत्रिका पर जो हमला किया गया उसके बारे में राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और कोई एक्शन नहीं लिया गया है । जिस प्रकार की राज्य सरकार की नीति है, अगर इस सम्बन्ध में किसी पर छुरी चली है तो वह एक हैड कान्स्टेबल पर । आपने एक हैड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कान्सटेबल को सस्पेन्ड किया है उस पर चली है। इससे जिन लोगों पर चोटें हुई उनको संतोष नहीं हो सकता है कि सरकार इसके लिए वह छोटे से छोटे कर्मचारी को सस्पेन्ड करे। यह बड़े अफसोस की बात है कि जिसकी प्रक्रिया सारे हिन्दुस्तान में अन-प्रिसिडेन्टेड है। पत्रकार जो हमारे अभिन्न अंग हैं, उन सब के प्रस्ताव पास हो गये और सदन की कार्यवाही भी नहीं छपी। पब्लिक इरिगेटेड है फिर भी आज ७ दिन हो गये हैं फिर भी राजस्थान सरकार अपना स्टेटमेंट नहीं दे रही है कि राजस्थान सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती है। सरकार मुलजिम को खुली छूट देना चाहती है। कानून की व्यवस्था को और सभी व्यवस्थाओं को लूंगी लगाना चाहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इसी प्रकार से कार्य करेगी तो हमारी क्या हालत होगी? वैसी ही हालत होगी जैसी गोपालसिंहजी की खण्डेला में हुई। राजस्थान की विधान सभा के सामने एक आदमी आपको रो रहा है, डीडवाना के राजस्थान सरकार के लाडले बेटे वहां के प्रधान चैनसिंह ने वहां के लोगों की हालत की है; उसके लिये। अगर वहां पर कोई साफा पहिनता है तो उसका साफा उतरवा लेता है। मूछें रखते हैं तो कटवा दी जाती है। कोई साफा नहीं पहन सकता, कोई मूछें नहीं रख सकता। लोगों को लाठियों से मारा, तीन दांत तुड़वा दिये। लोगों को चाकू से मारे और पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने को जाय तो पुलिस उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लेती। यह बढ़ावा उनको इसलिये मिलता है कि राजस्थान में मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान पत्रिका के बारे में जब १६-२० तारीख की स्थिति पैदा होगी तभी सरकार कार्यवाही करेगी अन्यथा सरकार कुछ नहीं करने वाली है? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप आतंक पैदा करना चाहते हैं। जब समय कम था तो आपने कहा कि अभी स्टेटमेंट देते हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि होम मिनिस्टर साहब को सदन में बैठे रहना चाहिए। आसन से इजाजत लेनी चाहिये थी कि सदन के सामने सरकार की नीति रखनी है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आज दुःख इस बात का है कि आसन से इजाजत लेने के बजाय अधिकांश मन्त्री यहां पर उपस्थित नहीं है, दो तीन को छोड़कर। मैं यह कहूंगा कि यह लोकतन्त्र में नहीं चलेगा। यह कांग्रेस कैसे लोकतन्त्र चलाएगी, दो मंत्री बैठे हैं। सदन के लीडर नहीं हैं। डिप्टि लीडर जरुर ७ दिनों से बैठे हैं। मथुरादासजी का पता नहीं। दो मिनिस्टर हाउस में बैठे रहें। अगर कांग्रेस यह चाहती है कि चुनावों के पहले हाउस नहीं चले तो उनको चाहिये कि हाउस को एडजोर्न कर दिया जावे। अगर वे यह समझते हैं कि उनकी हालत गरक हो रही है। अगर हाउस चलाना है तो अच्छी तरह से चलाएं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के नेता नेहरू का नाम रोज लेते हैं। मैं यह कहूँगा कि वे हाउस की सारी कार्यवाही में भाग लेते थे और कोई उद्घाटन में नहीं जाते थे। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इस हाउस के कांग्रेस के सदस्य उसका पालन नहीं करते और न तो मंत्री-मण्डल के सदस्य बैठते हैं और न कोरम पूरा रखते हैं। इसके बारे में होम मिनिस्टर को जो कुछ कहना है तुरन्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जवाब उनसे दिलाया जाना चाहिये। उसके बाद दूसरा बिजिनेस होगा।

श्री सभापति : ऐसा है कि आपने जो कुछ कहा है वह बहुत गम्भीर है और बेशक गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ कार्य-वाही होनी चाहिये थी, उसमें ढील दिखाई देती है पर चूंकि होम मिनिस्टर यहां नहीं हैं अतः पहले विधायी कार्य ले लिया जावे और उसके बाद में स्टेटमेंट दिया जावे। अतः अब विधायी कार्य लिया जाता है। मोटरगाड़ी करारोपण विधेयक है इसके बारे में श्री सतीशचंद्रजी अपने विचार रखें।

(१.४१ म० प०)

राजस्थान पत्रिका के कार्यालय की घटना संबंधी शासकीय वक्तव्य व वाद-विवाद

श्री रामानन्द अग्रवाल [अलवर] : चेयर की तरफ से कल यहां के बिजिनेस के बारे में अरेंजमेंट हुआ था, उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड का कानून था उसको पास करते समय हमने यह तय किया कि आफिशियल लेंग्वेज बिल पास कर दें। गवर्नमेंट कहती थी कि स्टेटमेंट तैयार है। रात को स्टेटमेंट देने को तैयार थी और समय की ज्यादती की वजह से नहीं दे सकी तो सवेरे गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे देती। यह स्वीकार कर लिया गया था, अकोमोडेट करने के लिए दोनों बिल रात को ले लिये। आफिशियल लेंग्वेज बिल पास कर दिया गया और मोटरगाड़ी करारोपण विधेयक की दो रीडिंग रात को पूरी कर दी। पर अब गवर्नमेंट ज़िद करे कि एड्जोर्नमेंट मोशन पहले आते हैं, उनके रिप्लाई पहले होते हैं, इस स्टेटमेंट को अवॉयड करके विधायी कार्य पहले लेना चाहे तो साफ जाहिर होता है कि इस मामले को गवर्नमेंट गम्भी-रता के साथ लेना नहीं चाहती। स्टेटमेंट बार बार प्रोलोंग करने से शंकाएं पैदा होती हैं, और किस तल्लीनता से शासन को इस मामले में लगना चाहिये था उस तरह नहीं लगा। इधर उधर से कानाफूसी हो रही है। उस मामले में बहुत गम्भीर बातें हो रही हैं। अतः इस मामले में गवर्नमेंट का स्टेटमेंट फौरन आना चाहिये।

मेरी जानकारी से पता चला है कि इस मामले में देरी की जा रही है। इस तरह की देरी के कारण मेडिकल स्टाफ की सरीन साहब ने मीटिंग की और इस तरह का आश्वासन दिलाया है कि कल्प्रिट्स की लिस्ट उनके पास मौजूद है, उन्होंने पुलिस को वह लिस्ट देने से इन्कार कर दिया और उन्होंने तय कर लिया कि अगर गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन लिया तो सामूहिक रूप से हम स्तीफा दे देंगे, स्टुडेन्ट्स तुम चिन्ता न करो।....

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यों-ज्यों देर की जा रही है, गम्भीर चेलेंज दिया जा रहा है। सी. एम. और गवर्नमेंट को [illegible] किया जाय, पुलिस एक्शन नहीं ले। पुलिस मिस्क्रियेन्ट्स को गिरफ्तार करना चाहती है पर ऐसा रेजोलुशन स्टाफ की मीटिंग कर के पास किया, सरीन साहब कहते हैं कि कोई एक्शन लेंगे तो हम लेंगे और कोई नहीं ले सकता। अगर होस्टल की, कालेज की प्रेमिसेज में

Page No.60

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कोई बात होती, स्टुडेन्ट्स की डिमाण्ड की कोई बात होती और वहां के प्रिन्सिपल, वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट यह स्टेन्ड लेते तो खुशी होती; पर आउट साइड कालेज प्रेमिसेज कोई मिस्क्रियेन्ट्स बेड करेक्टर करें उसके लिये होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट यह स्टेन्ड ले कि इसमें गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती हम ही एक्शन नहीं ले सकती हम ही एक्शन लेंगे, हमारे पास उन मिस्क्रियेन्ट्स की लिस्ट मौजूद है, वह लिस्ट हम पुलिस को नहीं देंगे। पत्रकारों को कहा कि हमसे नेगोशियेट करो, माफी मंगवा दें, मुआवजा दिलवा सकते हैं। यह सीधा चैलेंज है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑथोरिटी को, और लॉ एन्ड ऑर्डर को। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह स्थिति रहते हुए स्टेटमेंट को अवॉयड किया जा रहा है....

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मंत्री) : Chair is on its legs.

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम सीरियसली लेजिस्लेटिव बिजिनेस को करना चाहते हैं पर पहले स्टेटमेंट दिलवा दें।

श्री सभापति : आपने जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ वज़न है लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि जो मैंने व्यवस्था दे दी है उसका पालन करें, सहयोग करें। फिलहाल गवर्नमेंट को निवेदन करूंगा कि होम मिनिस्टर को शीघ्र बुलावें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जनसंघ के जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने खास कर के मेडिकल कॉलेज, "राजस्थान पत्रिका" की घटना के सम्बन्ध में स्टेटमेंट देने की मांग की। सरकार की तरफ से कल ही यह स्टेटमेंट दिया जाना चाहिये, वह प्रक्रिया कल की सूची में इस प्रकार थी कि विधायी कार्य समाप्त होने पर स्टेटमेंट दिया जावगा। सदन की कार्यवाही ६ बजे तक चली और तो कई माननीय सदस्य चले गये थे, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य आखिर तक थे, सदन में माननीय सदस्यों की संख्या कम थी इसलिए यह तय रहा कि कल स्टेटमेंट दिया जाय। आज स्टेटमेंट देने में सरकार की तरफ से टालने की या लाहत-लाली करने की कोई गुंजायश नहीं है। आपके फीलिंग्स को हम पहले से ही जानते हैं और हम जरूरी समझते हैं कि सरकार की तरफ से जो बात कहनी है, कही जाय। आज भी यह तय था कि पहले विधायी कार्य लिया जाय फिर स्टेटमेंट दिया जाय। होम मिनिस्टर साहब को हमने इत्तिला कर दी है वे हाउस में आ जायेंगे। श्री सतीशचन्द्रजी ने थर्ड रीडिंग पर अपना भाषण शुरू कर दिया था उस भाषण के दौरान जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जैसा जाहिर कर रहे हैं आप भाषण करें, होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, वे आ जांय तो स्टेटमेंट सभापति महोदय आज्ञा देंगे तो करा देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि सदन के उपनेता ने हमारी भावना को नहीं समझा। हमारी कतई यह मंशा नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि विधायी कार्य को पारित नहीं करें। अगर हमारा ऐसा विचार होता तो कल रात्रि को जो दुविधापूर्ण स्थिति पैदा हुई थी वह कभी नहीं टलती। उस सारी दुविधापूर्ण स्थिति को पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। बहस को तुरन्त काट कर डिविजन करवाया गया। इतनी बड़ी गवर्नमेंट और ट्रेजेरी बैंचेज में कोई खड़ा हो कर कहने वाला नहीं कि यह रूल यहां एप्लाई नहीं करता, बहस लम्बी चल रही है तो कोई क्लोजर मोशन मूव कर देते पर ऐसा नहीं कर के आसन को दुविधापूर्ण स्थिति में डालते हैं। विरोधी पक्ष ने आसन की स्थिति मजबूत बनाने के लिये, आसन को दुविधापूर्ण स्थिति से बचाने के लिये विचार किया कि रात्रि को देर तक विचार कर के मोटरगाड़ी करारोपण विधेयक की सेकण्ड रीडिंग को पारित कर दें। कल एक सेंटेन्स से तृतीय वाचन को प्रारम्भ कर दिया था आज उसको प्रारम्भ कर के पूरा कर सकता हूं। आवश्यकता होगी तो नहीं भी करूं, पर प्रश्न इस बात का है कि गृह मंत्री जिनके बारे में कहा कि सरकार इतनी जागरूक है, विधायी कार्य होने पर वक्तव्य होगा, आसन की तरफ से कहा गया तो सरकार इस तरह की साजिश करती है कि आधा घण्टे में स्टेटमेंट कर के घर चले जायेंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह साजिश नहीं है, आप खुद ने अध्यक्ष महोदय के रूबरू बैठ कर कार्य-विवरण की सूची निर्धारित की उसमें सबसे पीछे स्टेटमेंट देने की बात थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल के लिये था।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि आप कह रहे थे कि अगर भाषण का एक सेन्टेन्स शुरू नहीं करते तो तीसरा वाचन पूरा हुआ समझा जाता। तो यह स्थिति नहीं थी। हमने खुद कहा था कि दो वाचन पास करलें और थर्ड रीडिंग बाद में होगी, आप कह रहे हैं कि एक सेन्टेस इसलिए शुरू किया। हमारे टालने की नीयत नहीं है। कार्य सूची सदन बनाता है उसके अनुसार यह कार्यवाही बाद में थी। अब गृह मन्त्री आ गए हैं, हम स्टेटमेंट आपको दिला देते हैं। मैं आपकी भावनाओं को सही समझता हूँ और पालन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रात्रि को कुछ तय नहीं हुआ था कि गृह मन्त्री का स्टेटमेंट आखिर में होगा। केवल इतना था third reading of the Bill and the Statement. साथ में फूड पर डिबेट भी होगी। लेकिन क्रम तय नहीं हुआ तो आप कैसे कहते हैं कि हमने कमिटमेंट किया था। कल केवल इतनी बात तय हुई थी कि थर्ड रीडिंग के बारे में बहस होगी, फूड डिबेट होगी और "पत्रिका" के सम्बन्ध में स्टेटमेंट आज होगा लेकिन क्रम क्या होगा इस बारे में कुछ तय नहीं किया गया। गृह मन्त्री का यह कान्टेम्चुअस एटीट्यूड क्यों है? तुरन्त कार्यवाही समाप्त होने के बाद में उनको कहना चाहिए था कि बाकी बिजिनेस बाद में शुरू होगा। सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ७ दिन से यह मामला पेंडिंग है।

श्री सभापति : चूंकि गृह मन्त्री पधार गए हैं और सदन की मन्शा को देखकर मैं

Page No.62

(श्री सभापति)

कार्यक्रम बदलकर उनसे पहले इस विषय पर स्टेटमेंट देने के लिए कहता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका के सम्बन्ध में, आज से पहले भी मैंने अपने स्टेटमेंट में निवेदन किया था कि जो कुछ भी घटना पत्रिका की ऑफिस में हुई, वह अशोभनीय और दुखद थी, जिस पर राज्य सरकार ने गम्भीर चिंता व्यक्त की थी। पत्रकारिता की स्वस्थ परम्परा, उसकी स्वतन्त्रता पर यह भयंकर आघात था, क्योंकि पत्रकारिता राष्ट्र की भावनाओं का द्योतक है, जनमत की भावनाओं का द्योतक है। ऐसी हालत में जो कुछ हुआ, वह सब के लिए दुखद था । जैसे माननीय सदस्य गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं उसी तरह राज्य सरकार ने भी इस प्रश्न को लिया है। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की तफतीश सरगर्मी से और बड़ी चिंता और सक्रियता से अभी तक की जाती रही। जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने इस घटना को लेकर अलग अलग ढंग से अपने विचारों को व्यक्त किया, उस प्रश्न के विश्लेषण में तो मैं नहीं जाना चाहता इसलिए कि प्रश्न का अनुसंधान हो रहा है....

श्री रामकिशन (वैर) : रिसर्च हो रहा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके आगे जाकर कुप्रभाव, विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर उदासीन नहीं है । अब तक जो तफतीश के अलग अलग क्रम चले हैं उन पर हमें पूर्ण संतोष है, इसलिए कि हम तफतीश के दौर में आगे बढ़ते चल रहे हैं और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि कुछ घंटों में अथवा आज नहीं तो कल माननीय सदस्य इसके अनुसंधान के संबंध में निश्चित रूप से ऐसा निर्णय सुन सकेंगे जिससे माननीय सदस्यों को पूर्णतः संतोष होगा। वर्तमान स्थिति में मैं इस संबंध में अधिक इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरी अभिव्यक्ति और उद्घोष, जो अनुसंधान अभी भी चल रहा है, उस दौर पर कहीं विपरीत असर न डालें । इसका अर्थ यह है कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों की आइडेन्टीफिकेशन परेड हो रही है और उस परेड में राजस्थान पत्रिका के कार्यालय के कार्यकर्ता, जिन्होंने शनाख्त करने का बयान किया है, वे भी उस परेड में भाग ले रहे हैं। इस परेड में कितना समय लग सकता है, कितना नहीं, इस सम्बन्ध में अभी कुछ निवेदन नहीं कर सकता लेकिन मेरा विश्वास है कि परेड की समाप्ति के बाद ही इस अनुसंधान के दौर में तीव्रता निश्चित रूप से आएगी । इसलिए यदि माननीय सदस्य मुझे इस सीमा तक ही छोड़ेंगे....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अगर गृह मन्त्री उस समय स्टेटमेंट दे दें तो अच्छा होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लाचारी तो उन्होंने अब जाहिर की है, इस समय केवल बड़े बड़े शब्द बोलकर 'अभिव्यक्ति, उद्घोष', जैसे कोई ये शब्द जानता ही नहीं हो। अगर साफ कहना है तो कहो नहीं तो बैठ जाओ । "मेरी अभिव्यक्ति और मेरे उद्घोष"....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने इसलिए संकेत किया कि आइडेन्टीफिकेशन परेड की समाप्ति के बाद जो दूसरा क्रम आरम्भ होता है, वह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों का सहयोग इसलिए प्राप्त करना चाहता हूँ कि कुशलतापूर्वक पहला क्रम सम्पन्न हो जाने के बाद दूसरे क्रम में कानून अपने आप आगे बढ़ेगा। Law will have its own course. और वह कोर्स क्या हो सकता है, माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि हम सक्रिय हैं अनुसंधान में, हमने आइडेन्टीफिकेशन परेड शुरू करा दी है, उस परेड के महत्व को स्वयं आप समझ सकते हैं। उसमें समय लगने की संभावना है। उसमें पूरा एतिहात बरता गया है। इसलिए यह सम्पन्न हो जाने के बाद मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो आफेन्डर्स हैं they will be brought to books, क्योंकि अनुसधान तीव्र गति पर है इसलिए मैं विश्लेषण में नहीं जाता। इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जहां कहीं भी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में कोई संकेत दिया है, उस सम्बन्ध में भी मैं जांच करा रहा हूँ और जैसा मुख्य मन्त्री ने कहा है, एक व्यक्ति को सस्पेन्ड कर दिया है और दूसरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है।

इसलिए इस पत्रिका के सम्बन्ध में जो घटना हुई, जो आपने दुख और चिंता व्यक्त की, उससे अधिक चिंता और दुख राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार शीघ्र ही इसका अनुसंधान करवा कर और इस संबंध में निर्णय लेकर कानून को आगे बढ़ाएगी। इस स्टेज पर मैं इतना ही कहना उपयुक्त समझूंगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मन्त्री महोदय ने जिस गति और भाषा में अपना भाषण दिया है "अनुसंधान हो रहा है, सरकार उदासीन नहीं है" यह तो किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं हो सकती। ७ दिन से हम चुप बैठे हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। जितने विरोधी पक्ष के सदस्य जानने के लिए उत्सुक हैं, उससे कहीं ज्यादा सरकार का पक्ष भी जानने लिए उत्सुक है।

(२ म. प.)

सात दिन तक आपकी पुलिस, जिस पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, जयपुर में राजस्थान पत्रिका के दफ्तर पर हमला हो, एक प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रहार हो और उसकी तफतीश नहीं कर सके यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि मैं कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद सही उत्तर दे दूंगा, सभापति महोदय, यह कल जवाब देते तो यही कहते, परसों देते तो यही कहते और आज भी यही कहा है। आज भी यही हालत है, इसलिये हमें विश्वास नहीं हो सकता। सात दिन से हम तीव्र प्रतीक्षा कर रहे थे आपके स्टेटमेंट की। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप विश्वास की बात नहीं आप प्रॉमिस करिये कि कल हाउस में सही उत्तर लाकर निश्चित रूप से दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : श्री ढाबरिया !

(श्री सभापति)

मैं एक एक करके सब को समय दे दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापतिजी, तारीख १७ को स्थगन प्रस्ताव से इस सारी घटना को रखने की कोशिश की गई थी। और हम यह सोचते थे कि राजस्थान के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं जो अपने आपको बहुत होशियार समझते हैं........

एक माननीय सदस्य : तारीफ क्यों कर रहे हैं खामख्वाह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं तो यह कह रहा हूं कि वह अपने आपको बहुत होशियार समझते हैं और सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि इस सारे विभाग के, पुलिस विभाग के, आई. जी. पी. यहां रहते हैं, डी. आई. जी. पी. यहां रहते हैं और सैकड़ों की तादाद में पुलिस के कर्मचारी रहते हैं, सी० आई० डी० के हैड यहां रहते हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर के सरे बाजार में, इस तरह की घटना हो, डाका डालने वाले एक दो आदमी हों तो उनका पता लगाना मुश्किल हो सकता है और वह भी दूसरी जगह के रहने वाले हों तो ऐसा हो सकता है कि जिनका पता न लगे, लेकिन एक होस्टल में रहने वाले लोग, मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले चालीस-पचास विद्यार्थी बाहर जाने के लिये जिनको छुट्टी लेनी पड़ती है ऐसे लोगों का पुलिस पता नहीं लगा सके यह सरकार और पुलिस के लिये मैं नहीं समझता कि यह सत्य है। सबसे बड़ी बात हो रही है वह यह हो रही है कि जैसा सुना जाता है कि इस एस० एम० एस हॉस्पिटल के जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वे समझौता कराने के लिये तैयार हैं कि जितना आपका नुकसान हुआ है वह दे दिया जावेगा, जिन्होंने ऐसा किया है वे माफी भी मांग लें तो इस बात को ठीक कर सकते हैं या नहीं। इस तरह की बात किसी पुलिस अधिकारी को कह सकते हैं और पुलिस अधिकारी दूसरों को कह सकता है तो मैं नहीं समझता कि सरकार राजस्थान के पुलिस अधिकारी और सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को बुला कर नहीं कहे कि आप बताइये कि कौन कौन आदमी ऐसे है जो माफी मांगना चाहते हैं, कौन इन्वॉल्व्ड थे और फिर उनको गिरफ्तार करने के अन्दर पुलिस के और आपके हाथ क्यों कमजोर हो रहे हैं ? सभापतिजी, मैं कुछ दिन पहले की घटना बताना चाहता हूं कि तारीख १४ को चित्तौड़ में एक आदमी को सरे आम छुरा भौंक दिया गया।....

श्री सभापति : आप कृपया विषयान्तर न होइये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पुलिस से सम्बन्धित बात है।

श्री सभापति : मैं हर एक आदमी को मौका दे दूंगा। बिल्कुल संक्षेप में बोलें और टू दी पॉइन्ट बोलें। पुलिस की इनएफिशियेन्सी पर घंटों बोल सकते हैं। इस पत्रिका के मामले पर जो कुछ कहना है उसके लिये मैं टाइम दे सकता हूं। अब आपने फरमा दिया जो कुछ आपको कहना था।

श्री गोविन्दसिंहजी !

Page No.65

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्री सभापति : इसका आप यह मतलब लेते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : सभापति महोदय, जो भाषण अभी गृह मंत्रीजी ने दिया उससे कम से कम मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई है। आज आप यह कहते हैं कि आइडेन्टिफिकेशन परेड हो रही है। यह तो तत्काल दूसरे दिन की जा सकती है। मैं तो अब तक यह समझा हुआ था कि माननीय गृह मंत्रीजी को एस. एम. एस. हॉस्पिटल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने नाम दे दिये हैं वे आजावेंगे। आपने जो भाषण दिया उससे स्पष्ट है कि मेडिकल विभाग वाले इन विद्यार्थियों का नाम बताने में असमर्थ हैं और दूसरी तरफ अभी माननीय सदस्य ने बताया कि सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस० एम० एस० हॉस्पिटल हर्जाना दिलवाने और विद्यार्थियों ने जिन्होंने यह हमला किया उनसे माफी मंगवाने के लिये तैयार हैं, तो एस० एम० एस० हॉस्पिटल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है ? बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि एक तरफ यह यह प्रस्ताव किया जा रहा है और यह प्रस्ताव एस० एम० एस० हॉस्पिटल के सुपरिन्टेन्डेन्ट की ओर से आता है तो उनको गिरफ्तार किया जाय। आइडेन्टिफिकेशन परेड की बात करके आप मुक्त हो जाना चाहते हैं कि रात का मौका था, आदमी को रात के समय कहां तक पहचान सकेंगे और आप इस तरह से इसको खत्म में डालना चाहते हैं। हम उम्र के विद्यार्थी होते हैं, चहरे एक जैसे होते हैं और पहिनावा एक जैसा होता है। राज्य यह काम ठीक नहीं कर रहा है। आप हैड कान्स्टेबल को सस्पेन्ड करते हैं, एस. पी. और डी० आई० जी० को क्यों नहीं सस्पेन्ड करते हैं ? जिम्मेदार आदमी बैठे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्रीजी, जो मैं समझता हूं कि कुछ भी छिपाना नहीं चाहते होंगे, हमारे ऊपर सात दिन से शंका की जा रही है उसको दूर करने के लिये अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को और छात्रों को गिरफ्तार करें। राज्य सरकार की लाज बचानी है तो उनकी शंकाओं को दूर करें। सुपरिन्टेन्डेन्ट एस० एम० एस० हॉस्पिटल यह बताता है कि फलां छात्र माफी मांगने के लिये तैयार हैं तो उनको ही गिरफ्तार किया जाय। राजस्थान पत्रिका वालों को भी सामने आजाना चाहिये कि रुपया ले भी लें और यह बता दें कि इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। आज जो कार्यवाही हो रही है मुझे उसमें बड़ी शंका हो रही है इसलिये हाउस को आप कॉन्फिडेन्स में लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक बात मैं बताना चाहता हूं कि उन मरीन साहब का चार दिन पहले टाइम एक्स्टेन्ड कर दिया। ऐसे आदमियों को तो पकड़ कर जेल में रखना चाहिये। उनका आप टाइम बढा रहे हो।

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारी !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सभापति महोदय, सदन के बाहर और सदन के अन्दर एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हुई है। मैं कुछ कहते हुए डरता हूं कि

Page No.66

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

शायद मेरी भावना को उस रूप में लिया जावेगा या नहीं। नम्रता के साथ मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि........

श्री सभापति : संक्षेप में ही करना।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बहुत संक्षेप में।

मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी एक पक्ष हो चला है और पत्रकार बंधु एक दूसरा पक्ष हो चला है। शायद इसको मूछों का सवाल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिये। हम विद्यार्थी समाज को एक केटेगरी में रख दें और उनको कोसते रहें और पत्रकारों के बारे में कुछ कहते रहे, मैं समझता हूं अपने आप में बहुत ही भयावह स्थिति होगी।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जनतंत्र में इसका सफल और सजग प्रहरी पत्रकार है। उसकी स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये सरकार को सतर्क रहना चाहिये।

पर साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिये कि दूसरा पक्ष जो इसमें है वह अबोध बालकों का है, विद्यार्थियों का है जिनको बोध देने के लिये हमें विद्यालयों में भेजना पड़ता है। वह आज परिपक्व नहीं है। ऊंच-नीच का उसे ज्ञान नहीं है। अगर होता तो विद्यालयों में भेजने की और उनको पढ़ाने में इतना रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती।

सभापति महोदय, मुझे कोई गलत न समझे यदि मैं अपनी अन्तरात्मा की बात यहां प्रकट करूं। मेरा कोई भी भाई, भतीजा या रिश्तेदार इस कालेज का छात्र नहीं है। तो इस मामले को विशेष तूल नहीं दिया जाना चाहिये। शालीनता बरतनी चाहिये। आज मेडिकल कॉलेज के कतिपय छात्र अपने आप में इस बात को महसूस करते हैं कि यह भूल और गलती हुई है। वे इसका पश्चाताप करने को तैयार हैं। जैसा सदन में भी कहा गया वे माफी मांगने को तैयार हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर इससे अधिक आप चाहते क्या हैं? यह एक अच्छी हृदय परिवर्तन की चीज है। आज अगर गांधीजी का राज सही माने में होता तो इससे ऊंचे दर्जे की चीज और नहीं हो सकती थी।

कई सदस्य : जय हो, जय हो !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप सुनिये तो सही। यह तो मेरी निजी अन्तरात्मा की बात मैं कह रहा हूँ। फिर यह मामला अगर अदालत में भी जाता है तो क्या होगा? आप इसे गलत न लें। मेरी अभिव्यक्ति विचारों की करने में मुझे पूर्ण आजादी है। अदालत भी यह कहकर छोड़ देगी कि पहला आफेन्स है तो उसमें भी उसको प्रोबेशन का फायदा मिलेगा। जनतंत्र के उनके इस कानूनी हक को आप रोक नहीं सकते। अदालत भी प्रताड़ना करके छोड़ देगी। कह देगी आइन्दा ऐसी गड़बड़ी मत करना, भाग जाओ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir.

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोर्ट के बारे में जो यह कहा जा रहा है कि वहां क्या होगा उसकी कल्पना करके एक वकील की तरह बात की जारही है, यह बड़े शर्म की बात है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शर्म तो आपको आनी चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिन्होंने गरीबों को पीटा है, जो अस्पताल में सड़ रहे हैं, उनकी भावना क्या है, यह आप उनसे पूछें ? वे स्टूडेन्ट्स नहीं है, एक क्रिमिनल हैं। स्टूडेन्ट्स के नाम पर काले दाग हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपका बेटा होता तो मालूम होता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बेटा कहने से इंकार कर दूं ऐसे को जिसने ऐसा क्राइम किया हो ।

श्री सभापति : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । श्री ज्वालाप्रसादजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वास्तव में तो यह उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है । तो वे भी अपनी राय ही व्यक्त कर रहे थे । तो इतना भावावेश में आने की आवश्यकता नही है ।

मैं पुन: निवेदन करू कि जो भी कहें, बहुत संक्षेप में निवेदन करें । इस पॉइन्ट पर अधिक विश्लेषण की जरूरत नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य करूंगा । यह तो पत्रकारों का फेवर गेन करने और उनके नाम पर शहीद होने की बात है । वे चाहते हैं कि नाम हो जावे और फोटो छप जावे । इससे प्रेरित होकर यदि कोई भावना व्यक्त की जाती है ।....

श्री सभापति : श्री गोयल ! इस तरह से किसी माननीय सदस्य के प्रति मोटिव इम्प्यूट करना उचित नहीं होता । उन्होंने उसी भावना से अपनी बात कही है जिस भावना से आपने अपनी बात कही । अब किसने किस भावना से क्या कहा इस विवेचन में जावेंगे तो वाद-विवाद बढ़ जावेगा । इसका अन्त नहीं है । आप तो अपनी बात संक्षेप में कह कर समाप्त करें । एक मिनिट में कह दें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अच्छा यह होगा कि इस मामले में समझदार व्यक्ति आगे आवें । मैं आसन को भी लेना चाहूँगा । तो कुछ विशिष्ट व्यक्ति इसमें आगे आवें । और बीच का कोई रास्ता निकाल कर इसे निपटाया जाना चाहिए । मैं मानता हूं पत्रकारिता पर, विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति पर यह हमला हुआ है और नि:सन्देह जनतंत्र पर यह बहुत बुरा हमला है, पर साथ ही हम छात्रों को भी अनुशासित तरीके पर रख सकें उनकी भी मर्यादा और मान को अक्षुण्ण रख सकें तो उत्तम है । अगर वे खेद प्रकट करने को को तैयार हैं और इससे एक स्वस्थ परम्परा बनती है तो क्षमा से बढ़कर और कोई उत्तम बात नही हो सकती । बाकी तो कुछ अच्छी बात नहीं होगी । वातावरण और बिगड़ेगा ही । यही निवेदन करना चाहता हूं ।'

श्री सभापति : इसके पहले कि बहस ज्यादा इधर-उधर स्ट्रे निकल जावे मैं कुछ शब्द कहूंगा

(श्री सभापति)

चाहूंगा कि हमारा ध्यान इस पर ही केन्द्रित रहे। जो घटना घटी है उसमें बेशक एक अपराध हुआ है।

अब अपराधी को क्या दण्ड मिलना चाहिये क्या नहीं, यह आगे की बात है। पहली बात है अपराधियों को हिरासत में लिया जावे। मैं इस दृष्टि से चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस प्रकार का कोई आश्वासन दे सकें तो उत्तम होगा कि इतने दिनों में हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। पुलिस विभाग उनके पास है। क्या इस तरह का आश्वासन मन्त्री महोदय दे सकते हैं? अगर दे सकें तो यह सहूलियत वाली बात होगी।

श्री रामकिशन (वैर) : मन्त्रीजी को जो कुछ कहना होगा, बाद में कह देंगे।

श्री सभापति : श्री रामकिशनजी भाषण दें

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मन्त्रीजी को अगर कुछ नवीनता लानी है अपने पहले के बयान से तो वे खडे हों, नहीं तो हमारा उद्देश्य भी सफल नहीं होगा और सदन का समय भी जाया जायगा।

श्री सभापति : कुछ हांडा साहब की बात भी सुन लें

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि तफतीश चल रही है। शनाख्त हो रही है इससे कुछ ऐसा मालूम हो रहा है कि तफतीश हो नहीं रही है पर तफतीश गढ़ी जा रही है। सात दिनों में शनाख्त नहीं हो सकी? परेड नहीं हो सकी। कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

सभापति महोदय, सन् ६२ में जब लोकवाणी पर आक्रमण हुआ था तब यही डॉक्टर सरीन थे जिन्होंने क्लास रूम में जाकर विद्यार्थियों को पकड़वाया था। विद्यार्थी लाकर दिये गये। तब भी सरीन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उसी डॉक्टर सरीन को चार साल का एक्सटेन्शन दिया गया है।

आप बताइये, सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका ने किसके विरुद्ध लिखा? सवाई मानसिंह अस्पताल के विरुद्ध, रेगिंग के विरुद्ध लिखा रेगिंग बुरी बात है। मेरे माननीय सदस्य मुकुटबिहारी विद्यार्थियों की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए हमारे दिल में भी दर्द है। हमारे भी भाई–भतीजे लड़केबच्चे हैं उनमें। तो हम उनको इस लिये नहीं भेजते कि पत्रिका ने रेगिंग के विरुद्ध लिखा और उसके दफ्तर पर हमला कर दिया। यह तो ऐसी बात है कि बेटे ने बाप के मुंह पर थूंका हो, चपत मार दी हो। यह कोई प्रजातन्त्र का तरीका है?

गलत एक्शन को अगर क्रिटिसाइज किया जावे तो हमला हो, पर मैं गृह मन्त्रीजी से चैलेन्ज करके कहता हूँ कि आपकी तफतीश हो नहीं रही है। तफतीश तो अब गढ़ी जा रही है। क्योंकि सरीन साहब के लड़के का सवाल पैदा हो गया है, आपके लड़के का सवाल पैदा हो गया है हनुमान शर्मा के लड़के का सवाल पैदा हो गया है, दामोदर लालजी के लड़के का सवाल पैदा हो गया है। बड़ों–बड़ों के लड़कों का सवाल पैदा हो गया। वरना तो कोई कारण नहीं था।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह अपना भाषण देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बोल रहा हूँ अभी तो, सभापति महोदय। मैं कन्क्लूड करता हूँ।

श्री सभापति : आपको और समय दे दूंगा। आप अभी तो स्थान ग्रहण करें। मैंने निवेदन किया। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। यह प्रथा अच्छी नहीं है कि आसन के के आदेश की अवहेलना की जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्रीजी के स्टेटमेन्ट से एक बात स्पष्ट है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने कितनी शिथिलता दिखाई है, और जो शिथिलता दिखाई है उसकी जितनी आलोचना की जावे, कम है। अभी उन्होंने एक बात बताई कि आइडेन्टीफिकेशन परेड हो रही है और उसके कुछ घंटों के बाद भी उस इन्वेस्टीगेशन का परिणाम क्या हो इसकी जानकारी सबको मिल जायेगी। हम उत्सुक इस बात के लिए थे कि जो आपने सूचना दी उसकी जानकारी सरकार की तरफ से मिलती कि इनवेस्टीगेशन का रिजल्ट इस प्रकार का रहा। लेकिन अब भी कुछ घंटों के बाद ही इसका परिणाम बताने की स्थिति में आ रहें हैं तो मैं आपसे सभापति और माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति में हाउस को और जनता को विशेष तौर से इस प्रश्न पर कॉन्फीडेन्स हो और सदन जिस समय एडजोर्न हो उसके कुछ समय पहले आज के क्या डेवलपमेन्ट्स हुए हैं आईडेन्टीफिकेशन परेड के बाद में, वह सदन में माननीय मंत्री महोदय जानकारी दे दें ताकि यह पता चल जाये कि क्या रिजल्ट रहे हैं। जहां तक इस विभाग का या कार्यप्रणाली का या तफतीश का जिस प्रकार से ढंग रहा है उसकी आलोचना पहले हुई है और भविष्य में भी होती रहेगी। काफी आलोचना का सबजेक्ट है यह, लेकिन इसके ऊपर मंत्री महोदय शाम तक इस सदन को जानकारी दे दें कि इस आइडेन्टीफिकेशन परेड का क्या रिजल्ट रहा और कितनों को गिरफ्तार किया और कितने बाकी हैं और किस प्रकार के एवीडेंसेस कलेक्ट किए हैं इसी से वास्तव में संतोष होगा और केवल इस प्रकार का स्टेटमेन्ट देना कि आइडेन्टीफिकेशन परेड हो रही है इससे कोई रिजल्ट नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री हांडा ! एक मिनट में ही कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, इस सदन को संतोष इससे नहीं होगा कि केवल ३०–४० विद्यार्थी पकड़ लिए जायें। क्या होगा इससे ? जिन लोगों ने विद्यार्थियों को इस गलत रास्ते पर डाला है, जिन लोगों ने राष्ट्र की नीति को इस तरह से दूषित करने का प्रयत्न किया है, जिन लोगों ने विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी है–जब तक वह कानून के कठघरों में नहीं आते हैं तब तक इसका कोई हल नहीं है। अभी माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारीलाल जी ने कहा कि विद्यार्थी नाबालिग हैं, वह कच्ची बुद्धि के हैं, अपने स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने विद्यार्थियों को टूल बनाया है, हथियार बनाया है। पहले भी बनाया था लोकवाणी की आवाज घोंटने की कोशिश की थी और अब बनाया है राजस्थान पत्रिका की आवाज घोंटने की कोशिश

Page No.70

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की थी और फिर बनायेंगे किसी एम. एल. ए. की आवाज घोंटने की कोशिश करेंगे, सदनकी आवाज घोंटने की कोशिश करेंगे, प्रजातन्त्र की आवाज घोंटने की कोशिश करेंगे। इन्क्वायरी कीजिए एस. एम. एस. हास्पीटल के सुप्रिन्टेन्डेन्ड की। अगर किसी को इन्टरेस्ट हो सकता है तो सुप्रिन्टेन्डेन्ट आफ दी हास्पीटल के अलावा और किसी को नहीं हो सकता। क्या कोई तफतीश, कोई इन्वेस्टीगेशन, कोई बात पुलिस के अधिकारियों ने की है सरीन साहब से? और आई. जी. खुद इन्टरेस्टेड हैं जिन्होंने राजस्थान पत्रिका को यह कहा कि तुम कालेज को और हास्पीटल को बूचड़खाना बताते हो तुम्हारी पिटाई क्यों नहीं होगी। वह बूचड़खाना नहीं है तो और क्या है जहां इन्सान चिल्लाते हैं, जहां बच्चे लान के ऊपर पैदा हो जाते हैं। वह बूचड़खाना नहीं है तो क्या है? आज गुजरे हुए ७ दिन हो गये यह इन्वेस्टीगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टीगेशन गढ़ा जायेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर): सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में विशेष तो नहीं कहूँगा। बहुत सारी बातें कही भी गई हैं। मैं समझता हूँ कि यह विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता एक देशव्यापी मर्ज है और दुर्भाग्यवश घटना जो राजस्थान पत्रिका की प्रिमिसेस में हुई है उस सम्बन्ध में सरकार विशेष बातों की जानकारी करने की चेष्टा अवश्य कर रही होगी। लेकिन इस मामले को आप कितना भी लम्बा करें मेरे ख्याल में यह नाजुक प्रश्न है–यह मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन इसको जितना आप लम्बा करते हैं उतना ही आप अपनी प्रतिष्ठा को घटाते हैं और अपनी शोभा को घटाते हैं और आम जनता, मेरे ख्याल में, आप में विश्वास भी करना छोड़ देगी। लोगों के जान और माल की रक्षा नहीं होगी तो मेरे ख्याल में जनतन्त्र चलना बहुत मुश्किल समस्या है। आपने छोटे मोटे पुलिस के कर्मचारियों को सस्पेन्ड कर रखा है। अगर प्रासीक्यूशन लांच नहीं करना है तो कुछ न कुछ समझौता इस सम्बन्ध में करें। लेकिन इस संबंध में जो भी व्यवस्था करनी हो ग्रेसफुली और जल्दी आपको करनी चाहिए। और मेरी समझ में नहीं आया where there is will there is a way. अगर आप इस बारे में ढिलगाई बरत रहे हैं यह मानुमेन्टल फाली है और तो क्या कहूँ। सरकार के हाथ लम्बे हैं और सरकार को मेरे ख्याल में ठीक रूप से इसका हल जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द जैन!

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका पर जो हमला किया गया है उसकी सभी पक्ष से निन्दा की गई है। कांग्रेस पक्ष भी जो हमला हुआ है उसकी निन्दा करता है। उसके बाद में कुछ दिन निकल जाने के बावजूद भी अभी तक भी स्थिति के स्पष्ट नहीं होने से जो शंकायें अलग अलग प्रकार की अलग अलग पक्ष की ओर से पैदा की जा रही हैं, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब एक ओर यह बात कहते हैं कि जो मसला है

(श्री फूलचन्द जैन)

जैसा माननीय सभापति महोदय ने अभी फरमाया कि जो हमला हुआ है उस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है उसकी तफतीश हो कर के वह स्थिति सामने आ जानी चाहिए। मैं भी इसी राय का हूं कि जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों का तुरन्त पता लगाया जाकर उन पर जो भी वाजिब कार्यवाही की जानी है वह की जानी चाहिए। लेकिन, सभापति महोदय, मैं अधिक तो इस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहूँगा पर मुझे खेद है कि जहां हम सब माननीय सदस्य, जो सभी जिम्मेदार हैं, एक ओर इस बात के लिए दिल से उत्सुक हैं कि इस हमले की जो वास्तविकता है वह सामने आनी चाहिए। वहां पर अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं कि बिना ठीक तरह से जानकारी प्राप्त किये अलग अलग प्रकार की शंकायें और अपनी भावनायें हैं उनको भुला करके वातावरण को यहां प्रकट करने की कोशिश करते हैं वह अच्छी बात नहीं कही जा सकती। यही सब दिक्कतें हैं कि हम जहां एक ओर जिस चीज को चाहते है दूसरी ओर उसके लिए उलझनें पैदा करते हैं। मैं अपनी ओर से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने इसके अन्दर अब तक जितना विलम्ब किया है उसको उचित नहीं कहा जा सकता है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी शंका यह पैदा हो गई है जिसको मैं शंका इसलिए कहता हूँ कि उसकी सच्चाई पर अभी भी ठीक तरह से यह नहीं कह सकते कि जो अलग अलग भावनायें माननीय सदस्यों ने रखी हैं उनमें कहां तक वास्तविकता है। लेकिन यह कहा जाना कि अमुक व्यक्ति के लड़के या अमुक व्यक्तियों का हाथ है या अमुक तरह से इसको दबाने की कोशिश की जा रही है–अगर इस तरह की बात नहीं करके हम पूरी शक्ति से इस बात के लिए जोर दें कि उपलब्धि सामने आनी चाहिए तो ज्यादा वाजिब बात होती है। इसलिए इन शंकाओं का निवारण हो और इस प्रकार की शंकायें उत्पन्न नहीं हों, इसके लिए राज्य सरकार से और माननीय गृह मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वह अविलम्ब स्थिति को स्पष्ट कर दें। मगर जैसा कि उन्होंने बताया है कि उनका अनुसंधान पूरा हो गया है तो इस सम्बन्ध में इस शंका का निवारण कर दें कि उस अनुसंधान का परिणाम क्या आया है। यह राज्य सरकार, मैं महसूस करता हूँ कि इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपराधी को किसी प्रकार से पकड़े और उसके लिए जो भी मुनासिब सजा हो वह दी जाय। परन्तु शंकाएं अगर किसी भी प्रकार की न्याय के प्रति हों तो उसका निवारण अवश्य होना चाहिए। मैं, सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से आपके और विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय के विचारों के साथ में यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति को अविलम्ब स्पष्ट करने के साथ हो साथ यह भी सदन को आश्वासन देने की व्यवस्था करें और जो कुछ भी इस सम्बन्ध में उचित और सही स्थिति है उसके सही सही जो परिणाम हैं उनसे इस सदन को निश्चित समय के अन्दर अवगत कराने का आश्वासन दें। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात सभी माननीय सदस्यों से भी

(श्री फूलचन्द जैन)

निवेदन करना चाहूंगा। मैं पूरी तरह से तो नहीं परन्तु कुछ अंशों के अन्दर माननीय मुकुट बिहारीलाल जी के इन विचारों से सहमत हूँ कि इस मसले को हमको विद्यार्थी वर्ग या पत्रकार वर्ग का किसी तरह का इस प्रकार का मसला नहीं बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे आज जो स्थिति है उसके और रूप में परिणाम सामने आयें। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहता हूँ कि जहां हमें, जो हमला हुआ है उनके परिणाम और उसमें जो शंकाएं निकलती हैं, उनको देखना है वहां उसके दूसरे दुष्परिणाम भी नहीं आ सकें इसके लिए भी सोचना है। यह सोचना इस सदन का फर्ज है कि वह देखे कि इस प्रकार के दुष्परिणाम दूसरे रुप में बन पड़ें। इसलिए मैं अपने इन विचारों को इसी रूप में संक्षेप में प्रस्तुत करता हुआ माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में निश्चित और सही सही स्थिति हमारे इस सदन के सामने रखें कि जिससे किसी प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने का अवसर न आए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि जो कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है और जो एक्नाइटमेंट है उसके सम्बन्ध में एक ही बात मैं कहता हूँ कि "दर्द का हद से गुजरना ही उसकी दवा होना है।" जब दर्द हद से गुजर जाता है तो वही उसकी दवा बन जाता है। आज यह दर्द सारे राजस्थान का है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में न बोलें, आगे की बात कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, सवाल यह है कि जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में एक बात सुन लीजिए। जो एक नई बात कही गई है उसके बारे में सबको विचार करना चाहिए। संक्षेप में जो डर पैदा हुआ है मेरे मन के अन्दर वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मेरा पुलिस से बहुत दिनों तक वास्ता रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह आइडेंटिफिकेशन परेड किस बात की हो रही है! आइडेंटिफिकेशन परेड तभी होती है जब क्रिमिनल को देख लिया जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है और सही आदमी की पहिचान कराने के लिए उसे खड़ा किया जाता है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है ? अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है तो वहां पर तरह तरह के लोग इकट्ठे कर दिए जायेंगे और असली मुल्जिम का पता नहीं लगेगा। मुल्जिम को गिरफ्तार करने के बाद यह चीज कायम कर सकते हैं। मुझे आप कोई भी इंस्टांस बतायें कि आज तक राजस्थान में इस पुलिस ने बगैर किसी को गिरफ्तार किए ही आईडेंटिफाई कराया हो ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यह हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि यह जरूरी नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन परेड गिरफ्तारी करके ही की जाय।

श्री सभापति : आप पहले उनकी बात सुन लें।

Page No.73

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पहले कानून पढ़ो वकील साहब !

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कानून चाहे पढ़ा हो या न पढ़ा हो लेकिन मेरा इस ग्राइडेंटिफिकेशन परेड से बहुत वास्ता पड़ा है, मर्डर केसेज़ ग्रौर दूसरे केसेज़ में भी वास्ता पड़ा है। मेरा स्वयं का ग्रनुभव है उसको ग्राप सुन लीजिए। जो कोन्स्पिरेटर होता है उसके साथ पुलिस की कोई सहानुभूति नहीं होती है, वह तो जो रिपोर्ट होती है उसी पर पुलिस कार्यवाही करती है ग्रौर उसके ग्राधार पर मुल्जिम को पकड़ कर कई दिनों तक जेल में रखा जाता है ग्रौर उसके बाद में उसके मुंह पर पर्दा डाल कर लाया जाता है ग्रौर दूसरे लोगों में उसको मिक्स-ग्रप करके उसको ग्राइडेंटिफाई कराया जाता है। ग्राज यह परेड किनकी हो रही है, होम मिनिस्टर इसको साफ करें।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह समझता हूं कि हम बड़ी भारी डिस्सर्विस कर रहे हैं इस राजस्थान की। जिस तरह की तकरीरें की गई हैं ग्रौर इन तकरीरों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं उनको स्टूडेंट मानता ही नहीं। पढ़ने वाला ही स्टूडेंट होता हो, वही विद्यार्थी होता हो....

श्री मोहरसिंह (चूरू): On a point of order, Sir, यह मामला सब-जुडिस है इसलिए इसको यहां पर इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते।

(व्यवधान-ग्रश्रव्य)

इस मामले के ग्रन्दर जिस प्रकार के फैक्ट सामने ग्राए हों उन्हीं पर बहस करें। लेकिन इस प्रकार से कानून के नाम पर कानून की हत्या नहीं करें। कन्टेम्प्ट ग्रॉफ कोर्ट का सामान तैयार न करें।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है वह बड़ी गम्भीर बात है। वे एडवोकेट हैं, वे यह बता दें कि मामला सब–जुडिस कब होता है? जब कोर्ट में जाता है तो सब–जुडिस होता है या पुलिस में रहता है तभी सब–जुडिस हो जाता है ?

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : यह उनके घर में रहता है तभी सब-जुडिस हो जाता है।

श्री मोहरसिंह : जब पुलिस में रहता है तभी हो जाता है....

(ग्रश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : पुलिस में ही ग्रगर सब–जुडिस हो जाता है तब तो मैं ग्रपनी सनद हाई कोर्ट में जमा करा दूंगा ग्रौर ग्रगर कोर्ट में जाने के बाद ही सब–जुडिस होता है तो माननीय सदस्य ग्रपनी सनद हाई कोर्ट में जमा करा दें।

श्री मोहरसिंह : ग्रपनी सनद तो हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दो पहले, ग्राप तो तुरन्त कर ही दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां ऐसे ऐसे एडवोकेट रहते हों वहां तो करम फूट गये इस राजस्थान के।

श्री भैरूंलाल : यही सीखने के लिए उधर जाकर बैठ गये हो क्या ? शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांत रहें। श्री देवीलालजी शांत रहिये। श्री ज्वालाप्रसादजी जो कुछ कह रहे हैं उनको सुनिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बैठ जाते हैं तभी मैं खड़ा होता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल सारस्वत ! कृपया शांत रहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह इस तरह बीच बीच में बोल कर समझते हैं कि इससे सच्चाई छुप जायगी. सच्चाई को दबाने के लिए यह किया जाता है लेकिन इससे तो उनकी घबराहट ही सामने आती है।

सभापति महोदय, तो मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस सदन के इतने दबाव के बाद और सात रोज हो जाने के बाद भी जो कुछ नहीं कर सकी है तो मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि स्टूडेंट लफ्ज एक सामाजिक लफ्ज है। मैं मानता हूं कि देश का स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स को अलग करना चाहिये क्रिमिनल्स से। क्रिमिनल किसी होस्टल में घुस गया है और यहां उन क्रिमिनल्स का सवाल है, उन स्टूडेंट्स का सवाल नहीं है। इसलिए इसे स्टूडेंट का सवाल बना कर इसको पेचीदा बनाया जा रहा हो यह बात नहीं है। बात सिर्फ यह है कि एक होस्टल है जिसमें क्रिमिनल घुस गए हैं और वे क्रिमिनल क्राइम करके भाग गये हैं और उनको पकड़ना हो, यह बात नहीं है। बात यह है कि होस्टल है जहां पर हाजरी होती है, होस्टल में रहने वालों का हाजरी रजिस्टर रहता है, उसका सुपरिन्टेन्डेन्ट है, उसके अलावा एक आदमी और खड़ा रहता है जिसके सामने से बिना पूछे कोई स्टूडेंट निकल कर जा नहीं सकता। उन सब की मौजूदगी में स्टूडेंट निकल कर आ गये, एक जगह जाकर 'राजस्थान पत्रिका' को छोड़ भी दें तो भी उन लोगों ने गरीब मजदूरों की पिटाई की, वहां के फर्नीचर को तोड़ा और इस तरह की हालत की। सभापति महोदय, जिसके लिए जगह मुकर्रर है, जिसके लिए हाजरी रजिस्टर मुकर्रर है, जिसके लिए होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर है और जिसके अन्दर से निकलने वालों को रोकने के लिए डण्डा लिए हुए आदमी मौजूद है, उसके बाद भी सात दिन इस सरकार को लग जायं और सात दिन के बाद भी सरकार उसका कोई इलाज नहीं कर सके, इसलिए मैं कहता हूं कि "दर्द का हद से गुजरना ही है उसकी दवा हो जाना।" जितने दर्द के साथ मुकुटबिहारीलालजी ने और दूसरी तरफ के लोगों ने यह बात रखी उससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है और मैं बड़े दुख और पीड़ा के साथ महसूस करता हूं कि इसमें कुछ नहीं होगा।

(श्री रामकिशन एवं श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने के लिए खड़े हुए)

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अभी मुझे खत्म तो कर लेने दो। मैं बैठा नहीं हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर इतने सबूत होने के बाद भी वे लोग फ्री फिर रहे हैं; ऐसी हालत में यह राजस्थान के लिए ही भले की बात होगी कि जो नाकामयाब होम मिनिस्टर हैं तो मैं यह कहूंगा कि सेंटर को इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए, सेंटर पुलिस को बुला कर इसकी इन्क्वायरी करानी चाहिये और यह जो आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है वह सब बोगस है क्योंकि क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया है, पुलिस उनके सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई है, इसलिए यह पुलिस का काम तो उनको छुड़ाने की तरफ ले जाने-वाला है।

एक बात और है कि यह क्यों है? यह इसलिए हो रहा है, होम मिनिस्टर साहब, कि यहां पर क्वालिटी में, यहां पर एम्बेसी में और रेस्टोरेन्ट्स में ग्लासेज तोड़ डाले गये, और वही रिपीट हुआ लोक-वाणी के साथ और मजबूर होकर। ला एण्ड ऑर्डर का अर्थ यह है कि एम्बेसी को उनको चाय पिलानी पड़ी लड़कों को इन्हीं सुप्रिन्टे-न्डेन्ट साहब और पुलिस की नाक के नीचे। जयपुर की सारी जनता को आपने एक गिरोह की गुण्डागर्दी पर छोड़ दिया और हम को एक शर्मनाक पोजीशन में रख दिया। इसलिये मुझे उम्मीद नहीं है कि ये न्याय करेंगे। और अपील करता हूं कि हम यह मांग करते हैं कि इसका इन्वेस्टीगेशन तुरन्त सेन्ट्रल पुलिस को दे दिया जाय।

श्री **मानधातासिंह** (महुआ) : सभा-पति महोदय, कई दिन से यह जिक्र हो रहा है कि इस मामले के बारे में राजस्थान पत्रिका ने इनको कई दिनों पहले सूचना दे दी थी। राजस्थान पत्रिका को अन्देशा था कि इस प्रकार का हमला होगा, और उस सूचना के बावजूद पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। यह कोई मामूली चीज नहीं है कि ५०–७५ लड़के हमला करें। अगर एकाध आदमी आ जाय या ३–४ आदमी आयें तो सोचा जा सकता है कि इन्डिविजुअल की हरकत हो सकती है, लेकिन ५०–७५ लड़के हमला करें तो साफ जाहिर होता है कि यह षड्यन्त्र था, कोई कोन्सप्रेसी थी, यदि पुलिस उस कोन्सप्रेसी को हल नहीं कर सकी तो वह पुलिस कहलाने के लायक नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर जो वहां पर पोस्टेड होल्ड कर रहे हैं वे उसके लायक नहीं हैं। हमेशा पुलिस का प्रिवेन्टिव एक्शन बैटर होता है बजाय बाद के चालान के। पुलिस को जब इस प्रकार की सूचना थी तो उसको प्रिवेन्टिव एक्शन लेना चाहिए था कि कौन कौन लोग ऐसा कर सकते हैं तो उनको जेर दफा १०७ के पाबन्द करना चाहिये था। लेकिन पुलिस ने यह कार्यवाही नहीं की। उसके बाद हमला हुआ। यह कहा जाता है यहां कि पुलिस वाले वहां पर तैनात थे तो वे कहां रखे गये, यह मालूम नहीं, बल्कि वह एक ऐसा स्टैप पुलिस ने लिया है कि जो इफेक्टिव नहीं था। पुलिस फोर्स वहां रख कर पत्रिका की प्रेमिसेज को प्रोटेक्ट करना चाहिये था। वाकया हुआ उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंचता है और मुलजिमान नहीं पकड़ सका। यह पुलिस के लिए शर्म की बात है। एकाध मुल्जिम भाग जाय तो कोई बात नहीं, पर ५०–७५ मुल्जिम भाग जायं पुलिस के सामने से, जिसके पास फ्लाइंग स्क्वाइड है, वह पकड़ नहीं सके, यह

Page No.76

(श्री मानधातासिंह)

नामुमकिन है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की उसमें साजिश थी।

कहा जाता है कि इसमें पुलिस के आई. जी. पी. का लड़का मौजूद था, वह मेडिकल कालेज में पढ़ता है इस वजह से पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है। कोई सरीन साहब का रिश्तेदार पढ़ता है और कोई मिनिस्टर के रिश्तेदार भी थे। ये सज्जन इसमें शरीक थे। पुलिस के आई. जी. पी. का लड़का मौजूद था इसलिए पुलिस इसमें अकर्मण्य हो रही है, वर्ना यह नामुमकिन है कि इतनी बड़ी घटना हो जाय, इतना बड़ा रेड हो जाय जिसमें ५०-७५ मुल्जिम भाग लें और पुलिस नहीं पकड़ सके। मेडिकल कॉलेज होस्टल में आइडेन्टिफिकेशन किया जा रहा है और आइडेन्टिफाई परेड खत्म हो जाती है।

दूसरी बात, नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने सुझाव दिया है कि सेन्टर को मामला सुपुर्द किया जाय तो यह राजस्थान पुलिस पर एक रिफ्लेक्शन है। राजस्थान पुलिस लॉ एण्ड आॅडर मेन्टेन नहीं कर सकी इसलिए होम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। राजस्थान पुलिस और होम मिनिस्टर को समझना चाहिए कि सेन्टर को यह मामला सुपुर्द कर दिया जाय तो वह साबित कर देता है कि वे इस मामले में फैल हो गये हैं, और यह स्पष्ट है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सेन्टर अपने आप इस मामले को टेक-अप करे और आई. जी. पी. को सस्पेंड कर देना चाहिए और होम मिनिस्टर को फोर्स करना चाहिए कि वह रेजिग्नेशन दें।

श्री रामकिशन (वैर): सभापति महोदय, ...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): जिनके एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनको मौका दें।

श्री सभापति: इस पर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन जो इस पर बोलना चाहते हैं उनको मैं अवश्य मौका देना चाहता हूं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन कौन और बोलना चाहते हैं?

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

आप तीन-तीन, चार-चार मिनिट में अपनी बात कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां!

श्री सभापति: श्री रामकिशन! (श्री नाथूराम की ओर) समय बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन यह एक ऐसा विषय है कि अगर इसको रोकना चाहेंगे कि यह बात नहीं कही जाय तो विस्फोट होगा। इसलिए हर आदमी को बोल लेने दें। जिस शान्ति के साथ आप सुन रहे हैं वह शोभा के लायक है।

श्री रामकिशन: सभापति महोदय,....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): माननीय गृह-मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है परसों वह लिखित आधार पर दिया है तो क्या जो स्टेटमेंट वे परसों देना चाहते थे उसमें यह लिखा हुआ है कि आइडेन्टिफिकेशन हो रहा है तो यह बात तो आपके मार्फत अभी देख ली जाय कि हाउस को गुमराह तो नहीं

Page No.77

(श्री विजयसिंह झाला)

किया गया ? परसों वे यह बात कहना चाहते थे कि आइडेन्टिफिकेशन हो रहा है। उस स्टेटमेंट पर परसों की तारीख लगी हुई है। वह तारीख देखी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ४–५ दिन पहले सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अन्दर यह नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : हम यह देखना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सरकार निकम्मी है....

श्री सभापति : सब को मौका दे रहे हैं। अभी इनको जवाब नहीं देने दे रहा हूं। आप सब अपनी बात बोल लेंगे फिर जवाब देने दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : On point of order, Sir,....

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : There is a point of order.

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह डॉक्यूमेंट सीज कर लिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा पोइंट ऑफ ऑर्डर यह है, सभापति महोदय, माननीय गृह-मंत्रीजी ने परसों जवाब दिया था। और जो उनके पास में लिखित में है तो उस पर परसों की तारीख लगी हुई है और मैं यह कहता हूं कि उस स्टेटमेंट में यह लिखा है कि आइडेन्टिफिकेशन हो रहा है और परसों आइडेन्टिफिकेशन हो रहा था तो क्या आज तक आइडेन्टिफिकेशन चल रहा है ? इसलिए मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट है, आपका स्टेटमेंट जो कि आप परसों देना चाहते थे उसको हाउस की टेबल पर रखा जाय, क्योंकि हाउस को वे इन्टेंशनली गुमराह कर रहे हैं, और जब फैक्ट्स सदन के सामने नहीं आयेंगे कि क्या वे परसों भी इस प्रकार से आइडेन्टिफिकेशन कर रहे थे, इस प्रकार की बात उसमें लिखी है या कोई दूसरा और फैक्ट है। मेरा पोइंट ऑफ ऑर्डर इस प्रकार है !

श्री सभापति : यह पाइंट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है हां पाइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन जरूर है, तो अपने उत्तर में मंत्री महोदय उसको क्लेरिफाई करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : इनसे परसों का स्टेटमेंट हाउस की टेबिल पर रखवा दिया जाय।

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया है उस पर कृपया ध्यान दें।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, इस प्रश्न पर ७–८ बार चर्चा हो चुकी है और इस मामले में अभी तक इसलिए चुप था कि सदन के हरेक माननीय सदस्य ने इस मामले में चिन्ता प्रकट की है इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग अपने विचार व्यक्त करें। मुझे अफसोस है कि एक दिन इस मामले पर सदन ने संघर्ष किया। विधायकों के संघर्ष और लड़ाई तक का इस राज्य सरकार पर असर

(श्री रामकिशन)

नहीं पड़ा । कई स्थगन-प्रस्तावों पर भी यह राज्य सरकार दिमाग नहीं बना पाई कि आखिर वह करना क्या चाहती है ? सभापति महोदय, यह मेरी निश्चित जानकारी है, यह सत्र भी है । प्रश्न यह नहीं कि इन्वेस्टीगेशन पूरा नहीं हुआ और माननीय मंत्रीजी ने कहा 'अनुसंधान', तो पता नहीं कि वे कोई थिसिस लिखा रहे हैं वहां के अनुसंधान पर । इन्वेस्टीगेशन का कोई सवाल नहीं है । प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को इस मामले का नोटिस है, मंत्री महोदय के नोटिस में है और होस्टल सुप्रिन्टेन्डेन्ट के नोटिस में है कि अपराधी कौन है । लेकिन इसमें प्रभावशाली लोगों का हाथ होने के कारण इस मामले को वे हाथ में नहीं लेना चाहते । इसलिए सरकार के लिए दूसरी बात कहूँगा कि वह इस प्रकार से निष्क्रिय, इतनी कर्महीन और इतनी नाकारा हो गई है कि उसमें साहस नहीं है अपराधी को पकड़ने का । इसलिए सदन इस पर विचार करे तो इस संबंध में दूसरे ढंग से सोचा जाय कि ये ऑफिसर इतने इनएफिशियेन्ट हैं कि अभी तक जांच कर रहे हैं, तफतीश जारी है । यह सब तथ्यों को दबाने के लिए है ।

सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि पत्रकारिता पर हमला हुआ है या विद्यार्थियों ने हमला किया है । पत्रकारिता पर हमला है तो वह जनता की आवाज पर हमला है और वह सारे विद्यार्थियों ने नहीं किया है पूरे मेडिकल कॉलेज ने नहीं किया है लेकिन जिनकी संख्या बहुत सीमित है उन लोगों ने हमला किया है । अगर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो फल बुरा होगा । राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देकर उन लड़कों का साहस बढ़ा रही है और उनको बड़ा डकेत बनाने की कोशिश कर रही है । इसलिए ऐसे लोगों को प्रारम्भ में ही दण्ड मिल जाना चाहिए और उनको प्रारम्भ में ही सुधारने का मौका मिल जाता है तब तो अच्छा है । राज्य सरकार और सरकार के अधिकारी यह कह कर कि ये विद्यार्थी हैं इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय तो विद्यार्थियों पर पर्दा डालकर वह उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ।

मेडिकल कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं वे आम तौर पर २० और २५ साल की बीच की आयु के होते हैं जिनकी बुद्धि परिपक्व हो गई है । साल भर बाद वे मरीजों की सेवा करेंगे । उनको यदि अभी से अनुशासन में नहीं रखा गया तो वे मरीजों को गाली देंगे, मरीजों के चांटा मारेंगे और यह भी हो सकता है कि गुस्से में आकर उनका गला भी घोंट दें । जो लोग, किसी पत्र में थोड़ी सी उनकी आलोचना हो जाती है, उसको सहन नहीं कर सकते और रात में पत्र पर हमला करते हैं, वहां के कर्मचारियों को पीट देते हैं, तो क्या पता ये ही आगे चल कर मरीजों को नहीं मार डालेंगे ? इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वे चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं । यदि उनमें आई० जी० पी० का लड़का है, या उनका स्वयं का लड़का है या दामोदरजी का लड़का है........

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा लड़का नहीं है ।

श्री रामकिशन : मेरी जानकारी में नहीं है कि किनके लड़के हैं, जिनके भी होंगे लेकिन यदि उन लड़कों को दंड नहीं दिया गया–यह तो स्वर्ण अवसर है न्याय का परिचय देने का जैसा कि जहांगीर ने नूरजहां के साथ न्याय किया था और वह मशहूर हो गया–उसी तरह से वे यदि अपने लोगों को दंड देते तो मशहूर हो जाते। मेरी जानकारी में नहीं है कि किनके लड़के हैं, उनके हैं या और किसी के हैं, उनको दंड मिलना चाहिये। मेरी जानकारी में नहीं है कि किनके हैं लेकिन ऐसे लोगों को उचित सजा मिलनी ही चाहिये। राज्य सरकार ७ दिन से टालमटोल की बात कर रही है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो सही मन से कहिये कि हमारी ताकत नहीं है, हमारा इरादा नहीं है, चाहे कुछ भी कारण हों, जब हाउस में यह प्रश्न आ गया है तो साफ साफ बात कहिये। टालमटोल करने से क्या मतलब है ? एक हैड कांस्टेबल को मोअत्तिल करने से ही काम नहीं बनेगा। कौन कौन लोग इसमें थे, कौन कौन लोग वहां पर गये थे, उनका पता लगा कर उनको उचित सजा देनी होगी। एक समाचार यह भी आया कि जो कुछ नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति करने को तैयार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनको जानकारी हो चुकी है कि कौन लोग थे। सरकार बहानेबाजी किया करती है। जयपुर जैसे शहर में जहां सरकार के उच्चतर अधिकारी बैठे हैं वहां पर इस तरह के अपराध होते हैं, उनका पता नहीं लगा सकते तो कम से कम सरकार यह तो कह दे कि हम सरकार नहीं हैं, दंड नहीं दे सकते। मैं इस सरकार को सरकार नहीं कहता। यह तो नाटक, नाच-गान करने वाली मंडली है जो कभी स्वर में, कभी बेसुरा गाना गाती है, नाच करती है। कभी एक बयान दिया, कभी दूसरा दिया, कभी भाषा का ज्ञान दिखाया, कभी अंग्रेजी का ज्ञान दिखाया, कभी विद्वता का प्रदर्शन किया, इससे काम चलने वाला नहीं साफ बात कहनी चाहिये नहीं तो स्वीकार करना चाहिये कि हम कमजोर हैं, कर नहीं सकते। आप तो चार बातें कह दें–एक तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम करना नहीं चाहते, हम असमर्थ हैं, हम सरकार नहीं हैं। सरकार अपने को सरकार कहना बन्द कर दे तो अच्छा है।

हमारी तरफ से कुछ लोग बोले हैं आप लोगों को भ्रम नहीं हो कि दल में मतभेद है लेकिन अपनी अपनी राय सभी अलग अलग रख सकते हैं। विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है क्योंकि सरकार का लक्ष्य टालने का रहा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरुओं का आदर करना, सहनशीलता रखना, अनुशासन रखना, आदि बातें विद्यार्थियों को नहीं सिखाई। लोकतन्त्र के प्रति उनमें आस्था पैदा नहीं कर पाये। क्योंकि पुरानी चीजों को बदल दिया इसलिये सरकार के सामने चाहे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी हों, चाहे लॉ कॉलेज के विद्यार्थी हों, उनके सामने नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया। जब से कांग्रेस सरकार बनी है उसने लोगों में प्रचार कर दिया कि राजनीति में विद्यार्थियों को नहीं आना चाहिये। राजनीति का दिमाग विद्यार्थियों का होता तो वे खुद अनुशासन में रहते। लेकिन यह सरकार का खुद के पैदा किया हुआ नारा है। यह आन्दोलन अहिंसात्मक

(श्री रामकिशन)

आन्दोलन नहीं है, सत्याग्रह नहीं है बल्कि ये विद्यार्थी हिंसक आन्दोलन पर उतर आये हैं। इसके लिए एक एक मन्त्री जिम्मेदार है क्यों कि उनको राजनीति में भाग लेने नहीं देने की जिम्मेदारी उनकी है। यदि ये विद्यार्थी राजनैतिक जिम्मेदारी को समझते तो अनुशासनहीनता उनमें नहीं आती। यदि उनको लोकतन्त्र की शिक्षा दी गई होती और आलोचना बर्दाश्त करने की शिक्षा उनको दी होती तो वे इस तरह से हमला करने नहीं आते। इसलिये यह आपका ही बताया हुआ रास्ता है और इसके दो ही रास्ते हैं या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या फासिस्ट हो जाते हैं। उनका यदि राजनैतिक दिमाग बना दिया जाता तो अनुशासन में रहते। मैं विद्यार्थियों को बर्बाद करने की जिम्मेदारी, उनमें अनुशासनहीनता लाने की जिम्मेदारी, सिद्धान्तहीनता और इस तरह की भावना को प्रोत्साहित करने की सारी जिम्मेदारी सरकार की समझता हूँ। सरकार को साफ कहना चाहिये कि हम विद्यार्थियों को दण्ड नहीं दे सकते। बहानेबाजी करके सदन का समय खराब क्यों कर रहे हैं? कहने को तो यह कह रहे हैं कि अभी परीक्षाएं चल रही है, २-३ दिन में हम कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब विद्यार्थी परीक्षा दे देंगे तो उनको दण्ड क्या मिलेगा? वहां फौज और पुलिस भेज कर कुछ करेंगे? उनके मां-बाप को भी पता चले ४-५ हजार रुपये व्यर्थ जायं तो कि उनके लड़के या रिश्तेदार किस तरह का कार्य करते हैं और वे भी अपना कर्तव्य समझेंगे; इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी क्षमता के अनुसार स्पष्ट करें कि वे क्या करने जा रहे हैं। यदि नहीं कर सकते तो कहने में संकोच नहीं करें कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम दो आंसू बहा देंगे कि राज्य सरकार असमर्थ है, कमजोर है, दुनिया में हजारों बार ऐसा मौका आया है माफ करने का। लेकिन बहाना न करें, जो कहना है साफ बात कहें।

श्री सभापति : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सदन की जानकारी के लिए तीन सेन्टेन्सेज पढ़ देता हूं :

"Identification parades are held to satisfy investigating officers of the bonafides of prosecution witnesses."

आइडेन्टिफिकेशन परेड प्रोसिक्यूशन विटनेसेज की क्यों हो रही है, राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों का आइडेन्टिफिकेशन क्यों हो रहा है? उनके बोनाफाइडी के सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा, इसलिए हो रहा है कि जो वाकया हुआ वह सही है या नहीं! उल्टा चोर कोतवाल को दण्डे वाली बात हो रही है। उनकी नेकनीयती नहीं है बदनीयती है। इसलिये जो कुछ ये कर रहे हैं कानून के खिलाफ है। ये बार बार हाउस में कहते हैं कि टाइम बढ़ाया जाय यह आइडेन्टिफिकेशन परेड होगी जिस के कारण क्रिमिनल केस फेल होगा, इस बात को सारा सदन नोट करले। यह आई-वाश है। यह मास्टरपीस माइन्ड आई. जी. पी. का था या होम मिनिस्टर का था, किसी का भी था लेकिन यह मास्टर माइन्ड है जो ऐसा तरीका निकाला। यह क्रिमिनल केस को फेल करगे, सारा सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नोट कर ले। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह जो आपने आइडेन्टिफिकेशन परेड के बारे में पढ़ा है यह एक प्रोसिजर है। ऐसा नहीं करने से क्राइम को बढ़ावा मिलेगा It will encourage crime.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, ७ रोज से बार बार माननीय सदस्यों की ओर से इस बात के लिए जोर दिया जा रहा है कि क्राइम हुआ है उसको डिटेक्ट किया जाय........

श्री सभापति : जो बात कह दी है उसको दोहरावें नहीं।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं रिपीटिशन नहीं करूंगा। मुझे एक शेर याद है :

मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। बार बार सोचते रहे, बात करते रहे लेकिन मर्ज सामने नहीं आता। सभापति महोदय, मुझे अफसोस होता है आज सरकार की इस हालत को देखते हुए। जुर्म को बर्दाश्त किया जा रहा है, जुर्म करने वालों को दण्डित नहीं किया जा रहा है। किस तरह से मुसीबत से बचत हो जाती है। एक बात जाहिर है मध्य प्रदेश विधान सभा में जोरों से चर्चा हुई, राजस्थान मन्त्रिमण्डल के एक वरिष्ट सदस्य एक सरपंच के कत्ल के मामले में नीमच गये। मैंने खुद ने पता लगाया है कि हकीकत में वे गये थे अमृत लाल जी यादव............

श्री सभापति : आप असंगत बात न कहें।

(३ मं० प०)

श्री अब्दुल जब्बार : मैं बतला रहा हूँ संक्षेप में कि क्राइम को किस प्रकार से दबाया जाता है।

श्री रामकिशन : मध्य प्रदेश में इस मामले की चर्चा चल रही है लम्बी चौड़ी।

श्री अब्दुल जब्बार : आप देखिए कि क्राइम को किस प्रकार से दबाया जाता है। अमृतलालजी यादव नीमच में जाकर भूतपूर्व मन्त्री सीतारामजी जाजू के यहां जाकर रात भर ठहरते हैं जब कि डाक बंगले में उनके लिए जगह रिजर्व थी। पंचायत समिति छोटी सादड़ी के प्रधान, जो कातिल श्री बिल्लू के थे, को पंचायत की जीप में बिठा कर रेल्वे स्टेशन पर पहुंचाया गया, जो बड़ी सादड़ी से आगे है जिसका नाम मैं भूल गया, याद आ गया तो बाद में बता दूंगा....

श्री सभापति : यह बात असंगत है। इससे ताल्लुक रखने वाली बातें कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री अब्दुल जब्बार : सभापति महोदय, वही मैं बता रहा हूँ।

श्री सभापति : शोर्ट में बात कहने की कोशिश करें जो इससे ताल्लुक रखती हो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इस केबिनेट के मिनिस्टरों का करेक्टर बताने वाली बातें कह रहे हैं। जिन मन्त्रियों का इस तरह का करेक्टर है वह कैसे पता लगायेंगे।

Page No.82

श्री सभापति : अफसोस की बात है लेकिन कहने की बात नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मैंने उसका थोड़ा रेफरेन्स दिया है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करता हूं कि आप रेफरेन्स मत दें और इस सम्बन्ध में जो कहना हो वह कहें।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा निवेदन करना है कि जब राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पर हमला होने से पहले यह बात बड़ी खूबी के साथ कही गई कि कार्यालय में बड़ी धमकी से भरे टेलीफोन आ रहे हैं, इस प्रकार के समाचार भी उस पत्रिका में छापे गये और रिपोर्ट भी की गई–उसके बाद भी इस तरह की घटना हो गई। इसके बाद में गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि क्या यह पुलिस की डायरी में लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए गए हैं? क्या डायरी में यह लिखा है कि आइडेन्टिफिकेशन परेड करना किस बात के लिए जरूरी है? उसके साथ साथ आइडेन्टिफिकेशन लेने की क्या आवश्यकता हुई? क्या यह माना जाय कि यह एस्टेब्लिश कर दिया गया है पुलिस के द्वारा कि हकीकत में मुजरिम कौन है? और यदि यह एस्टेब्लिश हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड करने की आवश्यकता थी तो वह आइडेण्टिफिकेशन परेड पुलिस की कस्टडी में नहीं होनी चाहिए थी वह मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए थी ताकि उसके ऊपर आगे कार्यवाही हो सके....

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी !

श्री अब्दुल जब्बार : मुझे निवेदन करना है कि किसी प्रकार से भी माननीय गृह मंत्री निस्संकोच भाव से और दृढ़ता से मुलजिम का पता लगा कर उनको अदालत में खड़ा करें और अदालत में खड़ा करके कानून पर डटे रहें ताकि यह मालूम हो जाय कि राजस्थान में कानून जीवित है, कानून मरा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल राजस्थान के समाचार पत्र ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े समाचार पत्रों में कालम के कालम लिखे जायेंगे कि राजस्थान पत्रिका जैसे समाचार पत्र पर हमला होता है लेकिन राज्य सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती, वह हमलावरों को कानून के अनुसार दण्ड नहीं दिलवा सकती, राजस्थान गवर्नमेंट अपंग है, शक्तिहीन है, और नालायक है और वह ऐसे ही लोगों के हाथ में है। अगर ऐसा होता है तो इस सरकार के साथ हमारा सिर भी शर्म से झुकेगा। इसलिए हमें मजबूर होकर ऐसे शब्द व्यक्त करने पड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेसर आए वह उसकी परवाह न करके निस्संकोच होकर काम करेंगे। और अगर उनके ऊपर कोई आंच आती है तो राजस्थान के अन्दर नौजवानों और बहादुरों की कमी नहीं है, वह उन पर जुल्म होने पर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में ऐसे नौजवान और बहादुर मरे नहीं हैं बल्कि जिन्दा हैं और अगर ऐसे नहीं हैं तो और पैदा हो जायेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस राजस्थान पत्रिका के मामले में इन्वेस्टीगेशन तत्परता और दृढ़ता से करनी चाहिए।

(३.५ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभापति महोदय,....

श्रीमती सभानेत्री : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जिनका एडजोर्नमेंट मोशन है उनको बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : सभापति महोदय । इस सदन में करीब तीन चार, पांच दिन से "राजस्थान पत्रिका" का मसला चल रहा है । यह तो हम सभी मानते हैं कि "राजस्थान पत्रिका" ही नहीं किसी के साथ भी लड़कों या लड़कों के अलावा और किसी के द्वारा इस तरह से मारपीट होती है या लूट–खसोट की जाती है तो उनको दण्ड मिलना चाहिए । इसके अलावा जब कि सरकार को यह मालूम हो गया था, जैसा कि यहां बतलाया गया कि छः सात दिन पहले यह मालूम हो गया था कि कॉलेज के लड़के इस तरह का एक वातावरण पैदा करेंगे "राजस्थान पत्रिका" कार्यालय के अन्दर तो पुलिस को और सी. आई. डी. को यह चाहिए था कि वहां के जो कालेज के अधिकारी हैं उनको जानकारी के लिए उनको कहना चाहिए था कि आपके यहां के लड़के इस तरह की बातचीत करना चाहते हैं और उन लड़कों को उसी वक्त कब्जे में कर लेना चाहिए था । परंतु सरकार ने, पुलिस ने या "राजस्थान पत्रिका" के कर्मचारियों ने मुझे ऐसा मालूम नहीं होता, कॉलेज के प्रिन्सिपल वाइस–प्रिन्सिपल या दूसरे लोगों को जानकारी दी । यह मालूम नहीं होता कि उन्होंने जानकारी दी या नहीं दी । परन्तु यह जो काण्ड हुआ उसके छः-सात दिन पहले जब यह जानकारी थी तो उनको सभी को जानकारी देनी चाहिए थी । अगर पुलिस ने इस प्रकार का काम नहीं किया जानकारी होने के बाद भी, उनके द्वारा जानकारी देने के बाद भी और "राजस्थान पत्रिका" के कर्मचारियों ने जिन अधिकारियों को यह जानकारी दी और उन्होंने भी सी. आई. डी. के जरिये काम न करा कर सुस्तीवाड़ा किया तो उन अधिकारियों को कालेज के लड़कों को दण्ड देने से पहले दण्ड देना चाहिए क्योंकि यह सारा जो काम है वह उनका था । यह काम उन अधिकारियों का था लेकिन उन्होंने इसमें सुस्ती की । मैं यह नहीं कहता कि लड़कों ने यह काम नहीं किया, मैं यह जरूर मानता हूँ कि लड़कों ने यह "राजस्थान पत्रिका" के साथ नहीं यदि किसी के साथ भी इस तरह का काम किया होता तो भी उस पर कार्यवाही करनी चाहिए थी । आज "राजस्थान पत्रिका" के मामले को लेकर यहां मांग की जा रही है हाउस के अन्दर, पर मैं मानता हूँ कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का काम कोई भी स्टूडेन्ट या जनता का कोई भी आदमी इस तरह की चीज करता है तो पुलिस का फर्ज है और पुलिस हमने इसलिए ही बनाई है कि वह ऐसे लोगों को बचावे । "राजस्थान पत्रिका" के साथ में यह काम कुछ स्टूडेन्टों ने किया लेकिन उन कॉलेज के स्टूडेन्टों को सरकार आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है । मैं कहता हूं कि अगर गिरफ्तार नहीं कर सके और कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उन लड़कों को यहाँ से दूसरे मेडिकल कॉलेज में तो ट्रान्सफर कर दें । अगर उनको बीकानेर या दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दे तो एक लड़के पर दो हजार या ढ़ाई हजार का खर्चा और आता है । सुबह से शाम तक ऐसे मामले आते हैं, मैं यह बताने में हिचकता नहीं हूँ कि जयपुर के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लड़के को यदि बीकानेर ट्रान्सफर कर दिया तो उस लड़के के मां बाप, उसके रिश्तेदार, मिनिस्टर और एम. एल. ए. जिस मिनिस्टर के पास में मेडिकल है, उसके पास आकर उस लड़के की सिफारिश करते हैं। इस मामले में चालीस लड़के हों, बीस लड़के हों या तीस लड़के हों आज माननीय मंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन लड़कों पर क्रिमिनल केस चलायेंगे। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि कोटपूतली में एक कांड हुआ। लड़कों के मां-बाप ने, गिरफ्तारी होने के बाद, मुझसे आकर कहा—तुम यहां के एम० एल० ए० हो, ठीक है तुमने यह बात की लेकिन बड़े बड़े लोगों के लड़के तो पकड़े नहीं गये लेकिन गरीब लोगों के लड़के पकड़े गये, गिरफ्तार कर लिये गये और उन पर क्रिमिनल केस चलाया गया तो जो माननीय सदस्य इस प्रकार की बात कहते हैं उनको मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आज आप क्रिमिनल केस की बात करते हो, लेकिन अगर मेरा लड़का इन लड़कों में हुआ तो वह नहीं पकड़ा जायगा·······

एक माननीय सदस्य : आपका लड़का है ही नहीं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे लड़के से मेरा मतलब है मेरे भाई का लड़का। आप भाई का लड़का समझ लो, रिश्तेदार का लड़का समझ लो– वह पकड़ा जायगा। लेकिन जो गरीब का लड़का है, जो इधर उधर से स्कालरशिप लेकर पढ़ता है उस पर क्रिमिनल केस चलेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस पर क्रिमिनल केस चलायेंगे। मैं वह कहना चाहता हूं कि इससे हद से हद यह होगा कि वह इम्तिहान में नहीं बैठ सकेंगे लेकिन अगर ऐसे लड़कों को जयपुर से ट्रान्सफर कर दें, हाऊस में यह विश्वास दिला दें तो सारे मेम्बर इसको मंजूर करेंगे। उन चालीस लड़कों को राजस्थान में जो पांच कॉलेज हैं उनके अन्दर डिवाइड कर दें, साथ ही सरकार को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनके मां-बाप, रिश्तेदार आदि किसी का कहना नहीं मानेंगे, भले ही वह किसी भी बड़े आदमी का लड़का हो, भले ही वह किसी मिनिस्टर का लड़का हो, भले ही वह एम० एल० ए० का रिश्तेदार हो। मेरा निवेदन है कि इस हाउस के सारे के सारे एम० एल० ए० विश्वास दिलायेंगे कि वह उस लड़के की सिफारिश नहीं करेंगे मैं जानता हूँ कि आज मेरा कोई लड़का नहीं है·······

एक माननीय सदस्य : शादी तो की होती !

श्री मुक्ति लाल मोदी : लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भले ही मेरे ऊपर छुरियां चल जाती हैं, वोट के नाम पर छुरियां चल जाती हैं लेकिन फिर भी नहीं कहूँगा कि इस लड़के को बीकानेर से जयपुर में ट्रान्सफर करवाओ या उदयपुर से इस लड़के को जयपुर में ट्रान्सफर करवाओ। मैं कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल केस की इतनी बहस की, इतनी बात की, गृह मंत्री के सामने लेकिन वहां पर जो प्रिन्सिपल हैं, वाइस-प्रिन्सिपल हैं या और हैं यह तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि कोई चोरी करेगा तो वह छुपी हुई नहीं रहेगी। क्रिमिकल केसेज में १०–१५ दिन पुलिस में रह लेंगे, ठुकाई होगी नहीं और फिर छूट कर आ

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जावेंगे और फिर हमारी छाती पर जयपुरके जयपुर में रहेंगे इससे तो आपको क्या फायदा होगा इससे तो यह अच्छा होगा कि इन लड़कों को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रान्सफर कर दीजिए, इनको तितरबितर कर दीजिये और यहां से हटा दिए जावें

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपको उनको इस कॉलेज से विदा कर दीजिये । लेकिन यह आप हाउस में विश्वास दिलावें कि बड़े से बडे आदमी का लड़का होगा उसको भी यहां से बदल दिया जावेगा । वह भी उदयपुर और बीकानेर जावेगा । ऐसा नहीं हो कि आप केवल गरीबों के लड़कों को ही बाहर भेज दें और बड़े बड़े लोगों के लड़के यहीं पर बैठे रहें । आखिर इतनी सजा भी बहुत है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं और कहता हूं कि इससे भी एक लड़के को २।। हजार ३ हजार रुपया सालाना खर्च करना होता है । ३ हजार रु० साल का मतलब यह हुआ कि ६ साल का कोर्स है तो १८ हजार हो जायेगा । यह तीन हजार रुपया सालाना उसका तेल निकाल लेगा । कोई ६ वर्षों में पास होगा तो कोई ७ या ८ वर्षों में पास होता है । आप देखिये यह सजा कोई कम सजा नहीं है अगर कोई लड़का थर्ड ईयर होगा तो उसको १०:१० हजार रुपया या १२ हजार रुपया कोई कम नहीं होता । यही सजा उनको ठीक कर सकती है, आपकी सजा से कुछ नहीं होगा ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो मेरा यह कहना है कि अगर माननीय सदस्य मेरी बात माने तो एक लड़के के पीछे १०:१२ हजार रुपया ४ या ५ वर्षो का होगा । जब एक एक लड़के का इतना रुपया खर्च होगा तो बाप और मां और भाई रिश्तेदारों को मालूम होगा कि मेरा लड़का ऐसा है । अगर नहीं पढ़ना होगा तो कॉलेज से निकल जावेगा । और अगर मेडिकल कालेज में पड़ेगा तो यह सबसे बड़ी सजा होगी । मिनिस्टर साहब इस बात पर जोर दें कि इन लड़कों को ट्रान्सफर कर दिया जावेगा । आपके यहाँ ५ कॉलेज हैं । पांचों में उनको ट्रान्सफर कर दिया जावे । अगर आपने सजा दी या कोई पकड़ लिया गया और क्रिमिनिकल केस दायर किया तो दूसरी जगह जिस तरह हड़तालें हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, यह हो रहा है, वह हो रहा है ऐसी स्थिति मे दूसरे लोग भी उनका साथ देंगे । मगर इसमें तो प्रिंसिपल और बड़े बड़े आदमी आकर आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप कहते हैं कि हम उनको दूसरी कॉलेज में ही भेज रहे हैं । उनको कोई सजा नहीं दे रहे हैं । अगर यह बात आप मान लें तो उचित होगा ।

एक माननीय सदस्य : दूसरी कॉलेज वाले यहां आवेंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दूसरे लड़के आवेंगे तो दूसरी कॉलेज के प्रिन्सिपल यह जानते है कि कैसे लड़के हैं । यही मेरा निवेदन है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे एम. एल. एज. इस बात का विश्वास

Page No.86

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

दिलादें कि वे किसी की सिफारिश नहीं करेंगे । सारे एम. एल. एज. इधर और उधर बैठने वाले इस बात का विश्वास दिलादें कि वे किसी की सिफारिश नहीं करेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या सदन की राय है कि अब विधायी कार्य ले लिया जाए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको पहले समाप्त कर दें ।

श्रीमती सभानेत्री : जिन लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन में नाम दिये हैं उनको ही बोलने का अवसर दिया जाय ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

कृपया एक एक बोलें तो अच्छा रहेगा ।

श्री मोहन लाल सारस्वत : सभानेत्रीजी, आज तक कोई एडो दृष्टान्त देखण में नहीं आयो जेड़ो ओ देखण में आयो है । ७।८ दिन पहला राजस्थान पत्रिका पर मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थियों हमलो करो ई तरह की बेजा हरकत आज तक देखण में नहीं आई । इतनो अरसो गुजरने पर भी वां लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन राज्य सरकार की तरफसू नहीं लियो गयो ।राज्य सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंची कि ओ काम कुण कुण सा विद्यार्थी करो । मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करनो चाहूं हूं कि ई प्रकार सूं कोई शासन चल नहीं सके जी तरह की आप चला रहे हो एक प्रेस, पत्रकार जो देश ही जान है, वठे काम करण वाला मजदूरों पर हमलो होवे और मंत्रीजी ई चुपी तरह सूं साध्यों बैठा रेवे । आज बड़ो भारी विश्वास हो कि गृह मंत्री जी अलंकृत शब्द बोलिया जैसा पंडित लोग गीता और भागवत में बोलिया करे है । मैं कहणो चाहूं कि कोई भी ई प्रकार रे कांड ने दबा नहीं सके । पतो नहीं उणरो दिमाग में के बात है । इतना बड़ो लाड़ो खुद रहयो है कि मुल्जिम बच नहीं सकेगा । कोई भी विद्यार्थी हो चाहे और भी कोई हो अगर वह ई तरह की उछृंखलता करे तो वह राष्ट्र द्रोही है । देश द्रोही है । मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करनो चाहूं कि फरवरी दूर नहीं है । अंतिम समय में तो आप कुछ करो । आखिर समय में तो पूंछड़ी पकड़ लो । जयपुर शहर में ई प्रकार के हमलो अखबार पर होवे है तो बाहर निकलने पर कल विधायकों पर होगा । हमारे वहां की क्या हालत है ? जठे चारों तरफ जंगल है वठे विधायक या भले आदमी रे साथे कोई ज्यादती करे तो उणरी सुनवाई कुण करे । पत्र प्रतिनिधियों पर जिणरी नजरों री तरफ आप ताकता रहो हो अगर उणरे साथ में भी आप टालम टोल करनी चाहो तो मैं इण सिलसिले में कोनसा शब्द सरकार रे वास्ते कहूँ डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं जो निवेदन के रूप में मैं कह सकूं । ऐड़ी सरकार शासन चला नहीं सके । तीन चार भाई बोलया व मारा साथी सुजानगढ़ से आने वाला कह रहया है कि स्टुडेन्टों को मामलो है । मारी तरफ से भी कई कि स्टुडेन्टों ने डिस्टर्ब करोगा तो काम नहीं होगा । मैं गृह मन्त्रीजी ने निवेदन करणो चाहूं कि उच्छृंखल लोगों रे खिलाफ एक्शन नहीं लोगा तो अराजकता बहुत लम्बी

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

फैलेगी। पत्रकारों के लिखाफ कार्यवाही नहीं हुई तो अगर उनके खिलाफ कोई बात आप यहां एसेम्बली में आप भी कहेंगे तो वा भी उनके मन में अच्छी नहीं लगेगी तो स्टुडेन्ट्स एसेम्बली से आप भी बाहर निकलेंगे तो आपको भी पीट लेंगे। तो कोई भी हाउस का सदस्य हो या कोई भी गुण्डागर्दी करे या व्योपारी समाज है या मिनिस्टर का हो अगर गुण्डागर्दी करे तों अवश्य दण्डनीय है। उणोने दण्ड दिलाना चाहिये। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूणो चाहूं हूँ कि वे ८ घण्टे में वे लिस्ट पूरी प्राप्त कर सके हैं। उनकी लिस्ट सुपरिन्टेडेन्ट के पास है, आई० जी० पी० के पास है।

बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ७ करोड़ रुपया राज्य की पुलिस पर खर्च होवे है वा पुलिस जयपुर शहर में इतनो बड़ो आगजनी को काम हुओ, इतनो बड़ो डकैती को वाको हुओ उणरो आज तक पतो नहीं लगाय सकी, मुल्जिमां रो आज तक पतो नहीं लगाय सकी। झूठो कागज बणाणां में पुलिस वाला बड़ा ही दक्ष है पण दो दो साल तक कतल रा केसेंज रो पतो नहीं लगा सके, दो दो साल तक चोरी रा, गबन रा केसेज बरामद नहीं कर सके। आंको तो काम है के राजनैतिक केस में मारे जिस्या आदमी आ जाय तो सुखाड़ियाजी रो या आचार्यजी रो टेलीफोन जायेगो के पकड़लो इणने परिवार सहित तो फुर्ती सूं पकड़ लेला।

तो आचार्यजी आप एक तो भलो काम कर जावो गृह मन्त्री होणे रे नाते। थे एक भी काम आछो नहीं करियो। मैं आज तक आपसूं आछो विश्वास राखतो हो पण मारा तो सारा विश्वास पर पाणी फिर गयो। थे झूठी रिपोर्ट हाउस में दे दो, झूठा स्टेटमेंट दे दो, ओ आचार्यजी को काम है, आचार्यजी मारा रिश्तेदार ने गाढ़ा मित्र हं, एक तो भलो काम कर जाओ....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (गृह मन्त्री) : मित्रता बड़ी अच्छी निभा रहे हो, अपन दोनों अच्छी गहराई में साथ रहे हैं पर मित्रता बड़ी अच्छी निभा रहे हो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आचार्यजी किऊ थे खोटा काम करो हो, अरे थे आज कुणसो रास्तो पकड़ लियो, बामण का बेटा हो डिप्टी रियोड़ा हो, ओ मालका थे के काम पकड़ लियो, थे तो छोडों ईं काम ने, स्तीफो दे दो, ठिकाणे लागण वाला हो, अबकी नाथूरामजी भी कोनी आवे, बस लाइन क्लीयर है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : बड़ा जोरां का फतवा दे रिया हो, थारा फतवां सूं काम हालतो वे तो सारा लोगां ने थे दो दिन में सुंआ कर देता। आपरा फतवां सू दुनियां में काम नहीं चाले है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके सभी मित्र सचेत हो जाना भाई, कि ये कैसे मित्र हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : थांने खोटी खरी सुणाऊं हूं आचार्यजी। नाथूरामजी तो रोजीना ही सुणे है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो सुणुं भी हूं और सुणाऊं भी खूब खूब हूं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : तो आचार्य जी थे ओ तो भलो काम एक कर लो, हाउस एड्जोर्न होणांसू । पेली पेली सारा फैक्ट सुणा दो के कुण कुण मुल्जिम है, थाने सगलो पतो है, और नाथूरामजी ने पूछ लो, जनतन्त्र को गलो तो मत घोटो । थे नेहरूजी की तरफ देखो, माहात्मा गांधी की तरफ देखो, ये पाछे वांरा उत्तराधिकारी बणियां बैठा हो कलंक तो मत बणो ।

श्री विजयसिंह झाला : सभानेत्री महोदया, ...

श्रीमती सभानेत्री : आपका एड्जर्नमेंट मोशन नहीं है, जिनके एड्जर्नमेंट मोशन हैं उन्हीं को समय दूंगी ।

श्री विजयसिंह झाला : on point of information, Sir, क्या गृह मंत्रीजी और स्टेटमेंट देंगे ?

श्रीमती सभानेत्री : आपने बोलना बन्द कर दिया ? इस पर तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ ।

श्री विजयसिंह झाला : होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होगा तो हम पसन्द करेंगे कि उनका स्टेटमेंट हो जाय, दूसरी बार स्टेटमेंट वे देना चाहते थे ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्दजी । काफी वक्त हो गया है इसलिए आप कम समय में बोल लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मेरा निवेदन है कि वह इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रही है, जिसका तरीका गलत निकलेगा, जो विद्यार्थी समाज को उकसाना मात्र है । जिनका इस घटना से सम्बन्ध नहीं है उनको मुल्जिम के रूप में खड़ा कर के आइडेन्टिफिकेशन परेड करवाना यह छात्रों को उकसवा देने की कार्यवाही की जा रही है कि तुम सब मुल्जिम हो । इस तरह पोलिटिकल स्टन्ट करके छात्रों को इकट्ठा किया जा रहा है कि यह बात कुछ लोगों को नहीं सारे विद्यार्थियों की है ताकि हड़ताल वगैरह की बात की जा सके । सभानेत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एड्जर्नमेंट मोशन रखा था तो निवेदन किया था कि इस घटना के पीछे कुछ लोगों का हाथ है । जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनसे स्पष्ट होता है और बाद में आज तक जो तथ्य सामने आये हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है । मैं निवेदन करूंगा कि इस मैडिकल कालेज के पांच, ७ लड़के दादा हैं यहां के । यहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिन्सिपल के मुंह लगे हैं, वे उन लड़को को प्रोटेक्शन देते हैं । जैम पैलेस, लोकवाणी, एम्बेसी रेस्टोरेंट, कहीं गड़बड़ करें जहां जो चाहा कर दिया, चाहे रात के दो बजे होस्टल में आये, उनकी हाजिरी लग जायगी, चाहे दरवाजा खोलकर जाय, हाजरी लग जायगी । सुपरिन्डेन्टेन्ट, प्रिंसिपल गड़बड़ी करें और उनके सम्बन्ध में अखबारों में कुछ छपे तो ये ५–७ आदमी उनको प्रोटेक्शन देने के नाते काम करते हैं । दादा होने के नाते दूसरे लड़कों को डरा धमका कर साथ लिया जाता है । इस प्रकार यह घटना हुई है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तथ्य बिल्कुल सामने हैं, आइडेन्टिफिकेशन परेड की बात बिल्कुल इस केस को खत्म करने की बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की जा रही है। जो सरकार की तरफ से लड़कों को दण्ड देने की बात कही जा रही है, जिन्होंने लीड लिया है, वे सजा के भागी हैं पर मुल्जिम नं० वन वे हैं जिन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया है, जो इस सबके पीछे हैं। जब एड्जर्नमेंट मोशन लाये तब तो शुबा ही था पर आज तथ्य सामने हैं। आई० जी० पी० के नोटिस में है, मंत्री जी के नोटिस में है वह, पर दरगुजर किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि गवर्नमेंट की नियत क्या है।

क्या उनके ध्यान में नहीं है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट और प्रिन्सिपल की तरफ से अखबार वालों को कहलवाया गया कि आप समझौता करो तो उन स्टुडेन्ट्स को हम सजा दे देंगे, क्या यह ऑफर नहीं आई कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी आर्थिक क्षति की पूर्ति कर दी जायगी, क्या उन्होंने अखबार में नहीं पढ़ा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ की मीटिंग हुई कि समझौते की बात को स्वीकार किया जाय या नहीं और श्रमजीवी पत्रकार संघ ने निर्णय लिया कि समझौते की बात छोड़ दी जाय, Law will take is course. आइडेन्टिफिकेशन परेड़ हो रही है, क्या मंत्री महोदय नहीं जानते कि एक लिस्ट मौजूद है, सरीन साहब की फाइल में मौजूद है। पहले ८५ लड़के थे, स्क्रीनिंग कर के ४०–४५ पर पहुंचा दिया। क्या उनको पता नहीं कि ५ लड़के उनके होस्टल से रात को निकले और ५ और लड़कों को लिया फिर एड्वर्ड ममोरियल के पास और लड़कों को लिया, एड्वर्ड मेमोरियल का ताला खोला, वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट को मालूम है। और इसतरीके से यह सारी की सारी बात है। क्या यह उनकी नोलेज में यह बात नहीं है? इस तरह से सरीन साहब ने स्टाफ की मिटिंग की और उसमें यह तय किया गया, लड़कों से कहा उनको यह कन्वे कराया कि यह इन्स्टीट्यूशन का मामला है, हमारी बदनामी है। कोई भी एक्शन लिया जाय तो हम ही लेंगे और अगर इस तरह से पुलिस या सरकार की तरफ से किया गया तो हम सामूहिक रूप से स्तीफा दे देंगे, इस तरह का निर्णय किया। यह कितनी गंभीर बात है। अगर कोई भी प्रिन्सिपल इस बात का सटैंड ले कि उसकी इन्स्टिट्यूशन में कोई घटना होती है, उसके प्रति वह जिम्मेदारी ले वह बात समझ में आ सकती है लेकिन बाहर जाकर कुछ भी वे कर दें उसकी भी जिम्मेदारी वह लें, उनका गैरंटर बन जाय और ५–७ दादा बन जांय, तो यह भयावह स्थिति है, लॉ एण्ड ऑर्डर को चुनौती है। क्या लड़खड़ा रहे हैं ग्रहमंत्रीजी और राजस्थान का मंत्रीमण्डल भी? पुलिस कुछ एक्शन लेना चाहती थी। हमने जब परसों मिटिंग की, वे गिरफ्तारियां करने जा रहे थे, वे कह रहे थे कि अभी तक लाइन क्लीयर नहीं मिली है। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब नहीं मानते हैं इसलिए रुक गई। गिरफ्तारियां नहीं हुई। असली अपराधी जानने की जरूरत नहीं है, नाम साफ आ गए हैं। हम साफ तौर से कहते हैं कि अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट सरीन साहब ने सारे के सारा ओर्गेनाइज किया। अगर यह तथ्य है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ को समझौते की शर्तें भेजी हैं तो आपको मालूम करना चाहिए था उनके प्रेसिडेंट से। उनके अखबारों में खबर छपी है। जब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस तरह की बातें हैं तो आप डाइरेक्टली सरीन साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, यह परेड का होक्स क्यों किया जा रहा है ? जैसे मोदीजी कहते हैं, नाजायज लड़कों को पकड़ कर कहेंगे कि गलत गिरफ्तारियां हुई हैं। गृह मंत्रीजी सरिन साहब के एहसान से दबे हुए हैं इसलिए मोरल करेज नहीं है, वह नैतिक साहस नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपने उससे अनैतिक कार्य करवाए हैं, अपने लड़के को दाखिला दिलाया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I Challenge it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : झूठे सर्टिफिकेट्स दिलवाये सुपरिन्टेन्डेन्ट से, कौंसिल से कि वह रंजी ट्राफी का प्लेयर है....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह गलत है। मेरी सभी लड़के प्लेयर्स हैं, आपकी तरह तेल नहीं बेचते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस विना पर दाखिला दिलाया, आप सरीन साहब से दबे हुए हो। आप पर वह एक्शन ले सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am proud of my sons.......

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस दिन यह स्थगन प्रस्ताव आया उसी दिन हमने ये सीरियस चार्जेज लगाए थे और उसी दिन सरीन सहाब ६० वर्ष के हो गए। इतनी गंभीर चार्जेज के बावजूद उनको एक्सटेन्शन दिया गया। गिरफ्तार करने के बजाय, दो वर्ष उनके बढ़ा दिए। कितने सेक्रेटरीज़ के एडवर्स नोट्स हैं कि एक्सटेन्शन नहीं दिया जाय और फिर भी आप उनको एक्सटेन्शन देते हो। इस तरह का पक्षपात करते हो क्योंकि सरीन साहब रोजाना सुखाड़िया साहब के घर दौड़ लगाता है। स्वास्थ्य मंत्री के घर दौड़ लगाता है, पॉलिसिंग करता है। इस तरह से अगर आप प्रशासन चलाएंगे तो लॉ एण्ड ऑर्डर कायम नहीं रह सकता। इस सदन का यह काम नहीं कि क्या सदा दी जाय, हम जुडिशियल बॉडी नहीं हैं, हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो। हम हम चाहते हैं कि सबसे पहले अपराधियों को पकड़ा जाय। सदन में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि अपराधी सारे विद्यार्थी हैं, जिस तरह की आइडेन्टिफिकेश परेड करा रहे हैं, यह आपका पोलिटिकल स्टंट है विद्यार्थियों को भड़काने का, उन पर लांछन लगाने का, हरेक विद्यार्थी को मुल्जिम की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए आप इस होक्स को खत्म करें। अगर आपके

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पास ईमानदारी है तो प्रिन्सिपल साहब के पास जो लिस्ट है, पुलिस के पास जो लिस्ट है, उस बेसिज पर बढ़िए और जो प्रिंसिपल हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उनको गिरफ्तार किया जाय, तब आपको पूरा पता लगेगा। यहां एक सजेशन आया कि यह ऐसा मामला है जिसमें गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, आई० जी०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पी॰ उलझे हुए हैं। इसलिए सेन्टर द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उस लड़के के बारे में आपने कैसे एक इम्प्रेशन बनाया ? वह गलत है, वह स्पोर्ट्स मैन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : All my sons are outstanding sportsmen.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वह रंजी ट्राफी प्लेयर रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : He has represented central India. One is in military.

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वह रंजी ट्राफी प्लेयर रहा है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपको इतना रंजिश होने का सवाल नहीं है....

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : (टोंक) सभापति महोदया, भाषण बहुत से हो गए हैं। चूंकि स्थगन प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैंने गृहमंत्रीजी का सदन में उत्तर बड़े ध्यानपूर्वक सुना, जो कुछ भी उनका शब्द जाल था, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, मैं गृहमन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार को यह सूचना मिल गई कि ऐसा अपराध होने की संभावना है, इन्होंने क्या सतर्कता बरती और उसमें असफलता क्यों मिली ? दूसरे जब १५-१६ तारीख को यह घटना घटी उसके तुरन्त बाद अपराधियों को चेज नहीं करने का क्या कारण था ? तीसरे जब १६ तारीख की सुबह को इसके लिए तफतीश शुरु हो सकती थी और तुरन्त ही जो अपराधी थे उनको स्पॉट आउट किया जा सकता था, उसमें देरी क्यों हुई ?

इसके अतिरिक्त आज गृहमन्त्री ने बताया कि तफतीश चल रही है और आइडेन्टिफिकेशन परेड़ की कार्यवाही चल रही है। परेड के पहले तफतीश में गवाहों का होना आवश्यक है और शहादत में मुल्जिमान की आइडेन्टिटी पहले एस्टेब्लिश हो जाती है और जिन मुल्जिमान को पहले पोइन्ट आउट किया गया है, सस्पेक्ट किया गया है, उनके सम्बन्ध में फिर दूसरी पेरेड होती है। उससे पहले सस्पेक्टेड आदमियों की लिस्ट होती है। अभी तक गृह मन्त्री ने नहीं बताया कि सस्पेक्टेड पर्सन्स कौन हैं। जैसे सदन के कई माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की कि जो अमीर लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके लड़के छोड़ दिए जायेंगे, वे परेड में शामिल नहीं किए जायेंगे और जो बेगुनाह हैं और गरीब हैं, उनको खड़ा किया जायगा किसी प्रकार से जो गवाह हैं, उन पर पुलिस का दबाब डालकर बेगुनाह लड़कों को फंसाने की कार्यवाही की जायगी। इसलिए जो कुछ उत्तर दिया गया है उसके बारे में भ्रम पैदा हो रहा है, चिंता व्यक्त की जा

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

रही है कि तफतीश निष्पक्ष और ईमानदारी से नहीं की जा रही है और इस प्रकार सदन को धोखे में रखने की कार्यवाही की जा रही है।

१६ तारीख के बाद सदन में जो संकेत दिए गए हैं उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है और न ही उतर दिया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास जिनका आइडेन्टिफिकेशन कराना चाहते हैं उन सस्पेक्टेड की लिस्ट है? और है तो जिन अधिकारियों के सम्बन्ध में यहां सदन में शंका व्यक्त की गई है सस्पेक्टेड लिस्ट में उनके नाम हैं या नहीं या प्रभाव या दबाव से उनको बिलकुल ही पहले से ही निकाल दिया गया है?

दूसरा, सभानेत्री महोदया, आइडेन्टिफिकेशन परेड के लिये नियम बने हुए हैं। पहले सस्पेक्टेड पर्सन्स को गिरफ्तार किया जाय। यह उन तफतीश करने वालों की मर्जी पर है। जो सस्पेक्टेड होते हैं उनसे छः गुना अधिक लोग शामिल किये जाते हैं तो उन मुलजिमान से भिन्न होते हैं। कभी कभी भूल चूक में अक्सर उन आदमियों को पहिचान लिया जाता है जिनका अपराध से सम्बन्ध ही नहीं रहता है। तरीका और ही बरता जा रहा है। सारे कॉलेज के विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जावेगा और कहेंगे कि छांट लो और जो मुख्य अपराधी हैं उनको शामिल ही नहीं करेंगे। यह आइडेन्टिफिकेशन परेड तो एक छद्म तरीका है और वास्तविक रूप से धोखा देने का है। गृह मंत्रीजी इस पर रोशनी डालें और तफतीश के लिये अधिक जिम्मेदारी से काम करें और जैसा अभी माननीय सदस्यों ने अभी सुझाव दिये, केन्द्र के किसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से या किसी अन्य क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट से जांच कराये तो यह उनके भी हित में होगा क्योंकि उनके लिये शंकायें व्यक्त की जा रही हैं वे स्वयम् इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन और करना है कि कुछ व्यक्तियों के लिये अबेटमेंट के लिये शंकायें व्यक्त की गई, चार्ज लगाये और बहुत से सबूत बहुत लोगों के पास उपलब्ध हो रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं बताया कि उनको आइडेन्टिफिकेशन परेड में शामिल करने के लिये, दूसरे व्यक्ति सुपरिन्टेन्डेन्ट हों या और दूसरे हों जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, जहां ४५२ जैसे गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। उसके साथ १४८, १२७ में कोई अबेट करे तो उसकी भी जिम्मेदारी है, गृह मंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा कि तफतीश में क्यों ढिलाई करती जा रही है और क्या हो रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदया,........

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभानेत्री महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सौभाग्य से गृह मंत्री जी एक अच्छे वकील हैं और मेरा ख्याल है कि वे मंत्री मंडल में आने से पहले बहुत अच्छे

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

क्रिमिनल साइड के वकील रहे है और सैंकड़ों की तादाद में केसेज फाइट किये हैं। यह आइडेन्टिफिकेशन परेड की जो मिसाल उपस्थित की है, मैं अपने ज्ञान की दृष्टि से या सीखने की दृष्टि से इतना सा पूछना चाहता हूं कि आइडेन्टिफिकेशन मुल्जिमान का होता है या और किसी व्यक्ति का ? जब तक आप मुल्जिमान को हिरासत में नहीं लेंगे आइडेन्टिफिकेशन किसका करायेंगे ? और आप अपने तजुर्बे के साथ इसको कन्फेस करवा दें कि जितने फौजदारी के केसेज में मुल्जिमान की पैरवी की आप एक भी इन्स्टान्स ऐसा दे दें कि एक्युज्ड को गिरफ्तार न किया हो और आइडेन्टिफिकेशन हो गया हो ? आपके अनुभव में ऐसा केस नहीं आया तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि आइडेन्टिफिकेशन का ढोंग आप जैसे व्यक्ति क्यों करने जा रहे है ?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि आप जानते हैं कि जाब्ता फौजदारी में आइडेन्टिफिकेशन के लिये कोई प्रावधान नहीं हैं। फोर दी सेक ऑफ कन्वीनियेन्स कुछ नियम बनाये गये हैं और एक्ज्यूज्ड का आइडेन्टिफिकेशन करने के लिये यह प्रावधान रखे गये हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से जानते है । इसको अपने दृष्टिकोण में रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिये। अगर हमारे होम मिनिस्टर कोई अनुभवी वकील और कानून के जानकार न होते तो दूसरी बात होती।

तीसरा प्रश्न यह है कि प्रिवेन्टिव सेक्शन्स सी आर० पी० सी० में बहुत से हैं ....

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न संक्षेप में पूछ लीजिये। आप तो भाषण देने लग गये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अभी समाप्त करता हूँ।

प्रिवन्टिव सेक्शन को आपको बताने की आश्यकता नहीं। वह आप जानते हैं और उसमें इन्फोर्मेशन मिल गई तो कंटरी में पीस एन्ड ट्रिन्कवेलिटी मीट करने के लिये जो प्राइमरी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की होती है यह इन्फोर्मेशन आपको मिली या नहीं और इसके तहत कौनसा स्टेप आपने लिया ? हो सकता है इसमें आपके आफिसर्स की गलती हो, जिनकी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलाई की है उनकी हो, मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार को रिप्रेजेन्ट करते हैं, या तो यह मान कर चलें कि इतने आप नाकाबिल हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं रख सकते या यह मान कर चलें कि आप में शक्ति नहीं है कि लॉ के पोइन्ट को ठीक तरह से कर सकें। मैंने इन तीन मुद्दों पर आका ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस विषय में जानना चाहूँगा।

श्री भैरवालाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : माननीय सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय 'काला बादलजी' आपका एड्जोर्नमेंट मोशन में नाम नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभानेत्री महोदया, राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पर दिनांक १५ व १६ के दरमियान रात को जो हमला हुआ उसको लेकर मेडीकल कालेज के छात्रों पर जो आरोप लगे, मैं सोचता हूं कि इस सम्बन्ध में जहां तक हमलावरों का सवाल है वे मेडीकल कालेज

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

के छात्र थे । आज तक इस सम्बन्ध में डिनाई किसी ने भी नहीं किया और यह सत्य है इसको सरकार ने भी माना है वाई इम्प्लीकेशन्स कि जो हमलावर थे वे मेडीकल कॉलेज के छात्र थे । अब प्रश्न केवल इतना रह जाता था कि मेडीकल कॉलेज के छात्र कौन थे जिन्होंने वहाँ पर हमला किया ? और इसके अलावा सम्माननीय सदस्यों के द्वारा यह शंका ही प्रकट नहीं की गई बल्कि स्थिर रूप से यह मानकर चला गया कि यह एक बड़ी भारी कान्सीपिरेसी थी कि जिन्होंने उन विद्यार्थियों को टूल बनाकर राजस्थान पत्रिका पर हमला करवाया ।

तो मैं तो सभापति महोदया, इस विषय पर अधिक न जाकर पोइन्टेडली कुछ प्रश्न गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा ।

(१) दिनांक १५–१६ की जो घटना है उसकी आइडेन्टिफिकेशन परेड आज २३ को करा रहे हैं । कानून इसको कहां तक मान्यता देगा, इसमें सन्देह है । इसका स्पष्टीकरण करें ।

(२) उपाध्यक्ष महोदय, मेडीकल कॉलेज दिनांक १५–१६ से अभी तक बराबर लगातार चल रहा है । सब विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं । वे लगातार बाजारों में भी घूमते हैं, बिना किसी प्रतिबन्ध के आते हैं जाते हैं और उनको देखने का अवसर हरेक व्यक्ति को है, उनकी आज आठ दिन बाद आइडेन्टिफिकेशन परेड क्या कानूनी मान्यता रखती है ?

आप यह परेड बुलाकर केवल यह तसल्ली दिलाना चाहते हैं कि सरकार जागरुक है, सक्रिय है और मुलजिमों को पकड़ना चाहती है । आप इससे सदन के सदस्यों की आंखों में और जनता की आंखों में और पत्रकारों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं ।

•

सात दिन तक आपने कोई प्रयास नहीं किया । सत्यता तो यह है । आपने केवल एक काम किया । जैसा कि हर मामले में होता है, छोटे गरीब पिटते हैं । आपने एक कान्स्टेबल से लेकर आई. जी. पी. तक जो इसमें जिम्मेदार हैं, उनमें से एक हैड कान्स्टेबल को पकड़ा और उस गरीब पर सारा दोष डालकर उसे सस्पेण्ड कर दिया । उससे आप विधान सभा और पत्रकारों को तसल्ली दिलाना चाहते हैं । जो असली दोषी थे, जो बड़े बड़े हैं उनको आपने हाथ भी नहीं लगाया । मैं पूछता हूँ कि जब भिन्न भिन्न स्थानों पर बार बार सूचना दी जाती रही कि उनको धमकी दी जा रही है फोन पर या पत्र के द्वारा मारने की, हमला करने की, तो उस पर जिन्होंने कार्यवाही कुछ नहीं की उनके प्रति आपने क्या किया ? वे चाहे सब इन्सपेक्टर हों, सर्किल इन्सपेक्टर हों, डी. वाई. एस. पी. हों, एस. पी. हों, कोई हों, उन्होंने उस सूचना के मिलने पर क्या तत्परता बताई, और अगर नहीं बताई तो उनके साथ आपने क्या एक्शन लिया ? वे कहां कहां गये, उस सूचना के आधार पर उस धमकी का पता लगाने ? जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की वह सही है या नहीं है और धमकी दी गई तो किन सूत्रों के द्वारा दी गई, किस आधार पर दी गई, क्या षडयन्त्र इसके पीछे था, इसमें कौन कौन थे अगर ये सब बातें वे मालूम नहीं कर पाये तो मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारियों को

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जयपुर की राजधानी में रखने में कोई औचित्य नहीं है। उनको दण्ड दिया जाना चाहिये। अगर उनको आप सस्पेण्ड नहीं करना चाहते, उसके प्रति कोई जांच नहीं कराना चाहते तो कम से कम ऐसे अनफी-सियेन्ट और निकम्मे अधिकारियों को राज-स्थान की राजधानी में तो नहीं रहने देना चाहिये।

फिर सभापति महोदया जब कि राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न संगठनों ने इस आक्रमण की निन्दा की है, आलोचना और भर्त्सना की है, वहां आज तक मेडिकल कालेज की यूनियन की ओर से या मेडिकल कालेज के अधिकारियों की ओर से कोई क्षोभ या निन्दा प्रकट नहीं की गई। ऐसी कोई सूचना पत्रों में हमें देखने को नहीं मिली। तो क्या यह भी कोई संकेत नहीं है कि इस सारी घटना के पीछे बड़े बडे लोगों का हाथ चला आ रहा है। कई बार पोइन्टेडली भी यह प्रश्न यहां उठाया गया कि अस्पताल के सुपरिन्टेडेन्ट श्री सरीन का इसके पीछे हाथ है उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई, क्या जांच की गई. जांच के लिये किन अधिकारियों को कब कब नियत किया गया, धारा १२० बी कान्सपिरेसी के लिये तफतीश की क्या प्रोग्रेस है. इस बारे में भी सरकार मौन है।

अस्पताल से लेकर पत्रिका के कार्यलय में काफी दूरी है। इस बीच में कितने लोग कहां कहां तैनात थे। यह बताने में भी सरकार मौन है। केवल एक कॉन्स्टेबल को शहीद करके यह सरकार अपने पर तिलक करवाना चाहती है कि हमने तफतीश कर ली। जिनको टेलीफोन पर सूचना दी गई और जो समय पर मौके पर नहीं आ सके, उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं करके यह सारी तलवार एक गरीब हैड कान्स्टेबल पर क्यों लटकाई गई ?

इससे स्पष्ट है कि सरकार तथ्यों की जांच नहीं करना चाहती उन्हें छिपाना चाहती है। लोकतन्त्र में पत्र और विधायक सुरक्षित रहें, उनकी जिव्हा सुरक्षित रहे इसकी चिन्ता नहीं है इस सरकार को। आज सरकार के इशारों पर यह सारी शिथिलता चली रही है। वरना तो कोई कारण नहीं है कि इस छोटे से मामले का पता नहीं लगाया जा सके कि वास्तव में कहां से यह षड़यन्त्र शुरू हुआ और इसके लिये कौन कौन जिम्मेदार हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री केदारनाथ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : एक व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदया।

श्रीमती सभानेत्री : जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये वे बोल चुके हैं। विधायी कार्य लिया जावे।

श्री विजयसिंह झाला : जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब तो दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदया, इस प्रश्न पर सब मुद्दों पर मैं जवाब दूं जो तफतीश के अंगों के सम्बन्ध रखते हैं इस स्थिति में मैं नहीं हूं। फिर भी मैं यह प्रयास अवश्य करुंगा कि जो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

शंकाएं माननीय सदस्यों ने की हैं उनका निराकरण किया जावे।

सदन में दो प्रकार की भावनाएं प्रकट की गई। माननीय मुकुटबिहारीलालजी की मान्यता बहुत कुछ वर्तमान विषय स्थिति के संदर्भ में प्रतीत होती है। यह उनकी मान्यता है, मैं इसके सम्बन्ध में स्वयं कुछ नहीं कहूँगा।

लेकिन उन्होंने इस प्रश्न के अनुसन्धान के विषय में कुछ अपनी शंकाए और क्षोभ भी प्रकट किया कि विद्यार्थी आन्दोलन आज राष्ट्र में प्रमुख होता जा रहा है जिससे एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है। हृदय परिवर्तन की बात भी उन्होंने कही। यह सब कहकर वे यह चाहते रहे कि प्रेस और मेडिकल स्टूडेन्टों का आपसी रिश्ता खराब न हो। एक तो संकेत उनका यह था। दूसरा यह संकेत था कि विद्यार्थियों के प्रश्न पर अनुसन्धान में इस विषम स्थिति में सन्दर्भ में सजगता और सतर्कता बरती जावे। यह उनकी मान्यता थी। दूसरे माननीय सदस्य भी इस बात को अपने अन्तरतम में समझते हों, पर ऊपर से न कहते हों। पर मुकटबिहारीलालजी ने और फूलचन्दजी जैन में राष्ट्र मे उत्पन्न होने वाली विद्यार्थियों की विषम स्थिति को अवश्य रखा।

अब यह विषम स्थिति इस अनुसन्धान से कितना सम्बन्ध रखती है इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

पर एक बात जरूर कहूँगा। यह कहा जाता रहा है कि यह आइडेन्टिफिकेशन परेड, इसकी प्रोप्राइटरी, इसका कानूनी मूल्यांकन क्या होगा। आप कह सकते हैं कि यह बोगस है। कोई मूल्य नहीं रखती। पर सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता और कहूँगा तो यह कहूंगा कि यह आइडेन्टिफिकेशन परेड जो हो रही है उसका मूल्य है। कानूनी कीमत है उसकी। वह एडमिजिबल इन एवीडेन्स है और क्यों, कितना और किस लिए है यह प्रश्न न्यायालय का है। उसके विश्लेषण करने में और माननीय सदस्यों की मान्यताओं का और सम्मति का उस पर असर पड़ सकता है। उनके विश्लेषण का महत्व है। इसलिए न्याय के हित में मैं मानता हूँ कि उसके मूल्यांकन के विश्लेषण में न जाया जाय तो अच्छा है।

फिर भी एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इत्तला अव्वल जो दी गई, माननीय सदस्यों के सम्मुख पहले स्टेटमेंट में मैंने रखा था। उसमें लिखा है कि कुल इतने विद्यार्थी-चालीस या पैंतीस ऐसे विद्यार्थी-जिनको हम पहचान सकते हैं। माननीय सदस्यों में से बहुत से ऐसे योग्य वकील हैं। प्रतिदिन मोटे मोटे सेनसनीखेज मुकदमों में ख्याति प्राप्त की है, वे समझते हैं कि इस इत्तला अव्वल में इनएडीकेट इन्फोर्मेशन है। जहां फीचर, स्पेशल कोई भी कैरक्टरस्टिक न दी गई हो उसी के अनुसार आरम्भ होता है अनुन्धान तो इनके अभाव में कितनी कठिनाई आती है इसमें तो यह ७ दिन का जो गैप बताया गया, मैं नहीं कह सकता कि आपकी शंका निर्मूल हो सकती है या नहीं, लेकिन जहां इत्तला अव्वल में नाम नहीं, हुलिया नहीं उसके बुनियाद पर अनुसंधान करते करते आदमियों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(४ म० प०)

को फिक्स-अप करना, उनको निकालना इसमें कुछ समय लग सकता है। तो यह ७ दिन लग सकते हैं या कम लग सकते हैं यह प्रश्न अलग है; लेकिन जैसा कि आपको मालुम है कि मेडिकल कालेज से ८०० से अधिक लड़के पढ़ते हैं उस मेडिकल कालेज में इस इत्तला अव्वल की बुनियाद पर लड़कों को निगाह में रखना, सस्पेक्टेड की तरह से निकालना, और उसके पहले कितने सरकम्स्टान्सेज होते हैं उसके माफिक अनुसंधान में जाना पड़ता है। इसलिए मैं उन सरकम्स्टान्सेज को हाथ में लेकर के वह किसी नतीजे पर आगे चलकर इस पर पहुंचे और उन व्यक्तियों को स्पॉट करने में सफल हों, उनका मैं जिक्र यहां करने की स्थिति में नहीं हूँ।

अब रहा सवाल सभापति महोदय, आइडेन्टिफिकेशन परेड का। आइडेन्टीफिकेशन परेड जैसा स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने कहा कि इसका कहीं एवीडेन्स एक्ट में प्रावधान नहीं है। लेकिन यह एडमीसीबल है इसलिए एडमीसीबल है कि यह डाक्युमेन्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रिपेयर किया जाता है। आपको शंकायें कई तरह की हैं कि यह फार्स हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आइडेन्टीफिकेशन जिसमें ३५ लड़के हैं या इससे अधिक हैं जिसमें रेशियो १:५ या १:१० का दूसरे विद्यार्थियों का मिलाया जाता है। इससे मतलब मेडिकल कालेज स्टुडेण्ट्स और जो हैं जिनको हमें शनाख्त करना है, जिनके ऊपर थोड़ा शक है उनके साथ में एक के साथ में ५ या १० होते हैं तो उस वाल्यूम को देखकर कितना एतिहात लेकर वहां पुलिस रखे। वहां केवल मजिस्ट्रेट रहे यह सारे एतिहात जो बरते जाते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने यह डाक्युमेन्ट प्रिपेयर होता है, इसलिए एडमीसीबल एवीडेन्स है। मैंने दो सरकम्स्टान्सेज माननीय सदस्यों के सामने रखे कि अनुसंधान में हमें स्पॉट-अप करना पड़े, आइडेन्टीफिकेशन का एतिहात रखना पड़े ऐसी सूरत में यह आइडेन्टीफिकेशन एडमीसीबल एवीडेन्स है और इसकी वैल्यू है....

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदया ...,

(अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री किशनसिंह बट्टड़ : सभापति महोदया, मैं एक सवाल पूछूंगा कि विद्यार्थी माफी मांगने के लिए तैयार हैं और यदि एक विद्यार्थी भी माफी मांगने के लिए तैयार है तो इसका मतलब होम मिनिस्टर साहब को पता है सारी लिस्ट का।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज !

श्री किशनसिंह बट्टड़ : दूसरी तरफ विद्यार्थी यह कहते हैं कि यह माफी माँगने के लिए तैयार हैं तो आपको पता हैं फिर आप किस बात की परेड करवा रहे हैं ?

श्री अमरसिंह (जसोल) : सभानेत्री महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि

(श्री अमरसिंह)

यह आइडेन्टीफिकेशन परेड होने के पहले क्या डिस्क्रिप्शन पूरा आ चुका है इनवेस्टीगेशन फाइल पर कि जिससे किसी व्यक्ति की आइडेन्टिटी एस्टेब्लिश की जा सके। अगर तफतीश में उसका हुलिया सब आ गया है तो वह एक शहादत का हिस्सा बनता है जिसके आधार पर आइडेन्टिटी का नाम लगाया जा सके। अगर उसका डिस्क्रिप्शन ही तफतीश फाइल पर नहीं आया है तो मैं समझता हूं कि आइडेन्टिफिकेशन परेड निहायत सुपरफुलस हो जाती है और कोई एवीडेन्शिल वैल्यू नहीं रखती। ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्य जिनको अनुभव है जुडिशियरी का बहुत बड़ा और जो जज भी रहे हैं और मेरा भी सौभाग्य रहा है उनके सामने वकालत करने का उनके आब्जर्वेशन में बड़ा वेट है। इत्तला अव्वल में हुलिया और नाम भी नहीं थे जिससे हमको मुश्किल पड़ी। इसलिए मैं यह अर्ज कर रहा था, चेयरमैन महोदया, कि डिले आइडेन्टिफिकेशन की इन सरकम्स्टान्सेस में हुई है। यह हमारा प्रश्न नहीं है, और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि Identification the arrest or after the arrest आपने बोनाफाइडी का प्रश्न उसमें कर दिया है, एक लाइन का रूलिंग देकर। वह रूलिंग में है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन शहादत का प्रश्न है। आइडेन्टिफिकेशन का अर्थ आइडेन्टिटी को फिक्स करना है। कालेज के लड़के सब खड़े कर दिये जायें और उसमें उन लड़कों का भी एतिहात रखा जाये जिनके संबंध में हम नतीजे पर पहुँचे हैं और उसमें से सस्पेक्टेड पर्सन्स अगर निकाल लिये जायें इवन बिफोर दी अरेस्ट मेरा ख्याल है कि कोई उसूल, कोई प्रॉवीजन इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। अगर हम कनविन्स्ड हैं पूरी तरह से कि यही आदमी है जिसका हुलिया हमारे पास था, यही फीचर्स हैं और इस आदमी की आइडेन्टिफिकेशन के सम्बन्ध में दूसरे ने भी कहा है और यह आदमी प्रीवियसली हमारी जान-पहचान का था अगर ऐसे सरकम्स्टान्सेस हैं तो हम पहले हाथ मारेंगे और पहले उसको पकड़ेंगे। और उसके बाद में एतिहात लेकर फिर आइडेन्टिफिकेशन करायेंगे। इसलिए 'बिफोर दी अरेस्ट' आइडेन्टिफिकेशन को कानून में चेलेन्जेबल नहीं किया गया है। बल्कि हम इसमें अपनी निष्पक्षता का परिचय देते हैं। यह सरकम्स्टान्सेज हैं। एक इतना बड़ा सरकम्स्टान्स है। आइडेन्टिफिकेशन परेड अण्डर कस्टडी नहीं हुई और निष्पक्षता से हुई, स्वच्छंदता से हुई। मैं इसकी वैल्यू कितनी है इस पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आपने कहा इसलिए अर्ज किया था। मैं इस सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहूंगा कि एक बात बार-बार कही गई थी और मैंने इस सम्बन्ध में बारबार, सभानेत्री महोदया, निवेदन किया है कि यह प्रश्न बार २ आता है। एवीडेन्स को कन्सील करने का नहीं है। अनुसंधान में जो आया है जिसके सम्बन्ध में आप मुझ से जानना चाहते हैं मेरी मजबूरी है कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य रख सकूं। इसलिए नहीं रख सकता हूँ कि आगे हम और इस मामले में बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि कौनसी शहादत आपने इकठ्ठी कर ली हैं तो मैं बहुत नम्रता से कहूँगा कि

Page No.99

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि गवाह को कैसे पकड़ा जाता है. कैसे प्रेटन किया जाता है। यह सारी समस्यायें इसमें सम्मिलित हैं।

मैं तीसरी बात जो अर्ज करना चाह रहा था एक बात जो शंका उठाई जाती है कि राजस्थान पत्रिका ने पहले हमले की सूचना दी और हमने उसकी अवहेलना की। माननीय भैरोंसिंहजी की भी यह शंका है। उन्होंने कहा कि ३ आदमी जिस दिन घटना हुई वह कहां चले गये ? यह बारबार कहा। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य के दिमाग में वास्तविक स्थितियों का पता होता तो यह उस समय ऐसी बात नहीं करते। ९ तारीख के लिए राजस्थान पत्रिका का संकेत था कि आज के दिन कुछ यह शरारत करेंगे। ९ तारीख को पुलिस वालों को भेजा। पुलिस वालों ने पूरी रिपोर्ट दी हम बराबर रहे और कोई बात नहीं हुई। हमने दूसरा एतिहात लिया और उनको १० तारीख को और भेजा। १० को उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुई। ११ तारीख को और भेजा यानी लगातार एक दिन की शंका प्रकट करने पर बराबर ३ रोज तक पुलिस वालों को वहां पर भेजा। जब सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं रही तब हमने पुलिस वालों को रोका और इन्सीडेन्स के दिन वह आदमी कहां रहे यह प्रश्न उस शंका का होता है।....

दूसरी बात यह कि कुछ कहा गया, सभापति महोदया, इसके मोटिव्ज के सम्बन्ध में। और इस मोटिव्ज की बात को लेकर कहा गया कि इसके पीछे डाक्टर सरीन हैं। उनकी कई ऐसी बातें हैं जिसको इसके साथ लिंक किया गया इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने बारबार कहा कि इसके पीछे जो रेगिंग की खबर छापी गई वह मोटिव नहीं है। मोटिव तो राजस्थान पत्रिका ने जो कुछ लिखा है हॉस्पिटल के सम्बन्ध में और जिस हॉस्पिटल को कई विशेषणों से, मैं उनको विशेषण तो नहीं कह सकता लेकिन इन शब्दों में सम्बोधित पत्रिका में किया गया। उससे ही नाराज होकर उन्होंने, डाक्टरों ने बिहाइण्ड दी स्क्रीन विद्यार्थियों को इस्ट्रूमेंट की तरह काम में लिया। इस तरह से इस प्रश्न को मोटिव का बनाकर रखा गया है। लेकिन मेरा विश्वास है कि डाक्टरों का मामला अलग है और राजस्थान पत्रिका ने भी इसको नहीं माना है। वह नहीं कहती कि राजस्थान पत्रिका में डाक्टरों के खिलाफ कुछ लिखा गया इसलिए डाक्टरों ने लड़कों को इन्स्ट्रूमेंट बनाया और कांग्रेसी की और लड़कों को हम पर शरारत कराने के लिए उनको यहां भेज दिया, यह राजस्थान पत्रिका भी नहीं मानती।...

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान पत्रिका ने कहा या नहीं कहा, यह कोई मेटिरियल नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी बात को मैं मानता हूं, उसमें भी तथ्य है लेकिन कम्प्लेनेंट की बात ज्यादा वकत रखती है बनिस्बत हमारे। हमारे से मतलब मेरे से ही है। तो जिस प्रकार का एडीटोरियल राजस्थान पत्रिका में इसके लिए छपा है वह यह है कि "मेडिकल कालेज के छात्रों ने गत १५ सितम्बर की रात्रि को राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया, यह हमला किसलिए किया, लेकिन हमला था, यह तो वे ही जाने कि क्यों किया, लेकिन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हमारी तस्दीक यह है कि रैगिंग की ज्याद- तियों को हमने छापा था जिनसे छात्र रुष्ट थे और इसीलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया है।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो आपने राजस्थान पत्रिका का एडीटोरियल पढ़ा है उसको ही राजस्थान पत्रिका का एडमीशन मानकर अटैक का कारण मान लें और इसके आधार पर आर्ग्यूमेंट डेवलप करें I pity your knowledge.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज करता हूं कि आप हम जिस तरह से सुनी सुनाई बात पर ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई अदालत के अन्दर एडमिशन नहीं माना जाएगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जानता हूं कि इसको कानून में एडमिशन नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं यह कहता हूं कि कि जो धारणा बंधी है ,उन धारणाओं को धक्का देने के लिए यह काफी है। मैं अब नम्रता से निवेदन करता हूं कि हमारी जो मान्यताएं बनी हैं उनमें एडमिशन का सवाल नहीं है। जिस प्रकार की सम्मतियां प्राप्त होती हैं उनको कहां धक्का लगे और कहां बल मिले इसके सम्बन्ध में ही यहां कह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो एक बात बता दीजिए कि ११ बजे आपकी आइडेंटिफिकेशन परेड होने वाली थी, इस समय सवा चार बज रहे हैं वह अब पूरी हो गई या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जल्दी मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दुनियां भर में घूम रहे हैं इसलिए जल्दी करना पड़ता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो इस प्रकार, सभापति महोदया, प्रिवियस इन्फॉर्मेशन आदि जो बातें रखी गई हैं उनके बारे में मैंने कह दिया।

अब एक दूसरा सवाल, सभापति महोदया, यह कहा गया कि प्रेस और डॉक्टर्स में, प्रिंसिपल में कुछ आपस में बात-चीत हुई है और वे कम्प्रोमाइज़ के पॉइन्ट पर चले गये हों, पत्रिका वाले चले गये हों और उन्होंने क्षमा-याचना की बातचीत की हो। अब प्रेस चला गया या राजस्थान पत्रिका वाले चले गये, उनसे क्या बातचीत की, इसका इल्म हमको नहीं है। अगर प्रेस में कोई निकली हो खबर और हमको शायद मिल गई हो लेकिन इसका इस अपराध के अनुसंधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। कम्प्ले-नेंट अप्रोच करता है और आपस में कोई समझौता इस तरह का जो उनको पसन्द आया हो कि जैसा लोकवाणी के साथ किया गया ....

श्री भैरोंसिंह : यह कम्प्लेनेंट ने एप्रोच नहीं किया, डॉक्टरों ने एप्रोच किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने कैसे कहा कि कम्प्लेनेंट ने अप्रोच किया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लोकवाणी के मामले में पुलिस ने २४ घण्टे के अन्दर अपराधी को पकड़ लिया तो भी उसका रिजल्ट हुआ आपसी समझौता। शायद उसी धारणा के आधार पर, लोकवाणी के उसी उदाहरण को लेकर चलें हों आपस में समझौता करने के लिए, लेकिन उसका इस अनुसंधान के प्रश्न पर कोई बल नहीं हैं। अनुसंधान अपने तरीके से चल रहा है, अगर कोई पॉइन्ट मिलता है आगे चल कर तो सरकार उसको मौका देगी। सब्स्टेंटिव कण्डक्ट अगर लड़कों का शामिल हुआ या दूसरे लोग इसमें शामिल हुए और कम्प्रोमाईज के प्रश्न पर अगर आगे चल कर कुछ हुआ तो हम इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन, सभापति महोदय, कम्प्लेनेंट की साइड से इस प्रकार क्रिमनल केस में फौरन कम्प्रोमाइज के लिए अप्रोच किया जाय यह उचित नहीं है। लेकिन दोनों सरकम्स्टासेज हैं इसलिए, सभापति महोदया........

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी, इससे तथ्य यह निकलता है कि अगर बाहमी फैसला होता है और जो चोरी करके ले गया और उसको कम्प्रोमाईज कराने के लिए बीच में पड़ता है कि मैं तुझको तीन सौ रुपये या चार सौ रुपये दिला दूंगा तो जो कम्प्रोमाइज करने वाला है उसको यह पता है कि चोरी कौन करके ले गया है। इसी तरह से जो प्रिंसिपल या दूसरे डॉक्टर्स कम्प्रोमाइज की बात करते हैं और कहते हैं कि हम हर्जाना दिला देंगे या क्षमा-याचना करवा देंगे तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया। कौन लोग क्षमा याचना करेंगे यह उनको पता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कानून का मसला है, इसको आप नहीं समझते हैं, भैरोंसिंहजी भी काफी समझते हैं और लोग भी खूब समझते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कितना समझते हैं यह तो बतला दीजिए ?

श्री भैरोंसिंह : इस तरह से आप डिविजन कराने में सफल नहीं होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज कर रहा था कि एक प्रश्न और रह जाता है आइडेंटिफिकेशन परेड का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको टालते क्यों हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदया, इस मसले को माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी कानून के नुक्ते निगाह से जरूर देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो पर्टीनेंट सवाल घूम रहा है उनके दिमाग में और जिसके सम्बन्ध में वे बड़े उद्विग्न भी हैं, होना भी चाहिए उनको। लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों को अलग बैठ कर और इस विश्वास से कि वे किसी से कहेंगे नहीं, तो जो कुछ हो रहा है उस पर जरूर उनको विश्वास पैदा होगा। लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि वे तथ्य कहने के नहीं हैं अभी। जो पर्टीनेंट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफिकेशन क्या

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है ? अभी तक सभापति महोदय, मैं यहां बैठा हुआ हूं और इस प्रश्न पर सजग हूं। आइडेंटिफिकेशन परेड में लड़के अलग अलग कालेजेज के और उस कालिज के सिटि मजिस्ट्रेट के साथ वहां पर मौजूद हैं। आइडेंटिफिकेशन का काम फ्री एटमॉस्फियर में हो रहा है। छः गवाहों ने शनाख्त की है, उस कार्यक्रम में पार्टीसिपेट किया है छः गवाहों ने और जहां तीन चार सौ लड़के हों, वे लोग खड़े हुए हों और एक शनाख्ती को आपने ऐसा करते हुए देखा होगा कि इस प्रकार के कामों में कितना टाईम लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह आइडेंटिफिकेशन परेड छिन्न-भिन्न की वृत्ति के साथ चल रही है। एक लम्बी चौड़ी लाईन है उसके अन्दर एक आदमी को घूम-घूम कर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने में और उसको पहिचान कर निकालने में कितना समय लगता है यह तो आप स्वयं भी सोच सकते हैं। छः आदमियों को इसमें भाग लेना है और उनको निकालना है। एक आदमी के साथ सारी लाईन बदलती है, सतीशचन्द्र जी ने, आपने तो यह देखा ही है, किस तरह से री-एरेंज करना होता है। ये सारे तथ्य हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के। अभी तक मेरी सूचना के मुताबिक छः आदमियों ने पार्टीसिपेट किया है और अभी और भी पार्टीसिपेट करने बाकी हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वह किया जायेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है इस आइडेंटिफिकेशन परेड का नतीजा मजिस्ट्रेट के पास होगा और उस डाक्यूमेंट की नकल पुलिस विभाग लेगा और उसके आने के बाद दूसरा कदम क्या हो सकता है इसके बारे में आप माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

सभापति महोदया, इस प्रश्न पर एडजोर्नमेंट मोशन रिजेक्ट हुआ, मुझको स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया और उस पर सारी डिबेट हुई, मैंने रिप्लाई दिया और फिर उस पर डिबेट हुई और उसके बाद यहाँ फिर डिबेट न हो इसका आग्रह करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो इन्वेस्टिगेशन और आपकी भाषा के अनुसार अनुसंधान हो रहा है उसमें जो सस्पेक्टेड हैं जिनको आप आइडेंटीफाई करा रहे हैं ऐसे सस्पेक्टेडों की संख्या कितनी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसका अनुमान तो आप लगा लीजिए, जितनों पर डाउट है उतनी ही संख्या है।

श्री गोविन्दसिंह (पीड़ावा) : आपने क्या वहां पर जो डेमेजेज हुए हैं उनकी फोटू वगैरा ली है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभी कुछ हुआ है, यह तो इनिशियल इन्क्वायरी की बातें हैं, पंचनामा भी बनता है, क्या टूटा है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, एम. ओ. बी होता है, सब कुछ तैयार होता है।

श्री गोविन्दसिंह : मेरा निवेदन यह है कि जो आज के साइंटिफिक मेथड हैं और जिनको ऐसे क्रिमिनल केसेज में अडॉप्ट करते

(श्री गोविन्दसिंह)

हैं, उन सब को अडॉप्ट करके जो फिगंर प्रिंट और फोटो वगैरा लेते हैं वह भी लिए हैं क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उसका मेरे ख्याल से साइन्टिफिक वे है। किसी आदमी को तिजोरी तोड़नी है और उस पर हथौड़ा मारना है तो वह हाथ यों रखेगा। अगर तिजोरी पर पॉलिश बहुत ही अच्छी हुई तो फिन्गर प्रिन्ट्स आ सकते हैं और उसी बिना पर मुल्जिम पकड़े जाते हैं। वहां पर पंचनामा बना है और फिन्गर प्रिन्ट भी लिये होंगे।

श्री गोविन्दसिंह : आपने मालूम नहीं किया कि लिये या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आजकल साइन्टिफकली फिन्गर प्रिन्ट्स भी बहुत बड़ी एवीडेन्स होती है और उनसे मुल्जिम मालूम किये जा सकते हैं। कोई फिन्गर प्रिन्ट नहीं लिये गये।

श्री गोविन्दसिंह : क्या इसकी जरूरत नहीं थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी वे जानें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया था वही हो रहा है।

श्री मानधातासिंह : सभापति महोदया, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री महोदय क्या इस पर प्रकाश डालेंगे....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

अब राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण बिल पर विचार प्रारम्भ किया जाता है। श्री सतीशचन्द्र बहस प्रारम्भ करेंगे।

राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ (अग्रतर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदया, कल जिस समय इस बात पर निर्णय हुआ कि कल का कुछ बचा हुआ बिजिनेस आज ले लिया जायगा तो मैंने एक ऑनरेबल कमिटमेंट अपनी तरफ से दिया था कि अगर आवश्यकता होगी तो हम उस पर नहीं बोलेंगे। एक सदन के माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं वे मैं समझता हूं बोलने के लिए बहुत इच्छुक थे और इस आधार पर इनको एकोमोडेट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की, और इसलिए मैं उस सम्बन्ध में जितनी बातें इस सदन में रख सकता था उतनी सारी बातें इस सदन में नहीं रखूंगा। केवल १० मिनिट के समय में जो कल मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया था उसी को आगे जारी करते हुए कुछ ३-४ बातें इस सदन के सामने निवेदन करूंगा।

सभापति महोदया, इस राजस्थान मोटर वेहीकल्स टेक्सेशन एमेंडमेंट बिल के द्वारा राजस्थान सरकार ने ट्रक्स के सम्बन्ध में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो टैक्स है उसमें लगभग २० परसेन्ट की कटौती मन्जूर की है। ट्रक ऑपरेटर्स के सिलसिले में या यों कहिये राजस्थान में इस साल लगने वाले सभी टेक्सेज के बारे में इस विधान सभा के गत बजट अधिवेशन में जब सदन के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार प्रकट किये गये थे उस समय इस बात की मांग की गई थी कि राजस्थान की इस गरीब जनता पर राजस्थान की सरकार के द्वारा जो करों का भार डाला जा रहा है वह करों का भार बहुत ज्यादा है। सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार से इस बात की मांग की थी कि हमको राजस्थान में लगने वाले टेक्सेज़ में छूट देनी चाहिए। जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके सम्बन्ध में इस सदन में अनेक दलीलें दी गईं। मुझे अच्छी तरह से याद है। उस समय भी ट्रक आपरेटर्स ने राजस्थान में हड़ताल की थी। राजस्थान सरकार ने उस समय जब इस सदन में अनेकों स्थगन-प्रस्ताव रखे गये तो सदन में सदस्यों ने इस बात की मांग की कि राजस्थान के रोड ट्रान्सपोर्ट के पिछड़ेपन को देखते हुए इन ट्रक्स के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और लगने वाले टैक्सों में छूट देनी चाहिए, उस समय वित्त मंत्री महोदय ने अनेक प्रकार की फिजूल दलीलें देकर उस मांग को स्वीकार नहीं किया। इस सदन में अनेक बार भी ऐसे मसले आये हैं जब कि लोगों ने इस बात के लिए शंका प्रकट की है कि यह राज्य सरकार सदन में उठाई गई इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन सदन के स्थगित होने के बाद नये-नये जो टैक्स लगाये गये है उनके बारे में विभिन्न वर्गों की तरफ से जब दबाव आता है तो उस दबाव के सामने सरकार झुकती है। सरकार अनेक प्रकार के सौदे करती है, अनेक प्रकार के लोगों से, वर्गो से सौदे करती है। सभापति महोदया, आज वही आशंका उपस्थित होकर सदन के सामने आई है। मुझे इस बात की तो खुशी है कि बजट अधिवेशन के जमाने में सदन के माननीय सदस्यों ने जो मांग की थी उसको राज्य सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन वह केवल एक आइटम के लिए की है, और वह भी इस सदन में जब मांग की गई उस समय स्वीकार नही की, तो कुछ ऐसा लगता है कि उस सरकार की आस्था इस सदन के प्रति नहीं है, इस सदन में कही हुई बातों के प्रति नहीं है। सदन में यदि मांग की जाय तो सरकार उस मांग को मन्जूर करने को तैयार नहीं है, लेकिन सदन के बाहर सदन की बैठक स्थगित होने के बाद सरकार इस प्रकार के टैक्सों में छूट देने की परम्परा को बढ़ावा देगी। सभापति महोदया, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के इस प्रकार के कामों के सम्बन्ध में अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाये तो वह निराधार नहीं होगा। मैं इस बात का तो स्वागत करता हूँ कि उनकी वाजिब मांग को राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया, बल्कि मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो टैक्सेज का स्ट्रक्चर है, राजस्थान में जो इस प्रकार का कर लगा रहें हैं उन सारे करों के सम्बन्ध में आमूल-चूल परिवर्तन करने की दृष्टि से कोई आयोग बिठाया जाना चाहिए जो राजस्थान की दो करोड़ जनता की जीवन की आवश्यकताओं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो राजस्थान की दो करोड़ जनता के आर्थिक स्तर, जो राजस्थान की दो करोड़ जनता के टैक्स देने को क्षमता, के सम्बन्ध में विचार करने के बाद राज्य सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत करे कि राजस्थान की जनता पर किस प्रकार के टैक्सों का भार लगाया जा सकता है। यह मांग इस सदन में पहले भी उठाई गई है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। सभापति महोदय, इसलिए मैं फिर से सदन के सामने मांग रखना चाहता हूँ कि इस प्रकार का आयोग नियुक्त होना चाहिए। राजस्थान की जनता अब किसी भी प्रकार के टैक्सेज़ का भार उठाने की हालत में नहीं है।

सभापति महोदय, ऊन के सम्बन्ध में एक बार विचार आया था जब कि सदन में मांग की गई थी कि सरकार ऊन पर लगाने वाले टैक्स को वापिस ले ले, लेकिन एक नहीं अनेकों टैक्सेज के बारे में उदाहरण दिया जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने इस सदन में उठाये जाने वाला मांगों पर उस समय विचार नहीं किया, लेकिन सदन की बैठक स्थगित होने के बाद विभिन्न वर्गों के लोगों से सौदबाजी करके इस प्रकार के टैक्सेज में छूट दी। यह परम्परा लोकतन्त्र के लिए घातक है। यह परम्परा सब प्रकार की नैतिक दृष्टियों से परित्याग करने के योग्य है। यह परम्परा स्वस्थ परम्परा नहीं है। यह परम्परा बिल्कुल गलत है, और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार को इस प्रकार की परम्परा निभाना यह बिल्कुल गलत है।

सभापति महोदया, आज अनेक वर्गों से मांग आती है और मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारी रोड ट्रान्सपार्ट की जो हालत है और आज राजस्थान में रोड ट्रान्सपोर्ट में लगे हुए ट्रक ऑपरेटर्स की जो हालत है यह बड़ी खराब हालत है। राजस्थान में कोई धन्धा नहीं है। राजस्थान के ट्रक ऑपरेटर्स कोई धन्धा नहीं करते हैं। वे किसी भी प्रकार से अपना जीवन चलाते हैं। ४०-४० हजार में हायर पर्चेज एग्रीमेण्ट के द्वारा दुनिया भर की फाइनेन्स कम्पनियों से उधार लेकर अपने ट्रक्स को गिरवी रखकर किसी प्रकार से अपना धन्धा चलाते हैं। राजस्थान सरकार राजस्थान में इस धन्धे को व्यवस्थित रूप से पनपाने की दृष्टि से कोई कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में आज यह उद्योग बहुत पनपा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत विकसित है, और राजस्थान का यह उद्योग, इस उद्योग में जो कम्पीटिशन है उसमें नहीं टिक पारहा है। राजस्थान में इस उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण है, सभापति महोदया, कि राजस्थान के अन्दर आज रोड ट्रान्सपोर्ट इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि मैं सदन का समय इन अनेक बातों के लिए और नहीं लेना चाहता, अनेक मसले कहे जा सकते हैं। राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसमें चलने वाली गड़बड़ियां, सैकड़ों गाड़ियों का पड़ा रहना, वहां की बद-इन्तजामी, गाड़ियों का समय पर नहीं जाना, बिगड़ जावे तो रास्ते में ही पड़ी रह जाना, डिपो वालों के आपसी झगड़े के कारण यह सारी अव्यवस्था रात-दिन देखने को मिलती है इसके बारे में ज्यादा कहकर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन यही कारण है कि माननीय श्री भैरवलालजी 'काला बादल' को एक प्रतिवेदन माननीय संचार मंत्री को देना पड़ा कि उन्होंने इन धांधलियों को बन्द नहीं किया और गाड़ियें समय पर नहीं चलाई तो वे भूख–हड़ताल करेंगे। मैं केवल इस मांग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस इन्डस्ट्री को बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार देर आई दुरस्त आई, उसने छूट दी है टैक्सेज के बारे में इस बात का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की छूट दी गई है सदन की बैठक स्थगित करने के बाद उसके लिए मैं सरकार का विरोध करता हूं। लेकिन, सभापति महोदया एक बात और कहना चाहता हूं जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूँ, राजस्थान में टैक्सेशन स्ट्रक्चर की जाँच के लिए एक कमीशन बैठाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार को राजस्थान में जीवन की आवश्यक वस्तुएं (एसेन्शियेलिटिज ऑफ लाइफ) जो हैं उन पर से टैक्स का भार कम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सदन की बैठक खत्म हो जाय और लोगों के रिप्रेजेन्टेशन आवें कि कुछ चीजों पर छूट दी जाय और उस समय आपको छूट देनी पड़े।

मैं इस समय जयपुर के महत्वपूर्ण कुटीर-उद्योग जो हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा रखता आया है, जयपुर का देश भर में नाम है ऐसा उद्योग जिसके पीछे आज जयपुर के १ लाख व्यक्ति पेट पालते हैं, हजारों परिवार अपना भरण-पोषण करते हैं, छोटे-छोटे लोग कारीगर इस जवाहरात के धन्धे में लगे हुए हैं उन पर टैक्स लगाने से राज्य सरकार को नुकसान, आपको नुकसान हो रहा है, हजारों परिवारों को नुकसान हो रहा है। यह जवाहरात यहां से एक्सपोर्ट होता है, दूसरे देशों को जवाहरात जाता है और वहां से हमको फॉरेन एक्सचेन्ज मिलता है जिस फॉरेन एक्सचेन्ज की आज कितनी आवश्यकता है वह आज इस उद्योग से हमको मिलता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बिल के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह जयपुर की जनता के लिए उपयोगी है, हजारों लोग इससे रोजी–रोटी कमाते हैं उन लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है। राज्य सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, आश्वासन दे रही है लेकिन कोई शीघ्र कदम सरकार ने नहीं लिया है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जयपुर में जीवनोपयोगी जो चीजें है, जो जवाहरात यहां से एक्सपोर्ट होता है उस पर आपने जो लास्ट पॉइन्ट पर सैल्स और परचेज टैक्स लगाया है उसको वापिस लेना चाहिये।

इसी प्रकार हमारे जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, पापड़, केरोसिन, लालटेन, चिमनियें, अचार, पापड़ आदि बहुतसी चीजें हैं उन पर से टैक्स हटाया जाय। दुनियां के किसी कौने में जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं (एसेन्शियेलिटीज ऑफ लाइफ) पर टैक्स लगाने का तरीका नहीं है जो राजस्थान सरकार ने अपनाया है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जीवन के लिये आवश्यक

Page No.107

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वस्तुओं के संबंध में आप विचार करेंगे और टैक्सेज के स्ट्रक्चर की जांच करने के लिये आयोग की स्थापना राज्य सरकार को करनी चाहिये जिससे पता लगे सके कि किन चीजों पर टैक्स लगाया जाय किन पर नहीं लगाया जाय। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। राजस्थान की २ करोड़ जनता में टैक्सेज के भार को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, यहां पर इन्डस्ट्रियेलाइजेशन नहीं हुआ है उद्योग पनपे नहीं हैं, इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स खाली पड़े हैं, बेरोजगारी है। राजस्थान की विशेष परिस्थिति है। राज्य सरकार नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में बिल्कुल असफल रही है, यह आरोप मैं सरकार पर लगाना चाहूंगा। इसकी पूर्ति सरकार और टैक्स लगाकर नहीं करे और गरीब जनता की खाने-पीने की चीजों और आवश्यक चीजों पर जो टैक्स लगाया गया है उनमें छूट की घोषणा करे। यही मांग रखता हुआ मेरा १० मिनिट का समय समाप्त हो गया है, इस अनुरोध के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदया,....

एक माननीय सदस्य : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं थर्ड रीडिंग पर बोल रहा हूं। सभापति महोदया, यह मोटर बिल जो हाउस में आया है और इसके अंदर राजस्थान सरकार ने पहले जो इस हाउस में यह विश्वास दिलाया था कि हम टैक्स में कमी नहीं करेंगे लेकिन जब दूसरी स्टेट्सवालों ने टैक्सेज कम किये तो राजस्थान सरकार ने भी कम किया। लेकिन राजस्थान सरकार को चाहिए था कि राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, राजस्थान सरकार को चुनने वाले, अपना वोट देकर प्रतिनिधि बनाकर जिनको भेजा है उनके लिये सरकार ने क्या सोचा यह समझ में नहीं आता। सभापति महोदया आज जो राजस्थान में मोटरों पर हाई टैक्स है व बराबर हर साल टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है। यहां की २ करोड़ जनता पर जो इस प्रकार टैक्स लगा रहे हैं और जो आप समाजवाद लाना चाहते थे वह कब आयेगा ? मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि समाजवाद का नारा हाउस में लगाकर समाजवाद न लाकर पूंजीवाद को पनपाना राजस्थान सरकार की नीति है, क्योंकि आज छोटे-छोटे आदमियों पर टैक्स लगाया जाता है और छोटे-छोटे मोटर चलाने वाले लोग हैं उन पर गुड्स टैक्स, मोटर टैक्स और दूसरे टैक्स लगा दिए हैं। उनकी कोई मामूली सी गलती हो तो एक मामूली पुलिस का कॉस्टेबिल जिसको १००) रु० महीना मिलता है वह उसकी मोटर को पकड़ लेता है, क्योंकि आदमी गलती कर सकता है तो वह पुलिस का आदमी उसकी मोटर को रोक देता है। मोटरवालों पर पुलिस के आदमियों का डर अलग, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का डर अलग। इस तरह के हर आदमी को राजस्थान सरकार ने अधिकार दिए हैं। हिन्दुस्तान के बराबर नेपाल स्टेट है वहां पर इस तरह का टैक्स नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिये लेकिन इस तरह से टैक्स को बढ़ाते जाना और लोगों को परेशान करना राजस्थान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सरकार के लिए उचित नहीं है। समाजवाद का नारा लगाया जाता है यह समाजवाद नहीं है क्योंकि राजस्थान की जनता को परेशानी है, दिक्कत है क्योंकि हर आदमी मोटर को पकड़ने के लिए तैयार रहता है सैल्स टैक्स वाले, गुड्स टैक्स वाले और पुलिस वाले इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं इससे हजारों लाखों रुपयों का नुकसान होता है। हम बार बार हाउस में कहते आए हैं कि एक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इस तरह का टैक्स लगादे सीट पर, मोटर पर लगादे जिससे पुलिस वाले उनको परेशान नहीं करें, सेल्स टैक्स वाले परेशान नहीं करें और ट्रान्सपोर्ट वाले परेशान न करें लेकिन राजस्थान सरकार बोलती नहीं है। राजस्थान सरकार के मिनिस्टर सोचते हैं कि मेरे हाथ से यह डिपार्टमेंट चला जायगा तो क्या मालूम क्या हो जायगा। सैल्स टैक्स मिनिस्टर सोचते हैं कि मेरे हाथ से गुड्स टैक्स चला जायगा तो क्या हो जायगा? ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर सोचते हैं कि मेरे हाथ से ट्रान्सपोर्ट चला जायगा तो क्या हो जायगा? मेरी समझ में नहीं आता कि सभी मिनिस्टर अपना अपना फायदा सोचते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचते। सरकार को कितना नुकसान हो रहा है इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। आज रोडवेज़ की क्या हालत है। आज किसी बनिये के पास मोटर होती है तो वह चलाने का सारा खर्चा निकालता है, टैक्स भी देता है और उसके बाद व्याज भी देता है और उसके उपरान्त भी प्रॉफिट लेता है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): ५० सीट की जगह पर ८० आदमी बैठाकर ले जाता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी: रोडवेज़ वाले ५० की जगह ८० आदमी बैठाकर ले जाते हैं फिर भी फायदे में नहीं रहते परन्तु पचास के बजाय अस्सी-अस्सी ले जाते हैं, कोई कोई ले जाते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कमाता है, कमाता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी: तो रिश्वत भी चलती है। वह कुछ कमाते हैं तो कुछ दे देते हैं। यह सब चलता है। परन्तु मुझे कहना है कि रोडवेज़ के अन्दर लाखों रुपए का घाटा होता है उसके लिये राजस्थान की सरकार ने गारन्टी दी है। अगर इसमें घाटा होता है तो आज जो रोडवेज़ के सदन के अन्दर मिनिस्टर बैठे हैं, या इस रोडवेज़ के जो चेयरमैन बैठे हैं या जो और लोग बैठे हैं उनका कुछ नहीं जाता। उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। इस राजस्थान की सरकार ने, पांच लाख, दस लाख, बीस लाख, पचास लाख रुपये की गारन्टी दी होगी, इसका मतलब यह है कि अगर यह कॉर्पोरेशन डूबेगा, या पैसा डूबेगा तो वह जनता का पैसा डूबेगा न कि इन सबका जो कि इस कॉर्पोरेशन को चलाने वाले हैं। जो हुकूमत को चलाने वाले हैं उनका पैसा नहीं होता है जो आज खर्च हो रहा है और राजस्थान के अन्दर इस तरह से लुटाया जा रहा है। जो लोग इस कॉर्पोरेशन के मुखिया बन कर बैठे हैं वह अगर पूरी जिम्मेदारी से इन्तजाम नहीं करते हैं, जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठे हैं वह यह मानकर नहीं चलते हैं कि यह राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है जो डूबेगा और

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जिसकी गारन्टी राजस्थान सरकार ने दी है। अगर वह पैसा डूबेगा तो वह पैसा उन सब लोगों से वसूल किया नहीं जाता है-यह नहीं होता है। होता यह है कि राजस्थान की जनता के ऊपर इसका वजन खास तौर से आता है। फिर चाहे उसमें घाटा हो या नफा हो, भला हो या बुरा हो-वह यह नहीं सोचते हैं कि अच्छी तरह से रोडवेज कैसे चल सकती है। माननीय मिनिस्टर साहब यह बतायें कि रोडवेज में घाटा है या नहीं है-यह मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद में हम यू० पी० में देखें, बम्बई में देखें, जहां-जहां दूसरे दूसरे प्रान्तों में रोडवेज़ चलती हैं वह रोडवेज़ का नेशनेलाइजेशन इसलिए किया था कि जनता को सुविधा दे सकेंगे और टैक्स कम लगेगा। इसी तरह से राज-स्थान गवर्नमेंट ने किया जिससे जनता के ऊपर टैक्स कम लगे, जनता का फायदा हो, बसेज़ में बैठने वाली सवारियों को सुविधा मिल सके और सरकार को प्रॉफिट मिल सके। यह दो तीन बातें सोचकर ही नेशने-लाइजेशन किया था। परन्तु यह सब बातें आज नहीं रही हैं। आज रोडवेज में काफी गफलत है, बसेज के आने जाने का पता नहीं है, वह जहां खड़ी रह गई वहां खड़ी रह गई। और अगर बस में कोई ऐसी खराबी हो जाती है जो चार रुपये में ठीक हो सकती है तो उसके लिए भी ड्राईवर कहेंगे कि हमारे पास औजार नहीं हैं। तो यह हालत आज राजस्थान सरकार की हुकूमत की है, राजस्थान सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसलिए, माननीय सभापति महोदया, ४२ लाख रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, पंचायत समिति और कोओपरेटिव सोसा-इटीज के द्वारा खाद और बीज के लिए दिया लेकिन आज तक उस ४२ लाख रुपये का पता नहीं है। राजस्थान सरकार की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो यह रुपया रह गया है उसको उगाते नहीं हैं। तो जिस तरह से आज हालत पंचायत समिति वगैरह की है उसी तरह से रोडवेज में भी लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है, ट्रान्सपोर्ट में लाखों रुपयों का घोटाला हो रहा है। लाखों के करीब ५० लाख से ज्यादा जो आपने रोड टैक्स लगाया है उसका बाकी है, पचास लाख से ज्यादा बाकी है लोगों के अन्दर। इसी तरह से सैल्स टैक्स के अन्दर दो सौ, पांच सौ रुपया इन्सपेक्टर ले लेता है, कभी कोई सेलसटैक्स ऑफिसर ले लेता है और लोगों को यों ही छोड़-छाड़ देते हैं। वह पता नहीं है कि कितना टैक्स आया है। जो ट्रक्स हैं वह कभी मद्रास चली जाती हैं, कभी कलकत्ते चली जाती हैं और कभी कहीं और चली जाती हैं लेकिन राज-स्थान सरकार को यह पता नहीं है। उन पर टैक्स बराबर लगता जा रहा है लेकिन जो टैक्स बाकी है, लोगों पर लाखों रुपया टैक्स बाकी है उसका राजस्थान सरकार को कुछ पता नहीं है। आज एक मिनिस्टर साहब आते हैं, छः महीने बाद दूसरे मिनिस्टर साहब आते हैं, और उसके छः महीने बाद तीसरे मिनिस्टर आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं उनकी समझ में यह क्यों नहीं आता है? आज एक, कल दूसरे और परसों तीसरे मिनिस्टर आ जाते हैं- यह क्या रगड़ा लगाया है। क्यों इस तरह जनता को परेशान किया जाता है? आज जनता की वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इतने मिनिस्टर हैं, इतने डिप्टी मिनिस्टर हैं,

Page No.110

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इतने ऑफिसर हैं, डाइरेक्टर है, डिप्टी डाइरेक्टर है, सेक्रेट्री है और जो ऑफिसर है इनका सारे का सारा खर्च का पैसा टैक्स लगाकर जनता से वसूल किया जाता है। जनता इन टैक्सों के भार से बड़ी परेशानी उठाती है। लेकिन राजस्थान की जनता की परेशानी आज दिन तक कम करने की बात सरकार नहीं सोचती है। तो ऐसा कब तक चलेगा? माननीय सभापति महोदया, यह जो राजस्थान की सरकार है इसको इस बात की चिन्ता नहीं है कि किस प्रकार हम टैक्स को बिल्कुल कम करें। जब कि पहले जो दूसरे ट्रक वाले थे और दूसरे लोग जो बसेज वगैरह के लिऐ परमिट लेते हैं, उन्होंने अच्छी तरह काम किया तो राजस्थान के सामने ऐसी क्या बात है कि वह नहीं कर सकती। इस ओर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान की जनता पर टैक्स को कम करे। आज राजस्थान के लोगों के अन्दर इस तरह जो लाखों रुपया बाकी है उसको सरकार को वसूल करना चाहिए।

इसके अलावा जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, या तो यह मोटर के डिपार्टमेंट में रहे या सैल्स टैक्स के डिपार्टमेंट में रहे या पुलिस डिपार्टमेंट में रहे। लेकिन आज स्थिति यह नहीं है। और इस डिपार्टमेंट के द्वारा पुलिस वालों ने तो रिश्वत का बाजार गरम कर रखा है। इसलिए कर रखा है कि यह एक डिपार्टमेंट छः जगह पर बंटा हुआ है। इस लिए मेरी मांग है कि इस डिपार्टमेंट को सरकार एक ही डिपार्टमेंट बनाकर रखे और एक ही मिनिस्टर के पास रहे इसलिए जो भी टैक्स लिया जाता है, जो कुछ भी जुलम किया जाता है, जो कुछ भी ज्यादती होती है वह एक ही डिपार्टमेंट करे तीन, चार, पांच डिपार्टमेंट नहीं करें तभी राजस्थान की जनता का भला हो सकता है। आज राजस्थान सरकार के लिए कहा जाता है कि राजस्थान सरकार जो कुछ कहती है वह करती नहीं है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ऐसा करे तभी लोग कहेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वही होता है, दूसरी बात नहीं हो सकती। और तभी राजस्थान की गरीब जनता पर जो दिन प्रतिदिन नये-नये टैक्स लगाये जाते हैं वह नहीं लगाये जायेंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि बजट के अन्दर इकोनॉमी कट हो रहा है वह हद दर्जे का हो रहा है लेकिन जो असली चीज है उसमें इकोनॉमी नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि असली चीज में इकोनॉमी कट होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस डिपार्टमेंट को सुधारें और इस रोडवेज की हालत को सुधारें। जनता पर आगे टैक्स न लगायें, यही मेरी प्रार्थना है।

(५.४५ म.प.)

उदयपुर विश्व विद्यालय के विस्तार सम्बन्धी संकल्प की प्रस्तुति एवं पारित

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन की राय जानना चाहती हूँ कि इसे पारित कर लिया

(श्रीमती सभानेत्री)

जाय क्योंकि इसके बाद में एक रिज़ो-ल्यूशन है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, इस पर हम कहना चाहेंगे, इस पर हमें बहुत कहना है। कल ढाई घण्टे का समय नियत हुआ था।

श्री रामकिशन : आप क्रम में ले लीजिये, जिन जिनका जैसे था उसी तरह ले लीजिये तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री : इससे पहले वह रिज़ोल्यूशन पास कर लिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बहुत छोटा सा फार्मल रिज़ोल्यूशन है।

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : सभापति महोदया, क्योंकि इस पर बहस शुरू होगई है इसलिए पहले इसको पारित कर लिया जाय तो अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से अटका हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं थोड़े में समझा दूं, सभापति महोदया, यह रिज़ोल्यूशन डबोक के क्षेत्रों के बारे में है जिसको विश्वविद्यालय के जुरिस्डिक्शन में करना चाहते हैं। यह एक फार्मल रिज़ोल्यूशन है और इसको फार्मल वे पास कर देना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदया, मेरे दल के माननीय सदस्य को पांच मिनिट का समय देने की अनुकम्पा करें तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मिनिट का काम है, जैसा मैंने कहा कि उदयपुर यूनिवर्सिटी का डबोक के क्षेत्र तक जुरिस्डिक्शन बढ़ाने का संकल्प है। मैं इसको पढ़ कर आपके सामने रख देता हूं, तभी आप इस पर अपनी एप्रूवल फर्मा दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फार्मल है तो वैसे ही रख दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं पढ़ कर समाप्त कर दूं जिससे आप इसे समझ कर उससे सहमत हो जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिल के बीच में यह नया शुरू हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो मिनिट में सारा हो जायगा, यदि सदन की राय हो........

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जितना जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहेंगे उससे ज्यादा हम बढ़ाना चाहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मिनिट में कह देता हूँ। आप तो समझदार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : समझदार हूं इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं कि हम और जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, टाइम बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : टाइम नहीं, जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहेंगे। उसे हमें देखना पड़ेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मिनिट में सुन तो लीजिये। आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको धोखा देकर हम पास कराना चाहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस पर भी समय निर्धारित होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह संकल्प है।

यह सदन संकल्प करता है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर तथा प्रस्तावित लोकमान्य तिलक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, डबोक (उदयपुर) के क्षेत्रों में करने हेतु निम्नलिखित अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अधिनियम १८ सन् १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी की जावे।

यह अधिसूचना भी मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूँ।

उदयपुर विश्व-विद्यालय अधिनियम, १९६२ (राजस्थान अधिनियम १८, सन् १९६२) की धारा ३ की उप-धारा (३) द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में तथा बोर्ड एवं राज्य विधान मण्डल के सदन के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार एतद् द्वारा उदयपुर विश्व-विद्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर तथा प्रस्तावित लोकमान्य तिलक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, डबोक (उदयपुर) के क्षेत्रों में करता है।"

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इसको पारित किया जावे।

(स्वीकृति)

संकल्प पारित किया गया।

(४. ५० म. प.)

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ (पूर्व क्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री मथुराविहारी माथुर (बांदीकुई) : सभापति महोदया, आपके समक्ष जो अध्यादेश चल रहा है उस पर काफी वाद-विवाद हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में मैं निवेदन करूं कि जिस प्रकार राजस्थान में अधिक करों का भार था उससे आंतिकत होकर राजस्थान में यू. पी. की तरह से ट्रक ऑनर्स ने लंबे अर्से तक संघर्ष किया और लंबे अर्से तक स्ट्राइक किया और उसके कारण जो जनता को और ट्रक ऑनर्स को क्षति हुई वह भी साफ है। लेकिन हमारी सरकार का एक ही ध्येय है कि उनके सामने जब तक ऐसी प्रॉबलम क्रियेट न हो जिससे उन पर प्रभाव पड़े तब तक उनकी समझ में नहीं आता है और तभी वह उनके सामने सरेन्डर करती है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि राजस्थान में हजारों लाखों रुपयों का नुकसान करने के और स्ट्राइक के बाद में सरकार की आंखें खुली और सरकार उनके सामने झुकी। यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है और पार्टी की मान्यता के आधार पर मैं यह कहूंगा कि अगर ट्रकों पर कम से कम करों का भार हो तो यह ज्यादा अच्छा हो।

इस अध्यादेश के जरिये, जैसा कि ट्रकों पर भार था उसमें सहमति दी गई उससे

(श्री मधुरेशबिहारी माथुर)

उनकी मांगे करों की थीं वे तो किसी हद तक पूरी हुईं। लेकिन मैं इस बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वह यह कि मेरे समझ में नहीं आया कि आप उस बस के लिए भी वही रखना चाहते हैं जो कि ट्रक के लिए आपने रखा है कि ७ दिन तक रुके उसके लिए सहमति दी और दूसरी गाड़ियें और बसें बाहर से आने वाली हैं उनके लिए आपने यह सहमति क्यों नहीं दी? आपने इस लिए नहीं दी कि उन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं कीं ट्रक वालों ने स्ट्राइक की और उन्होंने नहीं की इसलिए आपने उनकी मांगों को नजरंदाज कर दिया। अगर आप वास्तव में इस बात मानते हैं कि ७ दिन तक राजस्थान में गाड़ी रहे और पहले से करों की रेट ज्यादा है तो सब को इससे मुक्त किया जाना चाहिए। इसमें भेद-भाव क्यों रखा गया? इसके लिए मैं पूछना चाहूंगा और मुझे आशा है कि आप इसका कारण अपने जवाब में बतावेंगे। इसके बाद में मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि ट्रान्सपोर्ट और मोटर वेहिकल्स एक्ट में और उसके साथ-साथ तेजी के साथ महीने १५ दिन में रूल्स में संशोधन ला कर कभी आमदनी घटाने की ओर कभी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। समझ में नहीं आता कि इसके पीछे सरकार की क्या नीति है? बजट पर आप अपनी निर्धारित नीति पर कुछ करें, मगर मैं यह कहूँगा कि आप हर तरह की रेट आप कभी सीटों पर बढ़ाते हैं, कभी वजन पर बढ़ाते हैं और कभी घटा देते हैं इससे भी मोटर ऑनर्स और ट्रक ऑनर्स परेशान हैं और दूसरे लोग भी परेशान हैं। आप आखिर इस तरह की नीति क्यों अपनाते हैं? क्यों रेट्स को बढ़ाते हैं और घटाते हैं? कभी रेट्स बढ़ाते हैं और कभी घटाते हैं और जब आपके पास मोटर ऑनर्स और ट्रक ओनर्स आते हैं और मांग करते हैं तो आप उनको ओबलाइज करने के लिए या उनको खुश करने के लिये और उनको आपके रहमो व करम पर छोड़ने के लिये उन पर दया करते हैं। इसलिए आपकी नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट होनी चाहिये। आपको इस संबंध में स्पष्ट नीति को अपनाना चाहिये।

एक बात मैं यह कहूंगा कि आखिर ट्रन्सपोर्ट और रोडवेज़ में समन्वय नहीं चल रहा है। रोडवेज़ वाले अलग चलते हैं। आपकी नीति क्या है इसका साफ दिग्दर्शन होना चाहिये। जहां आपकी रोडवेज़ चलती है....

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की यह राय है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

जब तक आज का बिजनेस पूरा नहीं हो सदन का समय तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री मधुरेशबिहारी माथुर : आप इसका स्पष्टिकरण करें कि आप ट्रान्सपोर्ट विभाग की तरफ से प्राइवेट गाड़ियों को क्यों परमिट देते हैं? जब आप यह कहते हैं कि प्राइवेट ऑनर्स और रोडवेज में झगड़े चलते हैं। जब कि रोडवेज़ वाले कहते हैं कि प्राइवेट वाले हमारे आदमियों को खींचते हैं और वे कहते हैं कि हम नही खेंचते।

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

प्राइवेट गाड़ी वालों और रोडवेज में आपस में झगड़े पैदा होते हैं। मैं आपको किसी पर्टिक्युलर विषय के लिये नहीं कहना चाहता लेकिन आप अपनी नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट तो करिये। लेकिन आपका ट्रान्सपोर्ट विभाग अपना इस पर आधित्य रखने के लिये आर० टी० ओ० अपने मिलनेवालों को बराबर परमिट देते हैं और बराबर इन रूटों पर गाड़िये चलती हैं और आपस में झगड़े होते हैं। अभी परसों ही मुझे देखने को मिला कि आपके ट्रान्सपोर्ट की तरफ से ६० गाड़ियों के परमिट दिये गये। मै रोड–वेज की गाड़ी में था वहां अलवर में मैंने देखा वहां पर एस. पी. वगैरा सब थे। रोडवेज वाले कहते थे कि हम सवारी ले जावेंगे। हमको सवारी लेने का हक है। वे कहते थे कि हमको ६० गाड़ियों का परमिट मिल गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट बस ऑनर्स थे उन्होंने एक सवारी को भी रोडवेज में नहीं बैठने दिया। उस रोडवेज में मैं ही अकेला आदमी था। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आपके रोडवेज इन्सपेक्टर उनको कह रहे थे तो वे लोग उनको मारने के लिए तैयार थे। उन्होंने उनका चालान कराया मगर फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो उन पर करारोपण करते हैं और दूसरी तरफ सहूलियतें देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन बस वालों और ट्रक वालों को हर म्युनिसिपल बोर्ड में और पंचायतों में अलग–अलग टैक्स देना पड़ता है। आप ट्रक वालों से एक रेट लीजिये। मगर हर रूट में उनको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। पुलिस वाले अलग....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

(५. ०० म. प.)

सभापति महोदया, मैं बताऊं कि जयपुर से लेकर दौसा तक ३२ मील के एरिया के ऊपर ३ थानेवाले आते हैं। तीन थाने वाले उनसे रोक कर किराया लेते हैं। पंचायतों और म्युनिसिपल एरिया वालों ने बगैर किसी प्रावधान के बैरियर लगा रखा है और पंचायतों वाले और म्युनिसिपैलिटी वाले, बैल वालों से, ट्रक वालों से टैक्स लेते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार खां : पंचायती राज है। घर घर राजा होगा।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : एक तरफ राहत देने की बात कहते हैं पर क्या राहत देते हैं ? एक रूट पर जाने के लिए इन लोगों को सौ, पचास रुपया भूरसी के तौर पर आपके लोगों को बांटना पड़ता है। तो आप उनको राहत देते हैं या नहीं यह आपके देखने की बात है। जब आप इन लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको यह भी देखना चाहिये कि रास्ते में इन लोगों से और कोई तो टैक्स नहीं वसूल कर रहा है, इस पर तो आप अपनी नीति स्पष्ट कीजिये।

इसलिये मैं कहूँगा कि यह जो विधेयक आया है यह अपूर्ण है। इस प्रकार की

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

राहत देने की बात और नीतियों पर अच्छी तरह से विचार कर के ही एक अच्छा विधेयक लाना चाहिये जिससे कि इन सब को राहत मिल सके ।

श्रीमती सभानेत्री : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : सभानेत्री महोदया, जो मोटर ट्रान्सपोर्ट अमेंडमेंट बिल आया है और उसमें ट्रक्स के टेक्सेज के सम्बन्ध में २० पर्सेंट टैक्स की कटौती की गई है और जिसके पीछे कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि ट्रक टैक्स के ऑपरेटर्स से मिलकर इस प्रकार की कटौती की गई है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जनता की भावना की कद्र कर के, जनता को किस प्रकार का कष्ट, तकलीफ हो तो उसको दूर करने में सरकार ने जो यह कदम उठाया है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी । प्रशंसा करने के बजाय आलोचना करना कहां तक ठीक है ? यह मैं नहीं समझ सका । ट्रक्स वालों को देना पड़ता था, वह उन पर भार पड़ गया था, उसमें २० पर्सेंट कट किया है तो यह स्वागत योग्य बात है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : २० पर्सेन्ट कहाँ पर हुआ है, श्रीमान्‌जी ? १४०० ये १३८० किये हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : इन्क्रीज्ड का २० पर्सेंट कम किया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वही तो अर्ज कर रहा हूँ । जो टैक्स कम किया है इसी प्रकार बसेज के ऊपर टैक्स पैसेन्जर्स टैक्स बढ़ाया है, पैसन्जर्स टैक्स जो बसेज़ में बैठते हैं उनको देना पड़ता है, यह सारा जनता को देना पड़ता है, वह पैसेन्जर टैक्स बराबर बढ़ता जा रहा है । इस बारे में बजट के समय भी कहा गया था कि यह नहीं बढ़ना चाहिये । जो लोग बसेज़ में ट्रेवल करते हैं उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं ।

जब आपने थोड़े से ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में इस प्रकार की धारणा बना कर उनको इस प्रकार की रियायत दी है तो जो बसेज में बैठते हैं उनको भी इस प्रकार की रियायत देनी चाहिये, जिससे कि उनको राहत मिले ।

बजट पर बहस के समय मैंने कहा था कि कारों पर टैक्स बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं रखा है, न तो कारों पर टैक्स बढ़ाया जाता है और न ज्यादा पैसा लेने का प्रावधान किया जाता है । टैक्स का यह उसूल होना चाहिये कि जो ज्यादा पैसा दे सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे टैक्स वसूल किया जाय । कारें रखने वाले ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, पैसे वाले हैं इसलिये उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिये । तो मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार आपने पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है या तो उसको कम करें, यदि कम नहीं करते हैं तो जिन लोगों के पास प्राइवेट कारें हैं उनसे भी ज्यादा टैक्स लेना चाहिये जिससे कि राजस्थान की रेवेन्यू भी बढ़े । वास्तव में कारों वाले ज्यादा टैक्स देने की क्षमता भी रखते हैं ।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिस प्रकार ट्रक्स के बारे में ७ दिन की व्यवस्था की है, जैसा की मंत्री महोदय ने कल कहा, कई ट्रक वाले आते हैं और कह देते हैं कि मेरा ट्रक खराब हो गया है इसलिये, टैक्स नहीं लेना चाहिये, टैक्स इवेजन से बचने के लिये ७ दिन का टैक्स लिया गया है। मगर इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर के ट्रक्स आते हैं उनसे ७ दिन का टैक्स वसूल किया जायगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने क्या कहा, टैक्स इवेजन करने के लिये ऐसा किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मन्त्री महोदय ने वायदा दिया था कि ७ दिन का टैक्स इस वजह से टैक्स लगाया है कि कोई ट्रक आपरेटर के लिये ऐसी गुंजाइश न रहे कि वह टैक्स जमा नहीं कराये, टैक्स से बच जाय।

लेकिन इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के ट्रक्स बाहर जाते हैं, दूसरे प्रान्तों में जाते हैं तो राजस्थान के ट्रक वालों से दूसरे प्रान्तों वाले एक महीने का टैक्स वसूल करते हैं। आप बाहर वालों से दूसरे प्रान्तों वाले एक महीने का टैक्स वसूल करते हैं। आप बाहर वालों को यहां इस प्रकार की सहूलियत दे रहे हैं वहाँ दूसरे प्रान्तों वाले हमारे यहां के राजस्थान के ट्रक आपरेटर्स से वहां जाने पर १ महीने का टैक्स वसूल करते हैं तो ऐसी दशा में दूसरे प्रान्तों से बातचीत कर के हमारे यहां के जो ट्रक ओपरेटर्स वहां जाते हैं उनके लिये भी वही सहूलियत दिलानी चाहिये जो कि उनके वहां के ट्रकों के आपरेटर्स को आप यहां दे रहे हैं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी बजट के समय निवेदन किया था कि जो पैसेन्जर्स टैक्स वसूल किया जाता है इसमें काफी टैक्स इवेजन होता है। इसका कारण एक तो यह है कि सरकार की तरफ से टैक्स की बुक्स नहीं दी जाती हैं, और न स्टेम्प्स की व्यवस्था की जाती है, स्टेम्प्स की व्यवस्था करने के लिये पहले कई बार सरकार को निवेदन किया गया पर अभी तक सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। इस वजह से प्राइवेट बस ओपरेटर्स जो पैसेन्जर्स टैक्स पैसेन्जर्स से लेते हैं वह पूरा जमा नहीं कराते हैं अपनी जेबों में रख लेते हैं। इसको रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय ताकि पैसेन्जर्स टैक्स का पैसा बस ओपरेटर्स की जेबों में न जा कर सरकार के पास जमा हो जाय।

कुछ बातें रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन के बारे में माननीय सदस्य ने कहीं। मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि मोनोपोली सिस्टम एडोप्ट कर के स्टेट की रोड़वेज चलाई, इस वजह से चलाई कि इनसे लोगों को ज्यादा सहूलियतें मिलें और स्टेट को आमदनी भी हो। जब तक स्टेट के अन्डर में रोड़वेज का काम था तब तक काफी अच्छी व्यवस्था थी पर जब से कोरपोरेशन बना है, राजस्थान सरकार इसके मामलों में डायरेक्ट इन्टरफीयर नहीं कर सकती है इसके चैअरमैन हैं, जनरल मैनेजर हैं वे ही वसका काम देखते हैं। यह कोरपोरेशन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बना है तभी से इसकी व्यवस्था में ढील आ गई है। यहां तक देखा गया है कि गाडियों में बहुत से लोग विदाउट टिकट आते हैं, जिससे अव्यवस्था हो रही है और बसेज की आमदनी में भी कमी हुई है। इसमें चैकिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है। गाड़ियां हर कहीं ठहर जाती हैं। इन अव्यवस्थाओं को हटाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो कि कोरपोरेशन द्वारा जो गाड़ियां चलाई जाती हैं उनमें अच्छी व्यवस्था है, अधिक सहूलियतें हैं। अगर ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं की जाती है तो समाजवादी भावना बनाना चाहते हैं, नोन टैक्स-रेवेन्यू बढ़ानी चाहिये वह नहीं बढ़ेगी और जो कोरपोरेशन्स या इस प्रकार की संस्थाएं कायम करते हैं, उनसे लोगों के दिमाग में गलतफहमियां पैदा होती हैं।

और उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होतीं तो उससे जो हम आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं हो पाती। इसलिए जो कठिनाइयां हैं, हालांकि मन्त्री महोदय ने काफी स्टेप्स लिए हैं, फिर भी इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी उचित कदम उठाए जाएं और जितने भी लूपहोल्स हैं, लीकेजेज हैं उनको बंद करें। व्यवस्थित ढंग से इस कोरपोरेशन को चलाने की व्यवस्था करें ताकि जनता का इसमें विश्वास पैदा हो और राज्य की कोरपोरेशन की आमदनी ज्यादा बढ़े।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, यही मेरा प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, मैं समझता हूं, उनके संबंध ये मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है लेकिन इस विभाग के द्वारा यह जो व्यवसाय चलाया जा रहा है, इसकी जब तक आर्थिक स्थिति की दुबारा जांच नहीं करेंगे तब तक इस व्यवसाय के साथ निरन्तर अन्याय होता रहेगा। यह जो व्यवसाय है किसी पूंजीपति का नहीं है, यह ज्यादातर फाइनेन्स कम्पनियों से लोन लेकर काम करते हैं और अपनी थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर बड़े ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले में कोई न कोई दखल दे। टैक्सेज की बात नम्बर दो पर आएगी। ये कम्पनियों वाले इनका शोषण करते हैं। ब्याज के साथ तरह तरह के खर्चे वसूल करते हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी योजना में जो टैक्सेज का लक्ष्य रखा था उसके अनुसार राज्य में ३२ करोड़ की टैक्सेज वसूल करनी थी उसके बजाय ३७ करोड़ की टैक्सेज आपने वसूल की। राज्य को इससे जो आमदनी हो पाती है उससे अधिक फाइनेन्सर्स और पूंजीपति इनका शोषण करते हैं। सबसे पहले मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिनसे इन फाइनन्सर्स की लूट से इनको बचाया जा सके। ये ब्याज ही नहीं लेते, अगर कोई किश्त बाकी रह जाती है तो जो आदमी तकाजा करने आएगा उसके रिक्शा और तांगे का पैसा भी ट्रक वाले से लिया जायगा। नतीजा यह होता है कि जिन लोगों ने ट्रक्स खरीदे हैं उनके मालिक साल डेढ़ साल में बदल जाते हैं, उनका दिवाला निकल जाता है।

(श्री रामकिशन)

इस व्यवसाय की कितनी क्षमता है, कितनी वसूली कर सकते हैं, कितनी सुविधाएं देना चाहते हैं, इस पर एक समिति बिठाई जाय. पहले हमने फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी बिठाई, उसके अनुसार टैक्सेज लगते रहे लेकिन दूसरी योजना में इस व्यवसाय और राजस्थान की हालत में काफी परिवर्तन हुआ है। इस व्यवसाय पर हम आखिर टैक्सेज तो लगाते जा रहे है लेकिन सरकार हर साल ध्यान रखती है कि मन्त्रियों में वृद्धि के कारण कितने टैक्सेज बढ़ाए, सरकार को जो खर्चे कम करने चाहिए वे तो नहीं कर पाती लेकिन वह निरन्तर बेकार के खर्चे बढ़ाती जा रही है जिससे हर साल कोई न कोई अध्यादेश लाकर नए टैक्सेज लगाते हैं। अभी अध्यादेश लगाया, कुछ टैक्सेज घटाई गई हैं, कुछ बढ़ाई गई हैं। उधर राज्य में अकाल है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, उस समय तीन तीन और सात-सात मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों की फौज इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? अगर फैसले जल्दी होने लग जाते, अगर जनता को न्याय मिलने लग जाता तो सुखाड़िया साहब से निवेदन करूंगा कि १०५ को ही मन्त्री बना दें, लेकिन आखिर उनकी उपयोगिता क्या है? एक लाख का खर्च एक मन्त्री पर बढ़ जाता है, उनकी कोई क्षमता नहीं है, राज्य के काम में दिलचस्पी नहीं लेते। कामराज प्लान की चर्चा सुनी, सबने सुना कि मन्त्रियों की संख्या में कमी होगी लेकिन बजाय ८ के अब २४ हो गए और चुनाव तक इनकी तादाद ३० तक जरूर पहुंच जायगी। आखिर यह क्यों? युद्ध के समय में सैनिक भर्ती होते हैं, बटालियन्स खड़ी की जाती हैं, राजस्थान के मन्त्रियों को युद्ध के मोर्चे पर नहीं चलना है, आखिर बेकार खर्चा किसलिए बढ़ाते जा रहे हैं? यह इसलिए नहीं कि राज्य के लिए कोई इनकी उपयोगिता है, इसलिये नहीं कि शासन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि क्योंकि सुखाड़ियाजी और कुम्भारामजी में मतभेद हैं, राज्य के खजाने को इसलिए लूटा जा रहा है कि अपनी ताकत मजबूत करने के लिए इनको मन्त्री बनादो, ये हमारे साथ हो जायेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपने विषय पर आयें।

श्री रामकिशन : मैं उस विषय पर बोल रहा हूं कि खर्चा बढ़ रहा है।

श्री चन्दनमल वैद : इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब मुख्यमंत्री ही देंगे, उस समय आप बोलें।

श्री रामकिशन : मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे। मैं खर्चे के संबंध में बोल रहा था। रोया उसके सामने जाय जिसको कोई विवेक हो, शर्म हो, यहां रोना बेकार, कहना बेकार। यह सरकार एक तरह से राष्ट्रीय निर्लज्जता का स्वरूप है, जिसमें विवेक नहीं है, बेहया की तरह हम इन चीजों को बरदाश्त करते जा रहे हैं। हमको दुख नहीं कि श्री चंदनमल का प्रोमोशन हो। लेकिन दुख इस बात का है कि आप जो परम्पराएं डाल रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के मालिक हैं, दूसरे दल आपके पदचिन्हों पर चलेंगे। अगर उनको मौका लगा तो वे भी ५०-५० मंत्री रखेंगे।

Page No.119

(श्री रामकिशन)

आप उस वक्त चिल्लाओगे कि इतने मंत्री क्यों बनाते हो ? उस समय आपको याद दिलाया जायगा कि आपने २४ बनाए हमको ४८ बनाने का हक है तो आप गंभीरता से विचार करें, राष्ट्रीय हित से सोचें।

इन ट्रक वालों की दशा किसी से छिपी नहीं है। इनसे तो हरेक टैक्स वसूल करने वाला है। पुलिस का सिपाही पैसा लेता है, ट्रान्स्पोर्ट का अधिकारी जिसको आप सबइन्स्पेक्टर कहते हैं, वे लेते हैं। आपका व्यवसाय चलता है, चंदनमलजी आप बड़े व्यापारी हैं लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं कि एक सबइन्सपेक्टर जितना आनन्द से रहता है आप नहीं रहते। यह सही है कि एक १२५) पाने वाला सबइन्सपेक्टर जीप और रेफ्रीजिरेटर रखता है। तीन हजार महावार का माल आगरा में खरीदते हैं। आप उनको रोक सकते हो ? आप में क्षमता नहीं है। पूरा आवा का आवा खराब है। सुधारें किसको ? जो ३,०००) लेता है वह दो हजार रु० ऊंचे अधिकारियों को देता है। मैंने देखा है कि ट्रान्स्पोर्ट इन्स-पेक्टरों की जीप में बैठकर कलेक्टर की बीवी आगरा में सामान खरीदने जाती है। क्या अधिकार है आपको टैक्स मांगने का, जब टैक्सपेयर को लूट से नहीं बचा सकते हो। इसमें भी कितना भयंकर पक्षपात है। आपके विभाग में आने से पहले, यहां के ट्रांस्पोर्ट विभाग ने १० सबइन्स-पेक्टरों की नियुक्ति की, उनको ६-६ महीने की ट्रेनिंग दी। दूसरे मंत्रीजी बदले, उनकी नीति बदली, इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको निकालो। इनमें कुछ लड़के ऐसे थे जो एम. ए. थे। मैं मानता हूं कि मनुष्य में कमजोरी होती है आपके दल के किसी सेक्रेटरी का लड़का है उसको प्रमोशन दे दिया लेकिन एम० ए० वाले को इसलिए हटा दिया गया कि उसकी विभाग को जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ी एम० एल० ए० के लड़के को, कांग्रेस के सचिव के लड़के को नियुक्तियां दी जायगीं। एम० ए० को छोड़कर मैट्रिक वालों को बनाया गया। जो कांग्रेस के मंत्रियों या सचिवों के लड़के इन पदों पर बने हैं उनके साथ मुझे सहानुभूति है, कांग्रेस वालों को इतना ही कमाने का अधिकार है जितना हमको लेकिन न्याय तो करिए। एम० ए० जो था उसको हटा दिया, मैट्रिक सप्लीमेंटरी वाले को प्रमोशन देते हैं। आपका जो आदमी है उसको जयपुर में लगाते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है उसको बाड़मेर भेजते हैं। आखिर इन चीजों को आप नहीं रोकेंगे। तो इससे असंतोष धीरे धीरे जनता में व्याप्त हो रहा है। हमको तो इससे फायदा है, हम जनता को आपके कारनामे बता सकते हैं लेकिन हम लोकतन्त्र के हित के लिए चाहेंगे कि सर-कार में और सरकार के व्यक्तियों में लोगों की निष्ठा में कमी न आए। लोग कम से कम यह तो मान कर चलें कि मंत्री चरित्र के माने में ऊंचे होते हैं। यह आपके कल्याण के लिये नहीं है, जन कल्याण के लिये है। मिनिस्टर लोग बदलें तो कम-से-कम स्थिति तो न बिगड़े जिसको कि सुधारना बड़ा मुश्किल न हो जाय। इस विभाग में मथुरादास जी आये, उन्होंने कार्य किया, वे गये, दूसरे आये....,

(श्री रामकिशन)

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यही तो मामले हैं । सम्बन्धित ही बोल रहा हूं । आप जल्दी समाप्त कराना चाहेंगी तो मैं निश्चित रूप से जल्दी ही समाप्त करूंगा ।

रोड ट्रान्सपोर्ट के बारे में एक बात कहना चाहता था । बाकी बातें मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर कहूंगा । लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि रोडवेज से हमने अन्दाज लगाया था कि हमें २१ लाख रुपया मिलेगा। रोडवेज की क्या हालत हुई ? तीन सवा तीन लाख रुपया मिला । मेरे प्रश्न का उत्तर आया उस पर मैं यह बता रहा हूं । स्थिति तो यह हो रही है कि २१ लाख से घट कर दो लाख तक पहुँच गये हैं। बसेज मामूली काम से खड़ी हैं। मरम्मत के लिये आपने टेन्डर इन्वाइट कर लिये । टेन्डर वालों को लिख कर दे दिया कि हमारे पास फार्म नहीं हैं । इसमें बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं । आप तो पन्द्रह साल तीस साल के बिजनिस से बनेंगे । यहां तो लोग वैसे ही बहुत थोड़े समय में बन गये । बोम्बे की कंपनी ने बोडी बनायी । एक एक बोडी में दस हजार रुपया ज्यादा लगे । राजस्थान की स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज ने कहा कि हम सस्ते में बना देंगे लेकिन नहीं, उन्होंने बोम्बे की कम्पनी से बनाया जिसने खूब पैसा लोगों को दिया, लोगों के स्वार्थ थे इसलिये वहां से बोडी बनवाई गयी और परिणाम यह हुआ कि दस दस और आठ आठ लाख का घाटा हो गया । हरिभाऊ जी जिस समय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थे उस समय रिप्रेजेन्टेशन दिये लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ । मथुरादास जी को भी ज्ञापन दिया, और अब आपकी जानकारी में यह होगा । क्यों बम्बई से बनवाते हैं ? आपके यहां बोडी बनेगी, मरम्मत होगी तो आपके मिस्त्री देखेंगे । बम्बई में जो घोटाले होते हैं वे वहां नहीं देख सकते । बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं, बड़े बड़े कमीशन हैं अधिकारियों के । इन सारी चीजों को नहीं रोकेंगे तो आप हिम्मत कैसे करते हैं टैक्स लगाने के लिए । ताज्जुब है आपकी हिम्मत पर । हिन्दुस्तान में ऐसा साहस और किसी पार्टी में नहीं है कि जिसके सामने रोओ, चिल्लाओ, गाली दो, जैसे मस्त हाथी चलता है वैसे यह पार्टी चलती जाती है, कोई किसी प्रकार की चिन्ता नहीं, टैक्स लगाओ, मनमाने लगाओ, गरीब लुटे, मरे, कुछ नहीं करे लेकिन उसमें आपका एक पैसा भी बाकी नहीं बल्कि लाखों रुपया आपके लोगों में बाकी है, उनका आपको काफी पता है । उनसे आपका मेल जोल है आप उनसे वसूल नहीं करते । गरीब की गाड़ी नीलाम हो जावेगी, पैसे वाले की नहीं होगी । जिनके पास चल अचल सम्पत्ति नहीं है, उनके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा । इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब के लिए मैं मंत्रीजी का आभारी हूँ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप बार बार घंटी बजा रही हैं किसी को बोलने भी नहीं देंगी ? तीन घंटे इसकी बहस के लिये निर्धारित किये हैं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मुझे मालूम है । मैं सोच समझ कर ही घंटी

(श्रीमती सभानेत्री)

बजा रही हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप बार बार घंटी बजा रही हैं इसलिये बोलने वालों को डिस्टर्ब होता है....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य। बैठ जांय। Please sit down

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप हिन्दी में बोलिये। मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि आप अभी रूस होकर आयी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बार बार आप घंटी बजाती हैं....

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप डिस्टर्ब करती हैं घंटी बजा कर बोलने वाले को....

श्री रामकिशन : आसन की भावनाओं की कद्र करते हुए मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

मंत्रीजी कुशल हैं। टैक्स का ही वजन नहीं है। तृतीय योजना में डीजल, मोटर पार्ट्स आदि पर काफी पैसा बढ़ गया है। इनमें इतनी बढ़ोतरी हुई है जितनी हिन्दुस्तान के अन्दर किसी चीज में नहीं हुई है। मोटर वालों के मार्जिन को देख कर तो कोई मार्ग निकालना है।

श्री चन्दनमल वैद : हमने कम किये है।

श्री रामकिशन : बढ़े हुए को कम किया है। १५ जूते लगा दिये और कहा कि दो कम कर दिये हैं। तीसरी योजना के अन्त में और चतुर्थ योजना के अन्दर घास का उत्पादन बढने वाला है, कपास का उत्पादन बढने वाला है और १५ लाख का विनियोग करने वाले हैं, दोनों योजनाओं में इस मोटर व्यवसाय के काफी बढने की संभावना है। आप इस उद्योग को बड़े बड़े आदमियों के हाथ में देते जा रहे हैं। छोटे २ आदमी एक लोरी लेते हैं, ट्रक लेते हैं उनकी बिक जाती है और पैसे वाले के पास चली जाती है। कम से कम आप पांच पर्सेन्ट तो समाजवाद मानते हैं।

श्री चन्दनमल वैद : आप से ज्यादा।

श्री रामकिशन : मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। आप बुजुर्ग हैं। मेरे से ज्यादा समाजवादी होंगे। आपके दल के लिये कहता हूं कि कम से कम पांच पर्सेन्ट तो लक्षण दिखायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन से माइक्रोस कोप से ?

श्री रामकिशन : यदि मैं यह भी नहीं कहूंगा तो आठ दस साल से जिससे चिपके हुए हैं उनका दिल टूट जावेगा। अभी तो उनका प्रमोशन हुआ है।

कहीं भी समाजवाद तो सोचिये। एक ट्रक वाला दिवाला निकालता है तो पांच ट्रक वाला उसको खरीद लेता है। प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि यह कुछ हाथों में ही सेन्ट्रलाइज न हो जाय। आप जानकारी प्राप्त कीजिये कि किन किन नामों से खरीद ली

Page No.122

(श्री रामकिशन)

हैं। दस दस बीस बीस ट्रक, मोटरवाले होते जावेंगे और दूसरे ड्राइवरों और क्लीनरों का उद्योग बन्द होता जावेगा। आपके सामने नये और बेरोजगार आकर खड़े हो जावेंगे। इसलिये मैं आपके कार्य को आपकी वाणी से नहीं आपके कर्म से आंकूगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपकी तारीफ करूंगा। जनता आपकी तारीफ करेगी। कर्म से भ्रष्टाचार को मेटेंगे, फिजूल खर्ची को रोकेंगे, रोडवेज में जो बरबादी की गई है और लोगों ने अपने शीश महल बना लिये हैं आपके बगल में, उनका पता लगायें कि कहां से पैसा आया। यह नहीं करेंगे तो लोकतन्त्र में विश्वास नहीं जमेगा। और व्यवसाइयों के दिलों में भी आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। जब आप चले जावेंगे तो वे सलाम आज देते हैं वे कल बन्द कर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान मोटर वैहिकल टैक्सेशन (सेकिण्ड अमेन्डमेंट) बिल, १९६६ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है तीसरे रीडिंग में।

इसमें सन् ५१ के एक्ट के तीन शिड्यूल को अमेण्ड करके शिड्यूल दो, तीन और चार में टैक्स रेट रिड्यूस की गई है और साथ ही इन्सपेक्टरों को रिकवरी के विस्तृत अधिकार दिये गये हैं ताकि एरियर और टैक्स की रिकवरी इफेक्टिवली की जा सके।

सारे भारत में ट्रक प्लायर्स की स्ट्राइक हुई और उन्होंने डिमाण्ड रखी कि काफी हैवी टैक्सेशन है उन पर, उसको रिड्यूस किया जावे।

राजस्थान के ट्रक प्लायर्स ने भी स्ट्राइक की और अपनी डिमाण्ड रेज कीं। काफी समय तक तो सरकार ने इस पर ध्यान देना ही मुनासिब नहीं समझा।

(५.३१ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

लाखों रुपयों की एक्सचेकर को उससे हानि हुई। यह स्ट्राइक काफी लम्बे अर्से तक चलती रही। मैं कह सकता हूं कि अकेले गंगानगर में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ इससे।

एक गंगानगर शुगर मिल्स को ही ले लीजिये। अगर ये ट्रक उन दिनों बन्द नहीं होते तो शुगर मिल के लिये पंजाब से जो गन्ना आ रहा था और जिसे वह क्रश कर रही थी और जो आज १३ लाख की इन्कम शो की है, वहां अधिक गन्ना क्रश करती वह मिल, और १७ लाख तक इन्कम शो कर सकती थी। पर ट्रकों की हड़ताल से गन्ना आता आता रुक गया।

आखिर में सरकार ने उनकी मांग मानी। बकरी ने दूध जरूर दिया, पर मींगनी डाल कर दिया। लाखों रुपयों का नुकसान अपना कराकर सरकार ने मांग मानी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बकरी कौनसी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौनसी बकरी का जिक्र कर रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके जैसे बोक के होते हुए मुझे बकरी की क्या जरूरत है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ट्रक प्लायर्स को आश्वासन दिया गया कि जिस रेट से पंजाब टैक्स रिड्यूस करेगा उसी रेट से हम आपके टैक्स रिड्यूस करेंगे। जो जो कन्डीशन्स पंजाब पूरी करेगा, वे सारी कन्डीशन हम पूरी करेंगे। पर इन चीजों का पालन सरकार ने कतई नहीं किया। मैं आपके सामने दोनों शिड्यूल प्रस्तुत करता हूं। आप जरा मुलाहिजा फरमाइये कि कैसी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है !

श्री चन्दनमल वैद : यह शब्द आप बहुत यूज करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह इनका पेटेन्ट शब्द है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिड्यूल नम्बर दो देखिये। दस रुपया रिड्यूस किया है लोड कैरिंग कैपेसिटी दो टन तक पर। दो टन से पांच टन पर १६) रिड्यूस किये हैं, और यों चलते चलते ३० टन से ऊपर की ट्रक का आपने २५०) रिड्यूस कर दिया है।

यानी जो जितना गरीब उसके लिये उतना ही कम रिडक्शन। और जो जितना अमीर उसके लिये उतना ही ज्यादा रिडक्शन कोई आम गरीब ट्रक प्लायर तीस टन से ऊपर माल नहीं ढोता, न ढो सकता है। यह तो बिडलाजी सरीखे या डी. सी. एम. चरतराम भरतराम सरीखे ही ढो सकते हैं और सरकार का यह इन्टेन्शन कि जो जितना अमीर है उससे उतना ही कम टैक्स लिया जाय और जो गरीब है उससे उतना ही अधिक टक्स वसूल किया जाय, यह तथ्य इससे उभर कर सामने आ जाता है।

सरकार गरीबों से टैक्स अधिक वसूल करना चाहती है। वह मिट्टी में से तेल निकालना चाहती है। पर जो जितनी बड़ी कम्पनी है, उससे उतना ही कम टैक्स लेना चाहती है और फिर समाजवाद का दम भरती है। यह नम्बर तीन शिड्यूल में आप मुलाहिजा फरमा लें।

इसके अतिरिक्त जो बाहर के ट्रक्स हमारी रोड को यूज करते हैं और उनको जो टेम्परेरी परमिट लेना पड़ता है पहले तो हैवी और लाइट ट्रक के लिये १२) और १८) दो स्पेसीफाइड रेट थी। अब लोड के मुताबिक उनसे रेट चार्ज करना शुरू किया है और जहां उनको मिनिमम एक वीक तक प्लाई करना पड़ता था एक वीक का परमिट लेना पड़ता था वहां फ्रैक्शन ऑफ वीक भी ले सकते हैं; एक दिन का भी ले सकते हैं, दो दिन और तीन दिन का भी ले सकते हैं यह इनायते रूल आपने की है, जो किसी भी दूसरे राज में नहीं है। आपने यह राजस्थान में कैसे कर दिया ? मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब में चले जाइये आप, १५ दिन से कम नहीं है। बम्बई में एक महीने से कम का नहीं लेना पड़ता। पर यहां कितने भी चले आइये एक दिन का ले लीजिये और फिर रेट देख लीजिये। अपनी और दूसरों की।

Page No.124

श्री चन्दनमल वैद्य : अब हफ्ते से कम का नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : you have replaced it. Such vehicles will be allowed to ply under a daily temporary permit........

श्री चन्दनमल वैद : अगर आठ दिन चलेंगे तो सात दिन प्लस एक दिन। यों होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले यह था न ?

श्री चन्दनमल वैद : अब संशोधन कर दिया है। अब तो आप खुश हैं आप ? धन्यवाद देते फिर ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद है साहब। पर आप पात्र नहीं है इसके।

श्री चन्दनमल वैद : जायज काम करें तब भी धन्यवाद नहीं दें तो मुश्किल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर मेरे धन्यवाद से आपका उद्धार हो सकता है तो एक मन धन्यवाद। पर मेरा धन्यवाद रसातल में ले जावेगा आपको। कहीं सुखाड़ियाजी नाराज न हो जावें ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं आपके साथ रसातल भी जाने को तैयार हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ अधिक पॉवर सरकारी अधिकारियों को दी गई है टैक्स इवेजन से डील करने में। इससे आम जनता के संकट और कष्ट और बढ़ेंगे ही घटेंगे नहीं। लेकिन चूंकि टैक्स इवेजन का एक हंगामा सदन में लगातार होता रहा। पैसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में बहुत गम्भीर भाषण हुए। हमने लिस्ट प्रस्तुत की। बड़े बड़े दिग्गज लोगों के टैक्सों के आंकडे जिनका सम्बन्ध मुख्य मन्त्रीजी से, उच्चाधिकारियों से था, इस सदन में बसन्तकुमार, मन्ना भाई, उनके लाखों के टैक्स इवेजन के आंकड़े प्रस्तुत हुए और हमारे वित्त मन्त्री ने बड़े गौरव से यहां घोषणा की थी कि मैं तीन महीनों के अन्दर अन्दर उनकी रिकवरी करा लूंगा पर एक साल के बाद भी सदन के सदस्य चिल्लाते रहे पर उनकी रिकवरी नहीं हुई। दो साल बाद भी, चिल्लाये पर, नहीं हुई।

तो ऐसी स्थिति में, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे इनको आर० टी० ओ० को सर्व शक्तिमान बना दीजिये, वे किसी लुंज पुंज की बस जरूर खड़ी करा ले जावेंगे पर यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ों बड़ों का टैक्स आज भी बाकी है और आगे भी आप उनसे वसूल नहीं कर सकेंगे। राज का कोई कानून उन पर लागू नहीं होगा। जो कानून आम नागरिकों पर लागू होता है, कोई ऐसी चीज चिकनाहट है उन पर, कि वह कानून आपका अगर उन पर गिर भी जाता है तो फिसल कर फिर नीचे गिर पड़ता है। आम कानून से ये लोग नहीं हांके जा सकते। वे इससे परे हैं।

कुछ बहुत गम्भीर सुझाव इस सदन में इन टैक्स इवेजन के लिये दिये भी गये कि पैसेन्जर टैक्स का इवेजन जिस प्रकार से किया जाता है वह इससे रुक जावेगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कुछ बड़ों ने जिन पर आम कानून आपका लागू नहीं होता, जो पैसेन्जर टैक्स उनको सरकार में जमा करा देना चाहिये था, उसे वे अपने पर्सनल यूज में साल दर साल लेते रहे। एस्टीमेट कमेटी ने बड़ी गम्भीर रिपोर्ट इस बारे में दी है, सभापति महोदय, कि किस प्रकार कितनी राशि लोग अनाप-शनाप तरीकों से कितने लम्बे समय तक यूज करते चले गये तो इस सम्बन्ध में उसने सुझाव दिये थे। माननीय सदस्यों ने दिये। कहा गया कि सरकार इसके लिये टिकट छपवाए और जिस तरह से सिनेमा से आप इनके द्वारा एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करते हैं और इससे कोई खतरा इवेजन का नहीं रहता उसी तरह से पैसेन्जर टैक्स के लिए भी टिकट दे दें उनको। जिस पर सरकार की छाप लगे टिकट हों, वही पैसेन्जर टिकट वेलिड समझा जावेगा। अगर आप यह कर देते तो असीमित अधिकार इन अधिकारियों को देने की गुंजाइश और आवश्यकता ही नहीं रहती और इससे जो शक्ति बचती वह और किसी काम में आप लगा सकते हैं। नहीं तो इससे तो और अधिक भ्रष्टाचार ही फैलेगा।

मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल प्रस्तुत करता हूं। गंगानगर में बहुत ओवर-लोडिंग होता है; जबर्दस्त ओवरलोडिंग होता है। जनता के प्रतिनिधियों ने बस मालिकों से बार बार इसके बारे में कहा।

(५.३८ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभा-नेत्री, पदासीन)

पर केवल गंगानगर से पदमपुर तक प्लाई करने वाले बस मालिकों ने यह निर्णय किया कि ओवरलोडिंग नहीं करेंगे।

हम ५१ से ५२ वीं सवारी नहीं बैठायेंगे और कोई भी बस ५२ वीं सवारी नहीं लेगी; तो उसके ऊपर उन्होंने निश्चित दण्ड रखा। गंगानगर से हनुमानगढ़ की बसेज में टेरिबल ओवरलोडिंग है, हनुमानगढ़ से अबोहर की बसेज में टेरिबल ओवरलोडिंग है। एक के बाद दूसरा पत्र और एप्रोच किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन आर० टी० ओ० और इन्सपेक्टर ने उस रूट पर चालान करना शुरू कर दिया। उन मोटर मालिकों का विक्टीमाइजेशन करना शुरू कर दिया जहां कि सर्वसम्मति से निर्णय लेकर ओवरलोडिंग को बन्द कर दिया गया। चालान करना इसलिए शुरू कर दिया, सभानेत्री महोदया, कि उनकी कमाई बंद हो गई। ट्रान्सपोर्ट विभाग के कर्मचारियों ने और पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने छोटी छोटी बसों के चालान करने शुरू कर दिये और इसकी प्रेरणा देना शुरू कर दिया कि आपने ओवरलोडिंग क्यों बन्द कर दिया? सभापति महोदया, जो हनुमानगढ़ से अबोहर तक बस जाती है वह छत तक लदी हुई होती है और जब नाला आ जाता है तो गाड़ी टाउन पर खड़ी हो जाती है और टाउन से जंक्शन बसों से जाना होता है। सरकार को चिन्ता नहीं होती कि ऐसी रूटों पर कुछ बसों की तादाद बढ़ा दे। इतना रश और कन्जेशन हो जाता है कि वहां पर प्रॉब्लम क्रियेट हो जाती है। सूरतगढ़ का रूट बन्द हो जाता है और लोग बोट से जैतसर पर उतरते हैं। ओवरलोडिंग होता है जबरदस्त और जिस तरह से बकरे ठूंस कर भरे जाते हैं, उसी तरह से मनुष्य भरे जाते हैं।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त मैं अंत में अर्ज करना चाहूंगा, बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए क्योंकि मेरे एस० एस० पी० वाले बंधु बड़े बेकरार हैं तकरीर देने के लिए ...

श्री मुरलीधर व्यास : हम सुनना चाहते हैं इनका भाषण।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं केवल आपको नहीं सुनाना चाहता हूं सब को सुनाना चाहता हूं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं अन्त में कहूंगा कि जो लाखों रुपया टैक्स इवेजन के सम्बन्ध में जो गति तीव्र सरकार ने की है और कुछ बसेज़ वगैरह सीज़ की है और इस रिकवरी की दिशा में अब अधिकारीगण कभी कभी सड़कों पर नज़र आने लगे हैं और छोटे-मोटे चैकिंग भी करने लगे हैं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि ...

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

जो मगरमच्छों के पास बड़ी बड़ी राशि बकाया है माननीय चन्दनमलजी....

श्री चन्दनमल बैद : चन्दनमल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां चन्दनमलजी बैद, मैसूर सण्डल सोप, महारानी सण्डल सोप, मैं निवेदन करूं कि उनसे भी रिकवरी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए केवल रोडवेज के गरीब कर्मचारियों को विक्टीमाइज नहीं करते रहें। वह १५० कर्मचारी जो कि काफी समय से सस्पेण्ड पड़े हैं केवल अपनी तलवार उन कर्मचारियों पर ही मत चलाया करिये। इनकी टैक्स रिकवरी का एग्जीक्यूशन कीजिये और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा आमदनी देने वाली चीज है आपकी राजस्थान स्टेट रोडवेज उसकी ओर भी ध्यान दीजिये और जिस प्रकार की बदनामी राजस्थान स्टेट रोडवेज की हो रही है वह राजस्थान के लिए कलंक का विषय है जिसको लाखों रुपयों का नुकसान इस बात का हो चुका है कि बसेज जगह जगह ब्रेकडाउन हो जाती हैं, रास्ते में खराब हो जाती है। सभापति महोदया, बसेज नई आती है अभी लीलेण्ड की बस आई, उनके कुछ और स्पेयर पार्ट्स लोग आलमारियों में से उठाकर ले गए और बसेज खराब होती है, खड़ी हो जाती है और लोग घन्टों दूसरी बस का और ट्रक का इन्तजार करते रहें। उनके पास स्पेनर्स नहीं होते कि स्टैपनी दूसरी चढ़ा लें। गाड़ी के मामूली लूप के टूटने की वजह से बसेज खड़ी होती रहती हैं। नये आदमियों को ग्रेड्स मिल जाती है, प्रमोशन मिल जाते हैं लेकिन पुराने आदमियों का विक्टीमाइजेशन जारी है। उनको न तो ग्रेड्स है न प्रमोशन है। यदि बस ठीक होने आती है या ड्राइवर बस लेकर जाता है तो कायदा यह है कि फोरमैन सर्टिफिकेट दे कि बस फिट है लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। गरीब ड्राइवर्स लिखकर देते हैं कि इसका ब्रेकडाउन होगा लेकिन कह दिया जाता है कि बस ले जाओ। सारे राजस्थान के अन्दर यात्रा करने वालों को इससे भारी कष्ट और संकट हो रहा है। तो मेरा सरकार से और आप से निवेदन है कि कृपा कर इस ओर भी ध्यान दिया जाये। हमारे यहां राजस्थान रोडवेज एक प्रोफीटेबल इन्सटीट्यूशन है यह साबित हो चुका है। आज जो लोग राष्ट्रीयकरण के विरोधी हैं जो नहीं चाहते कि रोडवेज चलें वह इसको फेल करना चाहते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी इसमें बैठी हुई है उसका मकसद है कि यह रोडवेज सफल नहीं हो। वह प्राइवेट इनवेस्टमेन्ट करने वाले इस बात में इन्टरेस्टेड नहीं हैं कि यह रोडवेज सक्सेसफुल हो।

माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं यह समाजवाद की बात करते हैं। हो सकता है वहां ५० परसेन्ट समाजवाद आ गया हो। पता नहीं उन्होंने कौन सी माइक्रोस्कोप से देख लिया। मुझे तो एक परसेन्ट भी नहीं दिखता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है उनकी बदनामी के लिए वहां सर-कमस्टान्सेज क्रियेट करते हैं। आपकी रोडवेज की बसेज जगह-जगह खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ आपके पड़ोस में पंजाब वाले रोडवेज चलाते हैं। आप उनके आंकड़े लेकर देखें....

श्री मथुरादास मिश्रा : वहां भी तो कांग्रेस का राज्य है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कांग्रेस का राज्य ... है, ... आप में कुछ डिग्री में अच्छा है। ... एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसलिए माननीय चांदनमलजी मेरा मतलब चन्दनमलजी वैद ! आपने यह विभाग नया नया सम्भाला है, उसमें से चन्दन की सुगंधि तब आयेगी जब आप गंभीरता से इसको लेंगे नहीं तो चन्दन की खुशबू नहीं आयेगी ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोविन्दसिंह !

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : चेयरमैन महोदया, राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक मोटर गाड़ियों पर २० प्रतिशत कटौती की है यह तो साफ चीज है पर मेरी समझ में नहीं आता कि आप बजट सैशन में पहिले बहादुर बनकर टैक्स लगाते हैं और हम कहते हैं कि यह टैक्स ज्यादा होगया और कम होना चाहिए लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनते और हमारे चले जाने के बाद ही एटाडक होता है और कुछ व्यक्ति आपसे मिलते हैं तो आप उसको कम कर देते हैं । इससे ऐसा मालूम होता है कि जो चीज आपको पहिले करनी है आप उसको सोच समझ कर क्यों नहीं करते है ? इससे जनता में भ्रम पैदा होता है । इसी बजट सैशन में मैं समझता हूं कि जो हम चुने हुए दो करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं हम कहते हैं कि यह टैक्स कम कर दो या मत लगाओ और हमारी बात आप नहीं मानते हैं और कुछ आदमी आप से बातें करते हैं तो आप उनकी बातें मानते हैं । या फिर लोगों के आन्दोलन करने के बाद में ऐसा करते हैं और मैं समझता हूं कि आन्दोलनों की प्रवृत्ति हमारे अन्दर इतनी गलत डाल दी है कि यह आन्दोलन विद्यार्थियों तक में चला गया है । कुछ विद्यार्थियों की मांगें विश्वविद्यालय ने मन्जूर नहीं कीं इस पर उनको हताश होकर आन्दोलन करना पड़ा और आप झुक गये । इसका मतलब यह है कि जो कुछ आप कानून बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आपके ऊपर आन्दोलन आयेगा तो आप बन्द कर देंगे । यह जनतंत्र के लिए खतरा पहुंचाने वाली चीज है, आप विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता का सबक मत सिखाओ । जो प्रण हम यहां विधान सभा में करते हैं उसको कम से कम अच्छा हो या बुरा हो साल भर तक हमको चलाना चाहिए । यह मेरा निवेदन है ।

जहां तक २० परसेन्ट की कटौती की है अगर इससे सारे के सारे राजस्थान के ऊपर असर पड़ने वाला है तो मैं बधाई देता हूं । लेकिन मोटर चालक जो कि गिनती के हैं वह इससे इफेक्ट हुए है । आप जस्टीफाई करते कि रोडवेज आपको ज्यादा पैसा देता है, आप जस्टीफाई इसको करते कि क्योंकि आज रोडवेज पैसा दे रहा है इसलिए २० परसेन्ट कटौती कर रहे हैं । राजस्थान रोडवेज का प्रश्न ऐसा है कि आज नया कारखाना खुलता है हो सकता है पहिले पहिल घाटा हो । लेकिन ज्यों-ज्यों अनुभव होता जा रहा है हमें ज्यादा लाभ होना चाहिए । लेकिन रोडवेज की बिल्कुल उल्टी गति है । ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें करप्शन घुसता जा रहा है, खराबियां घुसती जा रही हैं । अब एक नई चीज देखी है । अगर जयपुर से भीलवाड़ा तक आप जायें तो आपको ५-६ बसेज रास्ते में रोडवेज की मिलेंगी । शायद हमको ऐसा लगता है कि यह बसेज स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं । मैं समझता हूँ कि एक एक दिन में ६-६ बसेस मिली हैं । जहां खड़ी होने का प्रश्न नहीं आता है । एक गांव है चेयरमैन महोदया, दरा और वह एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां राजस्थान की रोडवेज की बसेज खड़ी होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहां कुछ टायर्स बेचे जाते हैं, बैटरीज बदली जाती हैं । मैं उसको ठीक नहीं मानकर चलता हूं । अब उस दरा गांव में जहां पर दो-दो मील तक कोई भी आने वाला नहीं है, कोई वहां पर जाने आने वाला नहीं है, जहां पर कोई आदमी जा नहीं सकता, वहां पर तीन तीन बसें खड़ी हुई थीं २९-८-६६ को उन बसों के नम्बर हैं १०६५, १०७४ और ८५४ । यह मुझे ताज्जुब होता है कि इस तरह से क्यों होता है ? और भी तो बहुत से स्थान हैं जहां बसें रुक सकती हैं, लेकिन वहां पर जाकर ही तीन-तीन बसें क्यों खराब

(श्री गोविन्दसिंह)

हो गई ? इसके मायने यही हैं कि यहां पर आकर बस की बैटरियां बदलती हैं, यहां पर आकर बसों के टायर बदले जाते हैं और इसीलिए वहां पर ब्रेक डाउन होते हैं। आज प्रश्न यह है कि राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर्स को या कण्डक्टर्स को कोई बात कहते हैं तो रोडवेज की बसें वहां खड़ी हो जायेंगी। लोग बसों में खड़े खड़े यात्रा करते हैं; बसें ओवर लोड होकर चलती हैं। मैंने कई दफा देखा कि बसें ओवर लोड हो जाती हैं। इसमें एक बात तो साफ तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहिले की ही बात है निवाई के बस स्टेंड की बात है। वह बस एक्सप्रेस बस थी और फुल लोड बस थी, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से फुल लोड बस थी। वह बस वहां से रवाना होती है और करीब ५० फीट जाने के बाद उसमें और १५ सवारियां बैठा ली जाती हैं। मैं भी उस बस में यात्रा कर रहा था, उसको यह मालूम नहीं था कि मैं एम. एल. ए. हूं। मैंने पूछा उस बस के कण्डक्टर से कि क्या इन सवारियों के टिकिट काट दिए, तो उसने कहा कि टिकिट तो नहीं काटे। जब मैंने उससे टिकिट काटने के लिए कहा तो वह नाराज होकर कहने लगा कि अमुक व्यक्ति कहता है इसलिए बस में से उतर जाओ। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं यह कह रहा हूँ कि टिकिट देकर इनको बस में बैठाओ ताकि इसका पैसा सरकार के खजाने में जावे। अगर टिकट नही काटोगे तो इसका पैसा तुम्हारे खुद के पास जायेगा। इस पर भी उसने टिकिट नहीं काटे और उन सवारियों से कह दिया कि यह आदमी नहीं मानता है इसलिए बस से उतर जाओ। यह यहीं की बात नहीं है, यह हर जगह होता है, बगैर टिकिट काटे लोगों को ले जाते हैं। तीस तीस सवारियां ओवर लोड करके ले जाते हैं। आपके जो नियम हैं कि ओवर लोड नहीं करेंगे ये बिल्कुल वाजिब हैं और जो आप कहते हैं और जो आप कहते हैं कि हम ओवर लोड नहीं करते तो यह भी वाजिब है क्योंकि आपने नियम बना रखे हैं कि ओवर लोड नहीं ले जायेंगे और इसलिए आप कह सकते हैं कि ओवर लोड नहीं ले जाते हैं। अगर कण्डक्टर ओवर लोड ले जाता है तो भी वह बता नहीं सकता इसको क्योंकि आपके नियम हैं। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि ओवर लोड तो ले ही जाते हैं उसका पैसा उनकी जेब में जाता है। जैसा अभी माननीय सदस्य हाण्डाजी ने भी कहा कि राजस्थान रोडवेज की जितनी बसें चलती हैं अगर वह कहीं खराब हो जाय तो उसकी मरम्मत आप नहीं कर सकते हैं। जो सवारियां उसमें यात्रा करती हैं उनकी क्या हालत होती है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ताज्जुब की बात तो यह है कि मैं बराबर यह कहता आया हूं कि आप राजस्थान रोडवेज के लिए यह कर दीजिए कि अमुक बस पर अमुक ड्राइवर ही चलेगा और आपकी तरफ से आश्वासन भी बराबर मिलता है कि हरएक बस पर ड्राइवर नियुक्त कर दिया है, अमुक बस पर अमुक ड्राईवर ही चलेगा, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। मैं जब उनसे पूछता हूं कि तुम्हारी बस क्यों खराब होती है तो उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। कोटा के वर्कशॉप में जाकर बस खड़ी होती है तो ड्राइवर की ड्यूटी नहीं है कि वह बताये कि बस क्यों खराब हो गई ? वह बस छोड़ कर चला जाएगा। वहां का मैकेनिक उसको सम्भालेगा और पास में कोई बस खड़ी होगी उस पर सामान उठा कर रख देगा; दूसरी बस कितनी खराब हो रही है, कितना माल

(श्री गोविन्दसिंह)

निकल जाता है इसको कोई नहीं देखता। जो नया सामान रिप्लेस किया जाता है उसके बिलों पर भी मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए चेयरमेन महोदया, मेरा निवेदन यह है कि अगर हमें राजस्थान में रोडवेज को ठीक तरह से चलाना है तो इसके बारे में दुबारा सोचना पड़ेगा। आपके कण्डकटर और ड्राईवर जिस तरह की बात करते हैं उनसे पता चलता है कि वे कहते हैं कि चाय पान के लिए तो कर ही लें। जब आपके आदमी इस तरह से बातें करें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान रोडवेज रसातल मे बैठ गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपसे व्यवस्था नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि अब भी टाईम है आप इस पर विचार करें और अगर ठीक तरह से नहीं चला सकते तो इससे बाहर निकल जाय।

इसी तरह से एक और मामला है कि आपकी बसें कोटा से भोपाल और कोटा से इन्दौर और उज्जैन को जाती हैं, मध्यप्रदेश में जाती हैं और मध्यप्रदेश की गाड़ियां यहां पर आती हैं। उनका किस प्रकार का टाईमटेबिल है, कैसे उनकी सफाई की जाती है और उनमें तेल पानी वगैरा दिया जाता है और एक राजस्थान रोडवेज की बसें हैं, कितनी खराब हालत उनकी है, इन दोनों को आप कम्पेयर कर लीजिए। हमारी रोडवेज की बसों को देखकर मध्यप्रदेश की जनता हंसती है। हमारी जिस बस को एक बजे जाना चाहिए वह पांच बजे तक जाती है और जिस बस को शाम को सात बजे पहुंच जाना चाहिये वह पहुंचेगी रात के चार बजे। आपकी बसों की यह हालत है, आप क्यों अपनी हंसी राजस्थान के बाहर कराना चाहते हैं। राजस्थान की जो बसें मध्यप्रदेश में जाती हैं तो वहां पर लोग हंसते हैं हमारे पर, लोग कहते हैं कि राजस्थान की बसें बड़ी निकम्मी हैं, राजस्थान की बसों में बैठकर जाना सेफ नहीं है। जब आपको बसों के प्रति ऐसी भावना होती जा रही है तो जो बसें हमारी कोटा से मध्यप्रदेश में जाती हैं, उसको बन्द कर दीजिए। आप हमको बदनामी से बचा लीजिए। अब मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहता।

जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, सभापति महोदया, जहां से मैं आता हूँ झालावाड़ से और जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी है वहां पर झालावाड़ और मध्यप्रदेश का इलाका मिला हुआ है और आपका जो नाका है वह रायपुर में है और रायपुर आठ मील पर है सीमा से जहां से मध्यप्रदेश प्रारम्भ होता है। रायपुर में आपने नाका रखा है। आप चलिये मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कि वहां पर रात्रि को दस बजे, दस दस बारह-बारह ट्रक खड़े मिलेंगे। वे इन्तजार करते हैं वहां पर १२ बजने का और १२ बजते ही वे रवाना हो जायेंगे राजस्थान में। वहां जो नाकेदार बैठा हुआ है वह १० बजे ही क्यों नहीं आने देता है उनको? मुझसे अगर आप पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका टैक्स आपको मिले तो आपको अपना नाका जहां हमारी नदी जाती है और जहां पर पुल बना हुआ है वहां आप अपना नाका लगाइए। जिस नाके से हजारों रुपयों की आमदनी आपको होती है वहां पर आपने एक नाकेदार लगा रखा है। वह अकेला नाकेदार किस प्रकार २४ घण्टे ड्यूटी दे सकता है। इसी तरह से पिड़ावा का रास्ता

(श्री गोविन्दसिंह)

है, सोयत गांव है वहा से होकर आते हैं, पिड़ावा, सोयत, भवानी मण्डी तक पक्की सड़क बनी हुई है, कोई अगर मध्यप्रदेश से पिड़ावा होकर भवानीमण्डी, इकलेरा आना चाहता है तो कोई वहां पर नहीं है जो उनको चैक कर सके। टैक्स दिया है या नहीं दिया है इसको कोई देखने वाला नहीं है। राजस्थान से गल्ला ले गये चोरी से तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता। तो मेरा निवेदन करना यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, जो दूसरे प्रान्तों के ट्रक आवें वे आपको पूरा टैक्स दें, तो आपको अपना नाका रायपुर की बजाय पिड़ावा, सोयत, भवानीमण्डी आदि जगह जहां पर आपकी सीमायें मिलती हैं वहां पर लगाना चाहिए। लेकिन आपने नाका लगा रखा है रायपुर में और वह भी सीमा से आठ मील दूर। इसलिए आप नाका वहां लगाइए जहां से पक्की सड़क जाती है मध्यप्रदेश को, वहां पर नाका लगाइए।

एक बात मैं गुड्स टैक्स के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। जो मध्यप्रदेश के ट्रक आते हैं चाहे वह खाली हों या भरे हुए हों, अगर खाली भी होते हैं तो आप उनसे टक्स वसूल करते हैं और उनसे आठ रुपया टैक्स का लिया जाता है। अगर ट्रक्स माल लेकर आवें तब तो उनसे टैक्स लिया जाना चाहिए लेकिन अगर वे यहां से माल लेने को आवें और खाली आवें तो फिर से उससे इस तरह से टैक्स लेना वाजिब नहीं है। मैंने देखा है कि चाहे रायपुर में हो, या पाटण में चाहे भवानी मण्डी में सब जगह टैक्स वसूल किया जाता है। यह कोई नहीं देखता कि ट्रक कहां से आया है और कहां पर जाएगा, इसमें माल भी है या नहीं लेकिन उससे टैक्स का पैसा वसूल कर लिया जाता है, यह ठीक नहीं है। इसमें एक बड़ी भारी चीज यह है कि जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे राजस्थान के अधिकारी हैं वे जो भी कार्यवाही करते हैं उसकी हंसी मध्यप्रदेश में होती है। हमारे अधिकारी अच्छे हैं तो उनकी तारीफ मध्यप्रदेश में होती है। मेरे देखने में यह आया है कि हमारे यहां के अधिकारियों की हंसी मध्यप्रदेश में हो रही है। इस वास्ते मेरा निवेदन करना यही है कि जो खाली ट्रक्स पर गुड्स टैक्स आठ रुपया ले रहे हैं वह वाजिब नहीं हैं उसको आप रोक दीजिए और अगर उनके पास इसकी रसीदें हों तो उनके आधार पर आप उनका रुपया वापिस रिफण्ड करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, अब मैं आपका विशेष समय नहीं लेकर इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भी टैक्स आपने कम किया है उसको तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें जो गल्ती है वह यही है कि आन्दोलन करने के बाद, आपको धोंस दिखाने के बाद आप काम करते हैं इसका प्रभाव यह पड़ता है कि हुकूमत में बल नहीं है, हुकूमत कमजोर हो गई है और धोंस दिखा कर कुछ भी कराया जा सकता है। पब्लिक यह सोचने लगी है कि आन्दोलन करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस तरह से झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरह से झुकते चले गये तो जो बुराई आज विद्यार्थियों में फैलती जा रही है आन्दोलन करने की, अगर वह इसी तरह से बढ़ती चली गई तो मैं समझता हूं आपकी हालत भी इण्डोनेशिया जैसी हो जायेगी। विद्या-

(श्री गोविन्दसिंह)

थियों ने जो कुछ राजस्थान पत्रिका के साथ किया, आज उससे हमारी मुश्किल पड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान पत्रिका के लिए विद्यार्थियों को तो यों ही बदनाम किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने यह काम नहीं किया है, इसके पीछे तो दूसरे लोगों का हाथ हो सकता है। अगर हम इस तरह से विद्यार्थियों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आखिर वे भी इंसान हैं, वे भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से भी ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, उनमें से हो वकील और डाक्टर हो सकते हैं तो

उनके बारे में जो हम इस तरह से बातें करते हैं और अभी जैसा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ और उसमें आखिर में जाकर आपने उनकी सारी मांगें मान लीं, तो इससे यह उनके दिल में आ सकता है कि आन्दोलन करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि आप इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित पोलिसी बनायें और उस पोलिसी के अनुसार काम करें। जो भी आपको काम करना हो उसके लिए आप असैम्बली को कान्फिडेशन में लें।

(६.०० म० प०)

यह व त आ ने कही है कि विधान सभा को कोन्फीडेंन्स में ले लें तो आपको आवश्यकता नहीं है डरने की। तो मेरे ये सुझाव हैं और इन सुझावों के लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जयकृष्ण !

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : चैयरमैन महोदया, राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन (सैकण्ड एमेंडमेंट) बिल, १९६६ हमारे सामने अब प्रस्तुत है। इस बिल को देखने से यह बात मालूम होता है कि गवर्नमेंट ने उस मसले की तरफ ध्यान दिया है जिस मसले के बारे में विधान सभा के हरेक सत्र में माननीय सदस्य जो इधर बैंठने वाले हैं और उधर बैठने वाले हैं, वे एक ही बात कहते हैं कि मोटर मालिकों की तरफ टैक्सों की बहुत बड़ी रकम बकाया है। इधर बैठने वाले सदस्य भी यही कहते हैं और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी यही कहते हैं। गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेन्स इस बात का निकाला। मैं इस बात के लिए गवर्नमेंट में बैठने वाले लोगों को अगर अपने मुंह से ही कहूं तो यह धन्यवाद मिलना चाहिए। उनको मुबारकबाद देना इस बात के लिए बहुत जरूरी था कि यह टैक्स जो बहुत बड़ी मात्रा में मोटर मालिकों के पास बकाया था उसको वसूल करने के लिए सख्ती का कदम उठाया है। मैं इसके लिए जहां गवर्नमेंट की सराहना करता हूं वहां माननीय सदस्यों से इस बात की उम्मीद करता हूं कि जहां वे गवर्नमेंट के दूसरे कामों की खामियां निकालते हैं तो आखिर हमारी एक मर्यादा है और वह मर्यादा इस बात की है कि टैक्सेज के मामलों में कहीं भी लीकेज न रहे। जितना टैक्स लेना है वह लोगों में बकाया न रहे। इस उद्योग में इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स की वसूली हुई है तो उन टैक्सेज को वसूल करने का श्रेय एक ही विचार में है कि अब तक मोटर मालिकों पर किसी प्रकार की सख्ती नहीं बरती गई है और वह सख्ती इसके अन्दर बरती गई है कि जिसने क्लियरेन्स

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सर्टिफिकेट नहीं लिया हो, जिसके पास टैक्स का टोकन नहीं हो उस व्यक्ति पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाई जायगी, तो मैं इसके लिए जो इस बिल के अन्दर यह जो लाया गया है इसके लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी सराहना की बात है।

दूसरी तरफ जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और वह यह कहना चाहते है कि जो टैक्स घटाया गया है वह २० पर्सेन्ट बढ़े हुए टैक्स को घटाया गया है। टोटल टैक्स से घटाया गया है वह किसी प्रकार का सही दृष्टिकोण जो हमारा होना चाहिए वह नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और यह बात अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि और माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आखिर टैक्स जनता की इच्छा के ऊपर ही लगाया जाता है। यदि जनतन्त्र रहेगा तो जनतन्त्र के अन्दर लोगों की जो भावना है उनकी यदि हम कद्र नहीं करेंगे तो आपका यह जनतन्त्र कैसे रहेगा ? इस जनतन्त्र के अन्दर जो टैक्स बढ़ते है तो प्लानिंग कमीशन में जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं और स्टेट्स में कहा जाता है कि आखिर उन लोगों का भी कहना है। मेरे खयाल में ६२ परसेंट जो ट्रक पर बढ़ा था उसका २० परसेंट कम हुआ है यह नहीं है कि पूरे का २० परसेंट।

इधर जो रोड़ टैक्सेज हैं स्टेट ट्रान्सपोर्टेशन वगैरह के इन सब का हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा और इस तरफ भी हमको देखना पड़ेगा। जहां तक मोटर विहीकल्स एक्ट का सवाल है उसका इससे सम्बन्ध नहीं है। आपकी रोडवेज में, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर महोदय खामियां तो इसलिए हैं कि उसकी जड़-बुनियाद ही गलत है। जड़-बुनियाद की वजह से उसमें खामियां हैं। जिस समय राष्ट्रीयकरण किया, उस समय आपकी इस बात की खामी रही कि जब रूट्स का नेशनलाइजेशन किया, रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया था, राष्ट्रीयकरण में आपने दूसरे प्रान्तों की नकल नहीं की। पंजाब का जैसा उदाहरण दिया। तो यदि आप पंजाब की नकल करते, यदि आप मध्यप्रदेश की नकल करते तो आपको यह दिक्कत नहीं आती। अलवर से एक यात्री को चलकर प्रतापगढ़ जाना पड़ता है तो अलवर से प्रतापगढ़ सिर्फ ४२ मील है लेकिन उसके लिए उसको थानागाजी उतरना पड़ेगा और फिर दूसरी बस में बैठना पड़ेगा और तीसरी जगह फिर उतरना पड़ेगा। पहले अलवर से प्रतापगढ़ सीधी बस चलती थी, परन्तु आपने उसका नेशनलाइजेशन किया और नेशनलाइजेशन करने से प्रतापगढ़ रूट को करटेल किया। आपने यू० पी० का पैटर्न लिया जिसके अन्दर मौनोपोली सिस्टम है। राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा शत्रु मौनोपोली है। वैसे ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं। तो राष्ट्रीयकरण का जो शत्रु है वह मौनोपोली है। और जो मौनोपोली कायम करने का कदम उठाया तो उससे आपकी रोड़वेज को बहुत बड़ी हानि हुई। यदि प्राइवेट सैक्टर भी साथ चलता पब्लिक सैक्टर के तो उसके लिए आपके जो रोड़वेज वाले थे वे सतर्क रहते और दूसरी प्रकार की कई दिक्कतें नहीं आती। और पंजाब पैटर्न जिसकी सराहना इधर बैठने वाले माननीय सदस्य करते हैं और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य करते

Page No.133

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन महोदया, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। इस प्रकार रोड ट्रान्सपोर्ट हमारी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। रोडवेज से हमें बहुत बड़ी आमदनी होने वाली है। रोडवेज से बहुत बड़ी आमदनी होगी यदि आप सतर्क रहे तो। इस प्रकार से जब से इसमें सतर्कता बरती है तब से रोडवेज की पोजीशन इस प्रकार बुरी नहीं रही है जिस प्रकार की पहिले बुरी रहती थी। यह सतर्कता आपने बरती उसका फल है। मैं रोज अलवर से जयपुर आता हूं और अलवर दिल्ली जाता हूं तो इन रूट्स पर जो बसें चलती थीं और जो कुछ उनकी हालत थी तो उसमें काफी सुधार हुआ है, और इसी तरह से सुधार निरन्तर होता रहे तो यह कहने का उनको मौका ही न मिले।

परन्तु, यातायात मंत्रीजी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद इस विधान सभा में कुछ लोग यह सवाल पूछेंगे राजस्थान के यातायात मंत्री से कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब, राजस्थान के अन्दर ट्रान्सपोर्ट की बहुत बड़ी रकम बकाया है। वह क्यों पूछेंगे ? वे इसलिए पूछेंगे कि आप एक बस को, आप एक ट्रक को, आप एक लारी को, आप एक कार को जो आपकी कार है उसको रजिस्टर कराते हैं तो उसका एक ही रजिस्ट्रेशन नम्बर होता है और वह कार आपके यहां से चली जाती है और ७-८-६ वर्ष और १० वर्ष तक रजिस्ट्रेशन मार्क आपके पास रहता है आपके रजिस्टर में। बहुत सी कारें जो भी आपके यहां पर रजिस्टर्ड हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन मार्क आपके यहां मौजूद है और उनका आप बकाया निकालते हैं हर साल। एक साल में मान लें कि ३ हजार एक ट्रक का टैक्स चढ़ता है तो ६-७ साल में उस मोटर मालिक की तरफ आप बकाया कर देंगे, क्योंकि आपके यहा यह प्रोवीजन नहीं है कि उसके रजिस्ट्रेशन मार्क को कैन्सिल कर दें यदि उसका टैक्स बकाया हो तो। तो यह क्वश्चन पूछेंगे कि आपका लोगों की ओर इस तरह से इतना बकाया है जिन बसों का आज राजस्थान में नामों निशान नहीं है। इसलिए यह प्रोवीजन होना चाहिए कानून में कि रजिस्ट्रेशन मार्क को जमा करा दें। यह गलती वे लोग करते हैं जो अशिक्षित हैं। ट्रक या बसों का कबाड़खाने में बेचने के बाद वे रजिस्ट्रेशन मार्क को जमा नहीं कराते। तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर तीन साल टैक्स नहीं आता है या ६ महीने टैक्स नहीं आता है तो उसके बाद कैन्सिलेशन का प्रोवीजन तो रहना चाहिए। तो वह अरेन्जमेंट इस बिल में लाते तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में आप विचार करेंगे।

आज तक जो टैक्स कम आया है और जो आपने टैक्स को रियेलाइज करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है उसके लिए इसमें प्रोवीजन रखा है, यह जो सख्त कदम आपने उठाया है और जो कार्य आपने किया है वह वास्तव में बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। हम सब को इस बिल को पारित करना चाहिए और इसको उत्साह से देखना चाहिए क्यों कि राजस्थान में जो टैक्स की बहुत

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बड़ी रकम है उसको रियलाइज कर देते हैं, तो वह रकम हमारे डेवलपमेंट के काम आयेगी। इसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं और इस बिल को पारित करने के लिए में निवेदन करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्रीजी, इस बिल के सम्बन्ध में मुझे बहुत थोड़ा सा निवेदन करना है। इस संदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने मंत्रीजी को और सरकार को बहुत से सुझाव दे दिये है और उन सुझावों के अंदर काफी वजन है। जहां तक टैक्सेज जो आपने कम किये हैं, उस बारे में अभी आपको अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बधाई दे दी है। जो टैक्स आपने पहले बढा दिये थे वे ओर्डिनेन्स द्वारा कम कर दिये हैं। मैं टैक्स की वसूली के बारे में आपके सामने कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। टैक्स की वसूली आप ट्रक्स से करना चाहते हैं क्योंकि खास तौर से ट्रक्स का सवाल आपने रखा है। पैसेन्जर गाड़ियों से वसूली का जिक्र नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट में डील करने वाले लोग हैं जिनकी संख्या प्राक्कलन समिति ने सन ६२ में अलग अलग जिलेवार आंकड़े तैयार किये हैं और ६२ में एस्टीमेट्स कमेटी ने सारे आंकड़े छापे हैं उनमें से हजारों ट्रक्स ओनर्स से वसूल करना बताया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस टैक्स प्रणाली को सिम्पिल करने का दूसरा रास्ता भी है। आखिर ये ट्रक्स सड़क पर नहीं चल सकते जब तक कि डीजल और पेट्रोल नहीं ले लें और वे स्थान सीमित हैं जहां से डीजल और पेट्रोल मिलता है। इसलिए इस सारे टैक्स को पेट्रोल और डीजल पर सर चार्ज कायम करके सारे पेट्रोल डीलर्स से वसूल कर सकते हैं। केवल उनसे ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी तीन चार ओइल कम्पनीज हैं जैसे बर्मा शेल है, इन्डियन ओइल है, कॉल टैक्स है इनके यहां मुकम्मिल रेकार्ड रहता है कि राजस्थान में कितना पैट्रोल दिया, कितना डीजल दिया। इन पर राजस्थान में चलने वाली गाड़ियों पर जो टैक्स है वह सर चार्ज के रूप में पैट्रोल अथवा डीजल के जरिये वसूल करने की प्रक्रिया आरम्भ करें तो मैं निवेदन करूंगा कि इस टैक्स के सिस्टम को सम्पिल किया जा सकता है और कोई टैक्स बकाया रह जाय यह भी संभव नहीं रहेगा क्योंकि जब भी ये गाड़ियें पेट्रोल या डीजिल खरीदेंगी तब वहीं पर हमारा सरचार्ज उसी वक्त चुकाना पड़ेगा। यह सारा पैट्रोल डीलर्स या बड़ी बड़ी चार कम्पनीज हैं, उनसे वेरिफाई करके वसूल कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको सिम्पलिफाई करने के प्रोविजो के बारे में गंभीरता से चिन्तन करना चाहिये। जहां तक मैंने अधिकारियों से बात की है अमेरिका में ऐसा सिस्टम है कि रूट्स पर वसूल किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे सारी प्रक्रिया पर चिन्ता न करें ताकि बकाया का झगड़ा रोज रोज न रहे। पेसेंजर्स को डील करने वाली जो गाड़ियां हैं, उनमें इतनी भयंकर बकाया है उसकी भी वसूली होनी चाहिये।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आपने प्रावधान रखा है कि इन्सपेक्टर्स को पॉवर्स देनो चाहिये कि जिस गाड़ी की बकाया है उस गाड़ी को सीज कर दे और टैक्सेसन ओफिसर के सामने मामला पेश करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके द्वारा टेक्स वसुली का मामला कितना हल होगा लेकिन निश्चित रूप से आपके इन्सपैक्टर्स की आमदनी बढ़ जायगी, इसमें शक नहीं है। जहा यह टेक्स बढ़ाया है वहां इन्सपेक्टर्स को वाइड पॉवर्स दिये हैं। पहले वह गाड़ी को सीज़ करें, फिर टेक्सेशन ओफिसर के सामने पेश करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास पी. डी. आर. और दूसरे तरीके वसूली के हैं फिर भी वसूली नहीं हो रही है। इसका कारण यह नहीं है कि आपके इन्सपेक्टर्स गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। आपके इन्सपेक्टर्स किसी भी बहाने गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं, इतने वाइड पॉवर्स आपके एक्ट में हैं कि एक सब-इन्सपेक्टर या हैड कान्सटेबल चाहे लोड से भरी गाड़ियां हैं चाहें उनके पेपर्स मुकम्मिल हों वे अगर इनको रोक लें तो उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन देने के। वे अगर घूस देने को तैयार हो जायं तो उनकी गाड़ी उस स्टेशन पर पहुंच सकती है जहां उनको अपना माल उतारना है। इसलिये आपने जो यह प्रावधान रखा है कि चाहे जहां पर सीज कर सकें इस सारी प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन यदि किसी डीलर में गुड्स टेक्स बाकी है तो या तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें या उसको सस्पेन्ड करें या और कोई प्रक्रिया सरकार टेक्स वसूल करने की करे लेकिन गाडी को मनमाने तरीके से कोई इन्सपैक्टर रोक ले इसको आप कानून का अंश कर रहे हैं, यह तो आप रिश्वत खोरी को अनावश्यक रूप से, नाजायज रूप से बढा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कानून के द्वारा आप २०) ३०) या १०) रु. कम करनेवाले हैं, उससे पहिले आप एक स्टेटमेंट दें कि इससे हमारे टेक्सेशन में कितने लाख का फर्क पड़ेगा, कितनी रेवेन्यु घट जायगी। यह आप असेस करते हैं इस प्रकार का फाइनेन्शियल स्टेटमेंट यदि आप बिल के साथ लगा देते तो बहस ज्यादा वेल इन्फोर्म्ड तरीके से हो सकती थी।

इसमें शक नहीं है कि टेक्स बर्डन को कम किया है। मोटर विहिकल्स एक्ट में दूसरे प्रावधान हैं उनके अनुसार पैसा पिछले साल का बकाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी गंभीरता से विचार करें कि एक नई गाड़ी मर्सडीज बैंज की, टाटा की या दूसरी आई है उसके लिए भी आपके कानून में प्रावधान हैं कि नई गाड़ी चाहे एक साल की हो चाहे अभी आई है, सर्टिफिकेट ओफ फिटनेश लिये बिना वह गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। जो गाड़ी आज खरीदी है, कंपनी से निकलकर आई है तो यह मानकर चलना चाहिये कि साल भर तक तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। कानून में इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहिये कि नयी गाड़ी आने के साल भर तक सर्टिफिकेट ओफ फिटनेस हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपके यहां पर गाड़ियों की संख्या बहुत कम है, तीन तीन हजार गाड़ियों के पीछे एक एक

Page No.136

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैकेनिकल इन्सपैक्टर और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर हैं। वे यदि सारी गाड़ियों को चैक करते हैं तो पचासों गाड़ियां हैड क्वार्टर पर खड़ी रहती हैं। लोग इन्तजारी करते रहते हैं कि वे कब आयेंगे और कब फिटनेस का सर्टिफिकेट देंगे। एक एक गाड़ी की ४०–५० हजार रुपये कीमत होती है उनकी सारी कीमत और कमाई सर्विस पर चलने से ही निकलती है। एक इन्सपैक्टर की अनुपस्थिति के कारण उनका सारा टाइम व्यर्थ जाता है। जब ये इन्सपैक्टर्स दौरे पर सात दिन तक चले जाते है तो सात दिन तक ये गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं। एक दिन में कम से कम ट्रक या बस-ओनर को एक गाड़ी के पीछे १००) का नुक्सान होता है यदि गाड़ी खड़ी रह जाती है तो। ऐसी हालत में वे फौरन इन्सपैक्टर के पास दौड़ते हैं और १००) रु० का नोट उसकी जेब में डालते हैं तब सर्टीफिकेट ऑफ फिटनेस हासिल करते हैं। श्री रामकिशनजी जो बैर से आये है उन्होंने यह बात कही कि आपके विभाग के छोटे छोटे कर्मचारी इतनी सुख सुविधा से रहते हैं जितनी सुख सुविधा से आप नहीं रख सकते। यह बात अतिरन्जित नहीं है। ट्रांसपोर्ट ओथॉरिटी के दफ्तर के एक एक असिस्टेन्ट की आमदनी ५०) रोज से कम नहीं हो सकती। वहां पर ३–४ क्लर्क्स का गैंग बन जाता है और छोटे मोटे अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हो जाते है और जब तक उनको पैसा नहीं मिलता तब तक काम नहीं होता। सवाल यह नहीं है कि भ्रष्टाचार की शिकायत बहुत आती है सरकार इससे बहुत परेशान हैं हम शिकायत करते करते परेशान हैं, यह इतनी बढ़ी हुई है कि आपके विभाग में बहुत से मन्त्री आये और गये। पहिले मथुरादासजी थे अब आप आ गये। पहले कुछ दिन तक हरिश्चन्द्रजी भी थे, सवाल यह है कि मन्त्रीजी जो भी आये इस प्रकार की घटनाओं में कमी नहीं आई। नीति निर्धारित होती है लेकिन उसको अमल में लाने का जरिया क्या है? मन्त्री बदल गये तो यातायात विभाग में भ्रष्टाचार कम हो गया इस प्रकार की धारणा जन साधारण की नहीं बनती है। मन्त्रीजी के बदलने का इम्पेक्ट विभाग को महसूस कराया जा सके। इसलिए यह किसी तरह कम हो और जितना सिम्पल प्रोसीजर रखेंगे, जितनी कम से कम फार्मेलिटीज रखेंगे-मैं निवेदन करना चाहता हूं उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें कोई फीस की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैकेनिकल इन्सपैक्टर यह देखकर सर्टिफिकेट न कर दे कि यह गाड़ी चलने की स्थिति में है तब तक यह मानना है कि यह गाड़ी चलने के लिए फिट है—उतने तक तो गवर्नमेंट को चिन्ता नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गाड़ी फिट नहीं हो और उसमें मैकेनिकल खराबियां रही हों तो आखिर जो बस आपरेटर है, जो उसका मालिक है जिसने ५० हजार रुपया उस पर इन्वैस्ट किया है, उसको भी चिन्ता रहती है कि गाड़ी ठीक रहनी चाहिए क्योंकि अगर उसकी गाड़ी एक भी दिन बन्द रहती है तो उसका सौ-पचास रुपये का नुक्सान होता है। इसलिए इस तरह न लें कि वह फिटनैस सर्टिफिकेट दे। आप यह कानून में परिवर्तन करिये कि जब तक मैकेनिकल इन्सपेक्टर यह न कहे कि यह गाड़ी फिट नहीं है, तब तक वह गाड़ी चल सकती है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और आपके मैकेनिकल इन्सपैक्टर के पास जितनी फुर्सत हो उतने बस आपरेटर्स को नोटिस दे देकर बुलायें और उनकी गाड़ियाँ देखें, भले ही छः महीने में एक दफा देख लें। इसलिए आप यह कानून बनायें कि मैकेनिकल इन्सपेक्टर के सर्टिफिकेट देने के बाद तीन महीने, चार महीने, छः महीने के अन्दर दुबारा चालान इस प्रिटैक्स्ट पर कि गाड़ी अनफिट हो गई है, नहीं किया जायगा। यह मैं आपके डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

यह रोडवेज का डिपार्टमेंट भी आपका ही और माननीय सदस्यों ने आपके इस डिपार्टमेंट की बहुत सी बातें कही हैं। जहां तक ब्रेक डाउन का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न के उत्तर में आपने जो ब्रेक डाउन की सूचना कोटा की दी है, उसी प्रकार आप सारे राजस्थान के अन्दर हुए ब्रेक डाउन की रिपोर्ट मंगा कर फिर केलकुलेट करायें कि आपके यहां गाड़ियों के चलने पर एवरेज प्रोफिट कितना होता है तो आप देखेंगे कि गाड़ियों के ब्रेक डाउन होने के कारण लाखों रुपयों का नुकसान, कम से कम पांच-छः लाख का नुकसान हो रहा है। लेकिन इतने बड़े रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन को मेन्टेन करने के बावजूद जगह जगह आपके यहां कारखानों की व्यवस्था नहीं है जिनके द्वारा आप गाड़ियों को फिट रख सकें। आपने कहा है कि पंजाब की सरकार भी हमारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब की सरकार आपकी है और बम्बई की सरकार आपकी है। लेकिन बम्बई के कोर्पोरेशन के द्वारा जो बी. एस. टी. सर्विस मेन्टेन की जाती है उसको आप देखें और आप जब बम्बई गये होंगे तो उन पर चढ़ने का मौका भी आपको मिला होगा जब आप मन्त्री बने नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा कि उनका रंग चमकता रहता है और कांच बिल्कुल साफ होते हैं। आप उन बसेज पर हर दिन चढ़ें और किसी भी गाड़ी में घूमते रहें लेकिन आपको गाड़ियों में फर्क महसूस नहीं होगा। आप यह महसूस नहीं कर सकते कि यह गाड़ी दूसरी है। वहां की बसेज की यह पोजीशन है। लेकिन राजस्थान की रोडवेज की बसेज पर चढ़ते हुए यह महसूस होता है कि इसकी बाडी हिल रही है उनके कांच बिल्कुल गन्दे हो रहे हैं, उनका रंग जगह जगह से उतर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो लोग उनमें बैठते हैं, जो राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट की बसेज में बैठते हैं वह भले ही और बातों की टीका टिप्पणी करें या न करें, लेकिन राजस्थान रोडवेज की गाड़ी में बैठने के बाद, मैं समझता हूँ, कि वह निश्चित रूप से उनकी टीका-टिप्पणी करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इन गाड़ियों को अप-टू-डेट मेन्टेन करना चाहिए। आप इस डिपार्टमेंट के मन्त्री बने है, इसके अलावा बिजली का बहुत बड़ा विभाग आपके पास है लेकिन निश्चित रूप से एक दिन में दो घंटे इस रोड ट्रांसपोर्ट के लिए दें तो आप इसमें बहुत बड़ी रद्दोबदल कर सकते हैं और कोई मार्क इस कैबिनेट मिनिस्टरी में निश्चित रूप से रख सकते हैं....

श्री चन्दनमल बैद : Thank you.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने टैक्स द्वारा राहत दी है, वह तो ठीक है लेकिन मैं रोड ट्रांसपोर्ट की एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप लाखों रुपये की रैवेन्यू को लेने के लिए टैक्सेज कभी कभी बढ़ाते हैं, पर आप यह देखिए कि आपके रोड ट्रांसपोर्ट के फंक्शनिंग के अन्दर ऐसी बात तो नहीं है जिससे लाखों रुपये का नुकसान उसके अन्दर हो रहा है। आपके इस रोड ट्रांसपोर्ट के अन्दर पचास गाड़ियां बैडफोर्ड की खरीदी गई हैं जो एक-दो, तीन-चार महीने चलने के बाद में बन्द हो गई हैं। उनमें कोई टैक्निकल डिफेक्ट बताया जाता है। उसको आपका विभाग ठीक नहीं करा पाता है। आपका विभाग एक टेण्डर नोटिस जारी करता है कि दो सौ गाड़ियों को ठीक कराना है। उसके अन्दर वह स्पेसिफिकेशन्स नहीं बताते हैं। जब लोग जाते हैं कि हमें बतायें कि इनके अन्दर क्या क्या खराबियां हैं, तो जो लोग जाते हैं उनको कहा जाता है कि अभी स्पेसिफिकेशन्स तैयार नहीं हुए हैं। आप देखिये कि ३०-६ को इस वास्ते टेण्डर इन्वाइट करते हैं लेकिन बराबर तीन महीने से टेण्डर देने वाले जा रहे हैं लेकिन आपका कोर्पोरेशन कहता है कि अभी स्पेसिफिकेशन्स तैयार नहीं हैं, अभी टेण्डर फार्म तैयार नहीं हैं जिससे बता सकें कि क्या क्या खराबियां हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो सौ, ढाई सौ गाड़ियां खराब पड़ी रहें, उनका टैक्स आप सरकार को दे दें, इसके बजाय वह दो सौ, ढाई सौ गाड़ियां आप चला सकें, ब्रेक डाउन होने की जगह वह सब चलती रहें, उनकी वक्त पर रिपेयर होती रहे तो काफी फायदा हो सकता है। लेकिन ब्रेक डाउन होता रहता है, गाड़ियां चलती नहीं है और उनकी रिपेयर होती नहीं है इसलिये जिन गाड़ियों पर लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट है, एक एक गाड़ी पर पचास हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट हो तो इसका मतलब यह है कि सौ लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है और इस तरह आपने एक करोड़ रुपया ब्लाक करके रख दिया है जब कि आपको ऋण चुकाना है और इन्टरेस्ट भी देना है। इतना ह्यूज अमाउन्ट आपने ब्लाक करके रख दिया है।

इसके साथ साथ आपने चैसिस खरीद कर रखी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बाडी बिल्डिंग का कारखाना खुद बनायें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आप बाडी बिल्डिंग का कारखाना नहीं बनाते हैं और बाडी बिल्डिंग के लिए टैण्डर इन्वाइट करते हैं। सभानेत्री महोदया, इन्होंने टेण्डर काल किये २४-२-६६ को कि सौ चैसिस पर बाडी बनानी है। उस पर छः, सात, आठ व्यक्तियों ने अपने अपने टेण्डर दिये, जिसमें राजस्थान के दो व्यक्ति थे-एक तो कमल एण्ड कम्पनी और दूसरा आर्य इन्जीनियरिंग वर्क्स, इनके अलावा कुछ बम्बई की और कुछ दिल्ली की फर्म्स ने टेण्डर दिये। उसमें लोएस्ट टेण्डर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १५,४५० रुपये का था। जिस तरह की बाडी आप बनवाना चाहते थे, उसके टेण्डर की रेट एक फर्म ने १५,४५० रुपये दी। इसके अलावा कमल एण्ड कम्पनी ने २१,७६५ का उसी तरह की बाडी बनाने के लिये टेण्डर दिया।

(मानिकचन्द सुराणा)

बम्बई की फर्म ने सिग्रां गैराज, वह कम्पनी वहां की है, ने २४,३५० रुपये का टेण्डर दिया कि इतने में यह बाडी बना कर देगी, लेकिन ११५० रुपये अलग फन्ट शो के हों, और दो हजार रुपये गाड़ी के आने जाने में पेट्रोल और डीजल पर खर्च होगा–वह भी तो बर्दाश्त आप करेंगे। इसी तरह से २४,७०० के टेण्डर दूसरी कम्पनियों ने दिये। इसके अन्दर ध्यान देने की बात है, सभानेत्री महोदया, बम्बई की फर्म का जो २४,७०० रुपये का टेण्डर है उसको बाडी बिल्डिंग के लिए चैसिस दी जाती हैं और उसके अलावा दो हजार रुपया पैट्रोल और डीजल पर खर्च किया जाता है, ११५० रुपये फन्ट शो के लिए दिया जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान की फर्म है उसका लॉएस्ट टेण्डर १५,४५० रुपये का था और दूसरी का २०,००० का था। इसको बाडी बिल्डिग के लिए चैसिस नहीं दी जाती है जिसका १५,४५० का था लेकिन कमल एण्ड कम्पनी को दी जाती हैं। तो निश्चित रूप से टेण्डर के अन्दर इतना अन्तर होते हुए भी बाडी बिल्डिग के लिए चैसिस उनको दी जाती हैं। प्रश्न यह है कि जो सरकार एक एक नये पैसे की वसूली करने के लिए रोड टैक्स लगाती है वह बाडी बिल्डिंग के लिए चैसिस १५,४५० रुपये के टेण्डर के मुकाबले २४,४५० रुपये के टेण्डर वाले को वह चैसिस देती है और इस प्रकार दस हजार रुपया फिजूल खर्च करती है, और लोएस्ट टेन्डर से इतना ज्यादा खर्च करती है सौ सिस के ऊपर तो एवरेज साढ़े सात लाख ये का नुकसान रोड ट्रान्सपोर्ट को हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कोई एलीगेशन नहीं लगाना चाहता कि आपके जनरल मैनेजर ने इसमें कोई गड़बड़ी की है, या चैअरमैन ने गड़बड़ी की है। मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकतर बुद्धिसंगत रूप से हमें यह शंका है कि आपके जनरल मैनेजर या चेअरमैन जो हैं वह बिल्कुल सफाई से काम नहीं कर रहे हैं। इनका बिहेविअर सस्पीशिअस बनता है। तो इस तरह का सस्पीशन आपके इस तरह के आंकड़ों के आधार पर करना मैं जरूरी समझता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में सात आठ लाख रुपये का घोटाला साफ तौर से दिख रहा है, इस मामले की जांच करेंगे मंत्री महोदय। और इसके साथ साथ जो संशोधन इस रोड ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन में किये जाने चाहिए वह सारे संशोधन आप आने वाले तीन महीने के अन्दर करके उनको कार्यान्वित करेंगे। यह मांग मैं माननीय मंत्री से करना चाहूंगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ट्रान्सपोर्ट विभाग के द्वारा जो लाखों रुपयों का टैक्स वसूल करते हैं लेकिन फिर भी सड़कों की मरम्मत नहीं होती है। जो सड़कें राजस्थान के महत्व की हैं, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट के महत्व की हैं उन सारी सड़कों की मरम्मत आप पी० डब्ल्यू० डी० से करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पी० डब्ल्यू० डी० से मरम्मत कराने में भी आपका निश्चित रूप से आपका हक होना चाहिये। आखिर आप जो सड़कों पर बसें चलाते हैं वह बड़ी बड़ी सड़कों पर चलती हैं. पंजाब और राजस्थान की जो सड़कें हैं, जिनमें भाखरा, सिरसा है, नौहर सिरसा है उन पर गाड़िया चलती

Page No.140

(श्री मानिकचंद सुराणा)

हैं। इन सारे रूट्स में जहां तक पंजाब के रूट्स का सवाल है, वह तो पक्की सड़क और अच्छी सड़क मिलती हैं लेकिन जैसे ही राजस्थान का हिस्सा शुरू होता है, वहां आपकी सड़कों की कण्डीशन खराब है, आपकी सड़कें टूटी-फूटी हैं। आप बसेज़ से रोड टैक्स वसूल कर रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पैसा आपकी सरकार के खजाने में जमा हो रहा है, तो आप पी० डब्ल्यू० डी० को आदेश दें कि जो सड़कें प्राविन्सियल इम्पोर्टेन्स की हैं उन सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० अच्छी तरह से मेन्टेन करे। मैं समझता हूँ कि ऐसी जो सड़कें राजस्थान में हैं, उनकी तुलना दूसरे प्रान्तों की सड़कों से करने पर अगर वह खराब पाई जाती हैं तो यह राजस्थान के लिए शोभा की बात नहीं है।

इन सजेशन्स के देने के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टैक्स आपने कम किया है, यह तो ठीक किया है, लेकिन यही टैक्स कम करने के बाद भी इससे लोगों को संतोष नहीं हैं। वहीं लोग मांग कर रहे हैं कि टैक्स और भी कम करने चाहिए और इसके सम्बन्ध में अब भी कोई अन्दोलन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इन स्थितियों से खबरदार रहें और इन सारी परिस्थितियों में वह अपने विभाग को ऐसा बनाने की ओर कदम उठायें जिससे इस विभाग में भ्रष्टाचार कम हो उसके साथ ही आमदनी बढ़े, रोड ट्रान्सपोर्ट की बसेज का ब्रेक डाउन कम हो और बाडी बिल्डिंग में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है उसकी जांच करके उसको खत्म करना चाहिए इन सब बातों के लिए वह कोई सक्षम कदम उठायेंगे इस विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मानसिंह महार : (आमेर) : सभा-नेत्रीजी, सदन के समक्ष यह जो बिल आया है इस बिल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है वह हमेशा कानून बनाने में जल्दबाजी बहुत करती है। सरकार को चाहिये यह कि जो भी कानून बनाना है उसको पहले सोच समझ कर बनाए। अगर किसी कानून को अमेंड करने की आवश्यकता है तो उस कानून को भी एक बार में ही सही ढंग से अमेंड कर लेना चाहिये। यह गलत तरीका है कि आज सेकन्ड अमेंडमेंट बिल लावें, फिर कुछ दिन बाद थर्ड अमेंडमेंट बिल लावें और फिर फोर्थ अमेंडमेंट और फिफ्थ अमेंडमेंट बिल ले आते हैं, यह गलत तरीका है।

मैं कहता हूं माननीय महोदय, समझते होंगे कि उन्होंने टैक्स कम करके बहुत बड़ी बात की है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपने यह जो टैक्स कम किया है यह एक प्रकार से आंदोलन से डर कर किया है। आपने कोई अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई है कि ट्रक ओनर्स पर टैक्स पहले ही ज्यादा थी इसलिये कम की है, लेकिन आप पर दबाव डालकर, डरा धमका कर यह टैक्स कम कर-वाया गया है। इसलिये आप कोई धन्यवाद के पात्र नहीं है। ट्रक ओनर्स पर टैक्स ज्यादा है तो क्या बसों पर ज्यादा नहीं है? आप महसूस नहीं करते कि बसों का किराया बहुत ज्यादा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके रोडवेज चलने के बाद, जब से रोड ट्रांसपोर्ट का नेशनलाईजेशन हुआ है, तब से किराये बहुत बढ़े हैं और ये किराये

(श्री मानसिंह महार)

आप आंख मींच कर बढ़ाते जाते हैं और किसी प्रकार से भी. येन केन प्रकारेण यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे रोडवेज फायदे में चले ।

जिस समय आपके रोडवेज नहीं थे, एक बार जयपुर अजमेर के बीच बस वालों में कम्पीटीशन इतना हो गया था कि कुछ दिन तो पैसेंजर्स को फ्री अजमेर ले गये, और कुछ दिन १२ आना फी सवारी ले गये और उसके बाद कई दिन तक दो रुपये और ढाई रुपये फी सवारी के हिसाब से ले गये । लेकिन आपके रोडवेज बनने के बाद किराया आकाश को छू रहा है । बस का किराया लगाने का आपका कोई तरीका नहीं है । प्राइवेट बस ओनर्स पैसेंजर्स को कई सुविधाएं देते हैं वे सुविधाएं रोडवेज में सब गायब हैं ।

सभापति महोदया, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि रोडवेज की बसों में बैठने के बाद एक प्रकार से घृणा पैदा होती है । इतनी गन्दी बसें हैं । मैं मन्त्री महोदय से कहताहूं कि आज भी चलिये, अभी चलिये। किसी भी रोडवेज की बस को देखिये एक महीने तक कांच साफ नहीं होते हैं । अन्दर पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो बाहर का कुछ भी नहीं दिखता । इन्जन की हालत तो, माशा अल्ला, क्या कहिये, कमाल है । जैसा आपका इन्जन है वैसा ही रोडवेज का इन्जन है मंत्री महोदय, आप भी एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा उधर जाता है, उसी प्रकार रोडवेज की बसें भी लड़खड़ाती हैं ।

एक रोज मैं सुबह ७॥ बजे अजमेर से जयपुर आने के लिये बस स्टेन्ड पर पहुँचा तो कुछ पैसेंजर्स खड़े मिले । बस का टाइम होकर १५ मिनट हो गये तो मैंने पूछा कि क्या बात है तो बतलाया कि बस आ जाये तो गनीमत है नहीं तो बाद वाली बस में जाना पड़ेगा । दूसरी बस सभापति महोदया ९ बजे आई । इस बीच में कोई सूचना नहीं कि पहले वाली बस नहीं आयेगी । वहाँ बैठे हम रोडवेज को रोते रहे । ९ बजे बस आई तो मेरे कुछ जान पहचान वाले मित्र थे उन्होंने कहा कि बस से न जाकर रेलसे जाइये मैंने कहा "क्यों भाई ?" तो उन्होंने कहा कि रोते रोते ९ बजे बस आ गई तो वह जयपुर भी नहीं पहुँचेगी और रास्ते में ही कहीं रुक जायगी । मैं सही अर्ज करता हूं कि आखिर वैसा ही हुआ और बस वहां से रवाना होकर किशनगढ़ से ५ मील आकर रुक गई । हम नीचे उतर कर खड़े हो गये और ड्राइवर भी नीचे उतर कर बोला कि यह तो चल नहीं सकेगी । हमने पूछा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जयपुर से दूसरी बस आयेगी तो उसमें आप जाइयेगा ।

इतने में मैंने देखा कि मिस्टर वर्मा, जो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर हैं और जिनको मैं जानता था, वे अपनी फिएट कार में वहां से गुजर रहे थे । मैंने उनको हाथ देकर रोका और कहा वर्मा साहब, यह क्या अन्याय है, हम पचास आदमी क्या ६ घंटे तक यहीं पड़े रहेंगे, यह कोई तरीका है । तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि भाई क्या बात है । मैंने उनको बताया कि गाड़ी के मड गार्ड का कोई पेच ढीला हो गया है । तो वर्मा साहब ने ड्राइवर से कहा कि इसको ठीक क्यों नहीं करते तो ड्राइवर बोला कि साहब हमको ऑर्डर है कि गाड़ी को टच

(श्री मानसिंह महार)

मत करो । तब वर्मा साहब ने कहा कि मैं तुमको हुक्म देता हूं तुम इसको ठीक करदो, तो ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास कोई ग्रौजार नहीं है किससे ठीक करूं । मैंने कहा वर्मा साहब ग्रापकी गाड़ी में से मुझे पाना दीजिये तो मैं ही ठीक करदूं । फिर उनकी गाड़ी में से पाना लेकर उन्होंने ठीक कर दिया तो यह तो ग्रापके ब्रेक-डाउन्स कीदयनीय दशा है । मैं मानता हूं कि ग्रापने ग्रच्छे ग्रादमी लगाने की कोशिश की है । मैं भी मानता हूँ कि इसमें सुधार हुग्रा है । इसके लिये ग्रापको बधाई जरूर देता हूं कि ग्रापने इसमें कुछ तरक्की करने वाले ग्रादमी रखे हैं फिर भी मैं कहता हूं कि इससे कुछ नहीं होगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को चाहिये कि वे १५ दिनों में एक दिन तो रोड वेज में जावें । ग्रालीशान गाड़ियों में तो रोज ही जाते हैं । चुनावों में तो दो दो महीने उन्हें दर दर की भीख मांगने के लिये जाना ही होगा । ग्राप इन बड़ी गाड़ियों में न जावें । मैंने ग्रापको देखा है । बड़ी गाड़ी में । चौमू में देखा है । चमचमाती हुई गाड़ी में जाते हुए ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं तो छोटी गाड़ी में जाता हूँ ।

श्री मानसिंह महार : उस रोज तो चौमू में मैंने ग्रापको बड़ी गाड़ी में देखा था । इस बात को तो ग्राप मानेंगे । कोई ग्रौर साथ होगा । मैं यह कहूंगा कि ग्राप बिना इत्तला दिये रोडवेज की गाड़ी में बैठ कर जावें । ग्रापको मालूम होगा कि वह रोड वेज की बोडी मेरी बोडी की तरह हिल रही है । ग्रगर ग्राप ऐसी बात करेंगे तो उसमें सुधार ग्रावेगा । इसलिये मैं कहता हूँ कि जो भी इसके मंत्री हों कभी कभी किसी किसी रूट पर बस से टूर किया करें तो ग्रापको ग्रसलियत का पता लगेगा ।

इसके ग्रलावा मैं ग्रापको टैक्सेशन के बारे में महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ । इसके बारे में जो पेनल्टी कानून ग्रापने रखा है वह एक ऐसी चीज हमारी सरकार ने रखी है कि उस पर भी हमें विचार करना है । वह यह कि जो टैक्स जमा कराने के १५ दिन ग्रेस के होते हैं उसके बाद में १६ वें दिन हो जाता है ग्रौर वह टैक्स जमा कराने के लिये जाता है तो उससे महीने पर पेनल्टी लेली जाती है । ग्रौर वह भी एक दम ५०) रु० । मैं यह नहीं कहता कि ट्रकों पर या बसों पर यह जो ५०) रु० की पेनल्टी रखी गई है वह ज्यादा है । मगर मैं यह कहूंगा कि यह छोटी छोटी प्राइवेट कारों पर जो टैक्स के ३०) देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन पर ३०) टैक्स के लेते हैं उतनी ही पेनल्टी ले लीजिये लेकिन इतनी भारी रकम पेनल्टी की ५०) रु० बहुत ज्यादा है । यह प्राइवेट गाड़ियों के लिये ही नहीं बल्कि स्कूटरों के लिये भी है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि टैक्स से दुगनी ग्रौर चौगुनी पेनल्टी ग्रापने लगाई है । यह नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सों से चौगनी पेनल्टी नहीं ली जाए । कोई ग्रपने स्कुटर को घर में बन्द करके चला जाता है ग्रौर समय रुपया जमा कराने का निकल जाता है तो टैक्स तो १०) रुपये या १२) रु० ही होते है जो देने हैं मगर पेनल्टी उस पर ५०) हो

(श्री मानसिंह महार)

जाती है यह बड़ा अन्याय है । इसका मैं मुक्त भोगी हूँ और भुगत चुका हूं ।

मैं यह निवेदन करूं कि मैंने एक नया स्कूटर खरीदा । उसको मैंने चलाया तक नहीं । वह मेरे घर में ही पड़ा रहा । मैं यह समझता था कि जब तक उसको सड़क पर नही चलाएंगे तो उसकी पेनल्टी का प्रश्न नहीं उठेगा । लेकिन जब मैं उसका टैक्स जमा कराने लगा तो मेरे स्कूटर खरीदने की रसीद को देख कर आर० टी० ओ० वालों ने कहा कि ५०) रु० पेनल्टी के ।

तो मैं अपनी बात बताता हूं । मैं उस दिन तक जीप पर ही पेनल्टी समझता था । मैं जीप पर भी कई दफा देख चुका हूं । तो सभानेत्री महोदया, मैं निवेदन करूं कि नया स्कूटर जो एक रोज भी सरकार की सड़क पर नहीं चला, टैक्स जमा कराने गया तो पेनल्टी का ५० रुपया मांगा गया । टैक्स लेने वाले लोगों ने कहा कि कानून आपने ही बनाया है, मैंने कहा बिलकुल ठीक है, हम तो माइनोरिटी में थे और हां पक्ष में जो बैठने वाले थे उनमें अकल थी नहीं ।

श्री चन्दनमल बैद : यह कानून उस वक्त बना जब आप हां पक्ष में बैठते थे ।

श्री मानसिंह महार : मुझे याद नहीं, मुझे कभी सौभाग्य मिला नहीं हां पक्ष में बैठने का । मैंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की । लेकिन कांग्रेस वाले घबरा गये, मुझे हजम नहीं कर सके, बोले, तुम तो कृपा निधान हमारे अन्दर मत आओ, हमारी बातें ले ले कर हमें ही खत्म कर दोगे । मन्त्रीजी उन दिनों, यह मेरे हैं ऐसा मानते थे, लेकिन आज दिन में उनका विरोधी हो जाता । उस दिन तो अपना परम मित्र मानते थे ।

श्री चन्दनमल बैद : अब भी मानता हूं ।

श्री मानसिंह महार : इस तरह नहीं, उन दिनों पीछे बैठा करते थे और गवर्नमेंट को हमसे भी ज्यादा खराब बताते थे, हमसे भी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे । पर यह मन्त्री पद का टुकड़ा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण चीज होता है कि इस सरकार को जो हमसे भी अधिक बुरा बताया करते थे वे आज उसके पुजारी बन गये हैं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभानेत्री महोदया, उधर केवल चन्दनमलजी बैठे हैं । बाकी सब चले गये ।

श्री मानसिंह महार : अब अपना राज आने वाला है, अब ये बता रहे हैं कि आयन्दा इलेक्शन के बाद इतने ही रहेंगे, पहले से ही छुट्टी ले रहे हैं, यह तो शुभ लक्षण हैं कि ६७ के चुनावों के बाद ये कितनी तादाद में रहेंगे, इसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं, वे वाइप आउट होने वाले हैं, यह तो अच्छी बात है, आपको नाराज नहीं होना चाहिये ।

सभानेत्री महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह रोडवेज और टैक्सेशन की पॉलिसी है इस सारी पोलिसी को रिव्यू कर लीजिये, दो सेक्शन्स में अमेंडमेंट

(श्री मानसिंह महार)

लाने से राजस्थान का कल्याण नहीं होने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मोहनलाल सारस्वत : घंटी लगाने की आवश्यकता नहीं है सभानेत्री महोदया।

श्री मानसिंह महार : ऐसा नहीं कहिये मोहनलालजी साहब, मैं सभानेत्रीजी के आदेशों का पालन करने वाला हूं।

सरकार की यह जो टेक्सेशन की प्रणाली है आपको इस सारे ढांचे को बदलना पड़ेगा। बस आपरेटर्स पैसेन्जर्स टैक्स जनता से वसूल करते हैं, लाखों के एरियर्स हो जाते हैं, वह भी कोई गरीबों में नहीं, मोटे मोटे मोटर मालिक पैसेन्जर्स टैक्स के लाखों रुपयों को हजम कर जाते हैं। इसके लिये आपको बहुत सख्त सजाएं ईजाद करनी पड़ेगी। हमारी जेबों से पैसा निकल जाय, सरकार के पास वह पैसा पहुंचे नहीं और बीच वाले ही खा जाय। इससे बढ़ कर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में कई बार इस सदन में मुद्दे उठाये गये पर हर बार सरकार जवाब देने में पंगू पाई गई।

मेरा समय हो गया है इसलिये मैं ज्यादा न कह कर, हालां कि मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, मन्त्री महोदय से एक ही एश्योरेंस चाहूंगा कि कम से कम टेक्सेशन की पैनल्टी दुगुनी या बराबर कर दें तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी। ५००) रुपया देने वाला ट्रक वाला इवेजन करता है तो आपको उससे १०००) रु० मिलेगा। इस प्रकार का एश्योरेंस जिस समय आप जवाब दें उस समय आपसे जरूर चाहूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभानेत्रीजी, इस प्रकार गवर्नर द्वारा, जो अध्यादेश निकाला गया था, उसका विधेयक हमारे सामने है। मैं इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कुछ टैक्स में कमी की। पर जो रवैया सरकार का, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस तरह की बात पहली बार की हो, ऐसी बात नहीं है। इसकी सदन में आज से दो साल पहले एक टैक्स इन्होंने लगाया था सिनेमा स्लाइड्स के ऊपर, स्लाइड्स के प्रदर्शन पर काफी भारी टैक्स लगाया था। यह टैक्स जिसको कम कर रहे हैं यह भी बजट के समय लगाया गया था। दोनों के बारे में हम सबने विरोध किया था। केवल विरोधी पार्टी ने ही नहीं, इनकी पार्टी के सदस्यों ने भी विरोध किया पर उस वक्त इन्होंने नहीं माना। नतीजा यह निकलता है कि जब सदन के दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य मांग करते हैं कि टैक्स कम करना चाहिए, तब तो कम नहीं करते पर इसके बाद जब ५-१० आदमी उस ओर्गेनाइजेशन आकर कहते हैं तो कम कर देते हैं, जैसे सिनेमा का टैक्स कम किया। तब हमें शंका होती है, मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ जब टैक्स कम किया तो हजारों रुपया उन लोगों से चंदे के रूप में लेकर कम किया है। यह टैक्स जो अब कम किया है इसमें हमें शंका होती कि मोटर मालिकों से कहा कि चन्दा भेजो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को चन्दा दिया है तब यह टैक्स कम किया है। तो मैं कहता हूँ कि आप प्रजातन्त्र को समझते हैं, प्रजातन्त्र के आधार पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन के माननीय सदस्य जब आपको सही राय देते हैं, उनकी बात मान लो तो आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है और जब मालिकों के चार छः आदमी आकर आपको कहते हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा को खत्म करने को तैयार हो जाते हैं उनके कहने से आप टैक्स को कम कर देते हैं और जब सारा सदन कम करने को कहे तो आप उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान कर कम नहीं करते हैं। यह शासक दल ने अपनी नीति बनाई है कि सदन जब टैक्स कम करने का कहे तब तो टैक्स कम नहीं करना और मालिक आकर जब कहें तो टैक्स में कमी कर देना। यह जो आपने नीति बनाई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और फिर भी भविष्य के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी टैक्स अगर आप कम करना चाहते हैं तो सदन के अन्दर इस बात की घोषणा करें, कुछ लोगों के कहने पर नहीं करें। अब सवाल आता है कि आपने इन्सपेक्टर्स की पावर्स को ज्यादा मजबूत किया इसलिए कि आपको टैक्सेज वसूल करने में कुछ दिक्कत होती है। आपको मालूम होगा कि इन मामलों में कि टैक्स लोगों में काफी बकाया है, मैंने प्रश्न पूछ कर सूची मांगी थी। उसके अन्दर लाखों रुपए लोगों के अन्दर बकाया था यहां तक कि एक पार्टी के अन्दर १,०३,०००) बकाया निकलता था। परन्तु उसके बारे में इसी सरकार के वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि हम लोग क्या करें, यह जो टैक्स देने वाले लोग हैं, ये हाई कोर्ट में चले गए और वहां से स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया और जब तक हम कानून को ठीक नहीं करें तब तक बकाया हम वसूल नहीं कर सकने। ठीक है, उस मामले में भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के कानून बनाते क्यों हैं? कमियां क्यों रखते हैं कि लोग जनता से पैसा वसूल करें और सरकार के पास वह नहीं दें? पैसेन्जर्स टैक्स में लाखों रुपए मोटर मालिकों ने अपने पास इकट्ठे कर लिए और वह पैसा सरकार को बहुत समय तक नहीं दिया और उसका खुद उपयोग किया। मैं मन्त्री महोदय जो कि उस पैसे के लिए भी जिम्मेदार हैं और वह विभाग भी उन्हीं के पास है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सूची आपने इस सदन में पेश की थी कि इतने लाख रुपये बकाया है और उसमें व्यक्तिवार आपने कहा था कि यह रुपया इनमें बकाया है, जैसा आपने सदन में वायदा किया था कि तीन महीने के अन्दर सब पैसा इकट्ठा कर लेंगे, मैं चाहूंगा कि आप सदन में सूची रखें कि उस दिन कितना बकाया था, कितना वसूल किया और आज के दिन कितना बकाया है, दोनों गुड्स चाहे पसेन्जर्स टैक्स में।

आपने इसके अन्दर टैक्स कम करने की बात कही है और टैक्स वसूल करने की बात कही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि टैक्स वसूल करने के लिए इन्सपेक्टर्स की इतनी बड़ी फौज रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या जरूरत है टैक्स वसूल करने के लिए गाड़ियों को

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रोका जाय। आप फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, टोकिन आप देते हैं। उस समय आप साल भर की फीस एक साथ ले लें और जब वह फीस जमा करा दें तभी गाड़ी को सड़क पर चलने दें जिससे न टैक्स का बकाया रह सकता है न ही गाड़ी चलने से रुक सकती है। जब पहले ही टैक्स वसूल करेंगे तो यह दिक्कत नहीं आएगी और जो इन्सपेक्टर्स की फौज बढ़ाकर आपने प्रशासन का खर्चा बढ़ाया है, वह भी कम हो जायगी।

दूसरे इस समय नानटैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। हम चाहते हैं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य और केन्द्र भी नान-टैक्स रेवेन्यू के आधार पर मजबूत होते हैं तो उनकी आर्थिक नीति और हालत ज्यादा मजबूत हो सकती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान ने कुछ ऐसी चीजें पैदा की हैं जिनसे वह नान-टैक्स रेवेन्यू पैदा कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे यहां रोडवेज स्थापित किया गया। एक साल में २७ लाख का मुनाफा दिया और जिस समय आपने इस बात का ऐलान किया सदन में कि रोडवेज ने २७ लाख रुपये का मुनाफा कमाया है, हम सबने आपको धन्यवाद दिया था। लेकिन मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस होती है है कि आज उस रोडवेज कार्पोरेशन की क्या हालत हो गई है? वह नुकसान में है यहां तक की वह अपना खर्चा मेन्टेन नहीं कर सकती। गाडियां नई लेनी हैं तो पैसा नहीं है। जीवन बीमा निगम के पास गये भीख मांगने के लिए उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके आधार पर हम तुम को पैसा दे दें? गाड़ियों पर हम पैसा नहीं देते। आपके पास कोई ऐसी बिल्डिंग्स नहीं हैं जिन पर पैसा दें। आज यह हालत हो गई, उस कारपोरेशन में नई गाड़ियां लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते। परन्तु दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक तरफ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की हालत यह कि दिवालिया होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक उदाहरण कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया। टेन्डर जो कम रेट वाले को देते हैं और एक एक गाड़ी पर १०,०००) ज्यादा कोट करने वालों के टेन्डर पास करके लाखों रुपया का नुकसान किया। इतना ही नहीं, इस मंत्री के आने के बाद की घटना बताना चाहता हूं। कारपोरेशन में मोटर चलानेवाले ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स हैं। उनके लिए आपने जूते खरीदने के लिए टेन्डर निकाला था। सरकार के आदेश हैं कि जब तक तीन टेन्डर्स न हों तब तक कोई टेन्डर पास न किया जाय। आपके पास दो टेन्डर्स आए, एक बाटा का और एक ऐसा आदमी था जिसने कभी जूते का काम नहीं किया, जो जूते का व्यापारी नहीं है, वह सिर्फ एक एजेंट है, एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह लाकर देता है। बाटा कंपनी का टेन्डर आपने पास नहीं किया। टेन्डर देने वाले ने लिखा कि हम ५ सप्लाई करेंगे, यह नहीं कहा कि छठे या सातवें सप्ताह में सप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि बाटा कंपनी इतनी बड़ी है कि फौज वाले वहां से खरीदते हैं, पुलिस के लोग खरीदते हैं। उन्होंने सिर्फ यह लिखा कि हमें एक महीने का समय दें क्योंकि कलकत्ता में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हड़ताल हो रही है, इस समय हमारे कारखाने में जूते नहीं बन सकते। आपने एक महीने का समय कंपनी को नहीं दिया बल्कि उनके पत्र का जवाब भी आपने एक साल के बाद दिया। इस बीच में ऐसा आदमी जिसकी कोई कम्पनी नहीं है, जूते का व्यापारी नहीं है, उससे आपने १३ रुपए और कुछ पैसे में जूते खरीदे। पता नहीं कितने रुपए में खरीदे। इस बीच में घोटाला कहां हुआ, यह पता आप लगाएं। बाटा कंपनी का आदमी जिसने टेन्डर दिया था उसने जो २००) अरनेस्ट मनी दी थी, उसको भी आपने जब्त किया, किस कानून से? कोई शर्त नहीं कि वह जब्त कर ली जायगी। उसने दो दो खत जनरल मैनेजर को लिखे पर आपने आज तक जवाब नहीं दिया। इस तरह के जो घोटाले आपके नीचे रहने वाले छोटे छोटे क्लर्क करते हैं। वे हजारों रुपए इस तरह से कमाते हैं। चाहे रेफ्रीजरेटर का पानी घर में पीए उसमें फल रखें और उसमें ठंडी और गर्म चीजें खाएं, अच्छे बगले बनाएं। वह सब इसलिए होता है कि आप गलत आदमियों को टेन्डर देते हैं जिनकी पूंजी नहीं, दुकान नहीं जो वास्तव में कंपनी रेट्स से सप्लाई करने वाले लोग हैं उनको टेन्डर से वंचित रखते हैं, यह ठीक नहीं है। यही एक कारण है कि कारपोरेशन बराबर घाटे में चली गई और धीरे धीरे आज यह हालत हो गई कि आगे चलने के लिए सक्षम नहीं रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जवाब भी चाहूंगा।

(७.०० म.प.)

आपके पास ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट है। रोड्स पर जो पेसेन्जर गाड़ियां चलती हैं उनको आप परमिट देते हैं मैं अदब से कहना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों यात्रियों की गाड़ियों में बैठने की संख्या बढ़ती जाती है तो गाड़ियों कि डिमान्ड ज्यादा होती है। जहां पर चार गाड़ियां चलती हैं वहां जनता की डिमान्ड है कि ६ चलवाइये आठ चलवाइये। यह कहते हुए ताज्जुब होता है, चार मालिकों की गाड़ियों उस रोड पर चल रही हैं, उसके बजाय आप दो गाड़ियों के लिए दूसरों को परमिट नहीं देते हो, किन्तु उन्हीं को दे देते हो। यदि वैसा करें तो दूसरे आदमियों को रोजी मिल सकती है लेकिन आप तो उन्हीं को दो गाड़ियां बढ़ा देते हैं। बढ़ाते कैसे हैं? जो गाड़ियां चलती हैं वे डबल हो जांय। चार बजे चलती हैं ६ बजे आजाय और ६ बजे चलती हैं वह आठ बजे आजांय। यही आप दो गाड़ियों को दूसरों को दें तो दूसरे लोगों को बिजनिस मिल सके और अन्य लोगों को रोजी और रोटी मजदूरी मिल सके।

इन गाड़ियों का टैक्स कम किया। आपने ओर्डिनेन्स के आधार पर नया पैसेन्जर टैक्स लगाया। बहुत कम लोगों से उसको वसूल करते हैं जो काम कर रहे हैं। जो लाखों आदमी राजस्थान में गाड़ियों में फिरते हैं वे टैक्स देते हैं। आप जिस हिम्मत के साथ जिस टैक्स को कम करने के लिये लाये हैं चन्द आदमियों की खुशामद के बाद, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दो करोड़ आदमी खुशामद करेंगे यदि जो १२॥ परसेन्ट आपने लगा रखा है उसको कम करेंगे, चाहे धनी हों या गरीब, रोडवेज में जांय या दूसरी गाड़ी में जांय उसका भार उस पर पड़ता है, उसको आप कम करिये। इस

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

महंगाई के जमाने में पैसेन्जर टैक्स को ज्यादा बढाकर महंगाई अधिक मत करिये। चार दिन सेशन और चलाने वाले हैं उसमें एक बिल और ले आइये। उसमें आप कहिये कि हम ६ परसेन्ट ही टैक्स लगा रहे हैं और बकी माफ करते हैं क्योंकि उसका असर सब पर पड़ता है गरीब से गरीब पर भी पड़ता है और धनी से धनी पर भी।

आपने यह आश्वासन दिया था रोडवेज में किराया रेलवे से अधिक नहीं होगा। सभानेत्री महोदया मैं पूछना चाहता हूं कि रेल का किराया जिस जगह का ३. ७६ पैसे है वहां के लिये पेसेन्जर अगर आपकी गाड़ी से चलता है तो ४.१० पैसे किराया देना होता है। सदन में आपने आश्वासन दिया था कि जो पैसेन्जर रोडवेज से चलते हैं उनका किराया रेलवेज से अधिक नहीं होगा। जो वादा किया था क्या उससे अलग नहीं हो रहे हैं, क्या उससे पीछे नहीं हट रहे हैं क्या? यदि आप उस वादे को पूरा करना चाहते हैं तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि घोषणा करिये कि रोडवेज से किराया ३)७६ पैसा होगा और ४)१० पैसे नहीं लिये जावेंगे। इसलिये कहता हूं कि जो चोरी आज इस विभाग में चल रही है उस पर आपको बहुत सोचना है समझना है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बदनीयत आपकी या किसी की है। आप एक नौजवान मिनिस्टर हैं, आपको काम करने की इच्छा है तो आप इसमें सुधार करके बताइये। आपका अभी प्रमोशन हुआ है। रोड कारपोरेशन नुकसान में जा रहा है तो प्रोफिट करके बताइये। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि गुडस ट्रान्सपोर्ट को भी नेशनेलाइज किया जाय। परन्तु मुझे तो शर्म आती है कि समाजवाद के जितने साधन है, तरीके हैं उनकी तो ब्लेक लिस्ट बनती जा रही है। सरकारी समितियां सारी भ्रष्टाचार का गढ बन कर रह गयी हैं। नेशनेलाइजेशन जिनका किया है वे सब भ्रष्ट लोगों के हाथों में है और जिनमें फायदा होता था उनमें आज नुकसान हो रहा है। लीकेज बन्द नहीं हुआ। लोग नेशनेलाइजेशन को गाली देने लग गये। स्टेट अन्डरटेकिंग लाये उसमें भी आप फेल्योर हैं और उसमें भी नुकसान हो रहा है। कैसा समाजवाद लाना चाहते हैं? जो समाजवाद के तरीके हैं उनको आप अपने गलत कारनामों के कारण जनता में बदनाम करते जा रहे हैं। जनता में सहानुभूति पैदा करके नोन टेक्स रेवेन्यू बढा कर बताइये। तब मैं समझूंगा कि उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। वरना छोटे से लगाकर बड़े से बड़े तक घर बनाने के लिये नेशनेलाइजेशन और स्टेट अन्डर टेकिंग्स और कार्पोरेशन करना चाहते हैं तो यह अच्छी चीज नहीं है और जनता के साथ धोखा है। मंत्री महोदय को मैंने एक बात कही पेसेन्जर टेक्स कम करने की। दो चार दिन में बिल लाकर पेसेन्जर टेक्स को कम करें तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिये तैयार हूं।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं): सभानेत्री महोदया, राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर मेरा निवेदन है कि इसमें जो विशेष अधिकार अधिकारियों को दिये जा रहे हैं, उससे मोटर मालिकों को बड़ा नुकसान है किसी

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

मोटर को देख कर उसको रोक लेंगे तो ड्राइवर व कन्डक्टर वगैरा के पास पैसे होंगे या नहीं वक्त पर, पचास साठ हजार का माल एक गाड़ी पर होता है उसको रोक लेंगे, इससे भ्रष्टाचार को बढावा ही मिलेगा। इस बारे में इकरार जैसा दूसरी गाड़ियां के लिये बताया गया है कि नहीं रुकेगीं उनसे पांच सौ रुपये मुचलके लेकर छोड़ देंगे, हजारों रूपयों का ट्रक्स में माल भरा हुआ होता है इससे उनके मालिकों को इस प्रकार रोकने से नुकसान होता है और इससे भ्रष्टाचार फैलेगा जो कि नहीं होना चाहिये। इसलिये इसमें संशोधन होना चाहिये। वरना भरी हुई गाड़ियों को रोक दिया जावेगा। खुलकर बाकायदा भ्रष्टाचार करेंगे। बडे बड़े लोगों की गाड़ियां तो रोकी नहीं आवेगीं जो कि रोड टैक्स की चोरियां करके चलती है। इसके लिये बहुत सी नजीरें मौजूद हैं। वेंगू जिला कांग्रेस के पास एक गाड़ी है, मन्त्री महोदय वेंगू आये थे उस समय वह सड़क पर चल रही थी। उसका रोड टैक्स जमा नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने कहा कि गाडी को हटा लो। वह खड्डे में जा गिरी जिससे उसका नुकसान हो गया। अब वह गाड़ी बेच दी गई है। जिला कांग्रेस के प्रेसीडेण्ट की गाड़ी थी जिन्होंने टैक्स नहीं चुकाया ये आप इस प्रकार की बातों को तो देखिये पहले। अपके साथियों में इस प्रकार से लाखों रुपया बाकी है। उसको तो वसूल कीजिये।

इस विधेयक में काफी कमियां हैं। उस पर काफी महानुभावों ने चर्चा कर ली है। मैं आपका ज्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहता। रोडवेज की गाड़ियां के लिये काफी माननीय सदस्यों ने फरमाया है। आज उन गाडियों की हालत को तो देखिये। उनकी कीमत आज क्या रह गयी है। रुपये में पांच आने भी उनके नहीं बंट सकते। वे खराब हो चुकी हैं। व्यापारियों की गाड़ियां चलती हैं वे लोग कमाते भी हैं क्योंकि बड़ी हिफाजत से वे लोग उनको रखते हैं। आप मुनाफे का बात करते हैं। आप अपनी गाड़ियों की पहले हालत देख लीजिये कि आप कहां पर पर हैं। रोडवेज में लोग परेशान होते हैं। काफी दिक्कतें लोगों को होती हैं। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। आपने छूट दी है! सैंकड़ों हजारों गाड़ियां खड़ी रहीं, लोग परेशान हुए, लोगों को नुकसान हुआ माल ट्रान्सपोर्ट नहीं हो सका। उसके बाद आपने यह छूट दी है। इसका स्वागत करें तब भी कोई बात नहीं है। आप आन्दोलन कराएं, गाड़ियां रुकवाएं और आप हर बार चाहते हैं कि आन्दोलन हो और फिर आप कानून को बदलें क्या यह अच्छी बात है? पहले ही आप इसको सोचते। रोड्स की हालत खराब हो रही है। राणा प्रताप सागर रोड के बीच में पुलिया आज तक नहीं बनी है। सड़क खराब है उसकी दुरुस्ती आप नहीं करते। मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा टैक्स न लगाये? और फिर छोड़ाछोड़ी की बात न करें। अनाप शनाप टैक्स लगा दिये। तो इस सरकार का नाम "टैक्सी सरकार" रख दें तो अच्छा है। करोड़ों रुपया टैक्स का बाकी है और लाखों रुपया तो आपके लोगों में बाकी है आप उनको वसूल नहीं करते।

(श्री चौसरसिंह बावेल)

पहले आप टैक्स वसूल करें जिनमें बाकी है फिर टैक्स लगायें।

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : माननीय सभानेत्री महोदया, मैं सदन का आभारी हूँ कि राजस्थान मोटर वेहिकल करारोपण संशोधन विधेयक १९६६ के तृतीय वाचन पर जो बहस हो रही है उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लिया और न केवल इस विधेयक से सम्बन्धित विषयों पर ही चर्चा की और सुझाव दिये बल्कि ट्रान्सपोर्ट और रोड कारपोरेशन के बारे में भी चर्चा की और सुझाव दिये। वे बहुत उपयोगी हैं।

मैं उनमें से कुछ के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा पर जिनके बारे में विचार प्रकट न कर सकूं वे यह न समझ लें कि मैंने उनके विचारों और सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है या उनको महत्व-पूर्ण नहीं समझ रहा हूँ, ऐसा केवल इसलिये कर रहा हूँ कि समयाभाव है। मैं सभी के सुझावों और विचारों पर गम्भीरता से विचार करूंगा और उन सब का पूरा पूरा उपयोग करूंगा।

सभापति महोदया, कुछ सुझाव नीति सम्बन्धी हैं और कुछ अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में हैं। मैं पहले नीति सम्बन्धी सुझावों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा।

टैक्स के बारे में कहा गया कि जो टैक्स मोटरगाड़ियों पर लगता है वह एक ही विभाग के द्वारा लगाया जाना चाहिये और उस एक को ही उन्हें वसूल कर लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि अभी श्री केसकर के सभापतित्व में एक कमेटी इसी बारे में सुझाव देने के लिये बनी है। वह इस टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है।

अब जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो यह मानने वाला हूँ कि न केवल सारे टैक्स ही बल्कि अलग अलग स्टेटों में और अलग अलग जगह म्यूनिसिपैलिटियों की चौकियों पर लिया जाने वाला हर तरह का टैक्स एक ही जगह वसूल कर लिया जावे जहां कि वह गाड़ी रजिस्टर हुई है। इससे न केवल मोटर मालिकों का और ड्राइवरों का हैरेसमेन्ट ही मिट जावेगा, बल्कि जो उनकी स्पीड है वह भी तेज हो जावेगी। यह सही है कि आज जो ट्रक माल लेकर दिल्ली से बम्बई चलती है वह चार दिन में जो वहां पहुँचती है इन बेरियर की वजह से, वह इन बेरियर के न होने पर दो दिनों में पहुंचने लग जावेगी। आज इन गाड़ियों को न केवल स्टेटों के विभिन्न बेरियरों पर रुकना पड़ता है, बल्कि रास्ते में पड़ने वाली हर म्युनिसिपैलिटी की चुंगी चौकी पर भी रुकना पड़ता है। इसमें टैक्स का भले ही कोई बहुत भारी महत्व न हो, पर इससे समय की काफी बरबादी होती है और सबों को हैरेसमेन्ट होता है।

अभी केसकर साहब यहां पधारे थे तो इस बात का जिक्र चला था। वे जल्दी ही यहां आना चाहते हैं और जो हमारी पड़ोसी स्टेटें हैं उनके साथ इसके बारे में कोई समझौता भी वे कराना चाहते हैं। ऐसा समझौता दक्षिण में मद्रास, आन्ध्र प्रदेश केरल और दूसरी नेबरिंग स्टेटों में कराया

(श्री चन्दनमल वैद)

है कि मोटर वालों से टैक्स एक ही जगह ले लिया जाय। और फिर बिना किसी प्रकार की रुकावट के वह गाड़ी इन पांच या जितनी भी स्टेट के साथ समझौता हुआ है उनमें आ जा सके। तो इसी तरह से हमारी नेबरिंग स्टेटों में जो गुजरात है, यू. पी. है, पंजाब है महाराष्ट्र है उनके साथ ये हमारा भी समझौता करा दें तो यह प्रगतिशील कदम होगा। और राजस्थान चाहता है कि ऐसा कदम उठाया जावे। केसकर कमेटी इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार कर रही है। हम उत्सुकता से उनकी उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आवेगी उसे स्वीकार करने में राजस्थान किसी से पीछे नहीं हटेगा।

एक यह भी सुझाव दिया गया कि पेट्रोल या डीजल के पम्पिंग स्टेशनों पर ये कर वसूल कर लिये जावें। यह ठीक है। पर कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह सुझाव दिया है उसमें एक खामी है। आज जो टैक्स स्ट्रक्चर है वह गाड़ी के टाइप पर है। कोई गाड़ी किराये पर चलती है तो उस पर टैक्स भिन्न है, घर के लिये चलती है तो उस पर टैक्स की रेट भिन्न है, छोटी और बड़ी पर भिन्न भिन्न है। तो इन सबका पेट्रोल पम्प पर कैसे हिसाब रह सकेगा। फिर आज जिस भ्रष्टाचार की वे बात करते हैं, वह यहां से हटकर पेट्रोल पम्प पर चला जावेगा। हां, इस तरह का कोई हल निकाला जा सकता है कि वह टैक्स पेट्रोल और डीजल में ही समाविष्ट कर लिया जावे और फिर केन्द्रीय सरकार उसका हिस्सा हिसाब देख देखकर भिन्न भिन्न स्टेटों को कर दें। अगर ऐसा कुछ हो जाय तो इसमें हमें आपत्ति नहीं होगी।

केसकर कमेटी की हम इन सब मुद्दों के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है।

यह भी चार्ज लगाया गया कि सदन में अगर कुछ कहा जाता है तो वह तो नहीं मानते सदन के कहने से। पर चन्द लोगों के प्रभाव में आकर वही बात उनके कहने से मान लेते हैं। यह भी चार्ज लगाया गया कि टैक्स जो ज्यादा था उसे कम कर दिया गया उनके कहने से। हमने कहा तब कम नही किया। पर चन्द लोगों के प्रभाव में आकर बीस से पच्चीस परसेन्ट तक कम कर दिया।

वे सदन की बात करते हैं तो सात अप्रेल की कार्य विवरण की बात करते हैं। १२ अप्रेल को जब इस बारे में एक काम रोको प्रस्ताव पेश हुआ था तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने कहा था। वह हिस्सा मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे जो यह भ्रम फैला हुआ है कि हम आपके कहने से टैक्स कम नहीं करते पर बाद में चन्द लोगों के कहने से कर देते हैं, वह दूर हो सके।

"यह भी आश्वासन कल दे दिया था कि पंजाब में तबदीली होती है और उससे पंजाब के गुड्स टैक्स और मोटर विहिकल टैक्स मिलाकर राजस्थान से अगर वे कम पड़ते हैं तो इसके बारे में हम आश्वासन नहीं दे सकते। इस समय हम पुनः विचार करेंगे। इस तरह की बात भी कल हड़तालियों के प्रतिनिधियों से बातचीत होने के दौरान में बता दी गई थी"। तो उस समय ही कह दिया था कि हड़ताल होने के बाद में

Page No.152

(श्री चंदनमल वैद)

पंजाब तबदीली करता है तो हम भी पुनः विचार करेंगे। यह आश्वासन इस सदन में दे दिया गया था। इसके बाद पंजाब की परिस्थिति हमको आपको मालूम है। हरियाणा और पंजाब दो भागों में विभक्त हो रहा है। वहां टैक्स वसूल नहीं हो रहे हैं नये। वही ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे। इसलिए इसका हमारे पर प्रभाव पड़ा। हमने सोलम प्रोमिस दिया था। वे रसीदें दिखाते हैं कि पंजाब तो वही पुराना टैक्स वसूल कर रहा है। तो इसका हमारे पास जवाब नहीं था। आखिर, जो बात कही थी उसका पालन करने के लिए, टैक्स कम करने को हमें यह विधेयक लाना पड़ा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि विधान सभा में कुछ कहें और बाहर कुछ करें। यहां का कहना नहीं मानते और दूसरे कुछ लोगों के कहने से कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हां, सदन के सामने नहीं कहते और फिर करते तो दूसरी बात थी। तो मैं निवेदन किया कि किन परिस्थितियों के कारण हमने यह किया है। जो हमने यहां कहा था और जो बात हमने ट्रक वालों से कही थी, उसी के पालन करने में हम यह कर रहे हैं।

तीसरी बात जो कही वह यह है कि आज जगह जगह हमारी बसों में भीड़ होती है। उसको कम करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं. इसके लिए हमने पिछले तीन महीनों में तीन मिटिंगें आर. टी. ओ. की की हैं। हिदायतें दी हैं कि जहां जहां भी आसानी से हमारी बसें बढ़ सकती हों वहां बढ़ा दी जाय। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम पचास प्रतिशत रूटों पर बीस से लेकर दस प्रतिशत तक बसें भिन्न भिन्न जगहों पर बढ़ी हैं।

एक बात यह कही गई कि आज नये परमिट नहीं दे रहे हैं जिनकी चल रही हैं उनको ही कह रहे हैं कि बसों की संख्या बढ़ाओ, जहां प्राइवेट बसें चलती हैं वहाँ। मान लीजिये एक रूट है उसके लिए १५ परमिट दिये गये और उनमें से पांच की प्रति दिन रोटेशन से उस रूट पर बसें प्लाई करती हैं तो हमने उनमें से ही कह दिया है कि प्रतिदिन पांच प्लाई नहीं कर के कुछ अधिक करने लग जावें। पांच की जगह आठ चली जावें, दस चली जावें तो यह ज्यादा उचित है या नयों को परमिट दें वह ज्यादा उचित है।

एक दूसरी बात और है और वह यह है कि आज नये परमिट आर० टी० ए० देता है। इसकी जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हैं और उसमें ४-५ महीने का समय लगता है। एक तरफ तो जनता मांग कर रही है कि बसों की संख्या बढ़ाइये और इसके लिए अगर हम आर० टी० ए० के पास जाते हैं तो उसमें समय काफी लग जाता है। खास बात यह है कि बसेज कम चल रही हैं तो हमने बसेज की संख्या बढ़ा दी है आज आप इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी बसें और ट्रकें पड़े हुए हैं और ट्रक आपरेटर्स की हालत बहुत खराब है। ट्रक आपरेटर्स की हालत इसलिए खराब है कि उनको पूरा माइलेज करने को नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि जहां राजस्थान में ४०-५० मील का एवरेज यह कर रहे थे तो हमने कहा है

(श्री चंदनमल बैद)

कि जब तक १०० मील का एवरेज नहीं कर लेंगे तब तक हम और दूसरे नये परमिट्स नहीं देंगे। आप स्वयं सोच सकते हैं कि आज एक बस वाला किस तरह से ४०–५० मील चलाकर अपना पेट भर सकता है और गाड़ी का खर्चा निकाल सकता है। इस वास्ते यह जरूरी समझा गया कि हमने यह सारी व्यवस्था की कि जहां परमिट्स की संख्या ज्यादा है और बसेज कम फ्रीक्वेन्सी से चल रही हैं वहां पर फ्रिक्वेन्सी बढ़ा दी जाये। अब सारे राजस्थान में सब रूट्स पर उनकी फ्रीक्वेन्सी बढ़ा दी गई है और ज्यादा बसें चलने लगी हैं और बराबर हम इसका ख्याल रख रहे हैं कि जितनी ज्यादा बसें हम चला सकें वह चलें जिससे ओवरक्राउडिंग की शिकायत बन्द हो जाये। सभानेत्री महोदया, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि इन तीन चार महीनों में हमारा ओवरक्राउडिंग कम हुआ है और मुझे अहसास हुआ है कि हमारे स्टैप्स का काफी असर पड़ा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जहां ८ परमिट्स थे और गाड़ियां ५ चल रही हैं उनका क्या होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : वहां पर क्योंकि अब फ्रीक्वेन्सी बढ़ा दी गई है तो ६ चलेंगी, ८ चलेंगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने कहा कि १०० मील गाड़ी कम से कम चल सके हम ऐसा इन्तजाम करेंगे जिससे वह अपना निर्वाह कर सके तो क्या आपने उसके लिए कदम उठाया है ? क्योंकि हमने कई दफा रखा कि बीकानेर से नागौर आपने डाइरेक्ट कर दिया या जोधपुर कर दिया तो नये रूट्स वालों को भी फायदा पहुंचे....

श्री चन्दनमल बैद : मान लें कि किसी रूट पर १० परमिट्स थे और उस पर ५ गाड़ियां चलती थीं तो हमने कह दिया कि ७ चलाइये। अब १० में से ७ आयेंगी तो माइलेज तो उनका बढ़ गया। यह तो उसका नतीजा ही हुआ है। मैं पर्टीकुलर रूट की बात नहीं कर रहा हूँ यदि आपको पर्टीकुलर रूट की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लीजिये मैं उत्तर दे दूंगा। मैं फिर बता सकूंगा कि किस किस रूट पर कितनी कितनी गाड़ियां बढ़ी हैं। लेकिन यह सही है कि जहां परमिट्स ज्यादा थे और फ्रीक्वेन्सी कम थी वहां हमने कह दिया है कि फ्रीक्वेन्सी बढ़ाइये दस परमिट्स थे उनको कह दिया कि ७ चलाओ, ८ चलाओ। अगर आज ७ गाड़ियां रास्ते पर चलती हैं तो माइलेज जरूर बढ़ेगा....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय सभापति महोदया, एक क्लेरीफिकेशन दे दें। बनेड़ा से भीलवाड़ा एक गाड़ी का परमिट है और आपने उसके बजाय दूसरा लाइसेन्स दिया उसी आदमी को दो दफा चलाने के लिए इजाजत दे दी शाहपुरा से भीलवाड़ा आपने ८ परमिट दे रखे हैं लेकिन गाड़ियां ५ हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नये परमिट्स हम नहीं दे सकते। नये परमिट्स देने के भी

(श्री चंदनमल वैद)

नियम हैं और उनके अनुसार हम नहीं दे सकते। वह आर० टी० ए० देता है। इसलिये हमने आर० टी० ए० को कहा है कि जहां परमिट्स उतने ही हैं कि जितनी फ्रीक्वेन्सी है उन पर परमिट्स बढ़ाने की मेहरबानी करें फिर आपने बनेड़ा का प्रश्न उठाया उसके बारे में निश्चित रूप से इन्डीविजुअल केस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऐसे हजारों रूट्स हैं। आप इसके लिए अलग से प्रश्न कीजिये मैं सारी जानकारी दे दूंगा।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने अलग अलग प्रश्न उठाये हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह ऐतराज उठाया कि बसों पर टैक्स क्यों नहीं घटाया गया। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि बसों और ट्रकों में फर्क है। ट्रक के लिए कोई लिमिट नहीं है। आज हम ट्रक का परमिट किसी को भी दे सकते हैं आज कितने भी ट्रक्स दिल्ली, जयपुर और अजमेर के बीच में चल सकते हैं। ट्रक्स को कम्पीटीशन में आना पड़ता है। इसके बजाय बसों में कम्पीटीशन नहीं है। बसों के परमिट् तो लिमिटेड संख्या में आर० टी० ए० देता है। इसलिए बसों को एडवान्टेज है और वह ज्यादा कमा सकते हैं। ट्रकों का कम्पीटीशन है इसलिए कम्पीटीशन के कारण से उनको किराया कम मिलता है। इसलिए कि बसें ज्यादा भार सहन कर सकती है। एक बात और कही गयी कि ट्रक्स जो बाहर से आती हैं उसका तो आपने टैक्स कम कर दिया लेकिन बसें जो बाहर से आती हैं उनका कम नहीं किया। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि बसें जो बाहर से आती हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है। वह तो हमारे रेसीप्रोकल प्रोसेस से आती है। आज यू० पी० की कोई बस हमारे यहां आती है तो उसको यू० पी० का पैसा जमा कराना पड़ता है और हमारी बसें जो यू० पी० में जाती हैं तो उनको राजस्थान में टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रक यू० पी० की हमारे यहां राजस्थान में आती है तो वह हमें ७ दिन का टैक्स देकर ही आ सकती है और हमारा ट्रक यू० पी० में जाता है तो वह ७ दिन का टैक्स देकर ही जा सकता है।

एक बात और कही गई कि दूसरी जो स्टेटें हैं ये एक महीने का टैक्स लेकर हमारे पब्लिक कैरियर को जाने देते हैं जब कि हम ७ दिन का टैक्स लेकर उनको अलाऊ करते हैं। तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह हमारे ध्यान में है। बल्कि मैं यहां तक कहूँगा कि दिल्ली और पंजाब वाले एक रिटर्न ट्रिप बिना टैक्स के ही आने जाने देते हैं। इसलिए उनके जो नियम हैं वह ज्यादा सुविधाजनक हैं बजाय हमारे के। दूसरी स्टेट्स जैसे गुजरात है वह एक महीने के टैक्स के बिना नहीं जाने देते हैं और हमारी उनसे लिखा पढ़ी चल रही है और यदि हम भी एक महीने का टैक्स लगाते हैं तो हमें नुकसान होता है क्योंकि एक महीने का टैक्स हम लेंगे तो हमारे यहां दूसरी स्टेट्स के ट्रक्स कम आयेंगे। और मेरा मानना है कि जो स्टेट्स अपने नियम जितने सरल रखते हैं वहां पर दूसरी

(श्री चंदनमल वैद)

जगह के टैक्स ज्यादा आते हैं और उनको टैक्स भी ज्यादा मिलता है।

सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने मेले के बारे में बात कही। यह जो ओवरलैपिंग परमिट्स के लिए होती है और जहां हमारे नेशनेलाइज्ड रूट्स हैं वहां पर परमिट्स टेम्पोरेरीली प्राईवेट आपरेटर्स को भी दे देते हैं। वह हमेशा के लिए नहीं देते हैं और किसी खास अमुक मौके के लिए देते हैं। और खासकर के उस समय देते हैं जब कि ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन एक खास जगह की नीड्स को मीट नहीं कर सकते। अभी अलवर के पास मेला था उसमें प्राईवेट आपरेटर्स को उस मेले के लिए कुछ परमिट्स देने पड़े और ऐसा सरकार को यात्रियों की सुविधाओं के लिए करना पड़ता है और ज्योंही हमारी रोडवेज की क्षमता बढ़ेगी हम इनको धीरे धीरे बन्द कर देंगे।

एक सवाल यह उठाया गया कि टैक्स प्राईवेट गाड़ियों पर नहीं बढ़ाया और दूसरियों पर बढ़ा दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि प्राईवेट कार्स का भी बढ़ा है और दूसरी कारों का जिस तरह से बढ़ाया है उसी मिकदार में बढ़ा है। ट्रक वालों से हम ५०० लेते थे वह अब १८०० हो गया इसलिए उसी मिकदार में बढ़ा है। यह नहीं है कि उनका नहीं बढ़ाया। बढ़ाया है लेकिन उसी अनुपात में बढ़ाया है।

श्री भैरोंसिंह : स्कूटर का टैक्स कम किया है।

श्री चन्दनमल वैद : जो मानसिंहजी ने कहा वह सही है कि स्कूटर पर जो जुर्माने की मिकदार ५०) रु० है वह अदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह सही है कि स्कूटर के टैक्स की पैनेल्टी ज्यादा हो जाती है, वह मेरे ध्यान में आई है और इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री रामकिशन : यह दोनों महानुभाव व्यक्तिगत सवाल उठा रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : हां इससे जनसंघ के नेता को फायदा हो सकता है।

श्री रामकिशन : इनका जवाब जरूरी नहीं है, यह तो उनका व्यक्तिगत सवाल है, वे तो अपने स्कूटर पर किसी को बिठाते भी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : एक बात भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सब इंसपेक्टर के सम्बन्ध में कही। आपने बतलाया कि उसके पास किस प्रकार से रेफ्रिजिरेटर और दूसरी प्रकार का सामान है और इस सम्बन्ध में कुछ बातें बताई। मैं अर्ज कर दूं कि हो सकता है कि अभी सब के सामने आपने सारी बातें कहना उचित नहीं समझा हो लेकिन वे निजी तौर पर मुझे लिखकर दे सकें तो लिखकर दे दें अन्यथा निजी तौर पर बता दें प्राइवेटली, मैं ऐसे सब इंसपेक्टर के खिलाफ निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा।

एक हमारे गंगानगर से आने वाले, रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बड़ी गाड़ियों पर टैक्स ज्यादा घटाया है और छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम घटाया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन

Page No.156

(श्री चंदनमल वैद)

कहूं कि बड़ी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया भी ज्यादा था इसलिए घटाया भी ज्यादा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स रखा भी कम गया था इसलिए उसमें घटाया भी कम गया है। हमने इसमेंघटाने बढ़ाने में कोई विशेष कुछ नहीं किया है। हमने तो निश्चित आधार पर टक्स लगाया था और उसमें से बीस प्रतिशत टैक्स घटा दिया और इस वास्ते बीस प्रतिशत घटाने से जिन बड़ी गाड़ियों पर टैक्स ज्यादा था उनका टैक्स घटा भी ज्यादा और जिन छोटी गाड़ियों पर कम टैक्स था उनका घटा भी कम। हमने इसमें कोई पक्षपात नहीं किया।

यह सही है कि जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सी गाड़ियां हमारे यहां पर रजिस्टर होती हैं और रजिस्टर होने के बाद बाहर चली जाती हैं और हमारे यहां पर रजिस्ट्रेशन का टैक्स बकाया चलता रहता है और इस प्रकार से एरियर दिखता रहता है, हमारे अकाउण्ट्स में एरियर शो रहता है। इस सम्बन्ध में मैंने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फिगर लिए तो मालूम हुआ कि इस प्रकार के सात लाख के आसपास एरियर हैं।

और इस सात लाख के एरियर में भी साढ़े तीन लाख ही इस प्रकार के हैं इनके बारे में पता नहीं है कि ये रजिस्टर्ड हुई उसके बाद बाहर चली गई या क्या हुआ। इसके बारे में मैं कोई तरीका सोच रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। अगर कोई गाड़ी साल दो साल में हमारी नजर में न आवें तो उन गाड़ियों को राइट आफ कर दिया जाय या क्या किया जाय, इस बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे अकाउण्ट्स में इस प्रकार से जो एरियर्स दिखाई देते हैं और उनके बारे में माननीय सदस्य समितियों में और दूसरी जगह बार बार पूछते हैं तो मैं सोच रहा हूं कि इस बारे में क्या करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही कोई निर्णय हम इस बारे में लेंगे।

एक सवाल यह पूछा गया कि इस बारे रिलिफ से, यह जो पब्लिक केरियर्स हैं उस पर टैक्स कम करने से सरकार को कितना नुकसान हुआ। इसके बारे में निवेदन कर दूं कि जो पब्लिक केरियर्स पर टैक्स कम किया है उससे पांच लाख के करीब नुकसान पब्लिक एक्सचेकर होगा। उसके लिए वित्त मंत्रीजी भी मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस तरह से कड़ी नजर से न देखें, कुछ एरियर्स को वसूल करके और जो लीकेज होते हैं उनको चैक करके मुझे आशा है कि इस पांच लाख को हम पूरा कर लेंगे।

एक फिटनेस सर्टिफिकेट की बात बताई गई कि जो नई की नई गाड़ियां आती हैं, लेलेण्ड और टाटा मर्सडीज वगैरा, इनसे फिटनेस सर्टीफिकेट क्यों लेते हैं। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात मेरे दिमाग में भी जब से मैं इस डिपार्टमेंट मे आया, आई थी कि जो इस तरह से नई की नई गाड़ियां आती हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसमें मेरी भी मजबूरी है। यह जो इण्डियन मोटर वेहिकल एक्ट है उसके तहत कानून में प्रावधान है और उस कानूनी प्रावधान के कारण यह फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अब शीघ्र ही भारत सरकार इस इण्डि-

(श्री चन्दनमल वैद)

यन मोटर वेहिकल एक्ट का रिविजन कर रही है, फिर से इसे री-ड्राफ्ट किया जा रहा है। उसमें हमने भी अपने सुझाव भेज दिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसमें इस तरह का प्रावधान हो कि जिससे जो नई गाड़िया आवें उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं रहे और पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में भी सहूलियत हो। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट पहले छः महीने के लिए लेना पड़ता था उसकी बजाय अब बारह महिने का सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा मोटर वेहिकल इंस्पेक्टर के में ही इस सारे मामले को नहीं रखना चाहते। बल्कि यह हिदायत देने जा रहे हैं कि मोटर वेहिकल इंस्पेक्टर फिटनेस सर्टीफिकेट तो दे सकता है लेकिन अगर उसको रिजेक्ट करना हो तो पहले आर. टी. ओ. के पास जाना होगा और उसके सामने कारण बताने होंगे कि किन कारणों से रिजेक्ट कर रहा है। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से फिटनेस सर्टीफिकेट देने में आज जो भ्रष्टाचार होता है, इस नई व्यवस्था के बाद इस भ्रष्टाचार को रोकने में भी सहायता मिलेगी ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन सही राहत तो तभी हो सकेगी जब इण्डियन मोटर वेहिकल एक्ट में संशोधन होगा और साल दो साल में जब भारत सरकार इसको पास कराएगी और पार्लियामेंट में जब इस पर विचार होगा तो वहां पर भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वे इस पर समुचित विचार करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इण्डियन मोटर वेहिकल एक्ट में संशोधन चाहे देर से हो, साल दो साल उसमें लग जायं लेकिन आप अपने नीचे के जो अधिकारी हैं, आफिसर्स हैं, मैकेनिकल इंस्पेक्टर्स है उनको तो इस सम्बन्ध में निर्देश दे सकते हैं, इसके लिए अगल से रूल्स बना सकते हैं कि इन आधारों पर गाड़ियों को रोका नहीं जावे। एक एक डिविजन एक एक आदमी को आपने अलॉट कर रखा है वह दौरे पर चला जाता है और डिविजनल हैड क्वार्टर पर दस दस दिन तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो इसके लिए आप दूसरे इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दें ताकि वे भी इस तरह के सर्टीफिकेट दे सकें।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि राजस्थान में जितनी सहूलियत कर सकते हैं, जितना करना हमारे अधिकार में हैं उसके लिए हम नियम बना रहे हैं कि वह अकेला रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। अगर अप्रूव करता है तो वह कर सकेगा और अगर उसको रिजेक्ट करता हैं तो उसको आर. टी. ओ. के पास जाना पड़ेगा और इसके अलावा ६ महीने के बजाय १२ महीने का सर्टीफिकेट भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जितना कर सकते है, कर रहे हैं मै इस बात को मानता हूँ कि इसमें शायद कुछ गड़बड़ी होती हो, इसी वास्ते इतना कह रहा हूँ। मेरे ध्यान में भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं और उनकी तरफ मैंने पूरा ध्यान दिया है, लेकिन पूरा सेटिस्फेक्शन तो तभी मिल सकेगा जब कि इण्डियन मोटर वेहिकल एक्ट में प्रावधान होगा।

अभी सभापति महोदय, रोडवेज के बारे

(श्री चन्दनमल वैद)

में कई बातें कही गई। यह रोडवेज से सम्बन्धित विधेयक नहीं था फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं कि रोडवेज के बारे में माननीय सदस्यों ने इतनी व्यग्रता और चिन्ता प्रकट की। मैं स्वयं भी रोडवेज के बारे में काफी चिंतित हूँ और मैं जानता हूं कि जितना संतोषप्रद काम होना चाहिए, जितने संतोषप्रद ढंग से काम चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसका काम पूरे संतोषप्रद रूप से चले और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे माननीय सदस्य भी परिचित हैं। मैं केवल कोशिश इसी वास्ते नहीं कर रहा हूं कि कुछ रोडवेज को मुनाफा हो जायेगा और उससे राजस्थान को बहुत बड़ी इन्कम मिल जायेगी, बल्कि मैं इस वास्ते कोशिश कर रहा हूँ कि आज पब्लिक में यह धारणा हो रही है कि पब्लिक सेक्टर फेल हो जाता है और अगर पब्लिक सेक्टर फेल हो जाता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को कहेगी कि पब्लिक सेक्टर फेल हो गया, इसलिए मैं विशेष रूप से चिंतित हूँ और किसी तरह से सारी कोशिशें करके, इसको एक प्रकार का चेलेंज मान कर कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से यह रोडवेज का काम सुधारा जाय और यह साबित किया जाय कि पब्लिक सेक्टर भी सफल हो सकता है और इसी वास्ते मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे इस काम में मदद करें, हमारा सहयोग करें।

कभी कभी इस तरह की बातें कही जाती हैं कि १५० कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया तो हम हड़ताल करने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें करके आप किस की मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं जो इसके विरुद्ध हैं, जो यह चाहते हैं कि यह फेल हो। अगर कोई कर्मचारी अनुशासन हीनता करता है और ईमानदारी से काम नहीं करता है और फिर लेबर यूनियन या किसी दूसरे तरह की यूनियन का बहाना लेकर कहें कि उनके भ्रष्टाचार और उनकी अनुशासनहीनता को बरदास्त करें तो मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूँ कि इसमें तो लेबर यूनियन को खुद को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे में ये ये मेम्बर इस तरह के हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनको सर्विस से हटाइए। आखिर हम सब को मिलकर कोशिश करनी है कि यह जो पब्लिक सेक्टर का काम है यह पूरी तरह से सफल हो और यह तभी सफल हो सकता है जब हम सब मिल जुल कर इसके लिए प्रयास करें। इसमें पूरी मदद करें और पूरी कोशिश करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसा अभी बोडी बिल्डिंग और जूते के टेंडर के बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने और बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे जूते के ठेके के बारे में, इसके टेंडर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा और जानकारी करके बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उनको निजी तौर से एक पत्र लिखूंगा और उनको बताऊंगा कि सारी

(श्री चन्दनमल वैद)

स्थिति क्या है। मैं नहीं चाहता कि रोडवेज कार्पोरेशन, जिसके बारे में मैं चिंतित हूं सारा सदन चिंतित और जिसके लिए पब्लिक सेक्टर को चाहने वाले चिंतित हैं, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो। मैं इसमें बहुत कठोरता, अनुशासन और हिम्मत के साथ कुछ करना चाहता हूँ और इस वास्ते जो कुछ भी खरावी मुझे बताई जायेगी और जो कुछ भी इसके बारे में कहा जाएगा मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगा।

लेकिन बोडी बिल्डिग के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है उसके सम्बन्ध में इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बोडी बिल्डिग का कोंट्रेक्ट दिया गया है वह सारी वैधानिक कार्यवाहियां पूरी करने के बाद दिया गया है, सारे टेन्डर्स को स्क्रूटनाइज करके दिया गया है। उसका एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसमें डॉयरेक्टर बैठते हैं और उन डाइरेक्टर्स ने सारे टेन्डर्स में से उसको अच्छा समझकर दिया है। यह सही है कि लेएस्ट टेन्डर था उसको नहीं दिया। वह इस वास्ते नहीं दिया कि वे कहते हैं कि उसको बोडी बिल्डिग का एक्सपीरियन्स नहीं है। अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि उसको जूतों का ऑर्डर दिया जिसने कभी जूते का काम नहीं किया, और मान लें कि ऐसी फर्म को बोडी बिल्डिग का काम देते जिस फर्म को बोडी बिल्डिग का एक्सपीरियन्स नहीं तो फिर इस तरह से कहा जाता। कमल एण्ड कम्पनी को २० पर्सेन्ट बोडी बिल्डिग का कान्ट्रेक्ट दिया है वह भ इस शर्त पर दिया है कि उन्होंने पहले ७ बसों की बोडी बिल्डिग की है। उनमें जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को वे दूर करेंगे तो आगे बोडी बिल्डिग का काम उनको दिया जायेगा। उसको दूर नहीं करेंगे तो आगे नहीं दिया जायेगा। अब एक बात रही कि बाहर से जो बोडी बिल्डिग होकर आई हैं उनमें जो कमियां है और जो बोडी बिल्डिग कमल एण्ड कम्पनी ने की है उसमें जो कमियां है उनमें कितना फर्क है। जो डिफेक्ट्स बता रहे हैं इन्जीनियर्स बाहर से बोडी बनाकर जो आई है उनमें और यहां जो बनी है उनमें तो उनको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और आयन्दा यह कोशिश करेंगे कि जितना काम ज्यादे से ज्यादा दे सकें दें, लेकिन स्टैण्डर्ड का काम होना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बोडी बिल्डिग आप के कान्ट्रेक्टर्स ने जो भी टेन्डर्स दिये हैं उनमें सिर्फ मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सिर्फ दो फर्म का टेन्डर है। एक तो कमल एण्ड कम्पनी और दूसरा जिसका लोएस्ट टेन्डर है उस फर्म का नाम इस रिपोर्ट में आर्य इन्जीनियरिंग बताया है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लोएस्ट टेन्डर वाली फर्म से १० हजार का फर्क है और कमल एण्ड कम्पनी से ५ हजार का फर्क है, तो इनके पास भी सारे औजार टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो बोडी बिल्डिग में आवश्यक हैं वे है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा बीसों तरह की बोडीज बनाने के लिए उनको दी गई हैं। मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्ट को उन्होंने बोडीज बनाकर दी है यहां तक कि यू० एन० ओ० के हैल्थ प्रोग्राम

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की वे गाड़ियां बनाते हैं। इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन बार आपका मैकेनिकल इन्सपेक्टर इसकी जांच करेगा। तीन स्टेज पर जायगा और देखेगा।

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझ गया। मैंने तो डॉइरेक्टर्स का रिजोल्यूशन है उसके आधार पर बात कही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसको और एक्जामिन करा लें।

श्री चन्दन मल वैद : मैं आपको गलत नहीं कहता। आपने जो सूचना दी है वह सही मानता हूं। वह १०० पर्सेन्ट सही है। इस आधार पर मैं सारी चीजों को देखूंगा लेकिन जो सारे डाइरेक्टर्स ने बात कही है उसको पढ़कर सुना देता हूं जिससे आप को समझ में आजायेगा—

'The tenders of M/s Arya Industries & Co. are too low and they have absolutely no experience in this line and hence it is not advisable to accept his quotations.'

यह डॉइरेक्टर्स का जो रिजोल्यूशन है वह पढ़कर सुनाया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उस फैक्ट्री को एग्जामिन करा लें। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री चन्दनमल वैद : आप सही कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसको सही मानते हैं, और सही मानकर इन चीजों की छानबीन करा लूंगा। और जिनके बारे में यह कहा गया यानी जिनका लोएस्ट टेन्डर था उस फर्म के बारे में यह कहा गया कि उनको बोडी बिल्डिंग का एक्सपीरियन्स था या नहीं जैसा कि इसमें कहा गया उसके लिए यदि यह पाया गया कि एक्सपीरियन्स था तो उसके लिए ऐसा क्यों लिखा गया तो इस बारे में जांच करा लूंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि जितने भी माननीय सदस्योंके खास खास मुद्दे थे जो कि उन्होंने उठाये उनके बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि किसी मुद्दे पर विचार नहीं रख सका हूं तो यह न समझें कि मैंने उनके सुझावों पर विचार नहींकिया है ध्यान नहीं दिया है। मैं उनके सारे सुझावों पर ध्यान दूंगा। उनके सुझावों और विचारों को ध्यानमें रखते हुए यह कोशिश करूंगा कि रोडवेज़ कार्पोरेशन में अधिक से अधिक सुधार हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित करें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि मसानी कमेटी जिसके माननीय मंत्रीजी भी सदस्य थे उस मसानी कमेटी की सिफारिशों को राजस्थान में लागू करेंगे?

श्री चन्दनमल वैद : मसानी कमेटी की

(श्री चंदनमल वैद)

अधिकाश सिफारिशों को न केवल राजस्थान ने ही बल्कि अधिकांश स्टेट्स ने लागू कर दिया है। मसानी कमेटी के बाद तो भारत सरकार ने नियोगी कमेटी और केसकर कमेटी कायम कर दी थीं। एक के बाद एक कमेटी बनती चली गई। और इनकी सिफारिशों को भारत सरकार ने मानते हुए भारत सरकार ने कहा है कि इन सिफारिशों को अपनी अपनी कन्डीशन के अनुसार लागू कर दें। केसकर कमेटी जो मसानी कमेटी की अन्त में जाकर एक ऑफशूट बन जाती है वह है। मसानी कमेटी के बाद कई कमेटियां बन गई। मसानी कमेटी फाइनल नहीं रही। उसके बाद कई कमेटियां बन गई केसकर कमेटी बनी, उसके पश्चात् नियोगी कमेटी बनी। लास्ट में रिपोर्ट नियोगी कमेटी की आई है। केसकर कमेटी की भी रिपोर्ट आई है। उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसके साथ साथ मसानी कमेटी के अधिकांश सुझावों को मान लिया गया है, जैसे वन-मेन आर० टी० ओ०, पब्लिक मेन आर० टी० ओ० में नहीं रखे जायं। इन सारी सिफारिशों को अधिकांश रूप में मान चुके हैं। उसकी कई बातों को और कई सुझावों को मान चुके हैं। मसानी कमेटी की रिपोर्ट ५७–५८ में आगई या ५८–५६ में आगई होगी। मुझे पूरा याद नहीं है। उसके बाद में बहुत सी बातें बदल गई हैं। मसानी कमेटी को ही मानें और उसके बाद नया दृष्टिकोण नहीं मानें यह कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो प्रगतिशील बातें ट्रान्सपोर्ट के बारे में देश में हो रही हैं उन सब बातों को अमल में लायेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

एक माननीय सदस्य : इसमें ताली का सवाल नहीं है। यह तो सर्व-सम्मति से पास हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह बिल तो सर्वसम्मति से पास हुआ है और तालियां वे बजा रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : जो पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें। यही चाहते हैं ना आप लोग? क्या चाहते हैं?

(मतदान के पश्चात्)

"हां पक्ष जीता।

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही ......

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मंत्री) अभी और है।

श्रीमती सभानेत्री : और करेंगे?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं खाद्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि खाद्य समस्या के सम्बन्ध में डिबेट है तो उसका कोई खास अर्थ है। अगर 'प्रेस' भी नहीं है और डिबेट भी होती है तो उससे जनमत बनने के लिए होती है। कोई 'प्रेस' हो नहीं है तो क्या पब्लिक ओपीनियन होल्ड करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : 'प्रेस' बैठा है ऊपर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य इधर बैठने वाले चाहें तो बहस हो परन्तु बात यह है कि मेरे ख्याल में इस समय बहस करना तो निरर्थक बात है।

एक माननीय सदस्य : शुरू कर दें, खाद्य-समस्या के लिए परसों दिन रखा गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे दिन बैठे रहे और एक मिनट भी चैन नहीं किया। हम को काम करना चाहिए, जनता का काम है रात-दिन काम करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया यहां अकेली हैं। न स्पीकर हैं और न डिप्टी स्पीकर और न पैनल के सदस्य हैं। ये चार घंटे से बैठी हुई हैं। आखिर इनको भी रिलीव करना है।

श्री श्रवणलाल : यह मसला बहुत गम्भीर है इसलिए इस पर पूरे दिन डिबेट करना चाहिए।

(७.४८ सायं)

खाद्य-समस्या व अकाल सहायता पर विचार करने हेतु प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य-स्थिति एवं अकाल सहायता पर विचार किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं खाद्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि पूरी बहस आप आज रात को खत्म करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी जैसी इच्छा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल सदन चलाया जाय। आज शुरू कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कल को खास तौर से इसी के लिए सिटिंग रखी जाय तो हर्ज है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैंने अर्ज कर दिया। सभापति महोदया, राजस्थान राज्य की खाद्य-स्थिति और अकाल सहायता के बारे में इस सदन की यह मन्शा थी कि हम बैठें और इसके बारे में बात-चीत करें। उसके लिए आज का दिन निश्चित फर्माया था इस सदन ने ही। उस कार्यवाही को अब हम चालू कर पा रहे हैं और दिन भर आज और बातें होती रहीं, जो बातें एजेन्डे पर थीं या जिन को समझा गया कि काम की हैं। उसके बाद जो हमारा निश्चित कार्यक्रम है वह आगे के दिन इसी सदन का निश्चित किया हुआ कार्य-क्रम है। उस कार्यक्रम में इस डिबेट को और कहीं फिट कर सकते हैं इस सदन के लिए तो मुझे एतराज नहीं है। पर मैं सोचता हूं कि जो सदस्य महोदय इस सदन में उपस्थित हैं वे विचार

Page No.163

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर लें । (श्री मानिकचन्द सुराणा के खडे होने पर) मैं एक दो मिनिट कह लूं उसके बाद आप कहें । या जो डिबेट आगे आने वाली है तो कान्फीडेन्स के मुद्दे पर उसमें मिलाकर आप विचार कर लें । या ऐसा हो सकता है कि आज की रात में बैठकर जो कुछ खास खास लोगों को इसके बारे में अपने विचार रखने हैं और जो इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं वे लोग इसके बारे में सुझाव रख दें और अपनी बात कह दें । तो मैंने यह अपना निवेदन कर दिया । इसमें कोई वोट का प्रश्न तो है नहीं । इसमें तो सदन की भावनाओं को समझ कर आगे का इन्तजाम करने का सवाल है और पिछला जो कुछ हुआ है उसमें जो कमियां रही हैं उसके बारे में कुछ बातें सोचने की हैं जो कि वास्तविक रूप में इस प्रस्ताव के जरिये माननीय सदस्यों से प्राप्त होंगी । मैंने वैसे एक नोट पहले से ही, ज्यादा पहले तो नहीं क्योंकि डेट पहले आगे थी और फिर नजदीक आगई, कल दोपहर को भेजा है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह नोट आज ही आया है और जो नोट भेजा है वह भी ६५ के ही आंकड़े देता है तो फिर आगे बहस क्या करेंगे ? इसको एक मिनिट भी हमने नहीं देखा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फूड की बात कह रहा हूं । फूड के बारे में नोट कल सर्क्यूलेट किया था ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सबको नहीं मिला ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप एसर्ट करते हैं ......

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूरी आंकड़े समझे वे इस नोट में सर्क्यूलेट किये और क्या कमी है इस बारे में विचार आयेंगे तब और निवेदन करूंगा । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय ८ बज रहे है १०-११ बजे तक सदन के माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर दें । क्योंकि यह राजस्थान का अहम मसला है, जनता के हित का है इसलिये जो भी अपने विचार रखना चाहें वे रखदें । मैं समझता हूं स्पेसिफिक मौका है, जनरल डिबेट फूड पर करेंगे तो कई मसले होंगे आप भी पूरा नहीं कह सकेंगे और हमको भी कहने का मौका नहीं मिल सकेगा । इसलिये जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, जो चाहते हैं कि हमारे व्यूज आवें ....

श्री मानसिंह महार : हम प्रातः ११ बजे से बैठे हैं, रात के आठ बज रहे हैं, कल भी साढ़े नौ बजे तक बैठे थे । कल या परसों रखलें लेकिन कल छुट्टी का दिन है, यह भी नहीं मानें तो जिस तरह से अध्यक्ष महोदय करना चाहेंगे वह भी हमें मंजूर है । आज दिन भर हो गया, समय की भी कीमत है ।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की सम्मति हो तो कल के लिये रख लिया जाय ...

श्री नाथूराम मिर्घा : बहुत से सदस्य बाहर चले गये हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : बहुत से सदस्य आज घर जा चुके हैं उनको एतराज होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल रखने से आपको क्या दिक्कत है ?

श्री नाथूराम मिर्घा : नाथूराम को कोई दिक्कत नहीं है, कल दिन भर बैठा जाय । सवाल इतना ही है कि सदन के बहुत से सदस्य २ दिन की छुट्टियां होने से घर जा चुके हैं और बहुत से और जायेंगे । उनके जाने के बाद भी माननीय सदस्य बहस करना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है ।

श्रीमती सभानेत्री : क्या कल बैठक करना सदन को स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक २४ सितम्बर को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७ बज कर ५३ मिनिट पर, शनिवार, दिनांक २४ सितम्बर, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बस से युवक की मृत्यु

१६१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १३ जनवरी, १६६३ को शाम को ८।। बजे जयपुर से कुछ दूर घाट के मोड़ पर राजस्थान स्टेट रोडवेज की जयपुर-आगरा जाने वाली बस नं० ७२८७ की एक युवक किसान से टक्कर हो गई थी ?

(२) क्या यह सच है कि उस किसान की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो किसान कहां का था व उसका नाम व उम्र क्या थी ?

(३) क्या यह सच है कि उस समय गाड़ी को ड्राईवर नहीं चला रहा था बल्कि रोडवेज विभाग के सीनियर फोरमैन चला रहे थे ?

(४) क्या यह भी सच है कि बस नं० ७२८७ को पुलिस ने हिरासत में ली थी ? यदि हां, तो अब उस केस में क्या हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां। किन्तु बस आगरा से आ रही थी।

(२) जी हां। किसान जिसका नाम रामू पुत्र गणेश कौम गूजर, साकिन गूजरों की ढानी उम्र ७४ साल था, सड़क पर दो साथियों के साथ ग्राम बावड़ी भरतपुर की ओर जा रहा था।

(३) जी नहीं। गाड़ी को ड्राईवर ही चला रहा था।

(४) जी हां। केस का चालान दिनांक १-२-६३ को अदालत में पेश कर दिया गया। न्यायालय द्वारा ड्राईवर को सन्देह के न्याय से बरी किया गया।

टेलों पर पानी

२०४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से गंगानहर की फीडर शाखा नहरों एवं माईनर्स की टेलों पर उनके हक से कम पानी पहुँच रहा है ?

(२) यदि हां, तो टेलों पर पानी पूरा करने के क्या प्रयत्न किये गये हैं ? क्या राजस्थान सरकार पंजाब सरकार की तरह नहरी अधिकारियों के प्रमोशन के समय इस बात पर विचार करती है कि उनकी टेलों पर पानी पूरा चला या नहीं ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(३) यदि नही, तो क्या ऐसी शर्तें नहरी अधिकारियों के सर्विस रूल्स में दर्ज करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गिरवा तहसील में अकाल सहायता कार्य

२०६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष तहसील गिरवा में अकाल सहायता कार्यो के लिए कितनी रकम मंजूर थी और कितनी रकम कहां कहां खर्च की गई ?

(२) कहां कहां क्या क्या कार्य आरंभ किये गये और उनमें से कौन कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ?

(३) कौन कौन से कार्य मंजूर शुदा होने पर भी प्रारंभ नहीं किये गये और क्यों तथा इनके लिये कितनी कितनी राशि निर्धारित की गई ?

उत्तर

(१) तहसील गिरवा में अकाल सहायता कार्य के लिए २,३२,४३७) रुपये की राशि स्वीकृत होकर जुलाई सन् १९६६ तक खर्च हो चुकी है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) दो काम इसलिये नहीं लिये जा सके कि उनके पास ही ५ मील क्षेत्र में अन्य कार्य चालू कर दिये गये थे।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

नहर तोड़ने एवं नाले लगाने के मामले

२०७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रायसिंह नगर में चक १६ पी० एस० में पिछले कुछ महीनों में अनेकों बार नालें पकड़ी गई हैं एवम् नहर टूटी हुई पाई गई है।

(२) यदि हां, तो नहर तोड़ने एवम् नालें लगाने के मामलों में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) पिछले महीनों में दो बार नालें पकड़ी गई एवम् नहर टूटी हुई पाई गई।

(२) नालें लगाने के विषय में मामला अदालत में पेश किया गया पर अपराधी पर

(श्री सिचाई मंत्री)

जुर्म साबित न हो सका। ये अदालत से बरी कर दिये गये। नहर तोड़ने के बारे में भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की हुई है। जिसमें अभी तक तफतीश जारी है।

बूंदी जिले में अकाल राहत कार्य

२०८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष बूंदी जिले में कुछ गांवों को अकाल क्षेत्र घोषित किया गया था ?

(२) यदि हां, तो बूंदी जिले में कितने गांव अकाल क्षेत्र घोषित हुये थे ?

(३) क्या यह सही है कि अकाल क्षेत्रों में राहत कार्य करवाया जाना आवश्यक था ?

(४) यदि हां, तो बूंदी जिले में कहां कहां पर अकाल राहत कार्य करवाये गये और कुल कितनी धनराशि अब तक खर्च की गई ?

(५) क्या यह सही है कि अकाल क्षेत्र के गांवों में भी पटवारी के द्वारा लगान व अन्य रकबों की वसूलियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी, हां,।

(२) इस वर्ष बूंदी जिले में खरीफ के लिए तहसील नेनवा के ३१ गांव एवं केशवराय पाटन के ५२ गांव तथा रबी के लिए केशवराय पाटन के २० और गांव अकालग्रस्त घोषित किए गए।

(३) जी हां।

(४) तहसील नेनवा में सभी करबर रोड एवं तहसील हिन्डौली में आवन बसोली सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य करवाया गया। जिस पर कुल २२,२२८)७१ पं० खर्च हुए।

(५) जी नहीं, वसूली नहीं की जा रही है। पर जो स्वेच्छा से जमा करा दें उनका लगान जरूर जमा कर लिया जाता है।

घास वितरण

२०९. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष फागी, चाकसू, लालसोट, बांदीकुई व महुआ आदि स्थानों में राजस्थान से बाहर चरने जाने वाले पशुओं हेतु घास वितरण करने के डिपो खोले गए थे ?

(२) अगर हां, तो नावां, फुलेरा, दूदू व फागी से बाहर चरने जाने वाले मवेशियों को इन डिपोज से चारा क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, इन पशुओं के लिए फागी

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

चाकसू, तूंगा, दौसा, में घास के डिपो खोले गये थे।

(२) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। इधर से जाने वाले सभी पशुओं को घास की व्यवस्था उपलब्ध थी।

सीमान्त भूमि का आवंटन

२१०. श्री जुझारसिंह (चेचट): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सांगोद के अन्तर्गत समस्त गांवों में से कितने गांव नदियों व नालों के किनारों पर या किनारे किनारे बसे हुए हैं तथा भूतपूर्व कोटा राज्य के विलीनीकरण के पश्चात् इनमें से प्रत्येक में सीमान्त भूमि पर कितने बीघा भूमि आवंटित की गई ह?

(२) क्या सरकार ने इनमें से किसी भी गांव में गलत आवंटन किए जाने के प्रभाव की जांच पड़ताल करवाई है? यदि हां, तो भूमि की उर्वरता, फसलों के उत्पादन तथा विशेषतः पशुओं की चराई की सुविधाओं पर इसका क्या प्रभाव हुआ है?

(३) नदियों तथा नालों के किनारे भूमि कटाव के क्षेत्र में स्थित गांव घूलेट, टोलिया, लोधा हैड़ा, किशनपुरा, अड़सा, राजगढ़, कुरदिया कलां, रोलाना, घाटोलिया विनोद कलां, विनोद खुर्द, कहिड़ा, सोन्दकिया धीमली, व सांगोद गांवों में कितना क्षेत्र अतिक्रमणकारियों के अवैधानिक कब्जे में है?

(४) सीमान्त भूमि तथा भूमि कटाव क्षेत्र में व्यक्तियों के उपाक्रमण (एंक्रोचमेंट) को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गय हैं?

(५) भविष्य में भूमि आवंटन तथा भूमि उपयोगिता की व्यवहारिक नीति अपनाने हेतु व इस क्षेत्र की विशेष परिस्थिति को देखते हुए क्या सरकार भूतपूर्व कोटा राज्य की समस्त तहसीलों व अन्य नदी प्रवाह के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना उपयुक्त तथा सामयिक समझेगी?

उत्तर

(१) तहसील सांगोद में काली सिन्ध परवन उजाड़, तथा अरू नदियां हैं व पोंकसीया षटपुंडया परातया कन्डोली झाझापेरंडी आदि नालों के किनारे २,१४२ ग्राम बसे हुए हैं। सीमान्त मारजनल पर केवल सन् ६१-६२ में चार गांवों में ६६ बीघा भूमि विक्रय की गई।

(२) जी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं अनुभव हुई क्योंकि इसके बाद ऐसी कोई भूमि विक्रय नहीं की गई।

(३) नदियों व नालों के किनारे घूलेट १०२, टोल्यां ३, लोडाहिडो ३७, किशनपुरा २५, अडसा १०, राजगढ़ ३, कराडिया को ४, रोलाना ८, घोटाल्या १, विनोदकला ७, बापड़ो ४, सउक्या ११, टीमलों २७, सांगोद ६, जुमले २६१ एकड़ भूमि पर सम्वत २०२१ में अति क्रमण हुआ।

(श्री उपनिवेशनमंत्री)

(४) धारा ९१ लैंन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत तहसील द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है ।

(५) उपरोक्त भूमि का आवंटन न करने के आदेश जिलाधीश ने जारी कर दिए हैं । सर्वेक्षण सम्बन्धी नीति के निर्धारण पूर्व सारे आंकड़े उपलब्ध करने होंगे तब ही इस पर विचार किया जा सकेगा ।

दूदू तहसील में अकाल राहत कार्य

२११. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

इस वर्ष दूदू तहसील में अकाल राहत हेतु कौन कौन से कार्य आरम्भ करने हेतु प्रथमतः मंजूरी हुई ? उक्त कार्यों में बाद में क्या क्या तब्दीलियां की गई और उन तब्दीलियों के क्या क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(१) इस वर्ष दूदू तहसील में अकाल राहत हेतु कार्य आरम्भ करने के लिए प्रथमतः निम्न प्रकार मंजूरी हुई--

रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा

(१) मरम्मत धान्धोली तालाब ।

(२) मरम्मत छमाना तालाब ।

(३) मरम्मत गागरडू तालाब ।

(४) बिचूनिया तालाब ।

सिचाई विभाग

(१) मरम्मत मौजमाबाद तालाब ।

(२) मरम्मत रहलाना तालाब ।

(३) मरम्मत मरवा तालाब ।

(४) मरम्मत साखून तालाब ।

(५) मरम्मत ममना तालाब ।

पी० डब्लू० डी० विभाग

(१) निर्माण सड़क हीरापुरा से मरवा वाया ममाना ।

(२) निर्माण सड़क मौजमाबाद से भाग वाया किशनपुरा ।

(३) निर्माण भाग सड़क से बगरू वाया रामपुरा ऊंती ।

(४) निर्माण सड़क गाड़ोता से मोजमाबाद ।

(५) निर्माण सड़क साखून से नेशनल हाइ वे ४७ माईल तक ।

(६) बोचून से ढाणी बीराज सड़क उक्त कार्यों में निम्न प्रकार तब्दीलियां की गई -

(१) गागरडू अभावग्रस्त ग्राम घोषित न होने के कारण राहत कार्य मरम्मत गागरडू तालाब का शुरू नहीं कराया गया,

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

इसके बजाय पड़ासोली से हरसोली तक सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया।

(२) सिंचाई विभाग से शुरू कराये जाने वाले रहलाना तालाब के बजाय हरसोली तालाब का कार्य कराने की स्वीकृति हुई क्योंकि रहलाना तालाब खातेदारी में था।

इसके अतिरिक्त प्रथमतः मंजूर हुए कार्यों में कोई तब्दीलियां नहीं की गई।

मृतक पसायतेदारान का मुआवजा

२९२. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सही है कि ग्राम वांवरला के कुछ मरे हुए पसायतेदारान का मुआवजा धोखा देकर जिन्दा बताकर उठा लिया गया, उसका मुकदमा पुलिस थाना सांचोर में जुर्म जेरदफा ४२० ताजीरात हिन्द काफी अर्से पहले दर्ज हुआ ? यदि हां, तो उस मुकदमे के अदालत में अभी तक चालान न करने के व इतनी देरी करने के क्या क्या कारण हैं ? और इस देरी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? अब चालान अदालत में कब तक पेश हो जावेगा ?

(२) क्या यह सत्य है कि मुकदमा अब सी० आई० डी० विभाग के पास है ? अगर हां, तो कब से ? कब तक चालान पेश कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) ग्राम वांवरला के २ पसायतेदारान का मुआवजा इनके मरने के पश्चात् उठा लिये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार सांचोर की कलेक्टर जालौर के मार्फत थाने सांचोर में प्राप्त होने पर मु० नं० ११ दिनांक ९-४-६५ की धारा ४२० भा० दं० सं० में पंजीयन हुआ इस प्रकरण की अभी तक अनुसंधान की जा रही है। दोनों मृत पसायतेदारान का म्यूटेशन तथा जागीरी बोण्ड के पेमेन्ट से सबंधी रेकार्ड प्राप्त करने, विवादास्पद अंगुस्त निशानी का अंगुस्त विशेषज्ञ से राय प्राप्त करने तथा श्री पुखराज वकील जिन्होंने बोण्ड के पेमेन्ट के समय दोनों पसायतेदारान की शनाख्ती की है उनसे वांवरला के सरपच की लिखित तहरीर जिसके आधार पर उन्होंने शनाख्तकी प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है। अधीक्षक पुलिस जालौर को विलम्ब सम्बन्धी कारणों की जांच कर, यदि कोई दोषी पाया जावे तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने तथा अब इस प्रकरण का अनुसंधान शीघ्र निपटाने के लिए विशेष तौर से ध्यान देकर शीघ्रातिशीघ्र अनुसंधान पूर्ण करके तथ्यों के आधार पर निर्णय दे देने के लिए लिख दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों के बारे में तकमील तफतीश होने पर इस मुकदमे में अन्तिम निर्णय दिया जा सकेगा जिसकी निश्चित अवधि या तारीख बताना सम्भव नहीं है।

(२) जी नहीं। इस मुकदमा की अनुसंधान सी० आई० डी० ने कभी नहीं की

Page No.171

(श्री गृह मंत्री)

और प्रारम्भ से अब तक स्थानीय पुलिस ही कर रही है।

ठिकाना कोटडी व सरकार के मध्य मुकदमा

२१३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा में स्थित ठिकाना कोटडी व सरकार के मध्य भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में मुकदमे चल रहे हैं? अगर हां, तो किस स्टेज पर हैं?

(२) क्या यह सही है कि ठिकाना कोटड़ी सस्ते दामों पर भूमि बेच रहा है? अगर हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि इस साइट पर सरकार की रिजर्व कीमत तीन वर्ग फुट है?

उत्तर

१. जी हां। मामले में शहादती सबूत पेश हो रहे हैं।

२. जी हां। बेची थी, क्योंकि उसे उन्होंने निजी सम्पति मान रखा है।

३. जी हां।

जैतसर के लिए भूमि

२१४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले के जेतसर फार्म के लिए कितनी भूमि कब अवाप्त की गई थी?

(२) उक्त अवाप्ति में कितने काश्तकारों की भूमि अवाप्त हुई व इसके लिए कुल मुआवजा कितना देना पड़ा?

(३) उक्त फार्म के लिए कितने मूल्य की मशीनरी अब तक आ चुकी है?

(४) अब तक कितनी भूमि पर काश्त की गयी है और उससे क्या आमदनी हुई है?

उत्तर

१. गंगानगर जिले के जेतसर फार्म के लिए कुल ४८०७७।) १ बीघा रकबा अवाप्त सन् १९६३ से अब तक किया गया है।

२. उक्त अवाप्तशुदा रकबे की एवज में कुल ५०५ आसामियान की भूमि जो अवाप्त हुई उसके बदले में उनको भूमि ही देने की कार्यवाही की गई है क्योंकि वे नगद मुआवजा लेने को तैयार नहीं थे। इसलिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

३. जैतसर मेकानाईज्ड फार्म भारत सरकार के अधीन है। अतः यह

(श्री कृषि मंत्री

सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

स्थगित प्रश्न

[दि० १६-६-६६ को स्थगित]

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के तहत भरतपुर शहर में जमीन

३३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के क्रम में भरतपुर शहर में कुछ लोगों को जमीन दी गई थी ? यदि हां, तो कितनों को और उसका क्या परिणाम रहा ?

(२) क्या इस जमीन पर खेती हो रही है ? यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां। संवत् २००८ में इस आंदोलन के संबंध में शहर भरतपुर के २२ व्यक्तियों को भूमि दी गई थी जिस पर उन्होंने खेती की।

(२) जी हां।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिए)

• सूची प्रश्न के खण्ड (१) व (२) के उत्तर में

सन्	पिछले बकाया	नए बने	योग	निर्णीत हुए	बाकी रहे
१९६३	१२	५७४	५८६	१९५	३९१
१९६४	३९१	१८२१	२२१२	१११	२१०१
१९६५	२१०१	३४१५	५५१६	२१४०	३३७६

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	१३	राजस्थान,	राजस्थान
„	१५	अध्यश्र	अध्यक्ष
„	अन्तिम	ी	थी
२	१२	postpermanent	Postponement
„	१५	मीखामाई	मीखामाई :
५	अन्तिम से ६	वात	वात
६	१३	महोदव	महोदय
७	अन्तिम से ४	मी न माल	मीनमाल
८	३	हिन्दी	हिन्द
„	२०	तहसील	तहसील-
९	शीर्ष	सितम्वर	सितम्बर
„	अन्तिम से ७	३, ६१५, १०	३, ६१५. १०
„	७	रीधाडिया	रीछाडिया
११	२	वनने	वनाने
„	अन्तिम से ९	सवे	सबे
१३	अन्तिम से ८	अदि	आदि
१४	७	महोदय	महोदय,
„	६	व्यव्स्था	व्यवस्था
१६	१५	कैस	केस
„	अन्तिम से ४	मैं	में
२०	५	जानकारो	जानकारी
२७	८	करे गे ।	करेंगे :-
„	१५	किनना	कितना
३८	५	लडढा	लड्ढा

१	२	३	४
४०	८	निमत	निमित्त
४१	अन्तिम से ३	२०१ श्रि	२०१. श्री
४२	१२	उपमंत्री कृषि,	उप-मन्त्री, कृषि
"	अन्तिम	हीन	नहीं
४८	अन्तिम से ५.	विफाग	विभाग
"	अन्तिम से ३	सरवा	सीरावास
४९	अन्तिम से ७	एसके	इसके
५१	शीर्ष	रामानन्द	श्री रामानन्द
	९-१०	श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ़) आप यह कहते हैं कि कोई सूचना नहीं है।	—
"	११	डूगाराम	डूंगाराम
"	२२	आपने	आपने ?
"	अन्तिम से ६	और ?	और
५२	९	जाती	आती
५३	१	नाथूराम	नाथूराम
"	१५	क्य	क्या
"	अन्तिम	पील	सीलों
५४	अन्तिम से ११	जयपुर)	जयपुर) :
५७	४	सदत्य	सदस्य
५९	७	में हैं सबसे	में सबसे
	१६	लिजिस्लेशन	लेजिस्लेशन
"	अन्तिम से १२	इसक	इसका
६०	४	नाथुराम	नाथूराम
"	१३	मिर्धा-	मिर्धा :
"	अन्तिम से १०	कियान्वित	क्रियान्वित
"	अन्तिम से २	सेक्शन	सेंक्शन
"	अन्तिम	है	है

१	२	४	४
६१	१	कन्ट्रक्शन	कन्स्ट्रक्शन
,,	१	शिडयूल	शिड्यूल
,,	४	हमारा	हमारी
,,	८	अवेलेबुल	अवेलेवल
,,	८	मिलन	मिलना
,,	१६	पलो	फ्लो
,,	१६	संचित	सिंचित
,,	२२	इरिगेशन	इरिगेशन
,,	अन्तिम से २	(गोविन्दगढ)	(गोविन्दगढ़) :
६२	४	पाचवीं	पांचवी
,,	११	काश्तकारो	काश्तकारों
,,	१४	(वैर)	(वैर) :
६३–६४	शीर्षक	सितम्वर ६६	सितम्वर, ६६
६३	अन्तिम से ५	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष
६७	२	करवा	करना
,,	१३	२)	(२)
६६	११	फटेल	फेटल
७०	४	लिख	लिखे
,,	१०	अत	अत:
७१	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री भीखाभाई)
,,	२	क्वारीज	क्वेरीज़
७३	१, ५, २२	क्रेशर	क्रशर
,,	२६	क्रन	क्रेन
७४	३	जीपें में लेंगे	जीपें लेंगे
,,	अन्तिम से ११	कोन्सिलियेशन	कान्सिलियेशन
७५	७	एक्सोडेन्ड	एक्सीडेन्ट
,,	अन्तिम से ६	एसोसियेटेड	एसोशियेटेड
,,	अन्तिम से ४	कार्यवाहा	कार्यवाही

१	२	३	४
७६	१	न	ने
७३-८०	शीर्षक	सितम्वर ६६	सितम्वर, ६६
७६	अन्तिम से ४	फोरन	फौरन
८०	६	electtion	elections
,,	१३	mimiter	Minister
,,	१८	की	को
,,	अन्तिम से १०	पढ	पढ़
६३	अन्तिम	पचवर्षीय	पंचवर्षीय
६५	शीर्ष	वीकारने-भूमि-आवंटन	बीकानेर-भूमि-आवंटन
६६	२१	क्योकि	क्योंकि
६७-६८	शीर्षक	सी. फै. सवाई माधोपुर में- -२३ सितम्वर, ६६- मजदूरों की भू. ह. पर शा. वक्तव्य	बीकानेर-भूमि आवंटन -२३ सितम्बर, ६६- सम्वन्धी ध्यानाकर्षण
६७	१	(श्र कुम्भाराम आर्य)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
६६	२१	सदव्य	सदस्य
१०१	२७	है	हैं
१०२	१५	हूए	हुए
,,	३०	बीच	बीच
१०३	७	हो गई	हो गईं
,,	२४-२५	मैं खुद राव साहब के न तो उन्होंने उद्घाटन किया	मैं खुद राव साहब के साथ था। न तो उन्होंने उद्घाटन किया
१०४	४	नह	नहीं
,,	अन्तिम से ३	फार्स	फोर्स
१०६	२३	घाघर	घग्घर
,,	२४	वाकया	वाकया
११०	अन्तिम	जिनक	जिनको
१११	६	श्री रामप्रसाद लड्ढ	श्री रामप्रसाद लड्ढा

१	२	३	४
११२	१४	आवश्यक है	आवश्यक है
११६	अन्तिम से ७	कृछ	कुछ
१२०	१३	मांननीय	माननीय
१२४	४	दुविधापुर्ण	दुविधापूर्ण
१२५	अन्तिम से १६	books	book
१२६	११	जाननं लिए	जानने के लिए
१२६	१	ढावरिया	ढाबरिया
,,	अन्तिम से ११	तहते	कहते
,,	,, ,, १०	यह यह	यह
१४०	अन्तिम से ११	महोयय	महोदय
१४१	अन्तिम से ६	शका	शंका
,,	,, ,, ५	शका	शंका
१४८	१	सवाल	सवाल
१५६	१२	निष्क्रिय	निष्क्रय
१६०	अन्तिम से १२	दण्डे	डांटे
१७३	शीर्षक	कर्यालय	कार्यालय
१७६	१८	मेरा	मेरे
१८०	१५	सदा	सजा
१८६	२८	५	१५
१८६	५	अनफीसियेन्ट	इनऐफीसियेन्ट
१६०	१४	चली रही	चली आ रही
१६१	५	विषय	विषम
१६३	५	कालेज से	कॉलेज में
१६५	११	सुपरफुलस	सुपरफ्लुअस
,,	२५	Identification the	Identification before the
२०१	अन्तिम से १३	सरकम्स्टासेज	सरकम्सटान्सेज
२०२	अन्तिम से ३	उद्विग्न	उद्विग्न
२०५	१५	साइन्टिफ़क्ली	साइन्टिफिक्ली
२०७	१०	मार	मारें
२०८	५	वर्गो	वर्गों

१	२	३	४
२०८	१४	नही	नहीं
,,	अन्तिम से ३	दृिट	दृष्टि
२०९	अन्तिम से १३	वाला	वाली
२१२	२	कारीगर	कारीगर
,,	७	एकसपोर्ट	एक्सपोर्ट
२१४	१०	व	वह
२१५	३	राजस्यान	राजस्थान
२१८	अन्तिम से १५	तहीं	नहीं
,,	अन्तिम से ३	पदेशान	परेशान
२१९	अन्तिम से ३	मैरी	मेरी
,,	अन्तिम	ही	एक ही
२२०	अन्तिम से ४	विश्र	विश्व
२२१	अन्तिम से ५	वे पास	वे में पास
	अन्तिम से ७	अर्जे	अर्ज
२२३	अन्तिम से १०	प्रदत	प्रदत्त
२२४	७	मथुशबिहारी	मथुरेशबिहारी
,,	१०	प्रष्ठभूमि	पृष्ठभूमि
,,	१२	आंतिकत	आतंकित
२२५	१४	इस	यह
२२७	६	आधित्य	आधिपत्य
२३४	३	ये	में
२३७	१६	महावार	माहवार
२३९	अन्तिम से ९	मैं	में
२४३	अन्तिम से १०	शिड्यूल	शिड्यूल्स
२४७	१	वैद्य	वैद
,,	३	you	You
२५०	३०	ओवरलोडिंग	ओवर लोडिंग
२५१	अन्तिम से ३	[illegible]	और
२५२	२९	उन्होने	उन्होंने
,,	३१	क्योकि	क्योंकि

१	२	३	४
२५२	३१	देखे	देखे.
२५३	६	६६६	१६६६
२५६	२	और जो आप कहते हैं	—
२५७	८	कण्डकटर	कण्डक्टर
२५६	१३	वजाय	वजाय
„	२४	टक्स	टैक्स
२६०	११	सध्यप्रदेश	मध्यप्रदेशा
„	१८	महोदय,	महोदय
„	२६	ओर	और
२६१	अन्तिम से ६	बत	बात
२६२	१	जयकष्ण	जयकृष्ण
„	८	है	हैं
२६३	३	में	मैं
„	२४	मैं	में
„	२६	परसेट	परसेंट
२६४	अन्तिम से ११	ब्यूक्रेसी	ब्यूरोक्रेसी
२६५	१५	अलवर दिल्ली	अलवर से दिल्ली
२६६	२४	में	मैं
२६७	अन्तिम	टेक्स	टैक्स
२६८	१०	ह	है
„	१७	टेक्स.	टैक्स
„	१८	सम्पिल	सिम्पिल
„	२१	तभा	तभी
„	२७	सँ	से
„	२८	अमेरका	अमेरिका
„	३१	चिन्तान	चिन्तन
„	३२	पेसें	पैसे
२६९	४	टैक्सेसन	टैक्सेशन
„	६, ६	टेक्स	टैक्स
„	११	टेक्सेशन	टैक्सेशन

१	२	३	४	
२६६	अन्तिम से ६	सकता	सकती	
,,	अन्तिम से ५, २	टेक्स	टैक्स	
२७०	६	कानून	कानून	
,,	६	टेक्सेशन	टैक्सेशन	
,,	१५	टेक्स	टैक्स	
,,	२०	कि	कि	
,,	अन्तिम से ३	जररत	जरूरत	
२७१	७	कीगत	कीमत	
,,	१०	व्यथ	व्यर्थ	
,,	१८	दोड़ते	दौड़ते	
,,	२४	रख	रह	
,,	अन्तिम से ५	पैसो	पैसा	
२७२	७	मे	में	
,,	८	भ्ष्टाचार	भ्रष्टाचार	
,,	१०	मत्राजी	मंत्रीजी	
,,	१८	कोंई	कोई	
,,	१८	आवश्वकता	आवश्यकता	
२७३	२०	रिपांर्ट	रिपोर्ट	
२७४	१६	हुँ	हूँ	
,,	अन्तिम से ८	है,	हैं,	
२७६	१३	हयूज	हयूज	
,,	१४	ब्लाल	ब्लाक	
,,	अन्तिम से ६	बम्बई	बम्बई	
२७७	शीर्ष	मानिकचन्द	श्री मानिकचन्द	
,,	१	सिग्रो	सिग्रोन	
,,	५	हों	होंगे,	
,,	८	२४, ७००	२४,७०० और २,४०००	
,,	१७	लॉएस्ट	लोएस्ट	
,,	२४	चैसिस	चैसिस	
,,	अन्तिम से २	सिस	चैसिस	

१	२	३	४
२७७	अन्तिम	ये	रुपये
२७८	३	इसमे	इसमें
,,	१६	कोर्पोरेशन	कोर्पोरेशन
,,	२५	हैं।	है।
,,	३२	वसे	वसें
,,	३३	पौर	श्रौर
२७६	३	जैसे	जैसे
,,	२२	हैं।	है।
२८०	४	: (आमेर) :	(आमेर) :
,,	१८	माननीय महोदय,	माननीय मंत्री महोदय
२८८	अन्तिम से ६	ओर्गेनाइजेशन	ओर्गेनाइनेशन के
,,	अन्तिम से २	अव	अव
२६०	१६	सूखी	सूची
२६२	अन्तिम से ६	५	५ सप्ताह में
२६५	अन्तिम से ८	विमा	विभाग
२६७	२	वगैरा	वगैरा
२६८	१०	का	की
३०१	१३	रिपोट	रिपोर्ट
३०३	३	पंजाव	पंजाव
३०६	१२	श्रापको	श्राप
३०८	अन्तिम से ६	वगाते	लगाते
३११	५	वड़ाने	बढ़ाने
,,	६	टक्स	टैक्स
३१५	२	मै	मैं
३१७	२१	लेएस्ट	लोएस्ट
,,	अन्तिम	म	भी
३१८	अन्तिम से २	डिपार्ट	डिपार्टमेंट
३२१	१	अधिकाश	अधिकाश
,,	२२	म	में
३२२	२	गाड़ा	गाड़ी

१	२	३	४
३२३	६	हानहीं	ही नहीं
३२६	१७	थ	थे
,,	१६	ली	लिया
३३४	६	निमाण	निर्माण
३३५	१६	ह	है
३३६	७	गय	गये
,,	६	विशप	विशेप
३४०	१८	सरपच	सरपंच